अक्तूबर-दिसम्बर, 2013 (संयुक्तांक)

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

प्रधान संपादक
अनूप कुमार वार्ष्णेय

संपादक
डा. एम. सी. पांडेय

महत्वपूर्ण निर्णय

रणबीर दंड प्रक्रिया संहिता, 1989 संवत् (1933 ईस्वी) – धारा 100 – सदोष परिरुद्ध व्यक्ति की तलाशी – यदि अप्राप्तवय लड़की अपनी नानी और मामा की देखभाल और अभिरक्षा में है तो उसका नैसर्गिक पिता अपनी लड़की की अभिरक्षा बलपूर्वक और अशिष्ट ढंग से प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि यह विधिविरुद्ध होगा और बलात् प्राप्त की गई अभिरक्षा विधिविरुद्ध परिरोध की कोटि में आएगी ।

फारुख अहमद दार और अन्य बनाम **मोहम्मद अमीन गनई और एक अन्य** 298

पृष्ठ संख्या 205 – 402 **(2013) 2 दा. नि. प.**

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

संपादक-मंडल

श्री पी. के. मल्होत्रा,
सचिव, विधायी विभाग

श्रीमती शारदा जैन, संयुक्त सचिव एवं
विधायी परामर्शी, विधायी विभाग

डा. बी. एन. मणि, अधिवक्ता,
(पूर्व संपादक) वि.सा.प्र.

डा. प्रीती सक्सेना, प्रोफेसर,
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ

डा. वैभव गोयल, संकायाध्यक्ष
विधि संकाय, स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ

श्री सुरेन्द्र शर्मा, प्रिन्सिपल,
विधि विभाग, गुरु गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली

डा. आर. पी. सिंह,
सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव, राजभाषा खंड

श्री लालजी प्रसाद,
सेवानिवृत्त प्रधान संपादक, वि.सा.प्र.

श्री के. जी. अग्रवाल,
सेवानिवृत्त संपादक, वि.सा.प्र.

श्री अनूप कुमार वार्ष्णेय,
प्रधान संपादक

श्री महमूद अली खां,
संपादक

श्री जुगल किशोर,
संपादक

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय,
संपादक

सहायक संपादक : सर्वश्री विनोद कुमार आर्य, कमला कान्त, अविनाश शुक्ल और असलम खान

उप-संपादक : सर्वश्री दयाल चन्द ग्रोवर, एम. पी. सिंह और जसवन्त सिंह

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 36

वार्षिक : ₹ 135

© 2013 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

प्रकाशन और विक्रय प्रबंधक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग), भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा..... द्वारा मुद्रित ।

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 47259/88

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं – उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिकाओं में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के क्रमश: चयनित सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । इन पत्रिकाओं को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इनमें जनवरी, 2010 के अंक से महत्वपूर्ण केन्द्रीय अधिनियमों का प्राधिकृत हिन्दी पाठ को पाठकों की सुविधा के लिए शृंखलाबद्ध रूप से प्रकाशित किया जा रहा है । तीनों निर्णय पत्रिकाओं की वार्षिक कीमत केवल ₹ 495/- है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 225/- है, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 135/- है और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 135/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें ।

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और विक्रय के लिए उपलब्ध विधि पाठ्य पुस्तकों की सूची

	पुस्तक का नाम	लेखक	पृष्ठ सं.	कीमत (₹)
1.	भारत का विधिक इतिहास	श्री सुरेन्द्र मधुकर	410	30.00
2.	माल विक्रय और परक्राम्य लिखत विधि	डा. एन. पी. परांजपे	371	40.00
3.	वाणिज्य विधि	डा. आर. एल. भट्ट	630	108.00
4.	अपकृत्य विधि के सिद्धान्त (तृतीय संस्करण)	श्री शर्मन लाल अग्रवाल	357	40.00
5.	अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय (द्वितीय संस्करण)	डा. एस. सी. खरे	273	115.00
6.	मानव अधिकार	डा. शिवदत्त शर्मा	340	120.00
7.	दण्ड प्रक्रिया संहिता	न्या. महावीर सिंह	840	200.00

पुस्तकों की सूची जिन पर छूट देने की स्वीकृति प्राप्त की गई है ।

	पुस्तक का नाम	लेखक	पृष्ठ सं.	मूल दर (₹)	संशोधित दर (₹)
1.	संविदा विधि (द्वितीय संस्करण)	डा. रामगोपाल चतुर्वेदी	552	275.00	137.00
2.	श्रम विधि (तृतीय संस्करण)	श्री गोपी कृष्ण अरोड़ा	658	452.00	226.00
3.	चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष विज्ञान (तृतीय संस्करण)	डा. सी. के. पारिख अनुवादक डा. एन. के. पटौरिया	969	293.00	146.00
4.	आधुनिक पारिवारिक विधि	श्री राम शरण माथुर	767	429.00	214.00
5.	भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय)	संकलन संपादन – ब्रह्मदेव चौबे	209	225.00	112.00
6.	हिन्दू विधि (द्वितीय संस्करण)	डा. रवीन्द्र नाथ	617	425.00	212.00
7.	भारतीय दंड संहिता	डा. रवीन्द्र नाथ	696	741.00	370.00
8.	भारतीय भागीदारी अधिनियम (द्वितीय संस्करण)	श्री माधव प्रसाद वाशिष्ठ	272	165.00	82.00
9.	प्रशासनिक विधि (तृतीय संस्करण)	डा. कैलाश चन्द्र जोशी	635	200.00	100.00
10.	विधिक उपचार (द्वितीय संस्करण)	डा. एस. के. कपूर	414	311.00	155.00
11.	विधि शास्त्र	डा. शिवदत्त शर्मा	501	580.00	377.00

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका – अक्तूबर-दिसम्बर, 2013 (संयुक्तांक) (पृष्ठ संख्या 205 – 402)

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

अक्तूबर-दिसम्बर, 2013

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
अजीत बलसे **बनाम** कैप्टन रंगा करकरे	205
अनिल सिंह **बनाम** जम्मू-कश्मीर राज्य	239
अमिताव दास **बनाम** श्रीमती मौसमी दास	220
एडवर्ड सेम्यूल चेरीशन हायेश **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य	380
किशन लाल **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य	343
चंपक बालू पटेल **बनाम** राज्य द्वारा लोक अभियोजक, दमन पुलिस थाना	317
चम्पा देवी शर्मा और एक अन्य **बनाम** सिक्किम राज्य	328
जम्मू-कश्मीर राज्य **बनाम** अनिल सिंह (देखिए – पृष्ठ संख्या 239)	
पवन कुमार **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य	332
फारुख अहमद दार और अन्य **बनाम** मोहम्मद अमीन गनई और एक अन्य	298
मध्य प्रदेश राज्य **बनाम** सुरेश सिंह और एक अन्य	232
राकेश कुमार **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य	393
राज्य **बनाम** मोहम्मद सुभान नाईकू	307
हिमाचल प्रदेश राज्य **बनाम** पप्पू कुमार	369
हिमाचल प्रदेश राज्य **बनाम** हेमंत महेश्वरी और अन्य	365

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)

– धारा 482 और 320 [सपठित दंड संहिता, 1860 की धारा 354] – उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां – आपराधिक कार्यवाहियां – अशमनीय अपराध – यदि मामले के दोनों पक्षकारों द्वारा आपसी मतभेद को भुलाकर शांतिपूर्वक जीवन बिताने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष संयुक्त आवेदन पेश किया है तो उच्च न्यायालय पक्षकारों के हित को देखते हुए अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायहित में दांडिक कार्यवाहियां अभिखंडित कर सकता है ।

चम्पा देवी शर्मा और एक अन्य बनाम **सिक्किम राज्य** 328

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)

– धारा 224 – विचाराधीन कैदी का निकल भागना – जहां अभियोजन पक्ष द्वारा यह साबित किया गया है कि अभियुक्त कारागार से भागा था और कारागार से अभियुक्त को भगाने में सहायता करने वाले कारागार प्राधिकारियों के विरुद्ध सबूत के तौर पर कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है तथा अभियुक्त 22 गंभीर प्रकृति के अपराधों के विचारण का सामना कर रहा है वहां पर अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 224 के अधीन एक वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया जाना उचित है ।

मध्य प्रदेश राज्य बनाम **सुरेश सिंह और एक अन्य** 232

– धारा 279 और 304-क [सपठित मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 184] – उतावलेपन से या उपेक्षापूर्वक यान चलाने से मृत्यु – जहां अभियोजन घटना होने के सुसंगत समय पर अभियुक्त द्वारा प्रश्नगत यान उतावलेपन से या उपेक्षापूर्वक रीति से चलाने और घटना की अन्य कड़ियों को जोड़ने में सफल नहीं रहता है वहां अभियुक्त को उक्त अपराधों के

पृष्ठ संख्या

लिए दोषसिद्ध करना न्यायसंगत और न्यायोचित नहीं है ।

राकेश कुमार बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** 393

– धारा 300 [सपठित साक्ष्य अधिनियम 1872 – धारा 3] – हत्या – धारदार आयुध (कुल्हाड़ी) की बरामदगी – आयुध पर मृतक के रक्त समूह वाले रक्त का लगा होना पाया जाना – अभियुक्त का कथन अभिलिखित किए जाते समय उसका ध्यान फंसाने वाली सामग्री की ओर आकर्षित न किया जाना – मात्र फंसाने वाली सामग्री की बरामदगी के आधार पर ही अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता, अतः अभियुक्त संदेह का लाभ पाने का हकदार है ।

चंपक बालू पटेल बनाम **राज्य द्वारा लोक अभियोजक, दमन पुलिस थाना** 317

– धारा 302 – हत्या – जहां अभियोजन अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत, पारिस्थितिक साक्ष्य और प्रकटन कथन के आधार पर युक्तियुक्त संदेह से परे और उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध अपराध साबित करने में असफल रहा वहां अभियुक्त संदेह का फायदा पाकर दोषमुक्त होने का हकदार है ।

किशन लाल बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** 343

– धारा 420 और 468 – छल के प्रयोजन से कूटरचना – अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा की गई कूटरचना, उनके बेईमानीपूर्ण आशय तथा उनके द्वारा किए गए संदायों की प्राप्ति को अभियोजन पक्ष द्वारा साबित करने में असफल रहने पर अभियुक्त व्यक्तियों की दोषमुक्ति उचित है ।

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम **हेमंत महेश्वरी और अन्य** 365

– धारा 498-क – क्रूरता – जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से यह साबित होता है कि पत्नी भली

पृष्ठ संख्या

भांति यह जानते हुए कि उसके पति और ससुर के विरुद्ध क्रूरता का आरोप लगाने से पति की नौकरी समाप्त हो जाएगी, उसका आशय पति के साथ वापस जाने का नहीं बल्कि वैवाहिक संबंध समाप्त करने का था, अतः क्रूरता का अपराध न बनने के कारण पति और ससुर को दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित है ।

अमिताव दास बनाम **श्रीमती मौसमी दास** 220

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26)

– धारा 138 और 141 – कंपनी को पक्षकार न बनाया जाना – जहां धारा 138 के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कंपनी है तथा अभियुक्त कंपनी का प्रबंध निदेशक और चैक का हस्ताक्षरकर्ता है वहां कंपनी को पक्षकार न बनाए जाने की दशा में भी अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन चलाए जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं है ।

अजीत बलसे बनाम **कैप्टन रंगा करकरे** 205

रणबीर दंड प्रक्रिया संहिता, 1989 संवत् (1933 ईस्वी)

– धारा 100 – सदोष परिरुद्ध व्यक्ति की तलाशी – यदि अप्राप्तवय लड़की अपनी नानी और मामा की देखभाल और अभिरक्षा में है तो उसका नैसर्गिक पिता अपनी लड़की की अभिरक्षा बलपूर्वक और अशिष्ट ढंग से प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि यह विधिविरुद्ध होगा और बलात् प्राप्त की गई अभिरक्षा विधिविरुद्ध परिरोध की कोटि में आएगी ।

फारुख अहमद दार और अन्य बनाम **मोहम्मद अमीन गनई और एक अन्य** 298

रणबीर दंड संहिता, 1989 संवत् (1932 ईस्वी)

– धारा 302 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 –

पृष्ठ संख्या

धारा 155]– हत्या – प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का परिसाक्ष्य – जहां दो प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का परिसाक्ष्य सुसंगत समय पर घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करता है और किसी प्रमुख विरोध के बिना उनका साक्ष्य विश्वासोत्पादक है कि अभियुक्त द्वारा धारदार हथियार से मृतक पर हमलाकर मृत्यु कारित की गई वहां अभियुक्त को हत्या के अपराध से दोषसिद्ध ठहराया जाना न्यायसंगत है ।

अनिल सिंह बनाम **जम्मू-कश्मीर राज्य** 239

– धारा 302 – हत्या – जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, चिकित्सा और न्यायालयिक साक्ष्य, हेतु, साक्षियों के परिसाक्ष्य से सुस्पष्टतः यह साबित होता है कि मृतक की हत्या अभियुक्त के द्वारा ही की गई, वहां अभियुक्त को हत्या के अपराध से दोषसिद्ध ठहराया जाना न्यायोचित है ।

अनिल सिंह बनाम **जम्मू-कश्मीर राज्य** 239

– धारा 420, 468 और 471 – जाली अंक-प्रमाणपत्र का प्रयोग – अभिलेख पर अभियुक्त जहीदा बानो के साथ-साथ जनीदा बानो नाम की एक अन्य लड़की का फोटोग्राफ होना – जनीदा बानो नामक लड़की द्वारा भी उसी वर्ष और उसी अनुक्रमांक द्वारा परीक्षा उतीर्ण किया जाना – अभियुक्त द्वारा दिया गया मूल अंक-प्रमाणपत्र अभिलेख पर प्रस्तुत न किया जाना तथा दूसरी लड़की का पता लगाने का कोई प्रयास न किया जाना – अभियोजन पक्ष की खामियों के कारण युक्तियुक्त संदेह होने पर अभियुक्तों के विरुद्ध जाली अंक-प्रमाणपत्र बनाने और उसका लाभ उठाने का कोई अकाट्य और सारवान् साक्ष्य न होने के कारण उनकी दोषमुक्ति उचित है ।

राज्य बनाम **मोहम्मद सुभान नाईकू** 307

पृष्ठ संख्या

साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1)

– धारा 3 और 27 [सपठित दंड संहिता, 1860] – हत्या – पारिस्थितिक साक्ष्य – यदि अभियोजन पक्षकथन संपूर्ण रूप से पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित हो तथा परिस्थितियों की शृंखला पूरी न हुई हो तथा अभियुक्त द्वारा किए गए प्रकटीकरण कथन के आधार पर अपराध में प्रयुक्त आयुधों की बरामदगी होने पर उनमें मृतक का रक्त ग्रुप नहीं पाया जाता है तो अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना उचित है ।

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम **पप्पू कुमार** 369

– धारा 127 – अभियुक्त से प्राप्त जानकारी का साबित किया जाना – जहां युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित होता है कि पुलिस की अभिरक्षा के दौरान अभियुक्त द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर रक्त-रंजित किर्च की बरामदगी की गई वहां ऐसी जानकारी संस्वीकृति के रूप में साबित की जा सकेगी ।

अनिल सिंह बनाम **जम्मू-कश्मीर राज्य** 239

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61)

– धारा 15 – विनिषिद्ध माल की बरामदगी – बरामदगी नमूने की पहचान विवादास्पद और रहस्यपूर्ण होने तथा अभियोजन द्वारा बरामद वस्तु का अभियुक्त के वास्तविक और सबोध कब्जे से साबित करने में असफल रहने की स्थिति में अभियुक्त दोषमुक्त होने का हकदार है ।

पवन कुमार बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** 332

– धारा 20 – विनिषिद्ध पदार्थ चरस की बरामदगी – बरामदगी के दौरान स्वतंत्र साक्षियों को सम्मिलित न किया जाना – जहां विनिषिद्ध पदार्थ चरस की बरामदगी व्यक्ति की शारीरिक तलाशी के परिणामस्वरूप न होकर

पृष्ठ संख्या

खुले स्थान से हुई हो, वहां तलाशी को साबित करने के लिए दो स्वतंत्र साक्षियों को सम्मिलित करने की कोई विधिक अपेक्षा न होने और चरस की बरामदगी से लेकर उसके नमूने लेने और इसे मालखाने में जमा करने तक साक्ष्य की कड़ी पूरी तरह से जुड़ी होने पर अभियुक्त को दोषसिद्ध ठहराया जाना न्यायसंगत और उचित है ।

एडवर्ड सेम्यूल चेरीशन हायेश बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** 380

अजीत बलसे

बनाम

कैप्टन रंगा करकरे

तारीख 20 अप्रैल, 2012

न्यायमूर्ति ए. एस. पच्छापुरे

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) – धारा 138 और 141 – कंपनी को पक्षकार न बनाया जाना – जहां धारा 138 के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कंपनी है तथा अभियुक्त कंपनी का प्रबंध निदेशक और चैक का हस्ताक्षरकर्ता है वहां कंपनी को पक्षकार न बनाए जाने की दशा में भी अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन चलाए जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं है ।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि याची (विचारण न्यायालय के समक्ष अभियुक्त) महाराष्ट्र के जिला रायगढ़ के पाटलगंगा में कारित टिम टिम फार ईस्ट एक्सपोर्ट ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का प्रबंध निदेशक है और प्रत्यर्थी (विचारण न्यायालय के समक्ष परिवादी) येरमल फिश ट्रेडिंग नामक समुत्थान का प्रबंध निदेशक है जो मछलियों की आपूर्ति का कारबार करती है । याची और प्रत्यर्थी के मध्य एक करार हुआ था जिसके अंतर्गत याची द्वारा सिरकटी और दबाई हुई "रानी मछली" की आपूर्ति प्रत्यर्थी को जानी थी । याची की रकम का संदाय तार अंतरण द्वारा करता था और करार के निबंधनों के अनुसार परिवादी को खाता विवरण फैक्स द्वारा प्रत्येक 15 दिनों की अवधि के लिए भेजना होता था । परिवादी ने मछलीमाटी सुअवसर के अंत में अर्थात् तारीख 4 जून, 2002 को अंतिम खाता विवरण भेजा । जिसके अनुसार याची द्वारा प्रत्यर्थी को 73,24,710.00 रुपए का संदाय किया जाना था । याची ने प्रत्यर्थी को तारीख 2 अगस्त, 2002 को अपनी कंपनी कार्यालय ऋण के निपटारे के लिए बुलाया और भारतीय स्टेट बैंक के तीन चैक प्रत्यर्थी के पक्ष में जारी किए जिनमें से एक चैक 20 लाख रुपए का तारीख 14 अगस्त, 2002 का था जिसकी सं. 511693 थी । प्रत्यर्थी ने तारीख 14 अगस्त, 2002 को

यह चैक संदाय के लिए प्रस्तुत कर दिया जो "संदाय रोक दिया गया" और "निधि अपर्याप्त" वाले पृष्ठांकन के साथ वापस लौट आया । प्रत्यर्थी ने फैक्स और पावती सहित रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा तारीख 9 सितंबर, 2002 का विधिक नोटिस याची को भेजा जिसका अनुपालन न होने पर विचारण न्यायालय के समक्ष परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 188 के अधीन परिवाद फाइल किया गया । विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश द्वारा याची को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया । उक्त दोषसिद्धि और दंडादेश के आदेश को इस पुनरीक्षण याचिका द्वारा चुनौती दी गई । याचिका खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – जैसाकि विभिन्न उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विनिश्चयों की शृंखला में देखा जा सकता है यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी निदेशक या कंपनी के किसी व्यक्ति/भारसाधक के विरुद्ध कोई परिवाद इस तथ्य के बावजूद पूर्णतया पोषणीय है कि कंपनी को अभियुक्त के रूप में पक्ष नहीं बनाया गया है । चैक प्रदर्श पी-1 रंगा करकरे नामक परिवादी के पक्ष में जारी किया गया था । साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि परिवादी अपनी स्वयं की हैसियत में कारबार कर रहा है और यद्यपि अभिलेखों से प्रकट होता है कि येरमल फिश ट्रेडिंग या तो भागीदारी फर्म है या स्वत्वधारी समुत्थान, चूंकि चैक परिवादी के नाम में जारी किया गया है और अभियुक्त द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि अभियुक्त अपनी व्यक्तिगत हैसियत में कारबार कर रहा है, इसलिए, मैं यह अभिनिर्धारित करने में कोई बाधा नहीं पाता कि परिवाद पोषणीय है । इसलिए, तात्विक तथ्यों और अधिकथित विधि को दृष्टि में रखते हुए इस न्यायालय का विचार है कि निचले न्यायालयों द्वारा पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के आदेश मान्य ठहराए जाएं । मामले को इस दृष्टि से देखते हुए, मैं निम्नलिखित आदेश पारित करने के लिए अग्रसर होता हूं । (पैरा 20 और 22)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2011]	आई. एल. आर. 2011 कर्नाटक 2475 = 2011 (2) ए. आई. आर. कर्नाटक आर. 627 : **श्रीमती रशीदा महबूब** बनाम **रेप्लीकोन सोफ्टवेयर (इंडिया) प्राइवेड लिमिटेड** ;	9

[2010]	आई. एल. आर. 2010 कर्नाटक 3287 : **श्री राजेश अदानी और एक अन्य** बनाम **सहायक श्रमायुक्त और एक अन्य** ;	9
[2010]	(2010) 1 बी. सी. 674 = ए. आई. आर. 2010 एस. सी. (सप्ली.) 569 : **नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड** बनाम **हरमीत सिंह पेंटल और एक अन्य** ;	9
[2008]	2008 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 3608 = ए. आई. आर. 2008 एस. सी. (सप्ली.) 1849 : **अनीता हांडा** बनाम **मैसर्स गाडफादर ट्रेवल्स एंड टुअर्स प्राइवेट लिमिटेड** ;	9,21
[2007]	ए. आई. आर. 2007 एस. सी. (सप्ली.) 1688 = 2007 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 6482 : **मैसर्स सारव इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसियल कंसलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य** बनाम **लायड्स रजिस्टर आफ शिरांग इंडियन आफिस स्टाफ प्रोविडेंट फंड और एक अन्य** ;	9
[2006]	2006 क्रिमिनल ला जर्नल 2611= ए. आई. आर. 2006 (एन. ओ. सी.) 945 (आल): **बिमल कुमार नोपानी** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य** ;	17
[2005]	2005 क्रिमिनल ला जर्नल 4140 = ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 3512 : **एस. एम. एस. फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड** बनाम **नीता भल्ला और एक अन्य** ;	18
[2003]	2003 क्रिमिनल ला जर्नल 2611 : **बी. एन. मेहता** बनाम **मैसर्स कपूर एजेंसीज और एक अन्य** ;	16
[2004]	2004 क्रिमिनल ला जर्नल 3170 : **बी. वी. रंगम** बनाम **बी.गोविंदा रेड्डी और एक अन्य** ;	15
[2001]	2001 क्रिमिनल ला जर्नल 4936 = ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 2432 : **आर. राजगोपाल** बनाम **एस. एस. वेंकट** ;	13

[2000]	(2000) 1 क्राइम्स 26 = ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 145 : **अनिल हांडा** बनाम **इंडियन एक्रिलिक लिमिटेड** ;	12
[1999]	1999 क्रिमिनल ला जर्नल 3498 = ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 2182 : **मैसर्स बिलाक चंद ज्ञान चंद कंपनी** बनाम **ए. चिन्नास्वामी** ;	19
[1994]	1994 क्रिमिनल ला जर्नल 3115 : **वी. एन. सामंद** बनाम **मैसर्स के. जी. एन. ट्रेडर्स् और एक अन्य** ;	14
[1984]	ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 1824 : **शवरतन अग्रवाल और एक अन्य** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ।	11

पुनरीक्षण (दांडिक) अधिकारिता : 2008 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 404.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 401/397 के अधीन पुनरीक्षण याचिका ।

याचियों की ओर से मैसर्स श्री जी जीवप्रकाश और श्री प्रसन्ना वी. आर.

प्रत्यर्थी की ओर से श्री पी. पी. हेगड़े

न्यायमूर्ति ए. एस. पच्छापुरे – पुनरीक्षणकर्ता ने परक्राम्य लिखत अधिनियम (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में "अधिनियम" कह कर निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 138 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अपनी दोषसिद्धि और दंडादेश के समवर्ती निष्कर्षों को चुनौती दी है ।

2. इस पुनरीक्षण के प्रयोजनार्थ सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं :–

> "इस मामले का याची विचारण न्यायालय के समक्ष अभियुक्त है, जबकि प्रत्यर्थी विचारण न्यायालय के समक्ष परिवादी है । अभियुक्त अजीत बलसे महाराष्ट्र के जिला रायगढ़ के पाटलगंगा में कार्यरत टिम टिम फार ईस्ट एक्सपोर्ट ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का प्रबंध निदेशक है जबकि परिवादी येरमल फिश ट्रेडिंग नामक समुत्थान का प्रबंध निदेशक है जो मछलियों की आपूर्ति का कारबार

करती है । इन पक्षों के मध्य तारीख 19 सितंबर, 2001 को एक करार हुआ जिसके द्वारा परिवादी ने सिरकटी और दबाई हुई "रानी मछली" की आपूर्ति अभियुक्त कंपनी को की । अभियुक्त रकम का संदाय तार अंतरण द्वारा करता था और करार के निबंधनों के अनुसार परिवादी को खाता विवरण फैक्स द्वारा प्रत्येक 15 दिनों की अवधि के लिए भेजना होता था । परिवादी ने फिशिंग सुअवसर के अंत में अर्थात् तारीख 4 जून, 2002 को अंतिम खाता विवरण भेजा जिसके अनुसार अभियुक्त परिवादी को 73,24,710/- रुपए का संदाय करने का दायी था । अभियुक्त ने परिवादी को तारीख 2 अगस्त, 2002 को अपनी कंपनी कार्यालय में ऋण के निपटारे के लिए बुलाया और भारतीय स्टेट बैंक के तीन चैक जारी किए जो इस प्रकार हैं : (1) 20 लाख रुपए का तारीख 14 अगस्त, 2002 का चैक संख्या 511693, (2) 15 लाख रुपए का तारीख 5 सितंबर, 2002 का चैक संख्या 511694 और (3) 20 लाख रुपए का तारीख 17 सितंबर, 2002 का चैक संख्या 511695 । अभियुक्त ने अगले फिशिंग सुअवसर के दौरान 18,24,710/- रुपए की अधिशेष रकम का निपटारा करने का वचन दिया । बाद में, परिवादी को अभियुक्त से तारीख 5 अगस्त, 2002 का एक नोटिस प्राप्त हुआ जिसके द्वारा उसने परिवादी पर असत्य बदनामी वाले आरोप लगाए और परिवादी ने अभियुक्त से उक्त पत्र के बारे में पूछताछ की । अभियुक्त ने परिवादी को शांत किया और चैकों की तारीख से एक सप्ताह के पश्चात् नकदीकरण के लिए प्रस्तुत किए जाने का अनुरोध किया । परिवादी ने 20 लाख रुपए के तारीख 14 अगस्त, 2002 के संख्या 511693 वाला चैक संदाय के लिए प्रस्तुत किया और उक्त चैक "संदाय रोक दिया गया" और "निधि अपर्याप्त" वाले पृष्ठांकन के साथ वापस लौट आया । तत्पश्चात्, परिवादी को फैक्स और पावती के साथ रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा तारीख 9 सितंबर, 2002 का विधिक नोटिस प्राप्त हुआ । नोटिस द्वारा की गई मांग का अनुपालन नहीं हुआ । इसलिए, परिवादी ने विचारण न्यायालय की शरण ली और उपरोक्त तथ्यों के आधार पर परिवाद प्रस्तुत किया और उसको यह सूचित किए जाने का अनुरोध किया कि अभियुक्त के विरुद्ध अधिनियम की धारा 138 के अधीन दंडनीय अपराध के बाबत क्या कार्यवाही आरंभ की गई ।

परिवादी ने विचारण के दौरान स्वयं का परीक्षण अभि. सा. 1

के रूप में कराया और अपने साक्ष्य के दस्तावेज फाइल किए जिनको प्रदर्श पी-1 से पी-151 के रूप में चिह्नांकित किया गया । अभियुक्त के कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किए गए । उसने स्वयं का परीक्षण प्रतिरक्षा साक्षी 2 और एक अन्य साक्षी का परीक्षण प्रतिरक्षा साक्षी 1 के रूप में कराया । उसने अपने साक्ष्य में दस्तावेजों को डी-1 से डी-7 के रूप में चिह्नांकित कराया । विचारण न्यायालय ने पक्षों के काउंसेलों को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का मूल्यांकन करने के पश्चात् अभियुक्त को दोषसिद्ध कर दिया और उसको 21,25,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने के लिए आदेशित कर दिया और जुर्माने के संदाय में चूक होने पर उसको छः माह का साधारण कारावास भोगना था । इस आदेश के विरुद्ध अभियुक्त द्वारा फाइल की गई अपील भी गुणागुण पर खारिज हो गई । समवर्ती निष्कर्षों से व्यथित होकर वर्तमान पुनरीक्षण याचिका फाइल की गई है ।"

3. मैंने पक्षों के विद्वान् काउंसेलों को सुना ।

4. निचली न्यायालयों के आदेशों की विधिमान्यता को तीन आधारों पर चुनौती दी गई है, प्रथमतः यह कि परिवादी पर कोई ऋण या दायित्व बकाया नहीं है, द्वितीयतः यह कि प्रश्नगत चैक दिए जाने के द्वारा अभिप्राप्त किए गए थे और तृतीयतः कंपनी को वर्तमान कार्यवाही में पक्ष के रूप में सम्मिलित नहीं किया है और इसलिए परिवाद विधि की दृष्टि में पोषणीय नहीं है ।

5. प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल ने निचली न्यायालय द्वारा पारित आदेश का समर्थन किया है ।

6. जहां तक पक्षों के मध्य करार का संबंध है, परिवादी ने करार की नकल प्रदर्श पी-151 के रूप में प्रस्तुत की है । इस प्रदर्श में सिरकटी और दबाई हुई "रानी मछली" की नियमित आपूर्ति के संबंध में निबंधन समाविष्ट हैं और इस पर अभियुक्त के हस्ताक्षर हैं । पक्षों के मौखिक साक्ष्य में इस तथ्य को विवादित नहीं किया गया है । प्रदर्श डी-5 अभियुक्त द्वारा पेश किया गया तारीख 3 अक्तूबर, 2002 का पत्र है जिसमें अभिकथित किया गया है "हमारे मुवक्किलों ने कभी भी इस बात से इनकार नहीं किया है कि आपके मुवक्किलों द्वारा ताजी और अच्छी स्थिति वाली सिरकटी और दबाई हुई मछलियों की आपूर्ति के लिए करार था ।" इसलिए, अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रदर्श पी-151 और प्रदर्श डी-5 द्वारा की गई मांग से

यह निष्कर्ष सुरक्षित रूप से निकाला जा सकता है कि पक्षों के मध्य मछली की आपूर्ति के लिए कोई करार विद्यमान है ।

7. मौखिक साक्ष्य में अभि. सा. 1 ने करार के निबंधनों के अनुसार मछली की आपूर्ति किए जाने के लिए अभिकथित किया है और उसने अपनी दलील को मान्य ठहराए जाने के प्रयोजनार्थ प्रदर्श पी-11 से पी-139 प्रस्तुत किए हैं जो पाटालंगा के टिम टिम फार ईस्ट सी फूड, को "रानी मछली" के आपूर्ति बाबत भाड़ा प्रभार संदत्त अग्रिम और देय अधिशेष के संबंध में रसीदें हैं और परिवादी द्वारा तैयार किया गया खाता विवरण प्रदर्श पी-142 से पी-148 के रूप में प्रस्तुत किया गया है और इससे यह प्रकट होता है कि अभियुक्त द्वारा 73,24,710/- रुपए की रकम अभियुक्त द्वारा देय थी । परिवादी ने अभियुक्त कंपनी की ओर से परिवादी के विद्वान् काउंसेल को जारी किए गए पत्र, जो प्रदर्श पी-152 है, भी प्रस्तुत किया है जो अभियुक्त कंपनी की ओर से परिवादी के विद्वान् काउंसेल को जारी किया गया पत्र है जिसमें यह अभिकथित किया है, हमारे मुवक्किलों ने तारीख 3 अक्तूबर, 2000 के पत्र में भी स्वीकार किया है कि हमारे मुवक्किलों को आपूर्ति की गई मछली के लिए तारीख 30 जून, 2002 को 23,79,428/- रुपए की राशि देय थी । इसलिए, अभियुक्त ने इस पत्र के अधीन स्पष्टतः कम से कम 23,79,428/- रुपए की सीमा तक अपने दायित्व को स्वीकार किया था । यद्यपि परिवादी ने दावा किया है कि 73,24,710/- रुपए की रकम देय थी और विवादित चैक पी-1 20 लाख रुपए की है । इसलिए, इस न्यायालय के लिए इस बात का पता लगाना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि क्या अभियुक्त पर 73,24,710/- रुपए से अधिक की रकम बकाया है जबकि अभियुक्त द्वारा 23,79,428/- रुपए की सीमा तक दायित्व स्वीकार किया गया है ।

8. जहां तक द्वितीय दलील का संबंध है, यह उल्लेख करना सुसंगत होगा कि प्रतिरक्षा साक्षी 2, अभियुक्त ने प्रतिपरीक्षा के पैरा 9 में स्वीकार किया है कि उपलब्ध कराए गए सुरक्षा कार्मिकों के अलावा कंपनी में लगभग 150 कर्मकार हैं और सुरक्षा कार्मिकों की अनुज्ञा के बिना अभियुक्त की कंपनी के परिसर में कोई प्रवेश नहीं कर सकता । यद्यपि यह दलील दी गई है कि परिवादी के साथ लगभग 8 व्यक्ति थे, प्रतिरक्षा साक्षी-1 के साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि रज्जाक नामक एक व्यक्ति ही वह व्यक्ति था जो परिवादी के साथ था और उस दिन अर्थात् तारीख 2

अगस्त, 2008 को शुक्रवार का दिन था । प्रतिरक्षा साक्षी-2 ने प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि कंपनी ने नमाज अदा करने के प्रयोजनार्थ, रज्जाक के लिए कार का इंतजाम किया था । इसके अतिरिक्त, अभियुक्त ने जो कंपनी का निदेशक भी है, प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि परिवादी को चैक प्रदर्श पी-1, सुशांथ वेलकर नामक एक व्यक्ति, को दी गई थी । यदि चैक जारी किए जाने को लेकर कोई धमकी दी गई थी तो अभियुक्त सुशांथ वेलकर, जिसने परिवादी को चैक प्रदर्श-1 दिया था, का परीक्षण करा सकता था । इसके अतिरिक्त प्रतिरक्षा साक्षी-2 के साक्ष्य से यह भी प्रकट होता है कि कंपनी के कार्यालय में पांच टेलीफोन थे और परिवादी द्वारा वास्तव में कोई धमकी दी गई थी, तो इस तथ्य की सूचना दूरभाष द्वारा पुलिस को दी जा सकती थी । प्रदर्श डी-6 परिवाद की नकल है और इसमें यह प्रकटीकरण किया गया है कि पिछले दिवस को शाम को भी परिवादी सुशांथ वेलकर के कार्यालय गया था और उसने परिवार के सदस्यों को धमकाया था । किंतु अभियुक्त ने उक्त धमकी के बावजूद परिवाद दर्ज कराने के बाबत कोई कार्यवाही तुरंत नहीं की और ऊपर वर्णित परिस्थितियों पर विचारोपरांत प्रतिरक्षा साक्षी-1 और 2 के साक्ष्य यह अभिनिर्धारित करने के प्रयोजनार्थ अपर्याप्त हैं कि परिवादी द्वारा तीनों उत्तर दिनांकित चैकों को अभिप्राप्त करने में धमकी या विबाध्यता का प्रयोग किया गया था ।

9. तृतीयतः परिवादी के विद्वान् काउंसेल ने **श्री राजेश अदानी और एक अन्य** बनाम **सहायक श्रमायुक्त और एक अन्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित एक विनिश्चय का अवलंब लिया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है :–

> "कंपनी उसके निदेशकों के विरुद्ध फाइल किए गए परिवाद में आवश्यक पक्ष होती है । ऐसे परिवाद पर तब विचार नहीं किया जा सकता जब कंपनी को पक्ष न बनाया गया हो ।"

उन्होंने **अनीता हांडा** बनाम **मैसर्स गाडफादर ट्रेवल्स एंड टुअर्स प्राइवेट लिमिटेड**[2] वाले मामले का भी अवलंब लिया जिसमें खंड न्यायपीठ के

---

[1] आई. एल. आर. 2010 कर्नाटक 3287.

[2] 2008 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 3608 = ए. आई. आर. 2008 एस. सी. (सप्ली.) 1849.

विद्वान् न्ययाधीश ने अभिनिर्धारित किया :–

> "कंपनी आवश्यक पक्ष होती है जबकि अन्य विचार यह था कि कंपनी आवश्यक पक्ष नहीं है और इन परिस्थितियों में मामले को बृहत्तर न्यायपीठ को निर्दिष्ट किया गया ।"

नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड बनाम **हरमीत सिंह पेंटल और एक अन्य**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है :–

> "प्रतिनिधि दायित्व सृजित करने वाले दांडिक उपबंध अर्थात् परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 141 का अर्थान्वयन कड़ाई पूर्वक किया जाना चाहिए ।"

इसी प्रकार से **श्रीमती रशीदा महबूब** बनाम **रेप्लीकोन सोफ्टवेयर (इंडिया) प्राइवेड लिमिटेड**[2], जिसका प्रतिनिधित्व उसके प्रबंधक द्वारा किया गया, वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित विनिश्चय का भी अवलंब लिया गया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया :–

> "परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के उपबंधों से यह स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति ही चैक जारी करता है जिसके बारे में धारणा की जाती है कि उसने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन कोई अपराध कारित किया है यदि उक्त व्यक्ति द्वारा जारी किया गया चैक बैंक से "अपर्याप्त निधि" के पृष्ठांकन के साथ वापस लौट आता है । परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 की अंतर्वस्तु के अध्ययन से यह स्पष्ट नहीं होता कि कोई व्यक्ति, जो चैक का लेखक नहीं है, को भी परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध जब याची प्रश्नगत चैक का लेखक नहीं था, के सबंध में दायी ठहराया जा सकता है । विचारण न्यायालय प्रस्तुत मामले में याची को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन किसी अपराध के संबंध में समन जारी करने में न्यायानुमत नहीं था ।"

मैसर्स सारव इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसियल कंसलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य बनाम **लायड्स रजिस्टर आफ शिरांग इंडियन**

---

[1] (2010) 1 बी. सी. 674 = ए. आई. आर. 2010 एस. सी. (सप्ली.) 569.

[2] आई. एल. आर. 2011 कर्नाटक 2475 = 2011 (2) ए. आई. आर. कर्नाटक आर. 627.

आफिस स्टाफ प्रोविडेंट फंड और एक अन्य[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया :–

> "(घ) परक्राम्य लिखत अधिनियम (1881 का 26) – धारा 141 – चैक का अनादरण – कंपनियों द्वारा अपराध – अभियुक्त कंपनी का निदेशक – वह कंपनी के कार्यों के लिए मात्र प्रतिनिधिक रूप से दायी है – उसको केवल तभी अभियोजित किया जा सकता है जब धारा 141 में अधिकथित संघटक पूरे नहीं होते ।"
>
> जब अपराध किसी कंपनी द्वारा किया जाता है और अभियुक्त उक्त कंपनी का निदेशक है, तो उसको कंपनी के कार्यों के लिए प्रतिनिधिक रूप से दायी कहा जा सकता है और उसको केवल तभी अभियोजित किया जा सकता है जब धारा 141 में अधिकथित संघटक पूरे नहीं होते । इस विनिश्चय का अवलंब लेते हुए विद्वान् काउंसेल की दलील है कि जब कंपनी कार्यवाही का पक्ष नहीं होती तो अभियुक्त के विरुद्ध परिवाद विधि की दृष्टि में पोषणीय होगा ।

10. अब जैसाकि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 141 के उपबंधों में देखा जा सकता है, जो इस प्रकार है :–

> "141. **कंपनियों द्वारा अपराध** – (1) यदि धारा 138 के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कंपनी है तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे अपराध के लिए दोषी समझे जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :
>
> परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसने ऐसे अपराध के निवारण के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी :
>
> परंतु यह और कि जहां किसी व्यक्ति को, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या

---

[1] ए. आई. आर. 2007 एस. सी. (सप्ली.) 1688 = 2007 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 6482.

नियंत्रणाधीन किसी वित्त निगम में कोई पद धारण करने या नियोजन में रहने के कारण किसी कंपनी के निदेशक के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाता है, वहां वह इस अध्याय के अधीन अभियोजन का भागी नहीं होगा ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी, उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।"

11. उपर्युक्त उपबंध के समान ही एक अन्य उपबंध 1955 के आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 10 में उपबंधित है । उक्त उपबंध को सुविधा की दृष्टि से नीचे उद्धृत किया गया है :–

10. **कम्पनियों द्वारा अपराध** – (1) यदि धारा 3 के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति कंपनी हो तो प्रत्येक व्यक्ति, जो उस उल्लंघन के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे उल्लघंन के दोषी समझे जाएंगे तथा तद्नुसार अपने कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी हों :

परंतु इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर दे कि उल्लंघन का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया हो तथा यह साबित हो कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है, या उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी

उस अपराध का दोषी, समझा जाएगा तथा तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

शवरतन अग्रवाल और एक अन्य बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 10 के उपबंधों पर विचार करते हुए अभिनिर्धारित किया :–

"कंपनियों द्वारा अपराध कारित किए जाने के संबंध में दोषसिद्ध को अभियोजित किए बिना कंपनी के किसी भारसाधक या अधिकारी का पृथक् रूप से अभियोजन अनुज्ञेय है ।"

जैसाकि उक्त अधिनियम की धारा 10 के उपबंधों में देखा जा सकता है, इसमें यह अभिकथित नहीं किया गया है कि यदि व्यक्ति धारा 3 के अधीन आदेश का अतिलंघन करने वाली कंपनी है, तो कंपनी के निदेशक, अधिकारियों और सेवकों या अन्य व्यक्तियों को प्रवरित कर दिया जाता है जब तक कि स्वयं कंपनी का ही अभियोजन न चलाया जाए । इसलिए, इस बाबत कोई विधिक बाध्यता नहीं है कि कंपनी के भारसाधक या किसी अन्य अधिकारी को अभियोजित किया जाए जब तक कि उसको स्वयं कंपनी के कार्य के प्रति जिम्मेदार अभिनिर्धारित न कर दिया जाए । इसी प्रकार से, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली सरकार **बनाम** डी. ए. एम. प्रभु और एक अन्य (ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 1891) वाले मामले में, जहां कंपनी और कंपनी के मामलों के एक भारसाधक व्यक्ति द्वारा उसको अतिलंघन किया गया था, यह अभिनिर्धारित किया गया कि उसको प्रथक्तः या कंपनी के साथ-साथ अभियोजित किया जा सकता है और इस बाबत कोई कानूनी बाध्यता नहीं है कि उसको तब तक अभियोजित न किया जाए जब तक कि उसको स्वयं कंपनी के साथ पक्ष न बना दिया जाए ।

12. **अनिल हांडा** बनाम **इंडियन एक्रिलिक लिमिटेड**[2] वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 141 के निदेशों पर विचार किया । उक्त मामले में निदेशकों द्वारा उनके विरुद्ध परिवाद बंद किए जाने के लिए दलील इस अभिवाक् के आधार पर दी थी कि कंपनी का अभियोजन किए बिना उनको अभियोजित नहीं किया जा सकता । सर्वोच्च न्यायालय ने

---

[1] ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 1824.

[2] (2000) 1 क्राइम्स 26 = ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 145.

अभिनिर्धारित किया कि यह दलील तर्कसंगत नहीं है और कंपनी का अभियोजन उसके निदेशक के अभियोजन के प्रयोजनार्थ अनिवार्य नहीं है, चाहे कंपनी के विरुद्ध अभियोजन कार्यवाही आरंभ न की गई हो या आरंभ नहीं की जा सकी हो । यह धारा 141 की उपधारा (1) और (2) की परिधि के भीतर आने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही आरंभ किए जाने के लिए वर्जन नहीं है ।

13. **आर. राजगोपाल** बनाम **एस. एस. वेंकट**[1] वाले मामले जिसमें अधिनियम की धारा 138 के अधीन परिवाद फाइल किया गया था और पार्टनरशिप फर्म जिसके द्वारा जारी किया गया चैक अनादरित हुआ था, को अभियुक्त नहीं बनाया गया था और केवल भागीदार को अभियुक्त बनाया गया था, में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि इस आधार पर परिवाद अभिखंडित किया जाना अनुचित था ।

14. 1994 में **वी. एन. सामंद** बनाम **मैसर्स के. जी. एन. ट्रेडर्स और एक अन्य**[2] वाले मामले में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :–

> "अधिनियम की धारा 141 उपबंधित करती है कि यदि धारा 138 के अधीन अपराध कारित करने वाला व्यक्ति कोई कंपनी है तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय और उस कंपनी के कारबार के संकलन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे अपराध के लिए दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे । इस धारा का स्पष्टीकरण उपबंधित करता है कि कंपनी के आशय के अंतर्गत फर्म भी सम्मिलित है । फिर भी, यह दलील नहीं दी जा सकती कि वे व्यक्ति जो कंपनी के भारसाधक थे और कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उत्तरदायी थे, को स्वयं कंपनी को अभियोजित किए बिना कंपनी द्वारा कारित अपराधों के लिए अभियोजित नहीं किया जा सकता । इसलिए, जब अधिनियम की धारा 138 के अधीन किसी भागीदारी फर्म द्वारा अपराध कारित किया गया तो यह नहीं कहा जा सकता कि चूंकि अपराध फर्म द्वारा कारित किया गया है, भागीदारों को अभियुक्त के रूप में पक्ष बनाए बिना अभियोजित नहीं किया जा सकता ।"

---

[1] 2001 क्रिमिनल ला जर्नल 4936 = ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 2432.

[2] 1994 क्रिमिनल ला जर्नल 3115.

15. 2004 में **बी. वी. रंगम** बनाम **बी. गोविंदा रेड्डी और एक अन्य**[1] वाले मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को अधिनियम की धारा 141 के उपबंधों पर विचार करने का अवसर प्राप्त हुआ और चैक के अनादरण के लिए फाइल किए गए एक परिवाद में आवश्यक पक्षों के संयोजन के बाबत दलील दी गई थी और अभियुक्त को कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में उसकी व्यक्तिगत हैसियत में पक्ष बनाया गया था और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि मात्र इस कारणवश कि कंपनी को परिवाद में पक्ष नहीं बनाया गया है, यह नहीं कहा जा सकता कि परिवाद अभियुक्त के विरुद्ध पोषणीय नहीं है ।

16. **बी. एन. मेहता** बनाम **मैसर्स कपूर एजेंसीज और एक अन्य**[2] वाले मामले जिसमें अभियुक्त सुपर बाजार का महाप्रबंधक भारसाधक अधिकारी था और उसने सुपर बाजार के महाप्रबंधक की हैसियत में चैक जारी किया था, में दिए गए विनिश्चय में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय सुपर बाजार कोआपरेटिव सोसाइटी को सह-अभियुक्त के रूप में पक्ष बनाए जाने में विफलता को मामले के प्रयोजनार्थ घातक नहीं पाया गया था और यह अभिनिर्धारित किया था कि अकेले अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही पोषणीय है ।

17. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने **बिमल कुमार नोपानी** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य**[3] वाले मामले में अभिनिर्धारित किया कि कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उत्तरदायी और उसके भारसाधक व्यक्ति को स्वयमेव कंपनी को अभियोजित किए बिना भी अभियोजित किया जा सकता है ।

18. **एस. एम. एस. फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड** बनाम **नीता भल्ला और एक अन्य**[4] वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कंपनी द्वारा चैक के अनादरण के अपराध के मामले पर विचार करते हुए अभिनिर्धारित किया कि प्रबंध निदेशक और संयुक्त प्रबंध निदेशक कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस पद के फलस्वरूप, जिसको वे धारण करते हैं भारसाधक और उत्तरदायी हैं और इसलिए वे परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 141 के अधीन आच्छादित हैं । इस मामले में आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि

---

[1] 2004 क्रिमिनल ला जर्नल 3170.

[2] 2003 क्रिमिनल ला जर्नल 2611.

[3] 2006 क्रिमिनल ला जर्नल 2611 = ए. आई. आर. 2006 (एन. ओ. सी.) 945 (आल).

[4] 2005 क्रिमिनल ला जर्नल 4140 = ए. आई. आर.2005 एस. सी. 3512.

चैक जिसका अनादरण किया गया है, का हस्ताक्षरकर्ता स्पष्टतः उस फंसाने वाले कार्य के लिए उत्तरदायी है चूंकि वह अधिनियम की धारा 141 की उपधारा (2) के अधीन आच्छादित है ।

19. **मैसर्स बिलाक चंद ज्ञान चंद कंपनी** बनाम **ए. चिन्नास्वामी**[1] वाले मामले में संप्रकाशित विनिश्चय में सर्वोच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन फाइल की गई याचिका, जिसमें कंपनी के प्रबंध निदेशक, जो चैक का हस्ताक्षरकर्ता है को धारा 138 के अधीन नोटिस जारी किया गया था, यह अभिनिर्धारित किया गया कि चूंकि परिवाद में कोई शैथिल्य नहीं है, इसको इस आधार पर अभिखंडित नहीं किया जा सकता है कि स्वयं कंपनी को नोटिस नहीं भेजा गया था ।

20. अब जैसाकि विभिन्न उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विनिश्चयों की श्रृंखला में देखा जा सकता है यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी निदेशक या कंपनी के किसी व्यक्ति/ भारसाधक के विरुद्ध कोई परिवाद इस तथ्य के बावजूद पूर्णतया पोषणीय है कि कंपनी को अभियुक्त के रूप में पक्ष नहीं बनाया गया है ।

21. **अनीता हांडा** बनाम **गाडफादर ट्रेवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड**[2] वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय की खंड न्यायापीठ द्वारा इसी सिद्धांत पर विचार किया गया था और दोनों न्यायाधीशों में मतभेद था और अब मामले को निस्तारण के लिए बृहत्तर न्यायपीठ को अंतरित कर दिया गया है कि क्या कंपनी को अभियुक्त बनाए जाने की स्थिति में निदेशक को अभियुक्त के रूप में अभियोजित किया जा सकता है । किंतु फिर भी, जब तक मामले को बृहत्तर न्यायपीठ को भेजा जाता, सर्वोच्च न्यायालय ने यह विनिश्चय किया कि कंपनी आवश्यक पक्ष नहीं होती और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि कंपनी को अभियुक्त बनाया जाए । इसलिए, जहां तक वर्तमान में विधि का संबंध है, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि अधिनियम की धारा 138 के अधीन उपधारणा को कंपनी को अभियुक्त के रूप में अभियोजित न किए जाने की स्थिति में भी बनाए रखा जाता है यह विवादित नहीं है कि अभियुक्त चैक प्रदर्श पी-1 का हस्ताक्षरकर्ता है और इसलिए कंपनी के पक्षकार के रूप में अनुपस्थित रहने पर भी अभियुक्त का अभियोजन चलाए जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है ।

---

[1] 1999 क्रिमिनल ला जर्नल 3498 = ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 2182.

[2] 2008 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 3608 = ए. आई. आर. 2008 एस. सी. (सप्ली.)1849.

22. चैक प्रदर्श पी-1 रंगा करकरे नामक परिवादी के पक्ष में जारी किया गया था । साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि परिवादी अपनी स्वयं की हैसियत में कारबार कर रहा है और यद्यपि अभिलेखों से प्रकट होता है कि येरमल फिश ट्रेडिंग या तो भागीदारी फर्म है या स्वत्वधारी सनुत्थान, चूंकि चैक परिवादी के नाम में जारी किया गया हो और अभियुक्त द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि अभियुक्त अपनी व्यक्तिगत हैसियत में कारबार कर रहा है, इसलिए, मैं यह अभिनिर्धारित करने में कोई बाधा नहीं पाता कि परिवाद पोषणीय है । इसलिए, तात्विक तथ्यों और अधिकथित विधि को दृष्टि में रखते हुए इस न्यायालय का विचार है कि निचले न्यायालयों द्वारा पारित दोषसिद्ध और दंडादेश के आदेश मान्य ठहराया जाए । मामले को इस दृष्टि से देखते हुए, मैं निम्नलिखित आदेश पारित करने के लिए अग्रसर होता हूं ।

आदेश

पुनरीक्षण याचिका खारिज की जाती है । खर्चों की बाबत कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है ।

याचिका खारिज की गई ।

शु.

(2013) 2 दा. नि. प. 220 **कलकत्ता**

अमिताव दास

बनाम

श्रीमती मौसमी दास

तारीख 4 जनवरी, 2012

न्यायमूर्ति सुभ्रो कमल मुखर्जी और न्याययूर्ति मो. अब्दुल घनी

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 498-क – क्रूरता – जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से यह साबित होता है कि पत्नी भली भांति यह जानते हुए कि उसके पति और ससुर के विरुद्ध क्रूरता का आरोप लगाने से पति की नौकरी समाप्त हो जाएगी, उसका आशय पति के साथ वापस जाने का नहीं बल्कि वैवाहिक संबंध समाप्त करने का था,

अतः क्रूरता का अपराध न बनने के कारण पति और ससुर को दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित है ।

पति, जो इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी है, ने तारीख 20 सितंबर, 2003 को विवाह-विच्छेद के लिए उक्त वैवाहिक वाद संस्थित कराया था । पक्षों का विवाह तारीख 21 जनवरी, 1992 को हिन्दू रीति-रिवाजों के अनुसार सम्पन्न हुआ था । पति ने अभिकथित किया है कि पत्नी उसके साथ क्रूरता का व्यवहार करती थी और उसकी पत्नी के क्रूर व्यवहार के कारण वह स्नायु रोगी हो गया था । विवाह के तुरंत पश्चात् पति और उसके परिवार के सदस्यों ने अवेक्षित किया कि पत्नी चिड़चिड़ी प्रकृति की थी और उसकी आदत थी कि वह छोटी-छोटी बातों पर भी लड़ाई-झगड़ा करने लगती थी । वह पति और उसके परिवार के अन्य सदस्यों को कठोर और उत्तेजनापूर्ण भाषा में गालियां देती थी जिससे परिवार की शांति और प्रशांति नष्ट हो जाती थी । उसने यह धमकी भी दी कि वह आत्महत्या कर लेगी और पति के परिवार के सदस्यों को उसमें उलझा देगी । वह घर के किसी कार्य में भाग लेना पसंद नहीं करती थी । पति बिना भोजन के ही अपने कार्यालय जाने के लिए विवश हो जाता था । तथापि, पुत्री के जन्म के साथ पत्नी के व्यवहारिक प्रतिमान में परिवर्तन आया । किंतु, दुर्भाग्यवश, डेढ़ वर्ष पश्चात् पत्नी ने पति के माता-पिता के साथ पुनः दुर्व्यवहार करना आरंभ कर दिया । वह दादा-दादी को अपनी पोती के साथ बातचीत नहीं करने देती थी । पति की माता एक अस्पताल में सेवारत थी । वह पति की माता के चरित्र के बारे में भी सवाल उठाती थी । जब पति के माता-पिता अपने पुत्र, पुत्रवधु और पोती से मिलने आए तो उसने उनका अपमान किया । जब पक्ष पति और पत्नी शांतिपथ, दुर्गापुर में रह रहे थे, तो उनसे (पति के माता-पिता) से (पुत्रवधु) द्वारा कहा गया कि वे वहां पर न आएं । पत्नी ने पति के पिता की पिटाई की थी और उनको धक्का भी दिया था । 23 अप्रैल, 2003 को उसने एक लिखित वचन दिया था कि वह अपने सास-ससुर और अपने पति की आज्ञा मानेगी और उसने अपनी गलतियों को स्वीकार भी किया था । पत्नी ने पति के जीवन में न्यूनतम सुखचैन का अधिक्रमण करते हुए उसके साथ क्रूरता का व्यवहार किया था और इस प्रकार पति मानसिक पीड़ा से ग्रस्त था । विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने आक्षेपित निर्णय और डिक्री द्वारा उक्त वाद अन्य बातों के साथ यह अभिनिर्धारित करते हुए खारिज कर दिया कि परिवार में पत्नी के इर्द-गिर्द परेशानी अशांति और लड़ाई-झगड़ा था किंतु यह पूर्णतया

सत्य नहीं है कि पत्नी ही समस्त बुराइयों का कारण थी । उसका भी इस अशांति में कुछ योगदान अवश्य रहा होगा किंतु इसको उसके द्वारा उसके पति को पहुंचाई गई एकपक्षीय क्रूरता के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए । मात्र स्वभाव की असंगतता को क्रूरता नहीं माना जा सकता । इससे व्यथित होकर पति ने यह अपील इस न्यायालय के समक्ष फाइल की है । यह अपील दुर्गापुर, जिला वर्दवान के विद्वान् अपर जिला न्यायाधीश द्वारा 2004 के वैवाहिक वाद सं. 10 और 2003 के वैवाहिक वाद सं. 192 में पारित निर्णय और डिक्री के विरुद्ध फाइल की गई है । उच्च न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – स्वीकृततः भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क के अधीन पत्नी द्वारा शिकायत फाइल किए जाने पर न केवल पति बल्कि उसके माता-पिता को भी अपराध में फंसा दिया गया था और उनके विरुद्ध आरोप-पत्र फाइल किया गया था । पति और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया था । विचारण के समय सभी अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया गया था चूंकि दांडिक न्यायालय ने अभियोजन के साक्ष्य को विश्वसनीय नहीं पाया । पति दुर्गापुर स्टील प्लांट का कर्मचारी है । न्यायालय के विचार में पत्नी पति के साथ रहना नहीं चाहती थी, जैसाकि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से भी प्रतीत होता है कि इस बात को भली-भांति जानते हुए कि वह जो कदम उठाने जा रही है, उसके कारण उसका पति नौकरी गंवा देगा, उसने जानबूझकर पति और सास-ससुर के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए । न्यायालय यह अनुमान लगा सकता है कि पत्नी का इरादा पति के पास वापस जाने का नहीं था और उसका इरादा वैवाहिक संबंध समाप्त करने का था । अभिलेख पर उपस्थित सामग्री के आधार पर यह प्रतीत होता है कि पत्नी आरंभ से ही न केवल पति बल्कि उसके माता-पिता के प्रति अभद्र और क्रूर थी । पति दुर्गापुर स्टील प्लांट का कर्मचारी था और वह स्नायु रोगी भी था । उसको चिकित्सक द्वारा उत्तेजना से दूर रहने की सलाह दी गई थी किंतु पत्नी ने भद्दी और गाली-गलौज वाली भाषा का प्रयोग करते हुए पति को उत्तेजित करना जारी रखा जो उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था । तथापि, पत्नी ने वैवाहिक संबंध से बच्चे का जन्म हो जाने पर अपने व्यवहार को परिवर्तित कर दिया था । लगभग डेढ़ वर्ष के अंतराल के पश्चात् उसने पति और उसके माता-पिता को फिर से गालियां देना आरंभ कर दिया । वह घमंडी थी । उसने गृहोपयोगी कार्यों को करने से मना कर दिया । यहां तक कि उसने पति को श्राप भी दिया और इच्छा

व्यक्त किया कि पति की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसको पति के कार्यालय में पति के स्थान पर नौकरी मिल जाएगी । (पैरा 26 और 28)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2009]	(2009) 3 सी. एच. एन. 637 = ए. आई. आर. 2009 (एन. ओ. सी.) 2949 : **सोमा बनर्जी** बनाम **सुभ्रोज्योति बनर्जी** ;	22
[2009]	ए. आई. आर. 2009 कलकत्ता 90 : **पियासा घोष** बनाम **सोमनाथ घोष** ;	24
[2009]	ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 2254 = 2009 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 2984 : **विष्णु दत्त शर्मा** बनाम **मंजू शर्मा** ;	24
[2006]	(2006) 4 एस. सी. सी. 558 = ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 1675 : **नवीन कोहली** बनाम **नीलू कोहली** ;	22
[2005]	(2005) 2 एस. एल. टी. (एच. सी.) 567 : **श्रीमती काजल राय** बनाम **प्रशान्त कुमार राय** ;	22
[1999]	(1999) 2 सी. एच. एन. 625 : **श्रीमती निवेदिता बनर्जी** बनाम **सनत कुमार बनर्जी** ;	22
[1993]	ए. आई. आर. 1993 कलकत्ता 10 : **श्री तपन चक्रवर्ती** बनाम **श्रीमती अंजली चक्रवर्ती** ;	24
[1988]	ए. आई. आर. 1988 दिल्ली 107 : **ओम प्रकाश** बनाम **श्रीमती रजनी** ;	24
[1980]	ए. आई. आर. 1980 कलकत्ता 370 : **श्रीमती सुलेखा बैरागी** बनाम **प्रोफेसर कमला कांता बैरागी** ।	24

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2008 की पारिवारिक अपील सं. 115.

विद्वान् न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, वर्दवान द्वारा वैवाहिक वाद सं. 2004 का 10 और 2003 का 192 वाले मामले में पारित निर्णय और डिक्री के विरुद्ध पारिवारिक अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री हीरनमोय भट्टाचार्य और कौशिक राय

प्रत्यर्थी की ओर श्री श्यामल चक्रवर्ती

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति सुभ्रो कमल मुखर्जी ने दिया ।

न्या. मुखर्जी – यह अपील दुर्गापुर, जिला वर्दवान के विद्वान् अपर जिला न्यायाधीश द्वारा 2004 के वैवाहिक वाद सं. 10 और 2003 के वैवाहिक वाद सं. 192 में पारित निर्णय और डिक्री के विरुद्ध फाइल की गई है ।

2. विद्वान् विचारण न्यायालय ने अपने अपेक्षित निर्णय और डिक्री द्वारा पति द्वारा फाइल किए गए उक्त वाद को वाद लागत के बाबत कोई आदेश पारित किए बिना खारिज कर दिया ।

3. पति, जो इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी है, ने तारीख 20 सितंबर, 2003 को विवाह-विच्छेद के लिए उक्त वैवाहिक वाद संस्थित कराया था ।

4. पक्षों का विवाह तारीख 21 जनवरी, 1992 को हिन्दू रीति-रिवाजों के अनुसार सम्पन्न हुआ था ।

5. पति ने अभिकथित किया है कि पत्नी उसके साथ क्रूरता का व्यवहार करती थी और उसकी पत्नी के क्रूर व्यवहार के कारण वह स्नायु रोगी हो गया था । विवाह के तुरंत पश्चात् पति और उसके परिवार के सदस्यों ने अवेक्षित किया कि पत्नी चिड़चिड़ी प्रकृति की थी और उसकी आदत थी कि वह छोटी-छोटी बातों पर भी लड़ाई-झगड़ा करने लगती थी । वह पति और उसके परिवार के अन्य सदस्यों को कठोर और उत्तेजनापूर्ण भाषा में गालियां देती थी जिससे परिवार की शांति और प्रशांति नष्ट हो जाती थी । उसने यह धमकी भी दी कि वह आत्महत्या कर लेगी और पति के परिवार के सदस्यों को उसमें उलझा देगी । वह घर के किसी कार्य में भाग लेना पसंद नहीं करती थी । पति बिना भोजन के ही अपने कार्यालय जाने के लिए विवश हो जाता था । तथापि, पुत्री के जन्म के साथ पत्नी के व्यवहारिक प्रतिमान में परिवर्तन आया । किंतु, दुर्भाग्यवश, डेढ़ वर्ष पश्चात् पत्नी ने पति के माता-पिता के साथ पुनः दुर्व्यवहार करना आरंभ कर दिया । वह दादा-दादी को अपनी पोती के साथ बातचीत नहीं करने देती थी । पति की माता एक अस्पताल में सेवारत थी । वह पति की माता के चरित्र के

बारे में भी सवाल उठाती थी । जब पति के माता-पिता अपने पुत्र, पुत्रवधु और पोती से मिलने आए तो उसने उनका अपमान किया । जब पक्ष पति और पत्नी शांतिपथ, दुर्गापुर में रह रहे थे, तो उनसे (पति के माता-पिता) से (पुत्रवधु) द्वारा कहा गया कि वे वहां पर न आएं । पत्नी ने पति के पिता की पिटाई की थी और उनको धक्का भी दिया था । 23 अप्रैल, 2003 को उसने एक लिखित वचन दिया था कि वह अपने सास-ससुर और अपने पति की आज्ञा मानेगी और उसने अपनी गलतियों को स्वीकार भी किया था । पत्नी ने पति के जीवन में न्यूनतम सुखचैन का अधिक्रमण करते हुए उसके साथ क्रूरता का व्यवहार किया था और इस प्रकार पति मानसिक पीड़ा से ग्रस्त था ।

6. पत्नी ने लिखित कथन फाइल करने के द्वारा वाद का प्रतिवाद किया । उसने वादपत्र में किए गए सभी आरोपों से इनकार किया । उसने अभिकथित किया कि पति अशिष्ट और क्रूर था । उसने 14 दिसंबर, 2003 को पत्नी पर क्रूरतापूर्वक मुक्कों और घूंसों द्वारा पीटते हुए आक्रमण किया था और तत्पश्चात् उसको उसके वैवाहिक घर से बाहर निकाल दिया था । पति ने पत्नी और अवयस्क बच्चे की कभी देखभाल भी नहीं की ।

7. यह स्वीकृत स्थिति है कि पत्नी ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 498-क और 323 सपठित दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं 3 और 4 के अधीन पति और सास-ससुर के विरुद्ध कार्यवाही आरंभ की थी, किंतु पति और सास-सुसर को तारीख 7 मई, 2010 को दोषमुक्त कर दिया गया था । दुर्गापुर, जिला वर्दवान के विद्वान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा तारीख 7 मई, 2010 को पारित विनिश्चय की प्रति को पश्चात्वर्ती घटनाक्रम को अभिलेख पर लाए जाने के प्रयोजनार्थ प्रति-शपथपत्र के साथ फाइल किया गया है । यह भी स्वीकृत है कि पक्ष अगस्त, 2003 से अलग-अलग रह रहे हैं ।

8. विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने आक्षेपित निर्णय और डिक्री द्वारा उक्त वाद अन्य बातों के साथ यह अभिनिर्धारित करते हुए खारिज कर दिया कि परिवार में पत्नी के इर्द-गिर्द परेशानी अशांति और लड़ाई-झगड़ा था किंतु यह पूर्णतया सत्य नहीं है कि पत्नी ही समस्त बुराइयों का कारण थी । उसका भी इस अशांति में कुछ योगदान अवश्य रहा होगा किंतु इसको उसके द्वारा उसके पति को पहुंचाई गई एकपक्षीय क्रूरता के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए । मात्र स्वभाव की असंगतता को क्रूरता नहीं

माना जा सकता ।

9. इससे व्यथित होकर पति ने यह अपील इस न्यायालय के समक्ष फाइल की है ।

10. वादी-साक्षी सं. 1 स्वयं पति है । उसने साक्ष्य में अपने अभिकथनों को दोहराया है और अभिकथित किया है कि पत्नी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क के अधीन दांडिक मामला आरंभ किया था । उसने अभिकथित किया है कि पत्नी उसकी माता के नियोजक द्वारा उपलब्ध कराए गए मकान में पुत्री के साथ रह रही थी और उसको उसके पिता के मकान में स्थानांतरित होना था । उसने अभिकथित किया कि 2003 के पश्चात् उनके मध्य कोई संबंध नहीं रह गया था ।

11. वादी-साक्षी सं. 2 श्रीमती बानी दास अपीलार्थी की पड़ोसी थी । उसने अभिकथित किया कि पत्नी परिवार में परेशानियां सृजित किया करती थी । वह अपने पति से अभद्रतापूर्वक बात करती थी । उसके अपने पुत्र के साथ उक्त पक्षों की पुत्री की पांचवीं वर्षगांठ मनाए जाने के लिए आमंत्रित किया गया था । वह पक्षों के घर गई थी । वहां कुछ अन्य अतिथि भी आए हुए थे । पति के माता-पिता भी उपस्थित थे । उसने पाया कि पत्नी अपने सास-ससुर के साथ अभद्रतापूर्वक व्यवहार कर रही थी । उसने उनसे बाहर निकल जाने को कहा था और यह भी कहा था कि दोबारा उसके घर न आएं । फिर भी पति के माता-पिता कार्यक्रम के अंत तक रुके रहे किंतु पत्नी ने उनकी आवभगत नहीं की ।

12. वादी-साक्षी सं. 3 जाहर राय व्यापारी है और वह पक्षों का पड़ोसी था । उसने अभिकथित किया कि पति और पत्नी के मध्य लड़ाई-झगड़े होते रहते थे किंतु वह यह नहीं बता सकता कि लड़ाई-झगड़े की शुरुआत कौन करता था ।

13. वादी-साक्षी सं. 4 पुलिस कांस्टेबल था । वह निचले न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ था और उसने पति द्वारा पुलिस के समक्ष दर्ज कराई गई डायरियों को साबित किया था ।

14. वादी-साक्षी सं. 5 पति का पिता है । उन्होंने अभिकथित किया कि उसकी पुत्रवधू उसके पुत्र का प्रपीड़न किया करती थी । वह आत्महत्या करने की धमकी देती रहती थी । वह गृहोपयोगी कार्यों में रूचि नहीं लेती थी । उन्होंने दोहराया कि उनकी पोती के पांचवें जन्म दिवस के अवसर पर

उनकी पुत्रवधू ने उनसे और उनके पुत्र को घर से बाहर निकल जाने के लिए कहा था । तथापि, उन्होंने यह भी कहा कि वे कुछ समय तक उनके पुत्र के आग्रहवश वहां सपत्नी निवास करते रहे ।

15. पत्नी ने प्रतिवादी साक्षी सं. 1 के रूप में कथन किया । उसने समस्त आरोपों से इनकार किया । तथापि, उसने स्वीकार किया कि उसने अपने पति और सास-ससुर के विरुद्ध दांडिक मामला फाइल किया था । उसने स्वीकार किया कि उसकी पुत्री के जन्म के लगभग दो वर्षों के पश्चात् वह और उसके पति अलग-अलग रहने लगे थे । उसने स्वीकार किया कि इस मामले को फाइल किए जाने के पहले पक्षों के मध्य लिखित में समझौता हो गया था । उसने अभिकथित किया कि उसने वाद के समन प्राप्त करने के पश्चात् भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क के अधीन कार्यवाही आरंभ की थी । वह शिक्षाशास्त्र में स्नातक की डिग्री के साथ स्नातक आनर्स थी । वह इस बात को याद नहीं कर सकी कि क्या उसने अपने लिखित कथन में कहा है कि पति शराबी था और किसी महिला पर आसक्त था । फिर भी उसने समझौते पर हस्ताक्षर स्वीकार किए ।

16. प्रतिवादी साक्षी सं. 2 सुष्मिता चटर्जी नामक महिला है । वह पक्षों की पड़ोसी थी । उसने अभिकथित किया कि उनके मकान से अक्सर लड़ाई-झगड़े और मौसमी के चीखने की आवाजें सुनती थी । उसने पाया कि एक दिन दोपहर के समय पति पत्नी को उसके बालों से पकड़कर बलपूर्वक घर से बाहर निकाल लाया था । उसने स्वीकार किया कि पति और पत्नी के मध्य एक समझौता हुआ था और समझौते के दौरान वह भी उपस्थित थी ।

17. प्रतिवादी की ओर से साक्षी सं. 3 दुलाल घोष नामक व्यक्ति था । वह पत्नी की बहन का पति था । उसने स्वीकार किया कि पक्षों के मध्य एक समझौता हुआ था किंतु सुझाव दिया कि उक्त दस्तावेज (समझौता) पति द्वारा उसके पिता को शांत करने के उद्देश्य से तैयार किया गया था ।

18. तथापि, उसके साक्ष्य को तारीख 31 अगस्त, 2006 के आदेश सं. 78 द्वारा कार्यवाही से हटा दिया गया था चूंकि वह प्रति-परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुआ था ।

19. प्रदर्श 2 तारीख 23 अप्रैल, 2003 का दस्तावेज है । इस दस्तावेज में पत्नी ने अभिकथित किया है कि उसने अपने पति और उसके परिवार के सदस्यों के साथ मानसिक क्रूरता की है । उसने दया किए जाने

की प्रार्थना की और वचन दिया कि उनकी कभी अवज्ञा नहीं करेगी । दस्तावेज पर पत्नी द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और उसका देवर दुलाल घोष उक्त दस्तावेज का साक्षी था । दस्तावेज को प्रदर्श 2 के रूप में चिह्नांकित किया गया है ।

20. तारीख 6 अगस्त, 2003 का एक अन्य समझौता भी है । यह पति और पत्नी द्वारा हस्ताक्षरित है और कुछ स्थानीय लोग इसके साक्षी हैं । इस समझौते में यह अभिकथित किया गया था कि पक्षों ने पड़ोसियों की उपस्थिति में अलग-अलग रहने का निर्णय लिया था । इस दस्तावेज को प्रदर्श 2/1 के रूप में चिह्नांकित किया गया है ।

21. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता हीरनमोय भट्टाचार्य ने श्रमसाध्यतापूर्वक दलील दी कि पत्नी ने पति और उसके परिवार के सदस्यों के साथ क्रूरता का व्यवहार किया था और इसलिए विद्वान् न्यायाधीश ने विवाह-विच्छेद की डिक्री पारित करने से इनकार करके विधि और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की दृष्टि में श्रुति की है ।

22. श्री भट्टाचार्य ने **श्रीमती निवेदिता बनर्जी** बनाम **सनत कुमार बनर्जी**[1], **श्रीमती काजल राय** बनाम **प्रशान्त कुमार राय**[2], **सोमा बनर्जी** बनाम **सुभ्रोज्योति बनर्जी**[3] और **नवीन कोहली** बनाम **नीलू कोहली**[4] वाले मामलों में दिए गए विनिश्चयों को उद्धृत किया है ।

23. इसके विपरीत पत्नी के विद्वान् अधिवक्ता श्री श्यामल चक्रवर्ती ने श्रमसाध्यतापूर्वक दलील दी कि क्रूरता के अभिकथन पर पति का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है । पति का कोई संबंध इन अभिकथनों के पुष्टिकरण के प्रयोजनार्थ सामने नहीं आया है । उन्होंने हमारा ध्यान पत्नी के देवर के साक्ष्य की ओर यह साबित करने के प्रयोजनार्थ आकर्षित किया कि पति ने पत्नी पर आक्रमण किया था और उसका (पत्नी का) उपचार अस्पताल में हुआ था ।

24. श्री चक्रबोर्ती ने अपने इस निवेदन को मान्य ठहराए जाने के प्रयोजनार्थ कि पति क्रूरता के आधार पर पत्नी के विरुद्ध विवाह-विच्छेद की

---

[1] (1999) 2 सी. एच. एन. 625.

[2] (2005) 2 एस. एल. टी. (एच. सी.) 567.

[3] (2009) 3 सी. एच. एन. 637 = ए. आई. आर. 2009 (एन. ओ. सी.).

[4] (2006) 4 एस. सी. सी. 558 = ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 1675.

डिक्री अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित सबूत के स्तरमान पर पहुंच पाने में विफल रहा है, निम्नलिखित मामलों को उद्धृत किया : –

1. **पियासा घोष** बनाम **सोमनाथ घोष**[1]

2. **विष्णु दत्त शर्मा** बनाम **मंजू शर्मा**[2]

3. **ओम प्रकाश** बनाम **श्रीमती रजनी**[3]

4. **श्री तपन चक्रवर्ती** बनाम **श्रीमती अंजली चक्रवर्ती**[4]

5. **श्रीमती सुलेखा बैरागी** बनाम **प्रोफेसर कमला कांता बैरागी**[5]

25. यह प्रतिपादना है कि पत्नी दांडिक मामले का आरंभ किए जाने का स्वयंमेव ही यह अर्थ नहीं होगा कि क्रूरता के आधार पर कोई विवाह-विच्छेद की डिक्री पारित कर दी जाने पर कोई विवाद नहीं है । इस बात से भी कोई इनकार नहीं किया गया है कि विवाह का असुधार्य भंग विवाह-विच्छेद का कोई आधार नहीं होता । पारिवारिक परेशानियों के कारण पृथक् निवास की मांग क्रूरता नहीं है जिस कारणवश पति को विवाह-विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाए । मामूली झगड़ों के आधार पर विवाह-विच्छेद की डिक्री प्रदान नहीं की जा सकती थी अर्थात् यह कहा जाना कि निरंतर क्रूरता किया जाना ही पर्याप्त नहीं है और पति को यह साबित करना होता है कि क्रूरता ऐसी प्रकृति की है जो युक्तियुक्त आशंका को जन्म दे सकती है कि वह पत्नी के साथ रहने की स्थिति में उनके लिए हानिकारक होगी ।

26. स्वीकृततः भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क के अधीन पत्नी द्वारा शिकायत फाइल किए जाने पर न केवल पति बल्कि उसके माता-पिता को भी अपराध में फंसा दिया गया था और उनके विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया था । पति और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया था । विचारण के समय सभी अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया गया था चूंकि दांडिक न्यायालय ने अभियोजन के साक्ष्य को विश्वसनीय नहीं

---

[1] ए. आई. आर. 2009 कलकत्ता 90.

[2] ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 2254 = 2009 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 2984.

[3] ए. आई. आर. 1988 दिल्ली 107.

[4] ए. आई. आर. 1993 कलकत्ता 10.

[5] ए. आई. आर. 1980 कलकत्ता 370.

पाया । पति दुर्गापुर स्टील प्लांट का कर्मचारी है । हमारे विचार में पत्नी पति के साथ रहना नहीं चाहती थी, जैसाकि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से भी प्रतीत होता है कि इस बात को भली-भांति जानते हुए कि वह जो कदम उठाने जा रही है, उसके कारण उसका पति नौकरी गंवा देगा, उसने जानबूझकर पति और सास-ससुर के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए । हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि पत्नी का इरादा पति के पास वापस जाने का नहीं था और उसका इरादा वैवाहिक संबंध समाप्त करने का था ।

27. श्री चक्रबोर्ती द्वारा उद्धृत मामले विभेदित किए जाने योग्य हैं चूंकि अधिकांश मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क के अधीन कार्यवाही विवाह-विच्छेद के लिए फाइल किए गए वाद के पूर्व आरंभ की गई थी ।

28. अभिलेख पर उपस्थित सामग्री के आधार पर यह प्रतीत होता है कि पत्नी आरंभ से ही न केवल पति बल्कि उसके माता-पिता के प्रति अभद्र और क्रूर थी । पति दुर्गापुर स्टील प्लांट का कर्मचारी था और वह स्नायु रोगी भी था । उसको चिकित्सक द्वारा उत्तेजना से दूर रहने की सलाह दी गई थी किंतु पत्नी ने भद्दी और गाली-गलौज वाली भाषा का प्रयोग करते हुए पति को उत्तेजित करना जारी रखा जो उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था । तथापि, पत्नी ने वैवाहिक संबंध से बच्चे का जन्म हो जाने पर अपने व्यवहार को परिवर्तित कर दिया था । लगभग डेढ़ वर्ष के अंतराल के पश्चात् उसने पति और उसके माता-पिता को फिर से गालियां देना आरंभ कर दिया । वह घमंडी थी । उसने गृहोपयोगी कार्यों को करने से मना कर दिया । यहां तक कि उसने पति को श्राप भी दिया और इच्छा व्यक्त किया कि पति की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसको पति के कार्यालय में पति के स्थान पर नौकरी मिल जाएगी ।

29. तारीख 13 फरवरी, 2002 को जब पति के माता-पिता पक्षों के एकमात्र बच्चे की वर्षगांठ में सम्मिलित होने के लिए आए थे, तो उनको अपमानित किया गया और घर से बाहर निकाल दिया गया । पति की माता की मृत्यु तारीख 20 फरवरी, 2003 को दुर्गापुर अस्पताल में हो गई । पत्नी पुत्रवधु के रूप में पति की माता से अस्पताल में मिलने के लिए बाध्यताधीन थी किंतु दुर्भाग्यवश वह उससे मिलने नहीं गई । याची की माता दुर्गापुर अस्पताल में परिचारिका (नर्स) थी । पत्नी पति की माता के चरित्र के बारे

में यह कहते हुए कि अस्पताल में कार्य करने वाली महिला खराब चरित्र की होती है, आधारहीन अभिकथन किया करती थी ।

30. उक्त दुलाल घोष को सम्मिलित करते हुए पत्नी के नातेदारों द्वारा मध्यक्षेप किया जाता था । उसने दुलाल घोष की उपस्थिति में यह लिखित वचनबंध दिया था कि वह अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएगी । किंतु पत्नी के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया ।

31. इसलिए, विद्वान् विचारण न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और डिक्री अपास्त किए जाते हैं । वैवाहिक वाद प्रतिवाद के आधार पर डिक्री किया जाता है । पक्षों के मध्य वैवाहिक बंधन को विवाह-विच्छेद की डिक्री द्वारा विघटित किया जाता है ।

32. तथापि, बच्चे की अभिरक्षा जब तक कि वह वयस्कता प्राप्त नहीं कर लेता माता के पास रहेगी । फिर भी पिता अपनी पुत्री से युक्तिसंगत रूप से मिलने का हकदार होगा ।

33. अपील तद्नुसार स्वीकार की जाती है ।

34. अपील के निस्तारण को ध्यान में रखते हुए संबंधित आवेदनों को भी निस्तारित किया जाता है ।

35. इसके पहले कि हम मामले की सुनवाई समाप्त करें, हम अभिलिखित करते हैं कि हमने पक्षों के मध्य समझौता कराने का प्रयास किया था, किंतु दुर्भाग्यवश समझौता नहीं कराया जा सका ।

36. तथापि, हम पक्षकारों को यह निदेश देते हैं कि इस अपील में अपने-अपने खर्चों का वहन करेंगे ।

37. यदि इस निर्णय की तत्काल जिराक्स प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन किया जाता है तो पक्षों के विद्वान् अधिवक्ताओं को समस्त औपचारिकताओं का पालन किए जाने के पश्चात् दे दी जाएगी ।

अपील मूंजर की गई ।

शु.

मध्य प्रदेश राज्य

बनाम

सुरेश सिंह और एक अन्य

तारीख 31 अक्तूबर, 2012

न्यायमूर्ति प्रितिंकर दिवाकर

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 224 – विचाराधीन कैदी का निकल भागना – जहां अभियोजन पक्ष द्वारा यह साबित किया गया है कि अभियुक्त कारागार से भागा था और कारागार से अभियुक्त को भगाने में सहायता करने वाले कारागार प्राधिकारियों के विरुद्ध सबूत के तौर पर कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है तथा अभियुक्त 22 गंभीर प्रकृति के अपराधों के विचारण का सामना कर रहा है वहां पर अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 224 के अधीन एक वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया जाना उचित है ।

मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 20 जुलाई, 1991 को प्रत्यर्थी सं. 1 सुरेश सिंह दंड संहिता की धारा 302, 364, 201, 397 और 398 के अधीन अपराधों के लिए कैदी के रूप में विचारण के अधीन था और उसके विरुद्ध विभिन्न अपराधों के अधीन कुल मिलाकर 27 मामले लंबित थे । तारीख 20 जुलाई, 1991 को प्रत्यर्थी सं. 1 जिला कारागार, दुर्ग से भाग गया, जिस संबंध में कारागार अधीक्षक द्वारा लिखित रिपोर्ट तैयार की गई और उसी दिन कारागार गार्ड अर्थात् भगवान सिंह के माध्यम से लिखित रिपोर्ट पुलिस थाने के सुपुर्द की गई तथा तारीख 21 जुलाई, 1991 को उसके विरुद्ध दंड संहिता की धारा 224 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 दर्ज की गई । अन्वेषण के पश्चात् प्रत्यर्थी सं. 1 सुरेश सिंह और प्रत्यर्थी सं. 2 पूरन लाल और जेलर टी. बी. सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया और जिसमें यह दिखाया गया कि पूरन लाल और टी. बी. सिंह फरार है । अभिलेख से यह प्रकट हुआ है कि पश्चात्वर्ती तारीखों को पूरन लाल और टी. बी. सिंह ने न्यायालय के समक्ष अभ्यर्पण किया था और तारीख 23 जुलाई, 1992 को विचारण न्यायालय द्वारा टी. बी. सिंह को उन्मोचित कर दिया गया । तथापि, विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी सं. 1 सुरेश सिंह के विरुद्ध धारा 224 के अधीन आरोप विरचित किए और कारागार गार्ड पूरन लाल के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 223 के

अधीन आरोप विरचित किए । अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन के समर्थन में 7 साक्षियों की परीक्षा कराई । प्रत्यर्थी/अभियुक्त के कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन भी अभिलिखित किए गए थे जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों से इनकार किया और अपनी निर्दोषिता का अभिवाक् किया तथा मामले में मिथ्या फंसाए जाने का भी अभिवाक् किया । पक्षकारों को सुनने के पश्चात् निचले न्यायालय ने प्रत्यर्थी/अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों से उसे दोषमुक्त कर दिया, इसलिए, दोषमुक्ति के विरुद्ध यह अपील फाइल की गई । इस न्यायालय द्वारा आदेश करते हुए,

अभिनिर्धारित – विधि की सुस्थिर स्थिति यह है कि दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील के बारे में यदि दो मत संभव हों तो न्यायालय को अभियुक्त के पक्ष वाले मत पर विचार करना चाहिए किंतु उसी समय विधिक आवश्यकताओं का एक आधार यह भी है कि यदि अभियुक्त की दोषमुक्ति के संबंध में निचले न्यायालय द्वारा कोई विपरीत मत अपनाया गया है तो उच्चतर न्यायालय उस पर हस्तक्षेप कर सकते हैं । वर्तमान मामले में निचले न्यायालय ने मुख्यतः इस आधार पर प्रत्यर्थी सं. 1 को दोषमुक्त कर दिया कि अभियोजन पक्ष इस बात को साबित करने में विफल हुआ है कि घटना की तारीख को प्रत्यर्थी सं. 1 कारागार अभिरक्षा से भाग गया था । दुर्भाग्यवश यह सही स्थिति नहीं है और यह दर्शित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है कि तारीख 20 जुलाई, 1991 को प्रत्यर्थी सं. 1 पहले जिला कारागार, दुर्ग से भागा था । निचले न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में विधि की गलती की है कि कारागार परिसर में केवल एक दरवाजा था और जिससे अंदर आना तथा बाहर जाना होता था और कैदियों के बाहर जाने और अंदर आने के समय पर कारागार रजिस्टर में प्रविष्टियां दर्ज होती थीं परंतु वर्तमान मामले में अभिलेख पर ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है कि कारागार प्राधिकारियों द्वारा इस आशय की कोई प्रविष्टि की गई थी । इससे प्रतिकूल निष्कर्ष प्रकट होता है क्योंकि वर्तमान मामले में यहां जेल प्राधिकारियों की मदद से प्रत्यर्थी सं. 1 कैदखाने से भगाने के लिए व्यवस्था की गई परंतु कारागार प्राधिकारियों ने कोई ऐसा दस्तावेज फाइल करना पसंद नहीं किया । इसके अतिरिक्त, कारागार प्राधिकारियों ने अपने अभिवाक् के समर्थन में तत्कालीन जेल अधीक्षक सहित किसी महत्वपूर्ण साक्षियों की परीक्षा नहीं की गई । वस्तु ख-1 और ग-1 से जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है यह साबित हुआ है कि उस सुसंगत तारीख को कैदियों की गणना करते समय प्रत्यर्थी सं. 1 गायब पाया गया था और इस तथ्य का

केवल हाजिरी के वक्त उल्लेख किया गया है । इस प्रकार अभियोजन पक्ष ने कैदखाने से प्रत्यर्थी सं. 1 के भागे जाने को साबित किया है । इसके अतिरिक्त, यह भी रिपोर्ट दी गई कि प्रत्यर्थी सं. 1 गंभीर प्रकृति के 22 मामलों में विचारण का सामना कर रहा है परंतु फिर भी उसके लिए कारागार अभिरक्षा से भगाने की व्यवस्था की गई । इस प्रकार, दंड संहिता की धारा 224 के अधीन आरोपों से प्रत्यर्थी सं. 1 की दोषमुक्ति गलत है और विधि के अनुसरण में नहीं है तथा खारिज किए जाने योग्य है । तद्नुसार आदेश किया गया । दंड संहिता की धारा 224 के अधीन दोषी अभिनिर्धारित करते हुए प्रत्यर्थी सं. 1 को एक वर्ष का कठोर कारावास भोगने का दंडादेश दिया जाता है । तत्काल उसको गिरफ्तार किया जाए और शेष दंडादेश भोगने के लिए कारागार भेजा जाता है । (पैरा 11 और 13)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2009 की दोषमुक्ति अपील सं. 98.

यह अपील न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग द्वारा आपराधिक मामला सं. 288/1998 में पारित किए गए निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है ।

अपीलार्थी की ओर से	श्री प्रवीन दास, उप-सरकारी अधिवक्ता
प्रत्यर्थियों की ओर से	सर्वश्री पवन केसरवानी, सोमकांत वर्मा, केन्द्रीय कारागार, दुर्ग के अधीक्षक, एस. एस. तिग्गा

न्यायमूर्ति प्रितिंकर दिवाकर – यह अपील 1998 के दांडिक मामला सं. 288 में न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग द्वारा तारीख 30 मार्च, 1999 को पारित किए गए निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा अभियुक्त/प्रत्यर्थी सं. 1 को दंड संहिता की धारा 240 के अधीन आरोप तथा अभियुक्त-प्रत्यर्थी सं. 2 को दंड संहिता की धारा 223 के अधीन आरोप से दोषमुक्त किया गया था ।

2. मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 20 जुलाई, 1991 को प्रत्यर्थी सं. 1 सुरेश सिंह दंड संहिता की धारा 302, 364, 201, 397 और 398 के अधीन अपराधों के लिए कैदी के रूप में विचारण के अधीन था और उसके विरुद्ध विभिन्न अपराधों के अधीन कुल मिलाकर 27 मामले लंबित थे । तारीख 20 जुलाई, 1991 को प्रत्यर्थी सं. 1 जिला कारागार, दुर्ग से भाग गया, जिस संबंध में कारागार अधीक्षक द्वारा लिखित

रिपोर्ट तैयार की गई थी और उसी दिन कारागार गार्ड अर्थात् भगवान सिंह (अभि. सा. 2) के माध्यम से लिखित रिपोर्ट पुलिस थाने के सुपुर्द की गई थी तथा तारीख 21 जुलाई, 1991 को उसके विरुद्ध दंड संहिता की धारा 224 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 दर्ज की गई थी । अन्वेषण के पश्चात् प्रत्यर्थी सं. 1 सुरेश सिंह और प्रत्यर्थी सं. 2 पूरन लाल और जेलर टी. बी. सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया और जिसमें यह दिखाया गया कि पूरन लाल और टी. बी. सिंह फरार हैं । अभिलेख से यह प्रकट हुआ है कि पश्चात्वर्ती तारीखों को पूरन लाल और टी. बी. सिंह ने न्यायालय के समक्ष अभ्यर्पण किया था और तारीख 23 जुलाई, 1992 को विचारण न्यायालय द्वारा टी. बी. सिंह को उन्मोचित कर दिया गया । तथापि, विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी सं. 1 सुरेश सिंह के विरुद्ध धारा 224 के अधीन आरोप विरचित किए और कारागार गार्ड पूरन लाल के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 223 के अधीन आरोप विरचित किए ।

3. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन के समर्थन में 7 साक्षियों की परीक्षा कराई । प्रत्यर्थी/अभियुक्त के कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन भी अभिलिखित किए गए थे जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों से इनकार किया और अपनी निर्दोषिता का अभिवाक् किया तथा मामले में मिथ्या फंसाए जाने का भी अभिवाक् किया ।

4. पक्षकारों को सुनने के पश्चात् निचले न्यायालय ने प्रत्यर्थी/अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों से उन्हें दोषमुक्त कर दिया, इसलिए, दोषमुक्ति के विरुद्ध यह अपील फाइल की गई है ।

5. अपीलार्थी/राज्य के काउंसेल ने यह दलील दी कि निचले न्यायालय ने प्रत्यर्थी/अभियुक्त को दोषमुक्त करके विधि ने यह गलती की है । उन्होंने यह दलील दी कि साक्षियों ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि तारीख 20 जुलाई, 1991 को जब शाम को हाजिरी के लिए बुलाया गया तब प्रत्यर्थी सं. 1 गायब पाया गया था और मामले की तत्काल उच्चतर प्राधिकारियों को रिपोर्ट दी गई थी । उन्होंने यह दलील दी कि प्रत्यर्थी सं. 1 के गायब होने का तथ्य धारा ख-1 और ग-1 से स्पष्ट है जो तारीख 20 जुलाई, 1991 के लाकअप रजिस्टर के सुसंगत पृष्ठों पर दर्ज है और कैदी सुरेश सिंह के विचारणाधीन का रजिस्टर है । राज्य काउंसेल ने आगे यह दलील दी है कि यद्यपि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रत्यर्थी सं. 1 की पुनः गिरफ्तारी के बारे में कोई दस्तावेज फाइल नहीं किया है, धारा ख-1 और ग-1 से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी सं. 1 कारागार से भाग गया था और

इस प्रकार वह दंड संहिता की धारा 224 के अधीन दोषसिद्ध किए जाने योग्य है । उन्होंने यह दलील दी कि उस सुसंगत समय पर प्रत्यर्थी सं. 2 पूरन लाल कारागार गार्ड था और उसे कारागार कोठरी की पहरेदारी का कार्य समनुदेशित किया गया था जहां प्रत्यर्थी सं. 1 सुरेश सिंह रखा गया था और इस प्रकार प्रत्यर्थी सं. 1 को भगाने में मदद करने के लिए समान रूप से जिम्मेदार है । यदि ऐसा है तो वह दंड संहिता की धारा 223 के अधीन भी दोषसिद्ध किए जाने के योग्य है । उन्होंने यह दलील दी कि उसके कब्जे में रखे गए अभिलेख तथा कारागार अभिलेख सहित तारीख 11 अक्तूबर, 1991 के कैदी के विचाराधीन रजिस्टर से यह दर्शित होता है कि प्रत्यर्थी सं. 1 की पुनः गिरफ्तार और उसी दिन कारागार में उसे बंद किया गया किंतु दुर्भाग्यवश यह दस्तावेज फाइल नहीं किया गया है और अभियोजन पक्ष द्वारा प्राधिकारियों की जानकारी में आने वाले कारणों को साबित नहीं किया गया है । तथापि, उन्होंने यह दलील दी कि प्रत्यर्थी सं. 1 के पुनः गिरफ्तारी के दस्तावेज के अभाव में भी धारा ख-1 और ग-1 से यह प्रकट है कि तारीख 20 जुलाई, 1991 को प्रत्यर्थी सं. 1 कारागार से भाग गया था ।

6. दूसरी ओर प्रत्यर्थी सं. 1/अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल हुआ है कि तारीख 20 जुलाई, 1991 को प्रत्यर्थी सं. 1 कारागार अभिरक्षा से भाग गया था । उन्होंने यह दलील दी कि जब तक कि दस्तावेज फाइल नहीं कर दिया जाता और पुनः गिरफ्तारी दर्शित किए जाने को साबित नहीं किया जाता तब तक प्रत्यर्थी सं. 1 को पुनः गिरफ्तार किए जाने की उपधारणा नहीं की जा सकती कि वह उस तारीख को कारागार से भागा था । प्रत्यर्थी सं. 2 पूरन लाल के बारे में उसकी ओर से हाजिर होने वाले काउंसेल श्री सोमकांत वर्मा द्वारा यह निवेदन किया गया कि अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि प्रत्यर्थी सं. 2 ने प्रत्यर्थी सं. 1 को भगाने में किसी प्रकार मदद की जो कारागार अभिरक्षा में था । उन्होंने यह दलील दी कि प्रत्यर्थी सं. 2 बैरक के दो भागों का प्रभारी था और उसके लिए प्रत्येक कैदी की पहरेदारी करना व्यावहारिक रूप से असंभव था । उन्होंने यह दलील दी कि वहां पर पहरेदारों की कमी थी, प्रत्यर्थी सं. 1 पर दोष नहीं मढ़ा जा सकता है । उन्होंने यह दलील दी कि अभियोजन पक्ष द्वारा फाइल किए गए दस्तावेजों के एक ही समूह पर जेलर अर्थात् टी. बी. सिंह को उन्मोचित कर दिया गया । प्रत्यर्थी सं. 2 को दंड संहिता की धारा 223 के अधीन दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है ।

7. पक्षकारों के काउंसेल को सुना और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों का परिशीलन किया गया ।

8. जिला कारागार, दुर्ग के हेड कांस्टेबल श्याम कृष्ण तिवारी (अभि. सा. 1) इस बारे में विनिर्दिष्ट रूप से कोई कथन नहीं किया है । भगवान सिंह (अभि. सा. 2) जो मुख्य पहरेदार था, ने यह कथन किया है कि वह प्रत्यर्थी/अभियुक्तों को जानता है और घटना की तारीख को प्रत्यर्थी सं. 1 कारागार से भाग गया था और इस बारे में सूचना उच्चतर प्राधिकारियों को भेजी गई थी । उसने यह कथन किया कि उस सुसंगत समय पर उसका उस पर कोई नियंत्रण नहीं था । उसने (टी. बी. सिंह) यह भी रिपोर्ट दी थी कि उसने कारागार परिसर के चारों ओर घूमने के लिए प्रत्यर्थी सं. 1 को स्वतंत्र किया हुआ था और वह उन्मुक्ति का उपभोग कर रहा था परंतु इन कारणों के बारे में अभियोजन पक्ष को अच्छी तरह ज्ञात था परंतु इस साक्षी की न्यायालय के समक्ष परीक्षा नहीं की गई । दलील देने के दौरान कारागार अधीक्षक न्यायालय में मौजूद था और उसने पुनः गिरफ्तारी तथा कारागार में प्रत्यर्थी सं. 1 पुनः प्रवेश देने के कुछ दस्तावेजों को देखा था परंतु उन्हें फाइल नहीं किया गया था और इसलिए, यह न्यायालय उनका संज्ञान नहीं ले सकता । तथापि, अभिलेख तथा अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्य से यह प्रकट हुआ है कि तारीख 20 जुलाई, 1991 को प्रत्यर्थी सं. 1 केन्द्रीय कारागार, दुर्ग से भाग गया था ।

9. जहां तक कारागार से प्रत्यर्थी सं. 1 को भगाने में सहायता देने में प्रत्यर्थी सं. 2 की भूमिका का संबंध है इस बारे में साक्ष्य स्पष्ट नहीं हैं और इस प्रकार वह संदेह का लाभ पाने का हकदार है ।

10. विधि की सुस्थिर स्थिति यह है कि दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील के बारे में यदि 2 मत संभव हैं तो न्यायालय को अभियुक्त के पक्ष वाले मत पर विचार करना चाहिए किंतु उसी समय विधिक आवश्यकताओं का एक आधार यह भी है कि यदि अभियुक्त की दोषमुक्ति के संबंध में निचले न्यायालय द्वारा कोई विपरीत मत अपनाया गया है तो उच्चतर न्यायालय उस पर हस्तक्षेप कर सकते हैं । वर्तमान मामले में निचले न्यायालय ने मुख्यतः इस आधार पर प्रत्यर्थी सं. 1 को दोषमुक्त कर दिया कि अभियोजन पक्ष इस बात को साबित करने में विफल हुआ है कि घटना की तारीख को प्रत्यर्थी सं. 1 कारागार अभिरक्षा से भाग गया था । दुर्भाग्यवश यह सही स्थिति नहीं है और यह दर्शित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है कि तारीख 20 जुलाई, 1991 को प्रत्यर्थी सं. 1 पहले जिला कारागार, दुर्ग

से भागा था । निचले न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में विधि की गलती की है कि कारागार परिसर में केवल एक दरवाजा था और जिससे अंदर आना तथा बाहर जाना होता था और कैदियों के बाहर जाने और अंदर आने के समय पर कारागार रजिस्टर में प्रविष्टियां दर्ज होती थीं परंतु वर्तमान मामले में अभिलेख पर ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है कि कारागार प्राधिकारियों द्वारा इस आशय की कोई प्रविष्टि की गई थी । इससे प्रतिकूल निष्कर्ष प्रकट होता है क्योंकि वर्तमान मामले में यहां जेल प्राधिकारियों की मदद से प्रत्यर्थी सं. 1 कैदखाने से भगाने के लिए व्यवस्था की गई परंतु कारागार प्राधिकारियों ने कोई ऐसा दस्तावेज फाइल करना पसंद नहीं किया । इसके अतिरिक्त, कारागार प्राधिकारियों ने अपने अभिवाक् के समर्थन में कोई तत्कालीन जेल अधीक्षक सहित महत्वपूर्ण साक्षियों की परीक्षा नहीं की गई । धारा ख-1 और ग-1 से जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है यह साबित हुआ है कि उस सुसंगत तारीख को कैदियों की गणना करते समय प्रत्यर्थी सं. 1 गायब पाया गया था और इस तथ्य का केवल हाजिरी के वक्त उल्लेख किया गया है । इस प्रकार अभियोजन पक्ष ने कैदखाने से प्रत्यर्थी सं. 1 के भागे जाने को साबित किया है । इसके अतिरिक्त, यह भी रिपोर्ट दी गई कि प्रत्यर्थी सं. 1 गंभीर प्रकृति के 22 मामलों में विचारण का सामना कर रहा है परंतु फिर भी उसके लिए कारागार अभिरक्षा से भगाने की व्यवस्था की गई । इस प्रकार, दंड संहिता की धारा 224 के अधीन आरोपों से प्रत्यर्थी सं. 1 की दोषमुक्ति गलत है और विधि के अनुसरण में नहीं है तथा खारिज किए जाने योग्य है । तद्नुसार आदेश किया गया ।

11. अब प्रत्यर्थी सं. 1 के काउंसेल को दंड के प्रश्न पर सुना गया ।

12. दंड संहिता की धारा 224 के अधीन दोषी अभिनिर्धारित करते हुए प्रत्यर्थी सं. 1 को 1 वर्ष का कठोर कारावास भोगने का दंडादेश दिया जाता है । तत्काल उसको गिरफ्तार किया जाए और शेष दंडादेश भोगने के लिए कारागार भेजा जाता है ।

13. तथापि, प्रत्यर्थी सं. 2 की दोषमुक्ति न्यायसंगत प्रतीत होती है । तद्नुसार उसे परेशान किए बिना छोड़ दिया जाए ।

तद्नुसार आदेश किया गया ।

आर्य

अनिल सिंह

बनाम

जम्मू-कश्मीर राज्य

तथा

जम्मू-कश्मीर राज्य

बनाम

अनिल सिंह

तारीख 26 अप्रैल, 2013

न्यायमूर्ति विरेन्दर सिंह और न्यायमूर्ति बंशी लाल भट

रणबीर दंड संहिता, 1989 संवत् (1932 ईस्वी) – धारा 302 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 – धारा 155] – हत्या – प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का परिसाक्ष्य – जहां दो प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का परिसाक्ष्य सुसंगत समय पर घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करता है और किसी प्रमुख विरोध के बिना उनका साक्ष्य विश्वासोत्पादक है कि अभियुक्त द्वारा धारदार हथियार से मृतक पर हमलाकर मृत्यु कारित की गई वहां अभियुक्त को हत्या के अपराध से दोषसिद्ध ठहराया जाना न्यायसंगत है ।

साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) – धारा 127 – अभियुक्त से प्राप्त जानकारी का साबित किया जाना – जहां युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित होता है कि पुलिस की अभिरक्षा के दौरान अभियुक्त द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर रक्त-रंजित किर्च की बरामदगी की गई वहां ऐसी जानकारी संस्वीकृति के रूप में साबित की जा सकेगी ।

रणबीर दंड संहिता, 1989 संवत् (1932 ईस्वी) – धारा 302 – हत्या – जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, चिकित्सा और न्यायालयिक साक्ष्य, हेतु, साक्षियों के परिसाक्ष्य से सुस्पष्टतः यह साबित होता है कि मृतक की हत्या अभियुक्त के द्वारा ही की गई, वहां अभियुक्त को हत्या के अपराध से दोषसिद्ध ठहराया जाना न्यायोचित है ।

इत्तिलाकर्ता बनारसी दास ने 7 अगस्त, 1991 को पुलिस थाना, गांधी नगर में यह सूचना देते हुए रिपोर्ट की थी कि उसी दिन शाम को उसका

पुत्र राजेश गुप्ता **उर्फ** बिट्टू अपना व्यापार प्रतिष्ठान बंद करने के पश्चात् से शास्त्री नगर में स्थित घर के लिए चला था । जबकि वह अपने किसी नातेदार के स्वास्थ्य की पूछताछ करने के लिए जा रहा था जो सदर अस्पताल, जम्मू में भर्ती था । जब वह लगभग 8.45 बजे अपराह्न नई बस्ती पर पहुंचा तो उसे उसका छोटा भाई रविन्द्र कुमार उसे मिला जिसने उसे बताया कि उसके पुत्र राजेश गुप्ता को अनिल सिंह **उर्फ** बबलू पुत्र संदल सिंह निवासी शास्त्री नगर द्वारा धारदार आयुध से हमला करके उसके शरीर पर गंभीर क्षतियां पहुंचाई हैं । उसने इत्तिलाकर्ता को यह भी बताया कि नरेन्द्र कुमार, अभि. सा. आहत को कार में अस्पताल ले गया था । वह तत्काल रविन्द्र कुमार के संग अस्पताल के लिए चला था । जब वे अस्पताल पर पहुंचे उन्होंने देखा कि आहत की कायम हुई क्षतियों से मृत्यु हो गई । इस सूचना के बारे में पुलिस को बताया और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 586/199 अभिलिखित की गई और रणबीर दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए मामले का रजिस्ट्रीकरण किया गया । उप-निरीक्षक आर. के. चलोत्रा, थाना भारसाधक अधिकारी, पुलिस थाना, गांधी नगर द्वारा अन्वेषण प्रारंभ किया गया था । वह अपराध के घटनास्थल की ओर अग्रसर हुआ और घटनास्थल का नक्शा तैयार किया और घटनास्थल से रक्त-रंजित तथा सादी मिट्टी अभिगृहीत की और उन्हें मोहरबंद किया गया । वह अस्पताल गया और मृतक के शव को अभिगृहीत किया । अभिग्रहण ज्ञापन तैयार किया तथा शव की शव-परीक्षण करने के लिए व्यवस्था की गई । पुलिस ने मृतक के रक्त-रंजित कपड़े भी अभिगृहीत किए तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा रक्त का नमूना भी उपलब्ध कराया गया । उसने शव परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त की और अभिगृहीत की गई वस्तुओं को रासायनिक परीक्षा के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजे जाने के पूर्व पुनः मोहरबंद किया । उसने साक्षियों के कथन भी अभिलिखित किए । अन्वेषण से यह प्रकट हुआ है कि मृतक-राजेश गुप्ता को अभियुक्त से नुकसान पहुंचने की आशंका थी जो उसे उसके मकान के समीप गली में परेशान किया करता था और उसने मृतक को जान से मारने की धमकी दी थी, जब उसने अभियुक्त की ओर से किए गए अनुचित कार्य पर आपत्ति की । तब यह पाया गया कि दुश्मनी के कारण अभियुक्त ने अवसर पाकर किर्च से मृतक को वेध दिया और कारित क्षतियां घातक सिद्ध की गईं । किर्च जिसे अपराध में प्रयोग किया गया था, अभियुक्त के बताने पर बरामद किया गया जिसने अन्वेषण के दौरान प्रकटीकरण कथन किया था । चिकित्सा राय प्राप्त करने के पश्चात् सक्षम न्यायालय के समक्ष न्यायिक

निर्धारण करने के लिए आरोप पत्र फाइल किया गया । यह अपील विद्वान् सेशन न्यायाधीश, जम्मू द्वारा फाइल सं. 62/सेशन, राज्य बनाम अनिल सिंह वाले मामले में तारीख 23 जुलाई, 1994 को पारित किए गए निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है । मामले में अपीलार्थी को विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा रणवीर दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अभियुक्त को दोषसिद्ध करके आजीवन कारावास तथा 1,000/- रुपए जुर्माना और प्रस्तावित जुर्माना का व्यतिक्रम करने पर तीन मास का साधारण कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया । विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के उपबंध के अधीन पुष्टिकरण निर्देश दिया गया था और जिसे इस अपील के साथ सुनवाई करने और उन पर विचार करने के लिए एक साथ रखा गया है । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभि. सा. बनारसी दास इत्तिलाकर्ता है जो तारीख 7 अगस्त, 1991 को 9.30 बजे अपराह्न पुलिस थाना, गांधी नगर में पहुंचा था और उसने मौखिक कथन किया था कि उसका पुत्र राजेश गुप्ता **उर्फ** बिट्टू जो 8.00 बजे अपराह्न नई बस्ती पर स्थित अपनी दुकान को बंद करने के पश्चात् घर के लिए चला था उसे रास्ते पर अभियुक्त अनिल सिंह द्वारा घेरा गया था और जिसने धारदार नुकीली वस्तु से उसके शरीर पर गंभीर क्षतियां कारित कीं । हमले का कारण पूर्व दुश्मनी मानी गई थी । इत्तिलाकर्ता ने यह दावा किया है कि वह भी दुकान पर मौजूद था और वह दुकान से उसी समय चला था । तत्पश्चात् वह अपने किसी नातेदार के स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करने कि लिए राज्य अस्पताल गया था । उसे उसके भाई विरेन्द्र कुमार से लगभग 8.45 बजे अपराह्न वेधित घाव पहुंचाने की घटना के बारे में पता चला । इत्तिलाकर्ता ने पुलिस को यह भी बताया कि नरेन्द्र कुमार पुत्र रामदास निवासी नई बस्ती द्वारा आहत को यान से राज्य अस्पताल ले जाया गया था । उसने पुलिस को यह भी बताया कि वह शीघ्र अस्पताल पहुंचा जबकि विरेन्द्र कुमार भी उसके साथ चला था परंतु अस्पताल पहुंचने पर उसे यह पता चला कि आहत की क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई । उसने यह दावा किया कि कुछ अन्य व्यक्तियों ने भी वेधित घाव पहुंचाने की घटना देखी थी । इत्तिलाकर्ता द्वारा दी गई सूचना प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 586/1991 में निगमित की गई थी जिसे तारीख 7 अगस्त, 1991 को 9.30 बजे अपराह्न पुलिस थाने पर अभिलिखित किया गया था । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को बारीकी से इत्तिलाकर्ता द्वारा साबित किया गया है जिस पर विचारण के दौरान प्रदर्श-बी.डी. से प्रदर्शित किया गया है । यह बात सामने आई है कि इत्तिलाकर्ता

अभिकथित घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं था और उसका छोटा भाई विरेन्द्र कुमार को उसके बारे में जानकारी थी जो नई बस्ती पर 8.45 बजे अपराह्न पहुंचा था जबकि इत्तिलाकर्ता अपने नातेदार के स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करने के लिए राज्य अस्पताल गया था । अभि. सा. विरेन्द्र कुमार जिसने न केवल अभियुक्त को हमलावर के रूप में नामनिर्दिष्ट किया है क्योंकि अभियुक्त द्वारा मृतक पर नुकीले धारदार आयुध से वेधित घाव किए थे बल्कि उसने एक व्यक्ति के रूप में अभि. सा. नरेन्द्र कुमार के नाम को भी प्रकट किया है जो आहत को अस्पताल ले गया था । दुर्भाग्यवश अभि. सा. विरेन्द्र कुमार को विचारण पर त्याग दिया गया था क्योंकि उसे अनावश्यक साक्षी महसूस किया गया और इस संदर्भ में उक्त साक्षी को प्रथम व्यक्ति माना गया जिसने हमलावर की पहचान प्रकट की, और क्षतियों के लिए कारित किए गए प्रयुक्त आयुध का वर्णन किया तथा जिन परिस्थितियों में मृतक को घातक क्षतियां पहुंची थीं । जबकि वह एक तात्विक साक्षी था जिससे दांडिक न्याय तंत्र पर पूरा प्रभाव पड़ा और अभियोजन पक्ष को भी नहीं छोड़ा । यदि ऐसा हो सकता है तो ऐसी रीतियां और परिस्थितियां जिसमें प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी और हमलावर की पहचान को प्रकट करना महत्वपूर्ण था । इत्तिलाकर्ता के परिसाक्ष्य से यह प्रकट हुआ है कि वह अभिकथित घटना की तारीख को दुकान पर भी मौजूद था और उसने 7.30 बजे अपराह्न दुकान छोड़ी थी क्योंकि उसे अपने दामाद की माता श्रीमती कमला के स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करने के लिए राज्य अस्पताल जाना पड़ा था जो उपचार के लिए राज्य अस्पताल में भर्ती थी । उसके परिसाक्ष्य से यह प्रकट हुआ है कि उसे अपनी पत्नी से देर रात्रि में 6 अगस्त को यह पता चला कि श्रीमती कमला गहन देखभाल कक्ष में भर्ती है और जिस बात को मृतक द्वारा उस समय उसे बताया गया था । उसके परिसाक्ष्य में यह भी प्रकट हुआ है कि उसका बड़ा पुत्र रमन कुमार तारीख 7 अगस्त, 1991 को अस्पताल में कमला देवी के पास गया था और इत्तिलाकर्ता ने यह दावा किया है कि उसने 7 अगस्त की प्रातः अपनी पत्नी को यह बताया था कि वह शाम को कमला देवी को देखने के लिए अस्पताल जाएगा । उसकी पत्नी ने अस्पताल में रोगी से मिलने जाने के लिए अपने आशय को व्यक्त किया था । इत्तिलाकर्ता ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि जब वह 7.30 बजे अपराह्न दुकान से चला तब दुकान खुली हुई थी और उसने मृतक को दुकान बंद करने के लिए अनुदेश दिया था । इत्तिलाकर्ता ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अपने कथन से विरोध प्रकट किया है जो इस प्रभाव का है कि मृतक ने

8.00 बजे अपराह्न अपनी दुकान बंद कर ली थी और शास्त्री नगर पर अवस्थित अपने मकान की ओर चला था जबकि यह साक्षी अपने नातेदार के स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करने के लिए अस्पताल की ओर चला था । उसने उस सीमा तक अपने कथन का समर्थन नहीं किया है कि उसने और मृतक ने अपने कारोबार प्रतिष्ठान को बंद करने के पश्चात् उसी समय दुकान से चले थे । विचारण न्यायालय के समक्ष इत्तिलाकर्ता का परिसाक्ष्य और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अनुबंध के बीच विचलन के बारे में इत्तिलाकर्ता के परिसाक्ष्य को त्यक्त करने के लिए कोई न्यायोचित महत्वपूर्ण विभेद प्रकट नहीं हो सका है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अनुबद्ध से यह आशय प्रकट है कि मृतक दुकान बंद करने के पश्चात् घर की ओर चला था जब इत्तिलाकर्ता अपने किसी नातेदार के स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करने के लिए अस्पताल के लिए चला था । जिन बातों का स्पष्टीकरण दिया जा सका है क्योंकि यह उपधारणा का आधार रहा है कि मृतक अपने घर की ओर चला होगा जबकि इत्तिलाकर्ता ने उसे व्यापार प्रतिष्ठान बंद करने के लिए अनुदेश दिए और वह अस्पताल की ओर चला था । ऐसा उसने घर जाने के लिए किया था । इस विचलन को अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता और जिससे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में प्रकट उसके वृत्तांत की विश्वसनीयता प्रभावित नहीं होती । इत्तिलाकर्ता की ओर से यह दावा करने का कोई प्रयास नहीं किया गया कि उसे अभिकथित घटना की वैयक्तिक रूप से जानकारी थी । उसने स्पष्ट रूप से यह बात भी बताई है कि उसे अपने छोटे भाई विरेन्द्र कुमार से नई बस्ती पर मृतक को वेधित घाव पहुंचाने की घटना के बारे में पता चला क्योंकि वह 8.45 बजे अपराह्न वहां पर पहुंचा था और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट 9.30 बजे अपराह्न इत्तिलाकर्ता द्वारा दी गई मौखिक सूचना रजिस्ट्रीकृत की गई थी । इत्तिलाकर्ता ने यह भी बताया है कि नरेन्द्र कुमार यान में वेधित क्षतियों से घायल मृतक को राज्य अस्पताल ले गया था । जब इत्तिलाकर्ता विरेन्द्र कुमार के साथ वहां पहुंचा तब मृतक की मृत्यु के दुखदायी समाचार उसके चेहरे पर था । इन तथ्यों को दर्ज की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट निगमित किया गया है जो घटना के एक घंटे के पश्चात् दर्ज की गई, जिसमें किसी प्रकार के छलसाधन की गुंजाइश नहीं है । इसके अतिरिक्त, कोई भी पिता अपने पुत्र की हत्या के वास्तविक कर्ता को नहीं छोड़ेगा और किसी निर्दोष व्यक्ति को नहीं फंसाएगा । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के महत्व और इसके साक्ष्यात्मक मूल्य पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए नज़ीरों की शृंखला पर विचार किया गया । नवीनतम सुनाया गया निर्णय जो जय

प्रकाश बनाम बिहार राज्य और एक अन्य वाले मामले में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट शीघ्रता से दर्ज करने के महत्व को दोहराया गया है जिसका परिशीलन करने पर इस प्रकार है । "...12 आपराधिक मामले में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट साक्ष्य का एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान टुकड़ा है यद्यपि साक्ष्य का सारभूत् टुकड़ा नहीं हो सकता । किसी अपराध के किए जाने के बारे में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को शीघ्रताशीघ्र दर्ज करने के उद्देश्य से परिस्थितियों के संबंध में प्रारंभिक सूचना प्राप्त करना जिसमें अपराध किया गया हो, वास्तविक अपराधियों के नाम और उनके द्वारा निभाई गई भूमिका तथा घटना के स्थान पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के नाम का उल्लेख होना चाहिए यदि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में विलंब हुआ है तो इससे उसकी सहजता का फायदा विलुप्त हो जाता है; और अलग-अलग वृत्तांतों का खतरा उत्पन्न हो जाता है और षड्यंत्रपूर्ण कहानी को गढ़ने का खतरा भी उत्पन्न होता है तथा कई लोगों से परामर्श का परिणाम भी प्रकट होता है । निःसंदेह प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में तत्परता से इत्तिलाकर्ता के वृत्तांत की सच्चाई का आश्वासन मिलता है । तत्परता से दर्ज की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से सर्वप्रथम घटना के वास्तविक घटना की बात परिलक्षित होती है और जो लोग प्रश्नगत अपराध किए जाने के उत्तरदायी प्रकट होते हैं ....." जैसाकि इसमें ऊपर उल्लेख किया गया है वर्तमान मामले में घटना के एक घंटे के अंतर्गत प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट इत्तिलाकर्ता द्वारा दिए गए मौखिक सूचना पर आधारित है तथा परिस्थितियों के ब्यौरे जिसमें अपराध किया गया था तथा क्षतियों की प्रकृति के साथ हमलावरों के नाम अनुबद्ध किए गए हैं तथा धारदार आयुध जिससे आहत पर क्षतियां कारित की गईं तथा उस साक्षी का नाम भी प्रकट किया गया है जो यान में गंभीर रूप से घायल हुए आहत को अस्पताल ले गया था । वर्तमान मामले में तत्परता से दर्ज की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से अलग-अलग वृत्तांत की संभावना प्रकट नहीं हुई है और कोई षड्यंत्रपूर्ण कहानी या प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में कारित किया गया कोई विलंब भी प्रकट नहीं हो सका है और इत्तिलाकर्ता को अन्य व्यक्तियों के साथ परामर्श किए जाने के लिए भी समय मिल सकता था । मृतक के पिता द्वारा तत्परता से दर्ज की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से इत्तिलाकर्ता के वृत्तांत को विश्वास मिलता है और यह सच्चाई से पूर्ण है जिसका प्रारंभिक वृत्तांत यह है कि घटना कैसे घटी और किसके हाथों से मृतक को घातक क्षतियां पहुंची थीं । इत्तिलाकर्ता के परिसाक्ष्य से यह प्रकट हुआ है कि इत्तिलाकर्ता मृतक द्वारा दुकान बंद किए जाने के पूर्व

अपने व्यापार प्रतिष्ठान से चला गया था और उसे नई बस्ती पर वेधित घाव पहुंचाने की घटना के बारे में पता चला जबकि वह अपने स्कूटर से अस्पताल से वापस आ रहा था तब उसने अपने भाई विरेन्द्र कुमार को देखा जो नई बस्ती की ओर से आ रहा था । वह तत्काल घटनास्थल की ओर गया और वहां पर कुछ लोग इकट्ठा हो गए थे । बंशी लाल दुकानदार ने उसे यह बताया कि आहत को अस्पताल ले गए थे । उसने उस स्थान का भी उल्लेख किया है जहां आहत को वेधित घाव पहुंचाए गए थे । उसके भाई विरेन्द्र कुमार ने उसे यह भी बताया था कि आहत को उस स्थान से 50/60 गज की दूरी पर वेधित घाव पहुंचाए गए थे जहां पर वह खड़ा था । बंशी लाल दुकानदार को छोड़कर किसी भी व्यक्ति ने भी घटनास्थल पर घटना के बारे में उसे नहीं बताया था । वह तत्काल अस्पताल गया और उसे नरेन्द्र कुमार, विरेन्द्र और बंशी लाल से घटना के बारे में पता चला । तत्पश्चात् वह पुलिस थाना, गांधी नगर गया । उसके साथ पुलिस थाने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं चला था । उसने यह दावा किया है कि उसने पुलिस के समक्ष साक्षियों के रूप में नरेन्द्र कुमार और राजेन्द्र सिंह का नामनिर्दिष्ट किया है । इत्तिलाकर्ता ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में कथन का समर्थन किया है जो इस प्रभाव का है कि कुछ और व्यक्तियों ने घटना को देखा था जिसमें कुछ महिलाएं भी सम्मिलित थीं । राजन सिंह उसका पड़ोसी था और तब वह नई बस्ती में रहता था । वह मृतक का मित्र था जिससे व्यापार चलाने के बारे में संबंध थे । इत्तिलाकर्ता ने यह स्पष्टीकरण दिया है कि उसे कैसे मृतक के शास्त्री नगर जाने के तथ्य के बारे में पता चला और इस बारे में उसे विरेन्द्र कुमार से पता चला था जब वे अस्पताल में थे । उसे नरेन्द्र कुमार से यह पता चला था कि अभियुक्त ने मृतक पर किर्च से वेधित घाव पहुंचाए थे । तथापि, आयुध का वर्णन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किया गया है । यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि अभियुक्त को मिथ्या फंसाए जाने के लिए कोई दुश्मनी या हेतु नहीं था जिस बात को इत्तिलाकर्ता द्वारा माना गया है, इत्तिलाकर्ता से यह आशा नहीं की जाती है कि वह वास्तविक अपराधी को छोड़कर किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाता । इत्तिलाकर्ता मृतक का पिता है और नातेदार होते हुए वह हितबद्ध भी है कि वास्तविक अपराधी को सामने लाए और अपने पुत्र के हत्यारे को स्वतंत्र रूप से नहीं छोड़ेगा । इस कारण से उसके परिसाक्ष्य को दूषित होना नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त के अभियोजन चलाने में वह हितबद्ध रहा है । मृतक से उसकी नातेदारी की स्वाभाविक प्रकृति को देखते हुए उसके वृत्तांत को मृतक का नातेदार और हितबद्ध साक्षी होने

के आधार पर त्यक्त नहीं किया जा सकता । अभि. सा. नरेन्द्र कुमार के विचारण पर परीक्षा की गई और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से ऐसे व्यक्ति के रूप में अभि. सा. नरेन्द्र कुमार का उल्लेख है जिसने आहत को घायल अवस्था में उठाया था और यान में अस्पताल ले गया था । विद्वान् प्रतिरक्षा काउंसेल ने उसके परिसाक्ष्य को पुरजोर आक्षेपित किया है क्योंकि वह इस आधार पर दूषित है कि वह इत्तिलाकर्ता और मृतक का निकटतम नातेदार होने के कारण हितबद्ध साक्षी है । यह सही है कि अभि. सा. नरेन्द्र कुमार इत्तिलाकर्ता का सगा भाई है । वह शास्त्री नगर में रहता है । अभि. सा. नरेन्द्र कुमार के अभिसाक्ष्य से यह प्रकट हुआ है कि वह दवाइयों की दुकान में उपचार के लिए अपनी बीमार बच्ची को ले जा रहा था और जैसे ही वह बलजीत सिंह की दुकान के नजदीक पहुंचा तब उसकी जानकारी में यह आया कि अभियुक्त ने किर्च से मृतक पर हमला किया है । उसके अनुसार मृतक के उदर में वेधित घाव पहुंचाया गया और उसके घुटने के बल झुकने पर अभियुक्त ने उसकी पीठ में वेधित घाव पहुंचाया क्योंकि इस साक्षी ने यह देखा कि अभियुक्त भागने में सफल रहा, उसने अभियुक्त का तेजी से पीछा भी किया । तथापि, उसका प्रयास व्यर्थ रहा क्योंकि उसने बीमार बच्ची को पकड़ रखा था । उसने बच्ची को अभि. सा. राजन सिंह को सौंप दिया जो घटनास्थल पर मौजूद था और उससे उसे घर छोड़ने के लिए कहा । अभि. सा. बलजीत सिंह ने यान की व्यवस्था की और यह साक्षी बलजीत सिंह के साथ आहत को अस्पताल पर ले गया जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया । इस साक्षी ने पहले अभियुक्त आहत को लड़ते-झगड़ते हुए देखा था । उसने देखा कि अभियुक्त ने आहत के चेहरे पर थप्पड़ मारा और उसने उसका प्रतिकार नहीं किया । यद्यपि, इस साक्षी ने यह सोचा कि चूंकि वे दोनों दोस्त हैं, इसलिए, वे मजाक कर रहे होंगे । दो दोस्त होने के इस तथ्य को कि इस साक्षी को प्रतिपरीक्षा में आक्षेपित नहीं किया गया है जो घटना के स्थान से लगभग 30 फीट की दूरी पर खड़ा था जहां मृतक पर हमला किया गया । इस साक्षी ने राजन सिंह, बलजीत सिंह और बंशी लाल को नामनिर्दिष्ट किया है जो अन्य लोगों के अतिरिक्त घटनास्थल पर पहुंचे थे । इस साक्षी ने स्पष्ट शब्दों में यह कथन किया है कि अभियुक्त ने मृतक के घुटने के बल झुकने के पूर्व उसके उदर में दो-तीन बार हमला किया था और तब उसने पुनः उसकी पीठ में भी वेधित घाव किया । यह साक्षी इस बात पर कायम है कि इत्तिलाकर्ता उस समय अस्पताल पर पहुंचा था जब डाक्टरों द्वारा मृतक को मृत घोषित कर दिया गया । यह उल्लेख करना भी

महत्वपूर्ण है कि इस साक्षी का नाम प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अंकित है यद्यपि उसकी भूमिका अस्पताल में आहत को ले जाने तक ही सीमित है । इत्तिलाकर्ता के परिसाक्ष्य का मूल्यांकन करने पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि इत्तिलाकर्ता को अभियुक्त के हाथों मृतक को वेधित घाव पहुंचाने की घटना के बारे में वैयक्तिक रूप से कोई जानकारी नहीं थी और इसे इस बात का नई बस्ती पर पता चला जब वह अस्पताल से वापस लौट रहा था जब अभि. सा. नरेन्द्र कुमार उससे आकर मिला । विरेन्द्र कुमार के बारे में यह माना गया है कि उसने इत्तिलाकर्ता को यह सूचना दी कि अभि.सा. नरेन्द्र कुमार द्वारा आहत को क्षतिग्रस्त हालत में अस्पताल ले जाया गया था । घटनास्थल पर उसकी मौजूदगी के संबंध में उसने यह स्पष्टीकरण दिया है कि वह अपनी बच्ची के इलाज के लिए दवाइयों की दुकान की ओर जा रहा था जिसे उसने उस वक्त अपनी गोद में पकड़ रखा था । इस साक्षी की विस्तृत रूप से प्रतिपरीक्षा की गई परंतु घटना के स्थान के नजदीक साक्षी की मौजूदगी के बारे में स्पष्टीकरण अविश्वसनीय नहीं है । संभवतः उसके वृत्तांत में जो कुछ है यह है कि बलजीत सिंह की दुकान घटनास्थल पर दुकान सं. 8 के रूप में दिखाई गई है जैसे प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 14 से चिह्नित किया गया है और यह दुकान घटनास्थल के नजदीक अवस्थित है । उसकी उपस्थिति के तथ्य के बारे में राजन सिंह अभि. सा. के परिसाक्ष्य से भी पुष्टि हुई है । यह तथ्य कि यह साक्षी मृतक का चाचा है और वह शास्त्री नगर में रहता है जो स्थान घटना के स्थान के नजदीक है और उसकी जानकारी में यह आया कि अभियुक्त और मृतक बलजीत सिंह की दुकान के नजदीक लड़ाई-झगड़ा कर रहे थे और जो वर्मा मेडिकल दुकान से दूर नहीं है जहां वह अपनी बच्ची के उपचार के लिए जा रहा था और यह तथ्य कि उसने अभियुक्त को पकड़ने की कोशिश की परंतु उसका ऐसा करना व्यर्थ रहा क्योंकि उसने नवजात बच्ची को पकड़ रखा था ये ऐसे कारक हैं जो संभवतः घटनास्थल पर उसकी मौजूदगी को प्रकट करते हैं । इस साक्षी ने बच्ची को राजन सिंह को सौंप दिया जो वहां पर मौजूद पाया गया था क्योंकि अभियुक्त का पीछा करके वहां पर लौटा था । वह बलजीत सिंह की सहायता से आहत को अस्पताल ले गया था और अस्पताल पहुंचने पर डाक्टरों ने आहत को मृत घोषित कर दिया । ये तथ्य उसके परिसाक्ष्य से प्रकट होते हैं और इत्तिलाकर्ता, राजन सिंह के तात्विक विशिष्टियों तथा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सहित अभिलेख पर अन्य साक्ष्य से सम्पुष्टि हुई है । इन परिस्थितियों में जैसाकि इसमें ऊपर प्रकट है कि इस साक्षी के लिए यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह उस सुसंगत समय पर

घटना के स्थान पर पहुंचता । यह साक्षी प्रतिपरीक्षा की कसौटी में खरा उतरा है और उसकी विश्वसनीयता पर कम से कम विचलन नहीं हुआ है और इस साक्षी की घटनास्थल पर मौजूदगी के बारे में असंभाव्यता को पूर्णतः बाहर किया जाता है और इस बारे में दी गई दलील को अस्वीकार किया जाता है । अभि. सा. राजन का विचारण पर एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में परीक्षा की गई है । उसने घटना के स्थान और समय के बारे में अभि. सा. नरेन्द्र कुमार के परिसाक्ष्य की सम्पुष्टि की है तथा हमलावर और आहत की पहचान की है । उसने अभि. सा. नरेन्द्र कुमार से प्रकट वृत्तांत की इस बारे में सम्पुष्टि की है जो हमले की रीति, अभियुक्त का पीछा किए जाने और नरेन्द्र कुमार द्वारा बच्ची को उसे सौंपे जाने के बारे में है जिसने बच्ची को उसके घर पर छोड़ दिया था । उसने बलजीत सिंह की सहायता से अस्पताल पर आहत को ले जाने के बारे में नरेन्द्र कुमार के परिसाक्ष्य की भी पुष्टि की है । वह साक्षी 8.30 बजे अपराह्न अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान को बंद करने के पश्चात् मंदिर के रास्ते पर था । वह शाम को मंदिर जाया करता था क्योंकि वह मंदिर के प्रबंध समिति का सदस्य था । उसने अभियुक्त को मृतक पर हमला करते हुए देखा था और उस समय वह लगभग 50 फीट की दूरी पर था । उसने उस रीति का भी वर्णन किया है जिसमें मृतक पर हमला किया गया था, उसने यह दावा किया है कि हमलावर ने मृतक के घुटने के बल झुकने से पूर्व उसके उदर में दो बार वेधित घाव पहुंचाए थे और इसके पश्चात् अवसर पाकर अभियुक्त ने उसकी पीठ पर वेधित घाव पहुंचाए । इस साक्षी ने यह देखा कि अभि. सा. नरेन्द्र कुमार ने थोड़ी दूरी तक अभियुक्त का पीछा किया क्योंकि उसने बच्ची को गोद में ले रखा था जिसे उसने उसे घर छोड़ने के लिए इस साक्षी को सौंप दिया था । यह साक्षी "पक्षपाती साक्षी" है और उसके परिसाक्ष्य को अभियुक्त द्वारा प्रारंभिक रूप में इस आधार पर चुनौती दी गई कि उसके राजनैतिक दल से संबंध हैं जिसका इत्तिलाकर्ता सक्रिय सदस्य था । उसका परिसाक्ष्य को इस आधार पर आक्षेपित किया गया कि घटनास्थल पर उसकी मौजूदगी अत्यधिक असंभाव्य प्रतीत होती है । इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखता है जबकि इत्तिलाकर्ता उस राजनैतिक पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता था । साक्ष्य में यह प्रकट हुआ है कि मृतक और अभियुक्त आपस में दोस्त थे इस तथ्य पर अभियुक्त द्वारा विवाद नहीं किया गया है । स्वीकृततः, अभियुक्त और मृतक के कुटुंब के बीच कोई राजनैतिक प्रतिद्वंद्विता नहीं थी । इन बातों को ध्यान में रखते हुए अभि. सा. राजन सिंह और इत्तिलाकर्ता

एक ही राजनैतिक दल से संबंधित थे इससे अभि. सा. राजन सिंह के परिसाक्ष्य को अस्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है । अभि. सा. राजन सिंह नई बस्ती पर रहता था जो शास्त्री नगर के समीप है । मृतक और अभियुक्त उसे जानते थे । इत्तिलाकर्ता के साथ उसके राजनैतिक संबंध को छोड़कर अभिलेख पर यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं लाया गया है कि वे अभियुक्त के विरोधी थे और उनका अभियुक्त को मामले में मिथ्या फंसाने का कोई हेतु था । इस साक्षी का निवास स्थान तथा दुकान घटनास्थल से समदूरस्थ पर थे और यह तथ्य कि यह साक्षी अपने द्वारा बताई गई सड़क पर चलकर ही मंदिर पर पहुंच सकता था, इस बात पर कोई विवाद नहीं किया गया । इस प्रकार, घटनास्थल पर उसकी मौजूदगी अप्रायिक नहीं हो सकती । यदि इसे अतात्विक माना जाए कि क्या वह अपनी दुकान से या अपने निवास स्थान मंदिर की ओर चला था यह दलील दी गई कि उसके परिसाक्ष्य में बड़े विभेद प्रकट हैं, को खारिज किया जाता है । इसमें ऊपर उल्लिखित प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के परिसाक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने पर बिना किसी विभेद के यह कहा जा सकता है कि दो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी कि उस सुसंगत समय पर घटनास्थल पर उनकी मौजूदगी के बारे में दिए गए स्पष्टीकरण स्वीकार्य योग्य है और उनके साक्ष्य, उनके द्वारा दिए गए वृत्तांत में कुछ भी अविश्वसीय या असंभाव्य नहीं है । वे घटना के स्थान के नजदीक रहते थे और उन पर घटना के स्थान उनकी मौजूदगी के लिए दिए गए स्पष्टीकरण पर विश्वास प्रकट होता है । तद्नुसार, उनका परिसाक्ष्य विश्वसनीय पाया गया है । अभियुक्त का माना गया प्रकटीकरण कथन जिसमें अभियुक्त के कहने पर अपराध के आयुध के रूप में किर्च की बरामदगी हुई थी । (पैरा 14, 15, 16, 17,18, 19 और 20)

अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त को दंड के दायित्व से फंसाने के लिए दूसरे तरीके का अवलंब लिया गया, यह अभियुक्त द्वारा दिया गया प्रकटीकरण कथन है जिसके बारे में यह कहा गया है कि उसके कहने पर समाधि मोड़, बंतालाब के नजदीक झाड़ियों से रक्त-रंजित किर्च की बरामदगी हुई थी । अभि. सा. विजय कुमार और शेष पाल प्रकटीकरण ज्ञापन के साक्षी हैं जिसे प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-वीके/1 से चिह्नित किया गया है । दोनों साक्षियों ने यह दावा किया है कि उनका उत्सुकता से यह जानकारी प्राप्त करने के लिए पुलिस थाना, गांधी नगर की ओर ध्यान गया था कि इस मामले में अपराध का कर्ता कौन था । इस विषय पर उनके समक्ष अभियुक्त से पूछताछ की गई थी । उन्होंने यह दावा किया कि अभियुक्त ने

उस स्थान के बारे में सूचना दी थी जहां किर्च छुपा कर रखा गया था । ये साक्षी पुलिस दल के साथ किर्च की बरामदगी के स्थान पर गए थे । उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह साक्ष्य दिया है कि अभियुक्त उन्हें सड़क के नजदीक ढलान की ओर ले गया था और वह किर्च लाया था जिसे प्रदर्श पी-1 से चिह्नित किया गया है जिसे घटनास्थल पर अभिगृहीत किया गया और मोहरबंद किया गया और मोहर को इत्तिलाकर्ता के सुपुर्दनामे पर रखा गया जो घटनास्थल पर भी मौजूद था । इत्तिलाकर्ता और अभियुक्त के साथ पुलिस दल का यात्रा करने के बारे में विभेद प्रकट है और बरामदगी का स्थान अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल द्वारा बताया गया कि उस स्थान पर परिवहन द्वारा आ-जा सकता था । तथापि, अभिभूत साक्ष्य से इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि शिकायतकर्ता उस समय पुलिस थाने पर मौजूद था जब पुलिस दल अभियुक्त और साक्षियों के साथ किर्च के बरामदगी के स्थान की ओर चले थे । यह भी सिद्ध किया गया है कि इत्तिलाकर्ता रक्त-रंजित किर्च के बरामदगी के स्थान पर मौजूद था । इसलिए, यह बात इतनी अधिक महत्वपूर्ण नहीं है कि क्या इत्तिलाकर्ता ने पुलिस दल के साथ पुलिस जीप में सफर किया था या उसने अपने यान का प्रयोग करके घटनास्थल पर गया था । इन साक्षियों ने किर्च की बरामदगी के पश्चात् किर्च पर रक्त-रंजित किर्च की मोहर जिसे प्रदर्श पी-1 से चिह्नित किया गया है, को सिद्ध किया है और किर्च पर मोहर लगाने के लिए प्रयुक्त की गई मोहर इत्तिलाकर्ता के सुपुर्दनामे में रखी गई थी जिसे घटनास्थल पर संदेह के परे इत्तिलाकर्ता की मौजूदगी में सिद्ध किया गया है । अभियुक्त के न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के बारे में अन्वेषक अधिकारी का परिसाक्ष्य जो अभियुक्त के कहने पर उसका रक्त-रंजित किर्च की बरामदगी से संबंधित है उसका इत्तिलाकर्ता के परिसाक्ष्य के अतिरिक्त विजय कुमार और शेष पाल के साक्ष्य द्वारा भी व्यापक रूप से संपुष्टि हुई है । (पैरा 21)

डाक्टर ने अपनी राय में यह व्यक्त किया है कि मृतक की मृत्यु बाएं फेफड़े में क्षति के कारण रक्त-स्राव और आघात से हुई थी जो मृत्यु कारित करने के लिए प्रकृति के साधारण अनुक्रम में पर्याप्त थीं । इस साक्षी ने मृतक की पीठ पर दो क्षतियों का उल्लेख किया है जबकि यह सही है कि अभि. सा. नरेन्द्र कुमार और राजन सिंह ने मृतक की पीठ पर एक ही क्षति कारित होने की बात कही है, शवपरीक्षण परीक्षा से यह प्रकट होता है कि दो वेधित घाव हुए थे, एक पीठ के बाईं ओर और दूसरा पीठ के दाहिने

ओर । उन दोनों का एक ही आकार था । मौखिक परिसाक्ष्य और शव-परीक्षण के बीच विभेद से साक्षियों की स्थिति का निष्कर्ष निकाला जा सकता है और दूरी जहां से वे घटना को देख रहे थे । डाक्टर का अभिसाक्ष्य इस प्रभाव का है कि मृतक और हमलावर मृतक की पीठ पर कारित की गई क्षतियों के समय आमने-सामने हो सकते हैं और मृतक वेधित घाव पहुंचने के पश्चात् घुटने के बल झुका था । इस प्रकार, प्रत्यक्षदर्शी साक्षी इस बात के लिए समर्थ नहीं हो सकते कि कारित किए गए वेधित घाव की वास्तविक संख्या को देख सकते । जहां तक हमलावरों की संख्या के संबंध में अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल की दलील का संबंध है 'व्यक्ति शब्द' जो 'अभिकथित मामले के इतिवृत्त' में प्रयुक्त किया गया है जिसे शवपरीक्षण रिपोर्ट में अभिलिखित किया गया है, का अत्यधिक महत्व नहीं है । इसे असावधानी या मानव गलती माना जा सकता है । यह तथ्य कि एकमात्र हमलावर की पहचान का प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से निगमित किया गया है जिससे ऐसे निष्कर्ष को समर्थन मिलता है । एकमात्र कारण से डाक्टर ने 'व्यक्ति शब्द' को अनेक रूप में प्रयुक्त किया है इसका चाहे कोई भी कारण रहा हो इससे अभियोजन पक्षकथन को दूर करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है जब घटना के एक घंटे के अंतर्गत केवल हमलावर का नाम अभियुक्त के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया हो । उप-निरीक्षक मोहम्मद मुंशी भट जो गांधी नगर में तैनात था, उसे एसडीपीओ द्वारा भारसाधक अधिकारी की अनुपस्थिति में अन्वेषण की देख-रेख के लिए तैनात किया गया था, जो अभियुक्त को तलाश करने के लिए बाहर गया था । उप-निरीक्षक मुंशी भट ने साक्षी कठघरे में हाजिर होकर यह साक्ष्य दिया है कि उसने मृतक के शव का शवपरीक्षण करवाया था । उसने मृतक के रक्त के नमूनों से संबंधित अभिग्रहण ज्ञापन को साबित किया है, मृतक द्वारा पहने गए कपड़े और उन पर लगाई गई मोहर रमन गुप्ता के सुपुर्दनामे में रखी गई थीं । उसने फर्द सुर्थल (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट) को तैयार करने को भी साबित किया है जिस बात को 'अभिकथित मामले का इतिवृत्त' में निगमित नहीं किया गया । चूंकि उप-निरीक्षक मुंशी भट को बहुत ही सीमित अवधि के लिए अन्वेषण का जिम्मा सौंपा गया था जिसने मृतक के शव का शवपरीक्षण करवाया था इसलिए वह मामले के सभी तथ्यों से पूरी तरह परिचित नहीं हो सका था । इसके अतिरिक्त, स्रोत जिनसे हमलावरों के संबंध में सूचना डाक्टर द्वारा प्राप्त की गई थी, उसे शवपरीक्षण रिपोर्ट या डाक्टर के परिसाक्ष्य में प्रकट नहीं किया गया, उप-निरीक्षक मोहम्मद मुंशी भट के साथ की गई प्रतिपरीक्षा में उसे यह सुझाव

नहीं दिया गया कि इत्तिलाकर्ता और अभि. सा. नरेन्द्र कुमार और राजेन्द्र सिंह ने एक से अधिक हमलावर बताए थे । इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला गया कि मृतक की पीठ पर क्षतियां उस हमलावर द्वारा जो सामने खड़ा था, कारित की जा सकती हैं । ये साक्षी इस बात के लिए समर्थ नहीं होंगे कि उत्तरोतर मृतक को कारित की गई क्षतियों को देख सकें । इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि मौखिक साक्ष्य और चिकित्सा साक्ष्य के बीच कोई विभेद नहीं था । इस बारे में दी गई दलील का विचारण न्यायालय द्वारा उल्लेख किया गया है और बिना किसी विधिमान्य कारणों और सार के उसे खारिज किया गया । यह सुस्थिर है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के मौखिक साक्ष्य तथा चिकित्सा राय के बीच विरोधाभास होने की दशा में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के परिसाक्ष्य अभिभावी होंगे क्योंकि यह बात सचेत स्वतंत्र निर्धारण और उनकी विश्वसनीयता की परीक्षा के मूल्यांकन पर आधारित है । इस प्रकार, यह मत व्यक्त किया गया कि शवपरीक्षण रिपोर्ट के स्तंभ में 'अभिकथित मामले के इतिवृत्त' में हमलावरों की अनेकता के बारे में अवलोकन करने पर प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के संगत वृत्तांत पर अधिभावी नहीं होगा और उनका वृत्तांत विश्वसनीय पाया गया है । अभियुक्त के कहने पर तारीख 10 अगस्त, 1991 को बरामद किया गया किर्च जिसे प्रदर्श पी-1 से चिह्नित किया गया है, घटनास्थल पर मोहरबंद किया गया था । शेष पाल सहित साक्षियों के परिसाक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि किर्च का दोधारी ब्लेड रक्त-रंजित था । डा. एस. डी. ठाकुर की राय के अनुसार अभिगृहीत किर्च से शवपरीक्षण रिपोर्ट में वर्णित क्षतियां कारित की जा सकती हैं । इस प्रकार, साक्षी विजय कुमार और शेष पाल द्वारा दिए गए साक्ष्य से इस बात की सम्पुष्टि होती है । उप-निरीक्षक मोहम्मद मुंशी भट द्वारा मृतक के रक्त का नमूना मृतक के शवपरीक्षण के समय पर प्राप्त किया गया था । अन्वेषक अधिकारी ने रक्त-रंजित और सादी मिट्टी घटनास्थल से अभिगृहीत की थी । मृतक के रक्त-रंजित कपड़े भी अभिगृहीत किए गए थे और साक्षियों के समक्ष उन्हें मोहरबंद किया गया था । गुलाब नबी, तहसीलदार (कार्यपालक मजिस्ट्रेट) द्वारा उन्हें पुनः मोहरबंद किया गया था । डा. जे. एल. फोतेदार, सहायक निदेशक न्यायालयिक प्रयोगशाला, जम्मू को सरकार द्वारा रसायन परीक्षक के रूप में पदाभिहीत किया गया था और इसमें ऊपर उल्लिखित सामग्री की उसके द्वारा परीक्षा की गई थी । मृतक के पहने गए कपड़ों पर रक्त के धब्बों का रक्त समूह और मोहरबंद किर्च पर ए ग्रुप था । इस प्रकार, साक्ष्य में रिपोर्ट स्वीकार की गई थी जिससे यह सिद्ध हुआ है कि मृतक के पहने हुए कपड़ों पर पाया

गया रक्त तथा अपराध के आयुध पर एक ही रक्त ग्रुप था । इससे युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त की सदोषिता सिद्ध होती है । घटनास्थल के बारे में और उससे संबंधित मूल स्थल के ज्ञापन की प्रतियों को तैयार करने में हुए लोप के बारे में विभेद प्रकट होते हैं और इससे यह मूल्यांकन करके निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है । प्रत्यक्ष और पारिस्थितिक साक्ष्य का भी विश्लेषण करके निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है । मामले के तह पर विचार करने पर कोई महत्वपूर्ण विभेद प्रकट नहीं होते हैं जिससे कि अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंब लिए गए साक्षियों की विश्वसनीयता प्रभावित होती हो या उनकी सत्यता पर कोई प्रभाव परिलक्षित होता हो । जहां तक अपराध के अभिकथित हेतु का संबंध है इत्तिलाकर्ता ने यह दावा किया है कि अभिकथित घटना के दो दिन पूर्व मृतक द्वारा यह बताया गया था कि अभियुक्त ने उसे मारने की धमकी दी है क्योंकि उसने अभियुक्त के क्रियाकलापों पर आक्षेप किया था जो छेड़छाड़ से संबंधित था । इत्तिलाकर्ता इस बात को अभियुक्त के पिता के समक्ष रखना चाहता था परंतु इससे पूर्व मृतक की हत्या हो गई । यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त का पिता पुलिस अधिकारी था और इस प्रकार इत्तिलाकर्ता के पास अभियुक्त के पिता से सम्पर्क किए बिना पुलिस को समावेदन करना व्यर्थ था क्योंकि अभियुक्त की सह-अपराधिता के बारे में साक्ष्य स्पष्ट प्रकृति का है और इस मत की उपेक्षा करके कोई विचार व्यक्त नहीं किया जा सकता कि अभियुक्त अपराध का कर्ता है । इसका अत्यधिक महत्व नहीं है कि क्या अभियुक्त मृतक को मारने के लिए उसके विरुद्ध कोई बुरा हेतु रखता था या अभियुक्त ने घटना के स्थान पर मृतक को मारने के लिए हेतु रखा था । (पैरा 23, 24, 25, 26, 27 और 28)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2012]	ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 1676 : **जय प्रकाश** बनाम **बिहार राज्य और एक अन्य** ।	15

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 1994 की दांडिक अपील सं. 10, 1995 की दांडिक प्रकीर्ण आवेदन सं. 218 और 1999 का दांडिक प्रकीर्ण आवेदन सं. 24 (सी./डब्ल्यू.) तथा 1994 की पुष्टिकरण सं. 35.

विद्वान् सेशन न्यायाधीश, जम्मू द्वारा पारित किए गए निर्णय के विरुद्ध

अपील तथा राज्य द्वारा फाइल की गई पुष्टिकरण ।

अपीलार्थी की ओर से	श्री सुनील सेठी, ज्येष्ठ अधिवक्ता साथ में श्री वाहिद चौधरी, अधिवक्ता
अभियुक्त की ओर से	श्री गगन बसोतरा, ज्येष्ठ अपर महाधिवक्ता और श्री एल. के. शर्मा, अधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति बंशी लाल भट ने दिया ।

न्या. भट – यह अपील, विद्वान् सेशन न्यायाधीश, जम्मू द्वारा फाइल सं. 62/सेशन, राज्य बनाम अनिल सिंह वाले मामले में तारीख 23 जुलाई, 1994 को पारित किए गए निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है । मामले में अपीलार्थी (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'अभियुक्त' कहा गया है) विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा रणबीर दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अभियुक्त को दोषसिद्ध करके आजीवन कारावास तथा 1,000/- रुपए जुर्माना और प्रस्तावित जुर्माना का व्यतिक्रम करने पर तीन मास का साधारण कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया । विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के उपबंध के अधीन पुष्टिकरण निर्देश दिया गया था और जिसे इस अपील के साथ सुनवाई करने और उन पर विचार करने के लिए एकसाथ रखा गया है ।

2. इस अपील और पुष्टिकरण कार्यवाहियों के निपटारे किए जाने के लिए तथ्यों का संक्षेप में उल्लेख किया जाएगा ।

3. इत्तिलाकर्ता बनारसी दास ने 7 अगस्त, 1991 को पुलिस थाना, गांधी नगर में यह सूचना देते हुए रिपोर्ट की थी कि उसी दिन शाम को उसका पुत्र राजेश गुप्ता **उर्फ** बिट्टू अपना व्यापार प्रतिष्ठान बंद करने के पश्चात् से शास्त्री नगर में स्थित घर के लिए चला था । जबकि वह अपने किसी नातेदार के स्वास्थ्य की पूछताछ करने के लिए जा रहा था जो सदर अस्पताल, जम्मू में भर्ती था । जब वह लगभग 8.45 बजे अपराह्न नई बस्ती पर पहुंचा तो उसे उसका छोटा भाई रविन्द्र कुमार उसे मिला जिसने उसे बताया कि उसके पुत्र राजेश गुप्ता को अनिल सिंह **उर्फ** बबलू पुत्र संदल सिंह निवासी शास्त्री नगर द्वारा धारदार आयुध से हमला करके उसके शरीर पर गंभीर क्षतियां पहुंचाई हैं । उसने इत्तिलाकर्ता को यह भी बताया कि नरेन्द्र कुमार, अभि. सा. आहत को कार में अस्पताल ले गया था । वह तत्काल रविन्द्र कुमार के संग अस्पताल के लिए चला था । जब वे

अस्पताल पर पहुंचे उन्होंने देखा कि आहत की कायम हुई क्षतियों से मृत्यु हो गई । इस सूचना के बारे में पुलिस को बताया और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 586/199 अभिलिखित की गई और रणबीर दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए मामले का रजिस्ट्रीकरण किया गया । उप-निरीक्षक आर. के. चलोत्रा, थाना भारसाधक अधिकारी, पुलिस थाना, गांधी नगर द्वारा अन्वेषण प्रारंभ किया गया था । वह अपराध के घटनास्थल की ओर अग्रसर हुआ और घटनास्थल का नक्शा तैयार किया और घटनास्थल से रक्त-रंजित तथा सादी मिट्टी अभिगृहीत की और उन्हें मोहरबंद किया गया । वह अस्पताल गया और मृतक के शव को अभिगृहीत किया । अभिग्रहण ज्ञापन तैयार किया तथा शव का शवपरीक्षण करने के लिए व्यवस्था की गई । पुलिस ने मृतक के रक्त-रंजित कपड़े भी अभिगृहीत किए तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा रक्त का नमूना भी उपलब्ध कराया गया । उसने शव परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त की और अभिगृहीत की गई वस्तुओं को रासायनिक परीक्षा के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजे जाने के पूर्व पुनः मोहरबंद किया । उसने साक्षियों के कथन भी अभिलिखित किए ।

4. अन्वेषण से यह प्रकट हुआ है कि मृतक-राजेश गुप्ता को अभियुक्त से नुकसान पहुंचने की आशंका थी जो उसे उसके मकान के समीप गली में परेशान किया करता था और उसने मृतक को जान से मारने की धमकी दी थी, जब उसने अभियुक्त की ओर से किए गए अनुचित कार्य पर आपत्ति की तब यह पाया गया कि दुश्मनी के कारण अभियुक्त ने अवसर पाकर किर्च से मृतक को वेध दिया और कारित क्षतियां घातक सिद्ध की गईं । किर्च जिसे अपराध में प्रयोग किया गया था, अभियुक्त के बताने पर बरामद किया गया जिसने अन्वेषण के दौरान प्रकटीकरण कथन किया था । चिकित्सा राय प्राप्त करने के पश्चात् सक्षम न्यायालय के समक्ष न्यायिक निर्धारण करने के लिए आरोप पत्र फाइल किया गया ।

5. विचारण न्यायालय के अभिलेख से यह प्रकट हुआ है कि तारीख 12 अगस्त, 1992 के आदेश के निबंधनों में रणबीर दंड संहिता की धारा 302 तथा आयुध अधिनियम की धारा 4/27 के अधीन अपराधों के लिए आरोप अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध विरचित किए गए थे जिसने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया ।

6. अभियोजन पक्ष ने साक्षियों के रूप में बनारसी दास, नरेन्द्र कुमार गुप्ता, चमन लाल गुप्ता, विजय कुमार, राजन सिंह, शेष पाल, रमन कुमार,

गुलाब नबी, तहसीलदार, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मो. शफीक भट्ट, डा. एस. डी. ठाकुर, निरीक्षक-सेवा सिंह और रविन्द्र कुमार छलोत्रा की परीक्षा की । अभियुक्त-अपीलार्थी ने प्रतिरक्षा में कोई साक्षी पेश नहीं किया ।

7. अभियोजन साक्ष्य निम्न प्रकार पेश किया गया :–

"**अभियोजन साक्षी बनारसी दास गुप्ता** जो मृतक का पिता है - उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि घटना से दो दिन पूर्व अभियुक्त-अपीलार्थी ने मृतक को जान से मारने की धमकी दी थी जब उसने अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से परेशान किए जाने पर आपत्ति की । वह अपने नातेदार जो अस्पताल में भर्ती था, के स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करने के लिए सदर अस्पताल गया । अस्पताल जाने से पूर्व उसने मृतक को दुकान बंद करने और अपने निवास स्थान पर जाने के लिए अनुदेश दिया था । जब वह अस्पताल से लौट रहा था और वह 8.45 बजे अपराह्न नई बस्ती पर पहुंचा तो उसके छोटे भाई विरेन्द्र कुमार ने उसे यह सूचना दी कि उसके पुत्र राजेश गुप्ता को अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा किर्च से वेधित किया गया है । वह तत्काल घटनास्थल की ओर गया जहां उसने यह पाया कि आहत को रंजीत सिंह द्वारा नरेन्द्र कुमार के साथ कार से अस्पताल में ले जाया गया है । वह तत्काल अस्पताल गया जहां उसकी जानकारी में यह आया कि आहत की क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई । इसके पश्चात्, वह गांधी नगर, पुलिस थाना गया और अपने पुत्र की हत्या किए जाने के संबंध में अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की । इस साक्षी ने रिपोर्ट जिसे प्रदर्श पी. डब्ल्यू. बी. डी. की सत्यता को सिद्ध किया है । उप-निरीक्षक, आर. के. छलोत्रा घटनास्थल पर गया और घटनास्थल का नक्शा तैयार किया तथा रक्त-रंजित और सादी मिट्टी अभिगृहीत की । इस साक्षी ने अभिग्रहण ज्ञापन की अंतर्वस्तु जिनका प्रदर्श पी. डब्ल्यू. बी. डी./1 और प्रदर्श पी. डब्ल्यू. बी. डी./2 का समर्थन किया है । उसने इन वस्तुओं को मोहरबंद करने में प्रयुक्त की गई सील के बारे में सुपुर्दनामा का भी समर्थन किया है । इसे प्रदर्श पी. डब्ल्यू. बी. डी./3 के रूप में चिह्नित किया गया है तब वह अस्पताल गया जहां मृतक का शव प्रदर्श पी. डब्ल्यू. बी. डी./4 के माध्यम से अभिगृहीत किया गया । सुपुर्दनामा, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. बी. डी./5 पर एक अन्य मोहर लगाई गई थी । उसने प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसकी दुकान पंजबाखतार सड़क पर स्थित थी । यह घटना शास्त्री

नगर, नई बस्ती रोड पर घटी थी । बंशी लाल, बलजीत सिंह और एक दर्जी की दुकाने घटनास्थल से लगी हुई थीं । मृतक उसके साथ दुकान पर कार्य किया करता था । उसके दामाद ने मृतक को यह बताया था कि उसकी माता अस्पताल में भर्ती है । उसकी पत्नी से उसे इस बारे में पता चला जिसे मृतक द्वारा बताया गया था । वह दुकान बंद करने से लगभग 1 घंटा पूर्व दुकान से चला गया था । उसने इस आशय के साथ इस सुझाव को अस्वीकार किया कि उसने दुकान बंद होने के पश्चात् दुकान छोड़ी थी । उसकी पत्नी पहले ही अस्पताल में पहुंच गई थी जब वह वहां पहुंचा तो वह 1 घंटा वहां रुका । जब प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में इस बात पर विरोधाभास है तब उसने ऐसे कथन का समर्थन नहीं किया है जो इस प्रभाव का था कि वह और मृतक दुकान को बंद करने के पश्चात् वहां से चले थे । उसे घटना के बारे में तब पता चला जब वह नई बस्ती की गली से गुजर रहा था । उसके भाई ने घटना के बारे में उसे बताया था क्योंकि उसने यह देखकर कि उसका भाई नई बस्ती की ओर से आ रहा है, अपना स्कूटर रोक दिया था । वह सीधे ही घटनास्थल पर पहुंचा जहां उसने 3-4 लोगों को खड़ा पाया था । तब वह अस्पताल के लिए चला और बंशी लाल दुकानदार ने उसे घटनास्थल पर यह बताया कि मृतक को अस्पताल भेज दिया गया है । उसके भाई विरेन्द्र कुमार ने उसे बताया कि उसे यह पता चला था कि मृतक को वेधा गया है । विरेन्द्र कुमार घटनास्थल से 50-60 गज की दूरी पर उसे मिला था । उसने बंशी लाल के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से इस बारे में बातचीत नहीं की । यद्यपि, पुलिस थाना, गांधी नगर नजदीक पर स्थित था, वह अपने पुत्र के जीवन को बचाने के लिए शीघ्र अस्पताल चला गया । वह पुलिस थाने पर 9.30 बजे अपराह्न या लगभग उसी समय पहुंचा । उसे नरेन्द्र कुमार, विरेन्द्र कुमार और बंशी लाल से घटना के बारे में पता चला था । वह अकेले ही पुलिस थाना गया था और उसने नरेन्द्र कुमार और राजन सिंह का नाम निर्दिष्ट किया था जिन्होंने अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा उसके पुत्र को वेधित घाव पहुंचाने के बारे में सूचना दी थी । उसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किए गए कथन का भी समर्थन किया है जिसका यह अभिप्राय है कि अन्य व्यक्तियों ने घटना देखी थी । कुछ महिलाओं ने भी घटना देखी थी । राजन सिंह उसका पड़ोसी था जबकि वह नई बस्ती पर रहता था । राजन सिंह अभियुक्त-अपीलार्थी का मित्र था वे व्यापार संव्यवहार में

लगे हुए थे । विरेन्द्र कुमार ने उसे यह बताया था कि मृतक शास्त्री नगर की ओर गया था । अभियुक्त द्वारा मृतक को दी गई धमकी के बारे में सूचना प्राप्त करने के पश्चात् वह पुलिस थाने पर नहीं गया क्योंकि वह इस मामले को अभियुक्त के पिता के समक्ष उठाना चाहता था । पुलिस ने उसकी मौजूदगी में घटनास्थल का नक्शा तैयार किया था । विरेन्द्र कुमार और चमन लाल उस समय भी मौजूद थे । नरेन्द्र कुमार ने अस्पताल में उसे यह बतलाया था कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने किर्च से उसके पुत्र को वेध डाला था । तथापि, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में हमले में प्रयुक्त अपराध के आयुध के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है ।

अभि. सा. नरेन्द्र कुमार – ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 7 अगस्त, 1991 को 8.30 बजे अपराह्न वह अपनी बीमार पुत्री के लिए दवा लेने हेतु औषध विक्रेता की दुकान पर जा रहा था जैसे ही बलजीत सिंह की दुकान के सामने पहुंचा उसकी जानकारी में यह आया कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने किर्च से मृतका को वेधा है । अभियुक्त-अपीलार्थी ने किर्च से 3-4 बार मृतक को चोट पहुंचाई थी और मृतक अपने हाथों से किर्च को रोकते हुए बैठ गया था । तत्पश्चात् अभियुक्त ने उसकी पीठ पर किर्च घोंप दिया । मृतक जमीन पर गिर गया । उसी बीच में अभियुक्त-अपीलार्थी अपने किर्च को लेकर भाग गया । साक्षी ने यह दावा किया है कि उसने अभियुक्त-अपीलार्थी को पकड़ने की कोशिश की परंतु वह इस प्रयास में विफल हो गया क्योंकि उसने अपने हाथों में अपनी नवजात पुत्री को पकड़ रखा था । तब वह मृतक के पास पहुंचा जो गंभीर रूप से घायल हुआ था । उसने राजन सिंह को अपनी नवजात पुत्री सौंप दी और घटनास्थल पर उसने कहा कि उसे घर जाने के लिए कहा । उसी बीच में वहां पर एक मारुति कार पहुंची । यह साक्षी बलजीत सिंह के साथ मृतक को अस्पताल ले गया था जो क्षतिग्रस्त दशा में था जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया । 15 मिनट के भीतर इत्तिलाकर्ता भी वहां पहुंच गया था और उसने इत्तिलाकर्ता को घटना के बारे में बताया था । इत्तिलाकर्ता ने उससे कहा कि वह घटनास्थल पर जाए और वह स्वयं पुलिस थाना, गांधी नगर की ओर चल पड़ा । जब यह साक्षी घटनास्थल पर पहुंचा उसने गुरवचन सिंह, बंशी लाल, चमन लाल और पूरन चंद गुप्ता को घटनास्थल पर देखा था, वे उसे

नहीं जानते थे । 15 मिनट के अंतराल के पश्चात् इत्तिलाकर्ता पुलिस के साथ वहां पहुंचा । पुलिस कार्मिक ने घटनास्थल का नक्शा तैयार किया और रक्त-रंजित मिट्टी अभिगृहीत की तथा घटनास्थल पर उसे मोहरबंद किया । इत्तिलाकर्ता के सुपुर्दनामे पर, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. बी. डी./3 पर मोहर लगाई गई । इस साक्षी ने सुपुर्दनामे की अंतर्वस्तु का समर्थन किया है । साक्षी इत्तिलाकर्ता के साथ पुलिस यान पर चढ़ गया जिस पर वे अस्पताल गए जहां मृतक के शव को अभिगृहीत किया गया था । उसने अभिग्रहण ज्ञापन की अंतर्वस्तु जिसे प्रदर्श पी. डब्ल्यू. बी. डी./4 के रूप में चिह्नांकित किया है, का समर्थन किया है । मृतक का शव मुर्दाघर की ओर ले जाया गया था चूंकि अत्यधिक विलंब हो चुका था वह रमन कुमार और अशोक कुमार के साथ अपने घर की ओर चला गया । मृतक के शव का शवपरीक्षण किया गया था और मृतक द्वारा पहने गए कपड़ों को अभिगृहीत कर रमन कुमार के सुपुर्दनामे पर देकर मोहर लगाई गई थी । इस साक्षी ने सुपुर्दनामा का समर्थन किया है जिस पर अपने हस्ताक्षर भी किए हैं । प्रतिपरीक्षा पर इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वर्ष 1975 में वह मृतक के भाई की हत्या के आरोप का सामना कर रहा था । बंशी लाल, बलजीत सिंह और राजी नामक व्यक्ति की दुकान घटनास्थल पर खुली हुई थीं और यह घटना बलजीत सिंह की दुकान से लगभग 10 फीट की दूर पर घटी थी और उस समय ग्राहक दुकान पर मौजूद थे । इस साक्षी ने यह दावा किया है जब वह घटना के स्थान से 20 फीट की दूरी पर खड़ा था तब उसने प्रथम बार अभियुक्त-अपीलार्थी को देखा था और लोग उस समय आ-जा रहे थे । अभियुक्त-अपीलार्थी का उसने चेहरा देखा था जबकि मृतक की केवल पीठ देख सका । मृतक और अभियुक्त-अपीलार्थी उस समय आपस में लड़ाई-झगड़ा कर रहे थे और वे एक-दूसरे पर प्रहार भी कर रहे थे । अभियुक्त-अपीलार्थी ने मृतक के चेहरे पर थप्पड़ मारा था । इसके पूर्व क्या घटित हुआ इस बारे में उसे कुछ भी पता नहीं है क्योंकि वह घटनास्थल पर नहीं पहुंच पाया था ? उसने मृतक की पीठ की ओर से पहचान की है । मृतक ने अभियुक्त-अपीलार्थी से हमला किए जाने के बारे में पूछा । तथापि, इस साक्षी ने यह दावा किया कि उसने उनके बीच मध्यक्षेप नहीं किया । उसकी जानकारी में यह आया कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने किर्च निकाला और दो-तीन बार मृतक पर घोंप दिया । इस साक्षी ने यह दावा किया है कि उसे यह आशंका थी

कि यदि वह मध्यक्षेप करेगा तो नवजात शिशु जो उसकी गोद में थी उसे नुकसान पहुंचेगा, इसलिए, वह आगे नहीं बढ़ा क्योंकि उसे कोई व्यक्ति वहां पर नहीं मिला जो नवजात शिशु की देख-रेख कर सकता था । मृतक पेट पर क्षतियां पहुंचने की वजह से वह अपने हाथों के बल से अपने पैरों पर झुक कर बैठ गया । साक्षी द्वारा मध्यक्षेप किए जा सकने के पूर्व अभियुक्त-अपीलार्थी ने मृतक की पीठ पर बाईं ओर किर्च घोंप दिया । वह उस समय 20 फीट की दूरी पर खड़ा था । मृतक की केवल पीठ पर चोट पहुंचाई गई थी और तत्पश्चात् अभियुक्त-अपीलार्थी भाग खड़ा हुआ । उसने यह दावा किया कि उसने अभियुक्त-अपीलार्थी का 10-15 फीट की दूरी तक दौड़कर पीछा किया तथा वह अभियुक्त-अपीलार्थी को पकड़ने में विफल हुआ । चूंकि किसी भी दुकानदार ने घटना नहीं देखी थी, वे घटनास्थल पर नहीं पहुंचे । यह साक्षी अभियुक्त-अपीलार्थी का पीछा करना त्यागकर घटनास्थल पर वापस गया । मृतक का चेहरा नीचे की ओर जमीन पर पड़ा हुआ था । राजन सिंह, बलजीत सिंह, बंशी लाल और अन्य घटनास्थल पर खड़े हुए थे उन्होंने साक्षी से घटना के बारे में पूछताछ की और उसने उन्हें बताया कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने मृतक को वेधित घाव पहुंचाया था । सम्पूर्ण घटना 10 मिनट के भीतर घटी थी । इत्तिलाकर्ता उसके पहुंचने के पश्चात् 15 मिनट के भीतर अस्पताल पर पहुंचा था । उसने इत्तिलाकर्ता को घटना के बारे में बताया और उसे यह बताया कि उसने घटना देखी है । उसने पुलिस को यह नहीं बताया कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने मृतक को थप्पड़ मारा था । उसने पुलिस को यह नहीं बताया कि अन्य लोगों ने भी घटना देखी थी । गुरवचन सिंह और बंशी लाल ने उसे घटना के स्थान के बारे में बताया था और उसने उनसे यह कहा कि इस तथ्य के बारे में उसे पता है । पुलिस ने उस रीति के बारे में गुरवचन सिंह और बंशी लाल से पूछताछ नहीं की जिसमें घटना घटी थी । पुलिस ने उससे और अन्य लोगों से घटनास्थल के नक्शा तैयार करते समय कोई पूछताछ नहीं की । वह इत्तिलाकर्ता के साथ पुलिस यान पर चढ़ा जिस पर वे अस्पताल गए । वह दोबारा घटनास्थल पर नहीं गया । जब उसने राजन सिंह को नवजात शिशु को सौंपा तब उस समय मृतक को क्षतियां कायम हो गई थीं । राजन सिंह उसी समय वहां पर पहुंचा था । जब वह अभियुक्त-अपीलार्थी का पीछा करने के पश्चात् घटनास्थल पर पहुंचा तो उसने किर्च नहीं पाया जिस पर 6/7 इंच का ब्लेड लगा

हुआ था । उसकी मौजूदगी में मिट्टी के सिवाय कुछ भी अभिगृहीत नहीं किया गया था और जिसे घटनास्थल पर मोहरबंद किया गया था । उसका कथन अस्पताल में लगभग मध्यरात्रि में अभिलिखित किया गया था । इत्तिलाकर्ता उस समय उसके साथ था । उसके हस्ताक्षर कथन पर लिए गए थे । इत्तिलाकर्ता उसके साथ मध्यरात्रि तक था । कोई भी व्यक्ति उसके मकान से घटनास्थल पर नहीं पहुंचा जब वह वहां पर था । मृतक घटनास्थल से लगभग 600 गज की दूरी पर रहता था । वह नवजात शिशु के उपचार के लिए दवाई के भंडारगृह गया हुआ था । यह दवाइयों की दुकान बलजीत सिंह की दुकान से लगभग 60 गज की दूरी पर थी । उसने दुकानों के इलाके के बारे में पुलिस को बताया था । उसे कार का रजिस्ट्रेशन संख्या याद नहीं है जिसे मृतक के क्षतिग्रस्त शरीर को अस्पताल में ले जाने के लिए प्रयोग में लाया गया था । कार के स्वामी ने स्वयं कार चलाई थी । वह इस साक्षी को नहीं जानता था । मृतक जब उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था तो उसने कोई बातचीत नहीं की । केवल बलजीत सिंह ने कार पर मृतक को बैठाने में उसकी मदद की । इस साक्षी ने यह दावा किया कि उसने यान पर आहत को बैठाने में भी मदद की थी । उस समय मृतक के शरीर पर कायम हुई क्षतियों से तथा पीठ से रक्त बह रहा था । मृतक के घावों को बंद करने का कोई प्रयास नहीं किया गया । मृतक को अस्पताल ले जाया गया था क्योंकि क्षतियां गंभीर प्रकृति की थीं । बलजीत सिंह भी उसके साथ अस्पताल चला था । उसने यह दावा किया है कि उसके हाथ तथा पहने हुए कपड़े रक्त से भीगे हुए थे । उसने अस्पताल में अपने हाथों को धोया । तथापि, उसने पुलिस के समक्ष रक्त-रंजित पैंट पेश नहीं की । कार मृतक के पीठ पर घाव होने के दो मिनट के अंतर्गत घटनास्थल पर पहुंची थी । उसने कार को रोका था । इस साक्षी ने इस सुझाव का दो-टूक जवाब दिया कि वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था और उसके कपड़े रक्त-रंजित नहीं थे और उसने अस्पताल के झरने पर अपने हाथ धोए । उसे उस समय यह पता नहीं था कि मृतक की मृत्यु हो चुकी है क्योंकि मृतक को आपातकालीन वार्ड में ले जाया गया था और वह अपने हाथ धोने के लिए बाहर आ गया था । बलजीत सिंह ने उस समय मृतक की देख-रेख की थी । डाक्टर ने अपने रजिस्टर में बलजीत सिंह के हस्ताक्षर करवाए थे । जब वह अपने हाथ धोने के पश्चात् आपातकालीन वार्ड में वापस पहुंचा तब

वह डाक्टर के पास इसलिए गया कि मृतक के हालात के बारे में पूछताछ कर सके । उसी बीच में एक दूसरा डाक्टर वहां पर पहुंचा और उसने मृतक को 'मृत लाया गया' घोषित किया । मृतक के शव को लगभग 12.30 बजे मुर्दाघर ले जाया गया । मृतक की आंखें कमजोर थीं और वह कभी-कभी चश्मा पहना करता था तथापि, उसने घटना के समय पर चश्मा नहीं पहना हुआ था ।

अभि. सा. चमन लाल – ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि 7 अगस्त, 1991 को लगभग 9.45 बजे अपराह्न वह नई बस्ती बाजार पर खड़ा था । उसने अभियुक्त-अपीलार्थी के हाथों मृतक की हत्या किए जाने के बारे में बातचीत करते हुए शास्त्री नगर से कुछ व्यक्तियों को आते हुए देखा था । वह घटनास्थल पर गया जहां पर कुछ व्यक्ति खड़े थे और घटना के बारे में बातचीत कर रहे थे । वहां पर पुलिस 10 मिनट के अंतर्गत पहुंच गई थी और उसने घटनास्थल का नक्शा तैयार किया तथा सादी और रक्त-रंजित मिट्टी अभिगृहीत की और उसे मोहरबंद किया । इस साक्षी ने अभिग्रहण ज्ञापन जिन्हें प्रदर्श पी. डब्ल्यू. बी. डी./1, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. बी. डी./2 जिस पर उसके हस्ताक्षर थे का समर्थन किया है । उसने अभियुक्त-अपीलार्थी की पहचान की जो उसे जानता था । उसने प्रतिपरीक्षा पर यह कथन किया है कि अभि. सा. नरेन्द्र कुमार 15 वर्षों से उसका मित्र है । उसने यह स्वीकार किया कि वह अभि. सा. नरेन्द्र कुमार के साथ हत्या के आरोप के विचारण का सामना कर रहा है और उन दोनों ने उसी कारागार में 4 साल बिताए हैं । उसकी बहुत पहले नरेन्द्र कुमार से दोस्ती टूट चुकी है । वह घटना के बारे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को नहीं जानता है और उसने 5 फीट की दूरी से उन्हें बातचीत करते हुए सुना । उसने घटना के बारे में उनसे कोई पूछताछ नहीं की थी । घटना के स्थान के नजदीक अवस्थित दुकानें बंद हो चुकी थीं । वह 9.35 बजे अपराह्न घर की ओर चला था । वह गली में धीरे-धीरे चल रहा था । वहां उस समय लोग आ-जा रहे थे । उसके मोहल्ले के किसी भी व्यक्ति ने हत्या की घटना के बारे में कोई सूचना नहीं दी थी । उसने प्रतिपरीक्षा में यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो उसने सरदार गुरचरण सिंह, बंशी लाल और पूरन गुप्ता को गई लोगों के बीच खड़ा हुआ देखा था । उसने पूरन गुप्ता से घटना के बारे में पूछताछ की । उस समय

घटनास्थल पर मृतक के घर से कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था । बंशी लाल घटनास्थल के नजदीक अपनी दुकान चला रहा था । इन व्यक्तियों ने उसे बताया कि उन्होंने अभियुक्त-अपीलार्थी के हाथों मृतक की हत्या किए जाने के बारे में सुना है । उसी बीच में पुलिस वहां पर पहुंची और इत्तिलाकर्ता भी पुलिस के साथ चला था । अभि. सा. नरेन्द्र कुमार थोड़ी देर पश्चात् वहां पर पहुंचा था । उसने बताया कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने मृतक की हत्या की है और घटनास्थल पर मृतक के घर से कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंचा था । इस साक्षी ने यह दावा किया है कि वह 9.30 बजे अपने घर की ओर चला गया था और उस समय उसके मोहल्ले के किसी भी व्यक्ति ने उसे हत्या की घटना के बारे में नहीं बताया था । उसका कथन उस समय या उसके पश्चात् नहीं लिखा गया था । उसके हस्ताक्षर किसी कागज पर लिए गए थे । उसने वस्तुओं को मोहरबंद करते हुए नहीं देखा ।

अभि. सा. बलजीत सिंह – विद्वान् लोक अभियोजक ने तारीख 27 नवंबर, 1993 को अभिलिखित किए गए उसके कथन के निबंधनों में इस आधार पर उसको छोड़ दिया गया क्योंकि साक्षी को अपने पक्ष में कर लिया गया था ।

अभि. सा. विरेन्द्र कुमार – को विद्वान् लोक अभियोजक ने अनावश्यक होने के कारण त्याग दिया गया ।

अभि. सा. विजय कुमार – ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने तारीख 10 अगस्त, 1991 को 9.30 बजे अपराह्न नई बस्ती बाजार से शोरगुल की आवाज सुनी । लोग आपस में बातचीत कर रहे थे और बनारसी दास के पुत्र की हत्या से आशंकित हुए थे । इस साक्षी ने यह दावा किया है कि वह शेष पाल के संग पुलिस थाना, गांधी नगर गया था । उन्होंने निरीक्षक छलोत्रा के कमरे में अभियुक्त को देखा जो इस साक्षी को नहीं जानता था । निरीक्षक ने घटना के बारे में अभियुक्त से पूछताछ की थी । अभियुक्त ने पुलिस को यह बताया कि रक्त-रंजित किर्च को उसने बंतालाब में नग्रोता की ऊंचाई पर समाधी मोड़ के दाहिने ओर पेड़ के नीचे छुपा रखा है । निरीक्षक ने अभियुक्त का कथन अभिलिखित किया । इस साक्षी ने प्रकटीकरण कथन जिसे ईएक्सपीडब्ल्यू-वीके द्वारा चिह्नित किया गया है, की अंतर्वस्तु को सिद्ध किया है जिस पर अपने हस्ताक्षर किए हैं । अतः निरीक्षक के आग्रह करने पर यह साक्षी अपने साथी शेष पाल के साथ

पुलिस को घटनास्थल पर ले गए थे । उस समय 12.30 बजे अपराह्न का समय था । अभियुक्त के कहने पर यान को रोका गया था जब वे समाधी मोड़ पर पहुंचे । अभियुक्त ने दल के समक्ष किर्च को पेश किया जिसे वह पेड़ के नजदीक झाड़ी से निकाल कर लाया जो सड़क से 7 फीट नीचे रखा हुआ था । किर्च को अभिगृहीत किया गया । इस साक्षी ने अभिग्रहण ज्ञापन की अंतर्वस्तु को सिद्ध किया जिसमें उसके हस्ताक्षर हैं और इसे प्रदर्श पी. डब्ल्यू. वी. के./1 से चिह्नित किया गया है । इसे घटनास्थल पर मोहरबंद किया गया था और उसे बनारसी दास के सुपुर्दनामे में प्रदर्श पी. डब्ल्यू. बी. डी./5 के माध्यम से रखा गया था । इस साक्षी ने अभियुक्त के कहने पर बरामद किए गए किर्च की पहचान की है । इसे प्रदर्श पी-1 से चिह्नित किया गया था । प्रतिपरीक्षा करने पर यह कथन किया था कि दल में निरीक्षक छलोत्रा, 2 कांस्टेबल और इस साक्षी के अतिरिक्त अभियुक्त सम्मिलित थे और उसका साथी शेष पाल, बनारसी दास वहां पहले ही पहुंच चुके थे जब साक्षी पुलिस थाने पर पहुंचा । उसका यान पुलिस थाने में खड़ा किया गया था । उसकी बनारसी दास से कोई बातचीत नहीं हुई । बनारसी दास अपने यान में घटनास्थल की ओर भी चला गया था जब पुलिस दल अपराध के आयुध की बरामदगी के लिए चल पड़े थे । यह साक्षी और उसके साथी ने पुलिस थाने पर 1-1/2 घंटा इंतजार किया इसके पश्चात् अभियुक्त ने प्रकटीकरण कथन किया था जिस पर निरीक्षक ने उनसे यह कहा था कि वे पुलिस दल के साथ चलें । उसी बीच में बनारसी दास पुलिस थाने से चला गया था । उसका यान पुलिस थाने के भवन के बाहर खड़ा था परंतु पुलिस थाने के अहाते के अंतर्गत था । बनारसी दास पुलिस थाने के भवन के बाहर खड़ा था जब पुलिस दल के साथ यह साक्षी घटनास्थल की ओर चला । जब वह और उसका साथी पुलिस थाने पर पहुंच गए थे तब उन्होंने देखा कि निरीक्षक मृतक की हत्या कारित किए जाने में प्रयुक्त किए गए किर्च के बारे में पूछताछ कर रहा था । अभियुक्त ने साधारण भाषा में अपनी संस्वीकृति दी जो मिली-जुली बोली थी । न्यायालय द्वारा संलग्न टिप्पण को अभिलिखित किया था कि यह साक्षी पंजाबी में बोल रहा था । इस साक्षी के अनुसार अभियुक्त ने यह कथन किया था कि उसने रक्तरंजित किर्च बंतालाब की ऊंचाई पर समाधी मोड़ के नजदीक पेड़ के नीचे झाड़ियों में छुपा रखा था । इस पेड़ की ऊंचाई

लगभग 6 फीट थी जबकि झाड़ियां लगभग 5 इंच लंबी थीं और किर्च जिसे छुपाया गया था, झाड़ियों से ढका हुआ था । अपराध के आयुध की बरामदगी का स्थान सड़क से लगभग 8 फीट की दूरी पर था । वहां पर आसानी से नहीं पहुंचा गया था और दल बड़ी कठिनाइयों से वहां पर पहुंचा । बनारसी दास वहां पर नहीं गया । वह सड़क पर खड़ा था । किर्च उस समय रक्तरंजित था और रक्त के धब्बे आंशिक रूप से लाल और काले रंग के थे । अभिग्रहण ज्ञापन सड़क पर तैयार किया गया था । वह बाजार पर धीरे-धीरे चल रहा था जब उसने यह सुना कि अभियुक्त ने बनारसी दास के पुत्र की हत्या कर दी । वह और उसका साथी बरामदगी के स्थान से बस से वापस लौटे । पुलिस दल वहीं पर था । उसकी जानकारी में यह नहीं आया है कि पुलिस दल और बनारसी दास उस स्थान से कब चले गए थे । किर्च की घटनास्थल पर माप की गई थी और यह हत्थे की ओर से मिट्टी से सना हुआ था ।

अभि. सा. राजन सिंह – ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 7 अगस्त, 1991 को 8.30 बजे अपराह्न वह मंदिर की ओर जा रहा था । जब वह शास्त्री नगर सड़क पर पहुंचा तब उसने देखा कि अभियुक्त ने बलजीत सिंह की दुकान के सामने अभियुक्त के पेट में दो बार किर्ची घोंपी थी । राजेश कुमार जमीन पर बैठा हुआ था और अभियुक्त ने किर्च से मृतक की पीठ पर वेधित घाव पहुंचाया था । राजेश कुमार मुंह के बल जमीन पर गिर गया । अभियुक्त घटनास्थल से भाग गया । नरेन्द्र कुमार ने लगभग 20 फीट की दूरी तक अभियुक्त का पीछा किया परंतु वापस लौट आया क्योंकि उसने छोटी बच्ची को पकड़ रखा था जिसे इस साक्षी को सौंपा गया था । उसी बीच में, गांधी नगर की ओर से सफेद रंग की मारुति कार पहुंची । इसे नरेन्द्र कुमार द्वारा रोका गया था । बलजीत सिंह और नरेन्द्र कुमार ने घायल राजेश कुमार को उठाया और उसे कार में अस्पताल ले गए । इस साक्षी ने यह दावा किया है कि नरेन्द्र कुमार ने उसे उक्त नवजात शिशु को उसके घर पहुंचाने के लिए सुपुर्द कर दिया था; उसने उसे यह भी अनुदेश दिए कि वह इस घटना के बारे में मृतक के पिता को सूचित करें । इस साक्षी ने यह दावा किया है कि उसने नवजात शिशु को उसके घर पर छोड़ दिया और मृतक के पिता को उक्त घटना की सूचना दी । उसने मृतक के पिता को यह बताया

कि अभियुक्त ने मृतक पर किर्च घोंपा है और उसे घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया है और अगले दिन उसे मृतक की मृत्यु के बारे में पता चला । प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया है कि वह हिमाचल प्रदेश से संबंधित है परंतु उसका जन्म जम्मू में हुआ था । पूर्व में वह किराएदार के रूप में अशोक नगर, सतवारी में रहता था । उसकी बनारसी दास से तब जान पहचान हुई जब यह साक्षी नई बस्ती पर किरयाने की दुकान चला रहा था । उसकी दुकान सहित सभी दुकानें वर्ष 1984 में अप्राधिकृत रूप से चलने की वजह से उठा ली गई थीं । वह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का सदस्य था और भारतीय जनता पार्टी से संबंधित था । बनारसी दास भी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था । इस साक्षी ने यह दावा किया कि वह नई बस्ती मोहल्ला में रहता है । वह इस राज्य का स्थायी निवासी नहीं है । बलजीत सिंह की दुकान उसकी दुकान से नहीं दिखाई देती है । वह अपनी दुकान 8-9 बजे अपराह्न के बीच बंद करता है । उसके 3 जवान भाई दुकान में भी काम करते हैं । उसके निवास स्थान से उसकी दुकान 5-6 मिनट की दूरी पर अवस्थित है परंतु जब वह तेज चलता है तब 3 मिनट में दूरी तय होती है और दुकान से जो नगदी प्राप्त होती है उसकी शाम को गणना करके दुकान में रखी जाती है । दुकान बंद करने के पश्चात् या तो वह ऋण की उगाही के लिए अपने ऋणियों के पास जाता है या उस मंदिर पर जाता है जिसका वह प्रबंधक है । मंदिर में 7.30 बजे अपराह्न प्रार्थना होती है और 8.15 पर समाप्त हो जाती है । वह मंदिर में आरती के समय उपस्थित होने का प्रयास नहीं करता है । इस साक्षी ने यह दावा किया है कि वह घर पर पूजा करता है परंतु शीतला माता के मंदिर में केवल व्यवस्था की देख-रेख करने के लिए जाता है । वह प्रायः 2-3 दिन के पश्चात् मंदिर का चक्कर लगाता है । अगस्त, 1991 में वह पहली तारीख, चौथी और ग्यारहवीं को मंदिर का चक्कर लगाता है । उसे अन्य तारीखों का स्मरण नहीं है जब वह वर्ष 1991 और 1992 में मंदिर गया । वह मंदिर समिति की बैठक में लगभग 15 मिनट उपस्थित रहा । बलजीत सिंह की दुकान 8/9 दुकानों के बीच में है और समीपस्थ दुकानें घटना की तारीख को बंद थीं । दर्जी कमलजीत सिंह और बनारसी दास की दुकान उसके दुकान से सटी हुई हैं । मंदिर की दुकानें सड़क के उस पार अवस्थित हैं । तथापि, सड़क पर व्यस्त यातायात नहीं है । लोग सड़क पर आ-जा रहे थे जब दुर्घटना

घटी । वह दुर्घटना की तारीख को 2 दुकानें चला रहा था । उसने कपड़े की दुकान बंद कर दी थी परंतु किरयाने की दुकान फिर भी खुली हुई थी । कपड़े की दुकान से विक्रय आगम केवल 250/- रुपए की राशि एकत्रित की गई थी जिसकी उसी दिन पहले ही गणना कर ली गई थी । उस दिन मंदिर में कोई बैठक नहीं हुई । दुकान को बंद करने के पश्चात् वह अपनी दुकान के सामने लगभग 10 मिनट खड़ा रहा और अपने मित्र विजय कुमार, राजेश कुमार और कश्यप राजपूत से बातचीत कर रहा था तब वह किरयाना दुकान की चाबियां जमा करने के पश्चात् राम दरबार मंदिर की ओर चला । वह मंदिर जाने के पूर्व अपने घर की ओर नहीं गया था । वह लगभग 9.30 बजे अपराह्न अपने घर पर पहुंचा । जब वह शास्त्री नगर पर पहुंचा जहां से सड़क नई बस्ती को मुड़ती है उसने बलजीत सिंह की दुकान की ओर नहीं देखा था । उसने शास्त्री नगर सड़क की ओर से शोरगुल की आवाज नहीं सुनी थी । उस समय वहां पर भू-खंड खुले पड़े हुए थे और काफी अंधेरा था । उसने दाहिनी ओर कुछ भैंसों को देखा था । उसने चीख-पुकार की आवाज सुनी जिसकी ओर उसका ध्यान गया । उस समय वह बलजीत सिंह की दुकान से लगभग 50 फीट की दूरी पर था । वह उस ओर गया जहां से उसे सिसकियों की आवाज सुनाई दी । उसके ध्यान में यह आया कि अभियुक्त ने मृतक को किर्ची घोंपी थी । अभियुक्त का चेहरा उसके सामने की ओर था जबकि वह मृतक की पीठ देख सका था । पहले तो उसने यह महसूस नहीं किया कि आहत कौन है । उसकी जानकारी में यह आया कि अभियुक्त ने आहत पर दो प्रहार किए किसी भी व्यक्ति ने आहत को बचाने की कोशिश नहीं की । उसने किसी व्यक्ति को आस-पास नहीं देखा । जब अभियुक्त ने आहत की पीठ पर प्रहार किया तब कोई भी व्यक्ति उस समय उसे बचाने के लिए नहीं आया । वह अपराध के स्थान को बताने के बारे में चुप रहा था । उसकी जानकारी में यह आया था कि आहत की पीठ पर किर्ची से वेधित घाव किया गया जहां से उसकी दूरी लगभग 35 फीट थी । उसने अभियुक्त को आहत की पीठ पर प्रहार करते हुए केवल एक बार देखा था । कोई भी व्यक्ति वहां नहीं पहुंचा जब आहत जमीन पर गिर गया । इस साक्षी ने यह दावा किया है कि वह अभियुक्त के हाथ में देखे गए खंजर से डर गया, वह आहत को बचाने का साहस नहीं जुटा पाया । अभियुक्त राम दरबार मंदिर की ओर भाग गया जहां से

रास्ता शास्त्री नगर की ओर जाता है । उसने अभियुक्त के एक तरफ का चेहरा देखा था क्योंकि यह बात उसकी जानकारी में लगभग 25 फीट की दूरी से अभियुक्त के भागते हुए आई थी । उसके ध्यान में यह भी आया कि नरेन्द्र कुमार ने अभियुक्त का पीछा किया । उसने पहले घटनास्थल पर नरेन्द्र कुमार को नहीं देखा था । नरेन्द्र कुमार दाहिनी ओर से आया परंतु उसने उसे आते हुए नहीं देखा । नरेन्द्र कुमार रास्ते पर था जब उसके अभियुक्त के भागे जाने की बात जानकारी में आई । उसने अभियुक्त का पीछा किया । बलजीत सिंह उस समय घटनास्थल पर पहुंचा था और वह आहत से लगभग 3 फीट की दूरी पर था । इस साक्षी ने यह दावा किया है कि मृतक के पास पहुंचने से पूर्व वह यह नहीं जानता था कि आहत कौन है । किसी भी व्यक्ति ने तब तक आहत को पकड़ा नहीं जब तक नरेन्द्र कुमार ने अभियुक्त का पीछा करना छोड़ नहीं दिया । यह घटना लगभग 2 मिनट पूर्व की है । इस साक्षी ने इस सुझाव से इनकार किया है कि वह अपनी दुकान बंद करने के पश्चात् अपने घर आया था । वह उसी दिन दोबारा घटनास्थल पर नहीं गया । अगले दिन प्रातः वह मृतक के घर गया जहां उसे उसकी मृत्यु के बारे में पता चला । उस समय पुलिस द्वारा उसका कथन अभिलिखित किया गया । इस साक्षी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अपने कथन का इस सीमा तक समर्थन नहीं किया है कि वह अपने मकान से मंदिर की ओर गया था । उसने यह आग्रह किया कि अपनी दुकान बंद करने के पश्चात् वह उस समय शास्त्री नगर मंदिर की ओर जा रहा था । उसने यह स्वीकार किया है कि उसके पुलिस कथन में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है कि वह अपनी दुकान बंद करने के पश्चात् लगभग 10 मिनट तक अपने मित्रों से बातचीत कर रहा था । वह मृतक की ओर गया जब उसकी जानकारी में यह आया कि अभियुक्त घटनास्थल से भाग गया । ऐसा केवल तब हुआ था जब बलजीत सिंह और नरेन्द्र कुमार ने मृतक को उठाया तब उसकी जानकारी में यह आया कि वह आहत राजेश कुमार है । उस समय उसके शरीर से रक्त बह रहा था । नरेन्द्र कुमार, बलजीत सिंह और इस साक्षी को छोड़कर कोई भी व्यक्ति उस समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं था । इस साक्षी ने पुलिस को यह बताते हुए इस बात से इनकार किया है कि उस समय कई अन्य व्यक्ति भी घटनास्थल पर पहुंचे थे । घटनास्थल पर उचित प्रकाश था और दुकानें खुली हुई थीं ।

उसने अपने कथन अभिलिखित किए जाने से पूर्व घटना के बारे में मृतक के कुटुंब के सदस्यों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति से बातचीत नहीं की । मृतक प्रायः राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखा में उपस्थित हुआ करता था । उसने अपनी दुकान पर सामान का परिदान भी किया था । यह साक्षी उसके मकान पर भी जाया करता था जब कभी वहां पर कोई समारोह होता था । वह नरेन्द्र कुमार द्वारा उसे नवजात बालिका को सौंपने के पश्चात् लगभग 3 मिनट घटनास्थल पर रुका रहा और उस समय आहत को अस्पताल ले जाया गया । उसने नवजात बालिका को उसके घर पर छोड़ दिया और पुनः घटनास्थल पर पहुंचा क्योंकि मृतक के मकान पर पहुंचने के लिए उक्त स्थान से गुजरना पड़ता था । नरेन्द्र कुमार उस समय शास्त्री नगर में एक अलग मकान में रहा करता था । उक्त मकान बलजीत सिंह की दुकान से लगभग 150 फीट की दूर पर अवस्थित था । अगले दिन उसका कथन 5.30 बजे अपराह्न अभिलिखित किया गया था परंतु उप-निरीक्षक उसे घटनास्थल पर नहीं ले गया ।

अभि. सा. शेष पाल – ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 10 अगस्त, 1991 को वह अभि. सा. विजय कुमार के साथ नई बस्ती पर था जब उसे यह पता चला कि पुलिस द्वारा हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया गया है । वे दोनों गांधी नगर, पुलिस थाने पर गए जहां उन्होंने यह देखा कि उप-निरीक्षक छलोत्रा द्वारा अभियुक्त को हथकड़ी लगाई गई थी जो अभियुक्त से पूछताछ कर रहा था । अभियुक्त ने पुलिस के समक्ष यह प्रकट किया कि उसने बंतालाब समाधी मोड़ के नजदीक नग्रोता पर झाड़ियों में किर्च को छुपा रखा है । इस साक्षी ने प्रकटीकरण ज्ञापन जिसे ईएक्सपीडब्ल्यू-वीके से चिह्नित किया गया है, की अंतर्वस्तु को सिद्ध किया है जिसमें उसके हस्ताक्षर हैं । इस साक्षी ने यह भी दावा किया है कि उससे और विजय कुमार से इस पुलिस थाने पर रुकने के लिए कहा गया था क्योंकि उन्हें बरामदगी स्थल पर पुलिस दल के साथ जाना था । उन्हें अभियुक्त के साथ पुलिस जीप में बरामदगी के स्थान पर ले जाया गया था । अभियुक्त उन्हें उस स्थान पर ले गया जो राष्ट्रीय राजमार्ग से लगभग 8-10 फीट की दूरी पर था । उसने झाड़ियों से किर्च निकाला और उसे पुलिस को सौंप दिया । घटनास्थल का नक्शा तैयार किया गया और किर्च को घटनास्थल पर मोहरबंद किया गया । उसी बीच में

बनारसी दास वहां पहुंचा । इस साक्षी ने बरामदगी ज्ञापन जिसे प्रदर्श पी. डब्ल्यू. वी. के./1 द्वारा चिह्नित किया गया है, का समर्थन किया है तथा उस पर अपने हस्ताक्षर किए हैं । उसने किर्च की भी शिनाख्त की थी । उसे प्रदर्श पी-1 से चिह्नित किया गया । प्रतिपरीक्षा पर उसने यह कथन किया कि वह पेशे से ठेकेदार है और वह 7.00 बजे पूर्वाह्न अपने घर से चल देता है और 8.00 बजे अपराह्न घर पर वापस लौटता है । उसे लगभग 9.30 बजे पूर्वाह्न अभियुक्त की गिरफ्तारी के बारे में पता चला । बनारसी दास उसे जानते हैं । पहले उसे हत्यारे की शिनाख्त के बारे में कुछ भी पता नहीं था । उस दिन वह नाश्ता करने के पश्चात् लगभग 9.00 बजे पूर्वाह्न घर पर पहुंचा था । वे लगभग 10.30 बजे पूर्वाह्न पुलिस थाने पर पहुंचे थे और लगभग 2 घंटे तक वहां रुके । वे लगभग 1.30 बजे अपराह्न किर्च की बरामदगी के स्थान के लिए चले । बनारसी दास पुलिस थाने के भवन के बाहर खड़ा था । उसे यह पता नहीं था कि क्या बनारसी दास उनके साथ बरामदगी के स्थल की ओर चला था । बनारसी दास उनके वहां पहुंचने से पूर्व वहां पर नहीं पहुंचा था । उप-निरीक्षक छलोत्रा ने उस स्थान के बारे में अभियुक्त से पूछताछ की जहां उसने किर्च को छुपा कर रखा था । अभियुक्त खड़ा था और उसने अपनी स्थानीय बोली में उसका उत्तर दिया था । अभियुक्त ने यह प्रकट किया कि उसने अपराध के आयुध के रूप में प्रयुक्त किर्च को समाधी मोड़ के नजदीक बंतालाब पर छुपा कर रखा था । उसने इसकी बरामदगी को भी तैयार किया था । समाधी के नजदीक संकुचित मार्ग था परंतु सड़क से लगी हुई पहाड़ी की ढलान पर अवस्थित था । झाड़ियां 5 फीट से अधिक ऊंची नहीं थीं और 3 फीट की चौड़ाई में थीं । बरामदगी के समय पर किर्च पर धूल लगी हुई नहीं थी । इस पर रक्त का भूरा रंग लिए हुए था । यह रंग में काला था और किर्च के ब्लेड के ऊपर फैला हुआ था, किर्च मिट्टी में नहीं दबाया गया था किंतु इसे झाड़ियों में छुपाया गया था । सड़क से बरामदगी की ओर पहुंचने में 10/15 मिनट लगे थे । किर्च को सड़क पर मोहरबंद किया गया था और मोहर को बनारसी दास के सुपुर्दनामे में रखा गया था ।

अभि. सा. रमन कुमार – ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि मृतक राजेश कुमार उसका छोटा भाई था । वह मृतक के शव को लेने के लिए तारीख 8 अगस्त, 1991 को अस्पताल गया था जहां उसके शव

को शवपरीक्षण के लिए रखा गया था । इस साक्षी ने अभिग्रहण ज्ञापन जिसे प्रदर्श पी. डब्ल्यू. आर. के. द्वारा चिह्नित किया गया है, की अंतर्वस्तु को सिद्ध किया है जिसके निबंधनों में मृतक द्वारा पहने गए कपड़े जो रक्तरंजित थे, घटनास्थल पर अभिगृहीत किए गए और उसके सुपुर्दनामे में मोहर रखी गई थी, देखिए प्रदर्श पी. डब्ल्यू. आर. के. 11 इस साक्षी ने मृतक के कपड़ों की पहचान की जो मोहरबंद पैकेट से बरामद किए गए थे जिसे न्यायालय में खोला गया था । उसने प्रदर्श पी. डब्ल्यू. आर. के./2 का भी समर्थन किया है जो मृतक के रक्त के नमूने के बारे में ज्ञापन है जिसे उसकी मौजूदगी में मोहरबंद किया गया था । ज्ञापन में उसके हस्ताक्षर कराए गए थे । उसने प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया कि वह और मृतक घटना से पूर्व शिवालय मंदिर पर स्थित दुकान में काम करते थे । मृतक घटना की तारीख को 7.15 बजे अपराह्न दुकान से चला गया था । वह अपने घर के लिए चला था । इस साक्षी ने यह दावा किया है कि वह दुकान के पीछे खड़ा था और उसके पिता अपनी पुत्री की सास के स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करने के लिए 5.30 बजे अपराह्न अस्पताल की ओर चले थे, मृतक ने शास्त्री नगर से पैसा वसूल किया था । तथापि, वह यह नहीं कह सकता कि मृतक को घर की ओर ही जाना था । यह साक्षी अपनी दुकान बंद करने के पश्चात् 10.30 बजे अपराह्न घर पर पहुंचा और वह शास्त्री नगर सड़क पर चला था । उसे घटना के बारे में पता नहीं चला । घर पहुंचने पर उससे उसकी माता और बहन द्वारा यह बताया गया कि अभियुक्त ने उसके भाई बिट्टू **उर्फ** राजेश कुमार को वेधित घाव पहुंचाए हैं और उसे अस्पताल ले गए हैं । उसके चाचा और दोस्त उसे सूचना देने के लिए उसके पास आए कि राजेश कुमार की क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई है । उसके पिता लगभग मध्य रात्रि पर घर पर पहुंचे । वह घर पर नहीं था जब यह साक्षी लगभग 10.00 बजे अपराह्न वहां पर पहुंचा । पुलिस वहां पर पहुंची । उसके पिता घर पर रुके हुए थे वह मृतक के शव को लेने के लिए अस्पताल पर नहीं गया । पुलिस दूसरे दिन शाम के समय उसके घर पर पुनः पहुंची और उसके मित्रों और बलजीत सिंह से घटना के बारे में पूछताछ की जिसकी दुकान घटनास्थल के नजदीक अवस्थित है । पुलिस ने नरेन्द्र कुमार से घटना के बारे में भी पूछताछ की ।

अभि. सा. गुलाम नबी – नायब तहसीलदार (तत्कालीन) ने कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग किया और यह अभिसाक्ष्य दिया कि पुलिस थाना गांधी नगर के हेड कांस्टेबल रमेश कुमार ने उसके समक्ष 5 मोहरबंद पैकेट पेश किए और उन्हें पुनः मोहरबंद किया गया था । उसने तारीख 27 अगस्त, 1991 के प्रमाणपत्र को साबित किया जिस पर उसकी मोहर लगाई गई और हस्ताक्षर किए गए । इसे प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-जीएन से चिह्नित किया गया । उसने प्रतिपरीक्षा पर यह कथन किया कि उसे मोहरों की छाप के बारे में कुछ भी याद नहीं है जिन्हें पैकेटों को मोहर लगाने में प्रयुक्त किया गया, उसी मोहर से पुनः मोहरबंद किया गया था । उसने पुलिस के आवेदन पर कार्यवाहियों का संचालन किया ।

अभि. सा. सहायक निदेशक, न्यायालयिक प्रयोगशाला, जम्मू – जिन्हें अभियोजन साक्षी के रूप में उद्धृत किया गया, विचारण पर उसकी परीक्षा नहीं की गई, तथापि, विद्वान् लोक अभियोजक ने उसके कथनों के निबंधनों में जिन्हें तारीख 7 फरवरी, 1994 को अभिलिखित किया गया था तथा तारीख 30 सितंबर, 1991 को सहायक निदेशक न्यायालयिक प्रयोगशाला जम्मू की रिपोर्ट पेश की जिसे साक्ष्य में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 510 के अधीन ग्राह्य किया गया । दी गई राय के निबंधनों में मृतक की कमीज, बनियान और पैंट अपराध का आयुध किर्च और घटनास्थल से लिया गया मिट्टी का नमूना लिया गया जिन पर मानव रक्त ग्रुप ए के धब्बे पाए गए थे । अभि. सा. डा. एस. डी. ठाकुर जो फारेंसिक मेडिसियन जीएमसी, जम्मू के विभाग का मुखिया है, ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने राजेश गुप्ता पुत्र बनारसी दास निवासी शास्त्री नगर, जम्मू के शव का शवपरीक्षण किया था और यह कार्य तारीख 8 अगस्त, 1991 को किया गया था । शव की पहचान मृतक के भाई अर्थात् रमन कुमार और अशोक कुमार नामक व्यक्ति द्वारा की गई थी । शवपरीक्षण परीक्षा से यह प्रकट है कि :–

1. कंधे के शीर्ष से 5" पीछे ऊपर तथा पार्श्व किनारों के अंडाकार भाग पर 3" वक्ष तक घुसा 1/2" x 1/2" वेधित घाव ।

2. कंधे के शीर्ष से 9" पीछे और मध्य रेखा से 1-1/2" पर 1/2" x 1-1/2" x 1" का वेधित घाव जो वक्ष में प्रविष्ट नहीं है । मृत्यु-पूर्व ।

3. चूचुक से 4" तथा मध्य रेखा से 3" नीचे बाएं पार्शुकी क्षेत्र के ऊपर वेधित घाव जो 1" x 1/2" x 1/4" छिन्न है । मृत्यु-पूर्व ।

4. घाव सं. 3 के 2" मध्य पर लेनियर 3" x 1/4" x 1/4" का छिन्न घाव ।

5. बाएं कान के पीछे खुरची हुई खरोंच, मृत्यु-पूर्व ।

6. घाव सं. 3 के पार्श्व भाग पर 1/2" x 1/3" x 1-1/2" का वेधित घाव जो वक्ष पर घुसा हुआ नहीं है । मृत्यु-पूर्व ।

उसने अपनी यह राय व्यक्त की है कि मृतक की मृत्यु बाएं फेफड़े पर क्षति के परिणामस्वरूप रक्त-स्राव और आघात से हुई है । यह क्षति प्रकृति के साधारण अनुक्रम में मृत्युकारित करने के लिए पर्याप्त है । क्षति कारित होने के पश्चात् मृत्यु लगभग 12 घंटे पर हुई थी । मृतक की गुहिका (वक्ष) से 10 शीशी रक्त निकाला गया था और वियाल में उसे जमा कर दिया गया था और उस पर मोहर लगा दी गई थी तथा अन्वेषक अधिकारी के सुपुर्द कर दिया गया था । मृतक की कमीज, बनियान और पैंट जिस पर रक्त के धब्बे लगे हुए थे, उन्हें अन्वेषण अधिकारी के सुपुर्द कर दिया गया था । उसने शव-परीक्षण रिपोर्ट की अंतर्वस्तु को सिद्ध किया है जिस पर प्रदर्श पी. डब्ल्यू. एस. डी. चिह्न डाला हुआ है । तारीख 12 अगस्त, 1991 को अपराध का आयुध पैकेट में मोहरबंद किया गया और जिसे उसकी राय लेने के लिए उसके समक्ष पेश किया गया था । मोहर खोली गई और किर्च जिस पर दो धारी ब्लेड लगा हुआ था, रक्तरंजित पाया गया था और पैकेट में रखा गया था और जिस पर बाहरी लाइन खींची गई थी । परीक्षा के पश्चात् उसने यह राय व्यक्त की कि आयुध से जो क्षतियां कारित की जा सकीं, उसका शवपरीक्षण रिपोर्ट में वर्णन किया गया है । उसने आयुध को मोहरबंद किया और अन्वेषण अधिकारी के सुपुर्द कर दिया । उसने किर्च जिसे प्रदर्श पी-1 से चिह्नित किया गया के बारे में प्रमाणपत्र जिसे प्रदर्श पी-एस. डी./1 से चिह्नित किया गया है, साबित किया गया । उसने खुले न्यायालय में उसकी पहचान की थी । प्रतिपरीक्षा पर यह कथन किया है कि उसे यह बताया गया है कि मृतक पर कुछ व्यक्तियों द्वारा शास्त्री नगर में तारीख 7 अगस्त, 1991 को 8.30 बजे अपराह्न हमला किया गया था जिससे यह विवक्षित हुआ है कि एक से अधिक

व्यक्ति हमलावर थे । मृतक की पीठ पर तीन क्षतियां पहुंची थीं । क्षति सं. 1 और 2 धड़ के पीछे पाए गए थे और क्षति सं. 5 बाएं कान के पीछे थी । ऐसी क्षतियां हमलावरों द्वारा मृतक के पीछे से की गई थीं । ऐसी क्षतियां मृतक के खड़े होने की स्थिति में या उसके नीचे लेटे होने की स्थिति में की जा सकती हैं । क्षति सं. 1, 2, 3 और 6 वेधित घाव हैं, न कि छिन्न घाव । क्षति सं. 5 कुंद वस्तु द्वारा कारित की गई खरोंच है जिसे पत्थर से भी कारित किया जा सकता है । मृतक के आमाशय में अर्धपचित भोजन सामग्री पाई गई थी । उसकी राय में मृतक ने 6 घंटे के अंतर्गत खाना खाया था । ठोस खाना साधारणतया आमाशय से छोटी आंतों पर 4 से 6 घंटे के बीच चला जाता है । शवपरीक्षण के समय पर किए गए टिप्पण रिपोर्ट पूरी करने के पश्चात् नष्ट कर दिए गए थे । शवपरीक्षण परीक्षा के परिणाम रजिस्टर में अभिलिखित किए गए थे जो फाइल पर केवल रिपोर्ट की प्रति के रूप में रखी गई है । आयुध की चौड़ाई 1/2 इंच है और इससे 1/2 इंच की चौड़ाई का वेधित घाव कारित नहीं किया जा सकता । वेधित घाव की चौड़ाई आयुध के ब्लेड की मोटाई पर निर्भर करता है । घाव की चौड़ाई आयुध के ब्लेड की चौड़ाई के समतुल्य होगी जिस समय तक कि घाव के अंदर आयुध रह जाता । जब आयुध बाहर निकाला जाता है तब घाव की चौड़ाई घट जाती है । आयुध के ब्लेड की मोटाई प्रदर्श पी. डब्ल्यू. एस. डी./1 में विनिर्दिष्ट नहीं की गई है । घावों के किनारों के बारे में प्रदर्श पी. डब्ल्यू. एस. डी. में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है । मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट मृतक के शव का शवपरीक्षण करते समय उसे दिखाई गई थी । उसने उस पर हस्ताक्षर किया है । तथापि, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट का विरोध करते हुए उसने यह देखा कि उस पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं । क्षति की अवधि का क्षति के रंग से या उसके किनारों की स्थिति से अवधारण किया जाता है । मृत्यु के समय का अवधारण करने वाले कारक मुख्यतः शवपरीक्षण में मांसपेशियों के बदलाव और शव में सड़न से हुए बदलाव के आधार पर किया जाता है । दिसंबर माह में शव पर सड़न से बदलाव 6 से 12 घंटों के पश्चात् देखा जा सकता है । वर्तमान मामले में मृत्यु का कारण बाएं फेफड़े में क्षति के परिमाणस्वरूप क्षति सं. 1 है । वह यह नहीं कह सकता है कि क्षतियों में से कौन सी क्षति पहले या बाद में कारित की गई थी । अभियोजन पक्ष द्वारा पुनः परीक्षा करने पर इस साक्षी ने यह कथन किया है कि

मृतक की पीठ पर कारित की गई क्षति सं. 1 और 2 मृतक और हमालवर के आमने-सामने होने पर कारित की जा सकती हैं और घुटनों के बल बैठकर भी कारित की जा सकती हैं । विद्वान् प्रतिरक्षा काउंसेल द्वारा पुनः प्रतिपरीक्षा किए जाने पर यह कथन किया गया है कि क्षति सं. 1 और 2 के मामले में हमलावर की स्थिति मृतक की तरह थी । वे आमने-सामने हो सकते हैं या पीठ की तरफ चेहरा हो सकता है । ऐसी क्षतियों के लिए हमले की दिशा पर निर्भर होकर ऊपर से नीचे की ओर या क्षितिज रूप में कारित की जा सकती हैं । अधिकतर संभावना यह है कि हमलावर द्वारा मृतक की पीठ पर क्षति सं. 1 और 2 कारित की थीं । न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्न पर यह कहा गया है कि मृतक की शिनाख्त के बारे में पुलिस से अध्यपेक्षित पत्र और मृत्यु के अधिकथित कारण के इतिवृत्त का वर्णन शवपरीक्षण किए जाने के पूर्व एक औपचारिक अवलोकन किया जाना है । उसने कोई आरेख तैयार नहीं किया जिससे कि कारित की हुई क्षति तथा इसके आकार को दर्शित किया जाए । उसने क्षतियों की नाप की थी और शव पर किसी गुप्त क्षति की जांच पड़ताल की थी । उसने शव के रेक्टल टेम्परेचर का उल्लेख नहीं किया है । अपराध का आयुध उस शव- परीक्षण के चौथे दिन के पश्चात् दिखाई दिया था । आयुध का ब्लेड रंक्तरंजित था और रक्त का रंग उस समय भूरे रंग का हो सकता है ।

अभि. सा. मो. मुंशी भट – जो उस सुसंगत समय पर पुलिस थाना, गांधी नगर पर उप-निरीक्षक के पद पर तैनात था, ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि मृतक के शवपरीक्षण की व्यवस्था की गई थी और मृतक के शव से रक्त का नमूना प्रदर्श पी. डब्ल्यू. आर. के./2 अभिगृहीत किया गया था, अभियुक्त द्वारा पहने गए कपड़े प्रदर्श पी. डब्ल्यू. आर. के. के माध्यम से अभिगृहीत किए गए थे और मृतक द्वारा पहने गए कपड़ों पर मोहर लगाने के लिए प्रयुक्त की गई मोहर रमन गुप्ता के सुपुर्दनामे में रखी गई थी, देखिए प्रदर्श पी. डब्ल्यू. आर. के./1 । मृतक के शव को रमन गुप्ता को सौंपा गया था, देखिए प्रदर्श पी. डब्ल्यू. एम. बी. । उसने फर्द सुर्थल जिसे प्रदर्श पी. डब्ल्यू. एम. बी./1 से चिह्नित किया गया है, भी तैयार किया । प्रतिपरीक्षा करने पर यह कथन किया गया है कि उप पुलिस अधीक्षक, गांधी नगर ने उसे मृतक के शव के शवपरीक्षण की व्यवस्था करने के लिए निदेश

दिया था क्योंकि अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में अन्वेषक अधिकारी पुलिस थाने से बाहर गया हुआ था । उसने उपरोक्त उल्लिखित औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् उसके पुलिस थाने पर वापस पहुंचने के पश्चात् उसी शाम अन्वेषण पुनः अन्वेषक अधिकारी को सौंपा था । डाक्टर ने अभिकथित रूप में यह लिखा है 'मृत्यु के कारण का कालम'

'यह अभिकथित किया गया कि तारीख 7 अगस्त, 1991 को 8.30 बजे अपराह्न कुछ व्यक्तियों द्वारा हमला किया गया है ।'

शवपरीक्षण रिपोर्ट जिसे प्रदर्श पी. डब्ल्यू. एस. डी. से चिह्नित किया गया है उस पर उसके हस्ताक्षर भी किए गए हैं तथापि, उसने फर्द सुर्थल में घटना के ब्यौरों का वर्णन नहीं किया है जो असावधानी का कारण था ।

अभि. सा. आर. के. छलोत्रा – उक्त व्यक्ति पुलिस थाना, गांधी नगर पर उप-निरीक्षक के पद पर तैनात था, ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि बनारसी दास गुप्ता द्वारा तारीख 7 अगस्त, 1991 को 9.30 बजे अपराह्न दी गई सूचना के आधार पर रणबीर दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए मामला प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 586/1991 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत किया गया था । उसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट जिसे प्रदर्श बी. डी. से चिह्नित किया गया है पर हस्ताक्षरों की पहचान की है, वह अपराध के स्थान की ओर चला और घटनास्थल का नक्शा जिसे प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 14 से चिह्नित किया गया है और रक्तरंजित मिट्टी प्रदर्श पी. डब्ल्यू. बी. डी./1 के माध्यम से अभिगृहीत की गई और उस पर मोहर लगाई गई थी । उसने घटनास्थल से उठाई गई मिट्टी के नमूने भी अभिगृहीत किए थे, देखिए प्रदर्श पी. डब्ल्यू. बी. डी./1 । इसके पश्चात् वह अस्पताल गया और मृतक के शव को अभिगृहीत किया, देखिए प्रदर्श पी. डब्ल्यू. बी. डी./4 और जिसे सुपुर्दनामे में दिया गया था, देखिए प्रदर्श पी. डब्ल्यू. बी. डी./3 और वहां पर मौजूद साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए थे । उसके पश्चात् वह अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए गया जो फरार था । ऐसा एसडीपीओ के अनुदेशों पर किया गया था जिन्होंने मो. मुंशी भट को मृतक के शवपरीक्षण की व्यवस्था किए जाने का निदेश दिया था । उसने तारीख 8 अगस्त, 1991 को शाम के समय इत्तिलाकर्ता के मकान में मौजूद साक्षियों की परीक्षा की । अभियुक्त

को तारीख 10 अगस्त, 1991 को गिरफ्तार किया गया था । अभियुक्त ने उसी दिन यह सूचना देते हुए प्रकटीकरण कथन किया कि उसने समाधी मोड़ के नजदीक बंतालाब, नगोत्रा पर झाड़ियों में किर्च छुपा रखा है । इस साक्षी ने अभियुक्त का प्रकटीकरण कथन साबित किया है जिसे प्रदर्श पी. डब्ल्यू. वी. के. से चिह्नित किया गया है । अभियुक्त को बरामदगी के स्थान पर ले जाया गया था और उसके कहने पर किर्च बरामद किया गया । उसने बरामदगी ज्ञापन जिसे प्रदर्श पी. डब्ल्यू. वी. के./1 से चिह्नित किया गया है, साबित किया है । अभियुक्त ने पुलिस दल का मार्गदर्शन किया था और उसके कहने पर घटना के स्थान पर यान रोका गया था । अभियुक्त पुलिस दल को घटनास्थल पर ले गया जहां से उसने किर्च को स्वयं बरामद करवाया था । इस साक्षी ने किर्च की बरामदगी के स्थान जिसे प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-14/1 से चिह्नित किया है, को साबित किया है । उसने किर्च जिस पर प्रदर्श पी-1 चिह्न डाला गया है की पहचान की । किर्च की बरामदगी के पश्चात् उसे घटनास्थल पर मोहरबंद कर दिया गया था और मोहर को बनारसी दास के सुपुर्दनामे पर रखा गया था, देखिए प्रदर्श बी. डी./5 । उसने ज्ञापन पर अभिगृहीत किर्च की बाहरी लाइन खींची थी जिसे प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-14/2 से चिह्नित किया गया था । उसने साक्षियों की परीक्षा की और अपराध के आयुध जिस पर संक्षेप सूची प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-14/3 डाला गया के बारे में डाक्टर से राय प्राप्त की । उसने यह निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्त रणबीर दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध किए जाने में शामिल था । इसके पश्चात् उसका उस पुलिस थाने से स्थानांतरण हो गया था । प्रतिपरीक्षा करने पर उसने यह कथन किया कि वह घटना के स्थान पर 9.40 बजे अपराह्न पहुंचा था और वह वहां लगभग दो घंटे रहा । उसने घटनास्थल का नक्शा तैयार किया परंतु उस समय नरेन्द्र कुमार, राजन सिंह और बलजीत सिंह की परीक्षा नहीं की थी । प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का रिपोर्ट में नाम शामिल नहीं किया गया । उसने यह पाया कि नरेन्द्र कुमार प्रत्यक्षदर्शी साक्षी था । वह केवल इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि जब उसने तारीख 7 अगस्त, 1991 को नरेन्द्र कुमार की परीक्षा की । नरेन्द्र कुमार ने उस स्थान की ओर इंगित किया था जहां से उसने घटनास्थल को देखा था । उसने इस स्थान को उपदर्शित किया था जब इस साक्षी ने घटनास्थल का नक्शा तैयार किया । अन्य साक्षियों ने उस समय कुछ भी नहीं बताया

था । घटनास्थल के नक्शे में मद सं. 16 सीडी फाइल में पाई गई है जिसे न तो निगमित किया गया था और न उसे अभिलिखित किया गया था । यह भूल थी जो उस प्रति को तैयार करते समय की गई थी जो सीडी फाइल पर रखी गई । न्यायालय द्वारा संलग्न किए गए टिप्पण में यह कहा गया है कि प्रश्न सं. 16 मद सं. 15 के पश्चात् तत्काल लिखा गया है किंतु इसके बाद वाले भाग को अंतर्विष्ट किया जाना प्रतीत होता है । राजन सिंह को अभि. सा. 7 के रूप में सूचीबद्ध किया गया था । उसने नाम को संकलनकर्ता द्वारा बाद में चालान में अंतर्विष्ट किया गया । नरेन्द्र कुमार ने किसी अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी को नामनिर्दिष्ट नहीं किया । राजन सिंह की तारीख 8 अगस्त, 1991 को 8.45 बजे अपराह्न में परीक्षा की गई थी । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त ने जब मृतक सड़क पर घूम रहा था तो उसे बुलाया था । उसने यह पाया कि घटना के स्थान पर केवल 2/3 दुकानें खुली हुई थीं । क्योंकि दुकानदारों ने यह कथन किया है कि वे अपनी-अपनी दुकानों में व्यस्त थे, इसलिए, घटना के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी । यह घटना रतन चन्द और बलजीत सिंह की दुकान के सामने घटी थी जो उस वक्त खुली हुई थीं और उस समय दोनों दुकानों में ग्राहक थे । बलजीत सिंह और नरेन्द्र कार में मृतक को अस्पताल ले गए थे । नरेन्द्र घटना के स्थान से अस्पताल उसके साथ चला था । उसने अस्पताल में मृतक को ले जाने के लिए प्रयुक्त कार के स्वामी के अभिनिश्चित विशिष्टियों को नहीं बताया । बलजीत सिंह और नरेन्द्र द्वारा पहने गए कपड़े रक्त-रंजित नहीं थे । घटनास्थल के मद सं. 11 पर लड़ाई-झगड़े का वर्णन किया गया है जो हमलावर द्वारा हमला किए गए स्थान को परिलक्षित करता है । घटना के स्थान पर गली में प्रकाश था परंतु उसे घटनास्थल में परिलक्षित नहीं किया गया । दुकानों में प्रकाश व्यवस्था थी परंतु इसे घटनास्थल के नक्शे में भी वर्णित नहीं किया गया । राजन सिंह घर से घटनास्थल के रास्ते में था । वह नई बस्ती मोहल्ले का रहने वाला था । वह मंदिर की ओर जा रहा था । अभि. सा. (एस) शेषपाल और विजय कुमार 9.30 बजे पूर्वाह्न से 4.30 बजे अपराह्न तक पुलिस थाने पर उसके साथ थे । इत्तिलाकर्ता बनारसी दास अपराध के आयुध की बरामदगी के स्थान पर उसके साथ चला था । उसने उसके साथ पुलिस जीप में यात्रा की थी न कि अलग यात्रा की । घटना का स्थान नगोत्रा से 3-4

किलोमीटर पर स्थित था । बरामदगी का स्थान मुख्य सड़क से लगभग 30 फीट की दूरी पर अवस्थित था और वहां पर ढलान था । झाड़ियों पर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था परंतु वह स्थान पहुंचने योग्य था । सीडी फाइलों में मजिस्ट्रेट को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट भेजने के बारे में विशिष्टियां अंतर्विष्ट नहीं हैं । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की प्रति तारीख 8 अगस्त, 1991 को एसडीपीओ को भेजी गई थी और एसडीपीओ ने तारीख 9 अगस्त, 1991 को अपने ज्येष्ठ अधिकारियों को सूचना दी थी जैसाकि उस दिन के पत्र से प्रकट है जिसकी प्रति पर इस साक्षी द्वारा पृष्ठांकन किया गया था । एसडीओ का कार्यालय पुलिस थाने भवन के ऊपरी मंजिल पर अवस्थित था । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की प्रति पुलिस थाने के मोहर्रिर द्वारा एसडीपीओ को प्रस्तुत की गई थी न कि इस साक्षी द्वारा । मजिस्ट्रेट को भेजी गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की प्रति का रजिस्टर राहदरी पर उल्लेख नहीं किया गया । सीडी फाइलें हेड कांस्टेबल द्वारा लिखी गई थीं जिसने साक्षियों के कथनों को भी अभिलिखित किया और घटनास्थल का नक्शा तैयार किया । वह एसडीपीओ के वहां पहुंचने के पूर्व घटनास्थल पर गया था । उस समय 10.00 बजे अपराह्न का समय था । उसने अन्वेषण का कार्य 7 अगस्त से 13 अगस्त, 1991 के बीच किया था तथापि, तारीख 8 अगस्त, 1991 को मो. मुंशी भट द्वारा आंशिक रूप से अन्वेषण किया गया था क्योंकि उसने मृतक के शवपरीक्षण की व्यवस्था की थी । इस साक्षी ने आगे यह कथन किया है कि उसने तारीख 12 अगस्त, 1991 को अस्पताल से शवपरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की थी परंतु वह इस बारे में कुछ भी नहीं कहा सकता कि कब इसे तैयार किया गया था । उसने किसी भी लड़की से छेड़छाड़ के अभिकथनों के बारे में पूछताछ नहीं की थी । उसने अस्पताल में 11.45 बजे अपराह्न अभि. सा. चमन लाल की परीक्षा की थी । चमन लाल के अनुसार उसे लगभग 8.30 बजे अपराह्न घटना के बारे में पता चला ।

अभि. सा. सेवा सिंह – जो उस समय पुलिस थाना, गांधी नगर में भारसाधक अधिकारी के पद पर तैनात था, ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि मामले का अन्वेषण उप-निरीक्षक आर. के. छलोत्रा द्वारा किया गया था और उसके स्थानान्तरण के पश्चात् इस साक्षी को अन्वेषण किए जाने का कार्य सौंपा गया था । उसके द्वारा उन वस्तुओं को

अभिगृहीत किया गया था जिन्हें कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पुनः मोहरबंद किया गया और रासायनिक परीक्षा के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला, जम्मू में भेजा गया था । एसडीपीओ, गांधी नगर ने न्यायालयिक प्रयोगशाला को संबोधित पत्र का प्राधिकार दिया गया था । उसने तारीख 31 अगस्त, 1991 के पत्र पर एसडीपीओ के हस्ताक्षरों की पहचान की । उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अधीन रिपोर्ट का मिलान किया था जिस पर उसके हस्ताक्षर थे । इसे प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-एसएस द्वारा चिह्नित किया गया है । प्रतिपरीक्षा पर यह कथन किया गया कि हेड कांस्टेबल खजूर सिंह द्वारा अंतिम रिपोर्ट लिखी गई थी । उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन परीक्षा किए गए साक्षियों की सूची में अभि. सा. राजन सिंह का नाम अभिलेख से मिटा दिया गया था । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि उसने गलती से उल्लेख किया है और क्रमांक सं. 7 पर राजन सिंह का नाम प्रविष्ट किया था । उक्त साक्षी की परीक्षा की तारीख के अनुसार ऐसा किया गया । इस तथ्य को सीडी फाइलों में परिलक्षित नहीं किया गया था क्योंकि अंतिम रिपोर्ट उसी दिन तैयार की गई थी । तारीख 25 अगस्त, 1991 को उसे अन्वेषण सौंपा गया था । अभिगृहीत वस्तुएं और रक्त के नमूने मोहरिर्र थाना की अभिरक्षा में रखे गए थे जो आज की तारीख तक हैं । उसने तारीख 31 अगस्त, 1991 को एसडीपीओ से पत्र प्राप्त किया और रक्त के नमूने तथा अभिगृहीत वस्तुएं तारीख 2 सितंबर, 1991 को न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजे गए थे जैसाकि सीडी फाइल सं. 10 में परिलक्षित है ।"

8. तारीख 14 फरवरी, 1994 को विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा अभियोजन साक्ष्य समाप्त कर दिया गया था और अभियुक्त की विचारण के समय अभिलिखित अभियोजन साक्ष्य से प्रकट अपराध में फंसाने वाली परिस्थितियों का स्पष्टीकरण देने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 342 के अधीन परीक्षा की गई थी । अभियुक्त ने सम्पूर्ण रूप से उक्त अभिकथनों से इनकार किया है और यह अभिवाक् किया कि उसे साक्षियों द्वारा मिथ्या रूप से फंसाया गया है जो मृतक के नातेदार हैं । अभियुक्त ने अपने कहने पर रक्त-रंजित किर्च की बरामदगी के बारे में किसी प्रकटीकरण कथन किए जाने से भी इनकार किया है । अभियुक्त ने प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया था ।

9. विचारण न्यायाधीश ने विचारण पर अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्य पर विचार करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्त रणबीर दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध का दोषी है और यह अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष ने प्रत्यक्ष साक्ष्य लेकर और अभियुक्त द्वारा किया गया प्रकटीकरण कथन जिसके आधार पर अपराध के आयुध में प्रयुक्त किया गया रक्त-रंजित किर्च की बरामदगी की गई थी, के आधार पर अभियुक्त की सहापराधिता सिद्ध की है । विचारण न्यायाधीश ने विचारण के समय पेश किए गए साक्ष्य पर व्यापक रूप से विचार किया है और साक्ष्य का बारीकी से विश्लेषण करने के पश्चात् निष्कर्ष पर पहुंचा गया है ।

10. अभियुक्त की ओर से हाजिर हुए काउंसेल श्री सेठी ने तर्क देते हुए इस आधार पर आक्षेपित निर्णय की आलोचना की है कि विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण के समय इत्तिलाकर्ता के परिसाक्ष्य का अवलंब लेते हुए जो घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं था, साक्ष्य का ठीक ढंग से मूल्यांकन नहीं किया है और उसके द्वारा विरेन्द्र कुमार और नरेन्द्र कुमार को प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के रूप में पेश किया गया था । उन्होंने यह दलील दी कि विचारण के समय विरेन्द्र कुमार की परीक्षा नहीं की गई तथा नरेन्द्र कुमार को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में नामनिर्दिष्ट नहीं किया गया है । उसने यह भी दलील दी कि अभि. सा. बलजीत सिंह का इत्तिलाकर्ता द्वारा भी परिचय दिया गया है परंतु उसकी भी विचारण के समय परीक्षा नहीं की गई । इत्तिलाकर्ता के परिसाक्ष्य के संबंध में यह निवेदन किया गया कि उसने यह दावा किया है कि घटना के बारे में बंशी लाल नामक व्यक्ति से उसे घटना का पता चला परंतु उसे विचारण के समय साक्षी के रूप में उद्धृत करते हुए पेश नहीं किया गया । यह भी दलील दी गई कि इत्तिलाकर्ता ने यह दावा किया है कि उसे अभि. सा. (एस) नरेन्द्र कुमार और राजन सिंह से घटना के बारे में पता चला और तब वह अस्पताल गया था परंतु राजन सिंह का नाम का प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किया गया है । यह भी निवेदन किया गया कि इत्तिलाकर्ता का परिसाक्ष्य प्रत्यक्ष साक्ष्य के प्रवर्ग में नहीं आता है । अभि. सा. नरेन्द्र कुमार के परिसाक्ष्य को इस आधार पर आक्षेपित किया गया कि वह संयोगी साक्षी है जो प्रतिपरीक्षा की संवीक्षा पर खरा नहीं उतरता है । यह निवेदन किया गया कि घटनास्थल पर उसकी मौजूदगी अत्यधिक संभाव्य है और उन परिस्थितियों के बारे में उसे संबंधित किए जा

सकने का कोई महत्व नहीं है जिसमें मृतक को क्षतियां कायम हुई थीं । यह भी दलील दी गई कि घटनास्थल का नक्शा तैयार किए जाने के पूर्व उसका कथन अभिलिखित किया गया । राजन सिंह के परिसाक्ष्य को इस आधार पर आक्षेपित किया गया कि उसने घटना के तात्विक भाग को नहीं देखा था । शवपरीक्षण रिपोर्ट के बारे में यह दलील दी गई कि मृतक का इतिवृत्त और उसके शरीर पर कायम हुई क्षतियों का उल्लेख करते हुए यह सुझाव दिया गया कि हमलावर संख्या में 1 से अधिक थे । क्षति सं. 2 अभियुक्त द्वारा नहीं मानी गई थी । क्षति सं. 1 अंडाकार थी जबकि अन्य क्षतियां इस प्रकार की नहीं थीं जिनसे यह संकेत मिलता हो कि मृतक के शरीर पर कारित क्षतियों के लिए प्रयुक्त आयुध एक से अधिक थे । अंत में, यह निवेदन किया गया है कि तथाकथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का मौखिक परिसाक्ष्य शवपरीक्षण निष्कर्ष निकालने के लिए उचित प्रतीत नहीं होते और इस प्रकार इन साक्षियों को बाद में पक्षकथन की कमी को पूरा करने के लिए लाया गया था । यह भी निवेदन किया गया है कि प्रकटीकरण कथन तथा अभियुक्त के कहने पर अभिकथित किर्च की बरामदगी के बारे में साक्ष्य अत्यधिक संदेहपूर्ण है । विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष गलत है और अभियोजन साक्ष्य के गलत मूल्यांकन पर आधारित है ।

11. इसके विपरीत, विद्वान् ज्येष्ठ अपर महाधिवक्ता ने यह दलील दी है कि वर्तमान मामले में मृतक के पिता द्वारा संभव कम से कम समय के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज की गई थी और उसने उन प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का नामनिर्दिष्ट किया था जिनसे उसे घटना के बारे में जानकारी होना ज्ञात है । प्रत्यक्षदर्शी साक्षी स्थानीय क्षेत्र में रहते थे या घटना के स्थान पर अपना कारोबार करते थे, इसलिए, घटनास्थल पर उनकी मौजूदगी स्वाभाविक थी । यह भी दलील दी गई कि दो प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के परिसाक्ष्य की विचारण के दौरान परीक्षा की गई और अभियुक्त के कहने पर अपराध के आयुध की बरामदगी के बारे में सबूत का समुचित रूप से विश्लेषण किया गया और विचारण न्यायालय द्वारा हत्या के आरोप पर अभियुक्त की दोषसिद्धि के आधार का मूल्यांकन किया गया । विद्वान् ज्येष्ठ अपर महाधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया है ।

12. विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए और न्यायालय में दी गई दलीलों का उत्सुकता के साथ विचार करने के पश्चात् हमने विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषसिद्धि के निष्कर्षों को ध्यान में लाए बिना अभियुक्त की सदोषिता या निर्दोषिता का अवधारण

करने के लिए साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन किया है और यह उल्लेख किया है कि शवपरीक्षण के निष्कर्षों को, मृतक की मृत्यु के तथ्य को ध्यान में रखते हुए जो अस्वाभाविक है और जिसका लक्षण मानववध है इस पर कोई संविवाद नहीं किया जाए । अपराध को करने वाले का अवधारण किया जाना है । साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करते हुए यह उल्लेख करना सुसंगत है कि अभियोजन पक्ष सबूत के दो तरीकों का सहारा लेकर दांडिक दायित्व से अभियुक्त को फंसाना चाहा है :–

(क) प्रत्यक्ष साक्ष्य ;

(ख) अभियुक्त का माना गया प्रकटीकरण कथन जिसके आधार पर अभियुक्त के कहने पर अपराध के आयुध किर्च की बरामदगी की गई थी ।

13. अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर लाए गए अन्य साक्ष्य केवल प्रकृति में सम्पुष्ट हैं जिसमें चिकित्सक और आंशिक विशेषज्ञों की राय तथा समकालीन अभिलेख सम्मिलित हैं ।

14. (क) **प्रत्यक्ष साक्ष्य** – अभि. सा. बनारसी दास इत्तिलाकर्ता है जो तारीख 7 अगस्त, 1991 को 9.30 बजे अपराह्न पुलिस थाना, गांधी नगर में पहुंचा था और उसने मौखिक कथन किया था कि उसका पुत्र राजेश गुप्ता **उर्फ** बिट्टू जो 8.00 बजे अपराह्न नई बस्ती पर स्थित अपनी दुकान को बंद करने के पश्चात् घर के लिए चला था उसे रास्ते पर अभियुक्त अनिल सिंह द्वारा घेरा गया था और जिसने धारदार नुकीली वस्तु से उसके शरीर पर गंभीर क्षतियां कारित कीं । हमले का कारण पूर्व दुश्मनी मानी गई थी । इत्तिलाकर्ता ने यह दावा किया है कि वह भी दुकान पर मौजूद था और वह दुकान से उसी समय चला था । तत्पश्चात् वह अपने किसी नातेदार के स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करने कि लिए राज्य अस्पताल गया था । उसे उसके भाई विरेन्द्र कुमार से लगभग 8.45 बजे अपराह्न वेधित घाव पहुंचाने की घटना के बारे में पता चला । इत्तिलाकर्ता ने पुलिस को यह भी बताया कि नरेन्द्र कुमार पुत्र रामदास निवासी नई बस्ती द्वारा आहत को यान से राज्य अस्पताल ले जाया गया था । उसने पुलिस को यह भी बताया कि वह शीघ्र अस्पताल पहुंचा जबकि विरेन्द्र कुमार भी उसके साथ चला था परंतु अस्पताल पहुंचने पर उसे यह पता चला कि आहत की क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई । उसने यह दावा किया कि कुछ अन्य व्यक्तियों ने भी वेधित घाव पहुंचाने की घटना देखी थी । इत्तिलाकर्ता द्वारा

दी गई सूचना प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 586/1991 में निगमित की गई थी जिसे तारीख 7 अगस्त, 1991 को 9.30 बजे अपराह्न पुलिस थाने पर अभिलिखित किया गया था । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को बारीकी से इत्तिलाकर्ता द्वारा साबित किया गया है जिस पर विचारण के दौरान प्रदर्श-बीडी से प्रदर्शित किया गया है । यह बात सामने आई है कि इत्तिलाकर्ता अभिकथित घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं था और उसका छोटा भाई विरेन्द्र कुमार को उसके बारे में जानकारी थी जो नई बस्ती पर 8.45 बजे अपराह्न पहुंचा था जबकि इत्तिलाकर्ता अपने नातेदार के स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करने के लिए राज्य अस्पताल गया था । अभि. सा. विरेन्द्र कुमार जिसने न केवल अभियुक्त को हमलावर के रूप में नामनिर्दिष्ट किया है क्योंकि अभियुक्त द्वारा मृतक पर नुकीले धारदार आयुध से वेधित घाव किए थे बल्कि उसने एक व्यक्ति के रूप में अभि. सा. नरेन्द्र कुमार के नाम को भी प्रकट किया है जो आहत को अस्पताल ले गया था । **दुर्भाग्यवश अभि. सा. विरेन्द्र कुमार को विचारण पर त्याग दिया गया था क्योंकि उसे अनावश्यक साक्षी महसूस किया गया और इस संदर्भ में उक्त साक्षी को प्रथम व्यक्ति माना गया जिसने हमलावर की पहचान प्रकट की, और क्षतियों के लिए कारित किए गए प्रयुक्त आयुध का वर्णन किया तथा जिन परिस्थितियों में मृतक को घातक क्षतियां पहुंची थीं । जबकि वह एक तात्विक साक्षी था जिससे दांडिक न्याय तंत्र पर पूरा प्रभाव पड़ा और अभियोजन पक्ष को भी नहीं छोड़ा ।** यदि ऐसा हो सकता है तो ऐसी रीतियां और परिस्थितियां जिसमें प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी और हमलावर की पहचान को प्रकट करना महत्वपूर्ण था । इत्तिलाकर्ता के परिसाक्ष्य से यह प्रकट हुआ है कि वह अभिकथित घटना की तारीख को दुकान पर भी मौजूद था और उसने 7.30 बजे अपराह्न दुकान छोड़ी थी क्योंकि उसे अपने दामाद की माता श्रीमती कमला के स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करने के लिए राज्य अस्पताल जाना पड़ा था जो उपचार के लिए राज्य अस्पताल में भर्ती थी । उसके परिसाक्ष्य से यह प्रकट हुआ है कि उसे अपनी पत्नी से देर रात्रि में 6 अगस्त को यह पता चला कि श्रीमती कमला गहन देखभाल कक्ष में भर्ती है और जिस बात को मृतक द्वारा उस समय उसे बताया गया था । उसके परिसाक्ष्य में यह भी प्रकट हुआ है कि उसका बड़ा पुत्र रमन कुमार तारीख 7 अगस्त, 1991 को अस्पताल में कमला देवी के पास गया था और इत्तिलाकर्ता ने यह दावा किया है कि उसने 7 अगस्त की प्रातः अपनी पत्नी को यह बताया था कि वह शाम को कमला देवी को देखने के लिए अस्पताल जाएगा । उसकी पत्नी ने

अस्पताल में रोगी से मिलने जाने के लिए अपने आशय को व्यक्त किया था । इत्तिलाकर्ता ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि जब वह 7.30 बजे अपराह्न दुकान से चला तब दुकान खुली हुई थी और उसने मृतक को दुकान बंद करने के लिए अनुदेश दिया था । इत्तिलाकर्ता ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अपने कथन से विरोध प्रकट किया है जो इस प्रभाव का है कि मृतक ने 8.00 बजे अपराह्न अपनी दुकान बंद कर ली थी और शास्त्री नगर पर अवस्थित अपने मकान की ओर चला था जबकि यह साक्षी अपने नातेदार के स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करने के लिए अस्पताल की ओर चला था । उसने उस सीमा तक अपने कथन का समर्थन नहीं किया है कि उसने और मृतक ने अपने कारोबार प्रतिष्ठान को बंद करने के पश्चात् उसी समय दुकान से चले थे ।

15. विचारण न्यायालय के समक्ष इत्तिलाकर्ता का परिसाक्ष्य और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अनुबंध के बीच विचलन के बारे में इत्तिलाकर्ता के परिसाक्ष्य को त्यक्त करने के लिए कोई न्यायोचित महत्वपूर्ण विभेद प्रकट नहीं हो सका है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अनुबद्ध से यह आशय प्रकट है कि मृतक दुकान बंद करने के पश्चात् घर की ओर चला था जब इत्तिलाकर्ता अपने किसी नातेदार के स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करने के लिए अस्पताल के लिए चला था । जिन बातों का स्पष्टीकरण दिया जा सका है क्योंकि यह उपधारणा का आधार रहा है कि मृतक अपने घर की ओर चला होगा जबकि इत्तिलाकर्ता ने उसे व्यापार प्रतिष्ठान बंद करने के लिए अनुदेश दिए और वह अस्पताल की ओर चला था । ऐसा उसने घर जाने के लिए किया था । इस विचलन को अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता और जिससे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में प्रकट उसके वृत्तांत की विश्वसनीयता प्रभावित नहीं होती । इत्तिलाकर्ता की ओर से यह दावा करने का कोई प्रयास नहीं किया गया कि उसे अभिकथित घटना की वैयक्तिक रूप से जानकारी थी । उसने स्पष्ट रूप से यह बात भी बताई है कि उसे अपने छोटे भाई विरेन्द्र कुमार से नई बस्ती पर मृतक को वेधित घाव पहुंचाने की घटना के बारे में पता चला क्योंकि वह 8.45 बजे अपराह्न वहां पर पहुंचा था और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट 9.30 बजे अपराह्न इत्तिलाकर्ता द्वारा दी गई मौखिक सूचना रजिस्ट्रीकृत की गई थी । इत्तिलाकर्ता ने यह भी बताया है कि नरेन्द्र कुमार यान में वेधित क्षतियों से घायल मृतक को राज्य अस्पताल ले गया था । जब इत्तिलाकर्ता विरेन्द्र कुमार के साथ वहां पहुंचा तब मृतक की मृत्यु के दुखदायी समाचार उसके

चेहरे पर था । **इन तथ्यों को दर्ज की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में निगमित किया गया है जो घटना के एक घंटे के पश्चात् दर्ज की गई, जिसमें किसी प्रकार के छलसाधन की गुंजाइश नहीं है ।** इसके अतिरिक्त, कोई भी पिता अपने पुत्र की हत्या के वास्तविक कर्ता को नहीं छोड़ेगा और किसी निर्दोष व्यक्ति को नहीं फंसाएगा । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के महत्व और इसके साक्षात्मक मूल्य पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई नज़ीरों की शृंखला पर विचार किया गया । नवीनतम सुनाया गया निर्णय जो **जय प्रकाश** बनाम **बिहार राज्य और एक अन्य**[1] वाले मामले में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट शीघ्रता से दर्ज करने के महत्व को दोहराया गया है जिसका परिशीलन करने पर इस प्रकार है :–

> "12. ... आपराधिक मामले में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट साक्ष्य का एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान टुकड़ा है यद्यपि साक्ष्य का सारभूत् टुकड़ा नहीं हो सकता । किसी अपराध के किए जाने के बारे में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को शीघ्रताशीघ्र दर्ज करने के उद्देश्य से परिस्थितियों के संबंध में प्रारंभिक सूचना प्राप्त करना जिसमें अपराध किया गया हो, वास्तविक अपराधियों के नाम और उनके द्वारा निभाई गई भूमिका तथा घटना के स्थान पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के नाम का उल्लेख होना चाहिए यदि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में विलंब हुआ है तो इससे उसकी सहजता का फायदा विलुप्त हो जाता है; और अलग-अलग वृत्तांतों का खतरा उत्पन्न हो जाता है और षड्यंत्र पूर्ण कहानी को गढ़ने का खतरा भी उत्पन्न होता है तथा कई लोगों से परामर्श का परिणाम भी प्रकट होता है । निःसंदेह प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में तत्परता से इत्तिलाकर्ता के वृत्तांत की सच्चाई का आश्वासन मिलता है । तत्परता से दर्ज की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से सर्वप्रथम घटना के वास्तविक घटना की बात परिलक्षित होती है और जो लोग प्रश्नगत अपराध किए जाने के उत्तरदायी प्रकट होते हैं .....।"

16. जैसाकि इसमें ऊपर उल्लेख किया गया है वर्तमान मामले में घटना के एक घंटे के अंतर्गत प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट इत्तिलाकर्ता द्वारा दिए गए मौखिक सूचना पर आधारित है तथा परिस्थितियों के ब्यौरे जिसमें अपराध किया गया था तथा क्षतियों की प्रकृति के साथ हमलावरों के नाम अनुबद्ध किए गए हैं तथा धारदार आयुध

---

[1] ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 1676.

जिससे आहत पर क्षतियां कारित की गईं तथा उस साक्षी का नाम भी प्रकट किया गया है जो यान में गंभीर रूप से घायल हुए आहत को अस्पताल ले गया था । वर्तमान मामले में तत्परता से दर्ज की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से अलग-अलग वृत्तांत की संभावना प्रकट नहीं हुई है और कोई षड्यंत्रपूर्ण कहानी या प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में कारित किया गया कोई विलंब भी प्रकट नहीं हो सका है और इत्तिलाकर्ता को अन्य व्यक्तियों के साथ परामर्श किए जाने के लिए भी समय मिल सकता था । मृतक के पिता द्वारा तत्परता से दर्ज की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से इत्तिलाकर्ता के वृत्तांत को विश्वास मिलता है और यह सच्चाई से पूर्ण है जिसका प्रारंभिक वृत्तांत यह है कि घटना कैसे घटी और किस के हाथों से मृतक को घातक क्षतियां पहुंची थीं ।

17. इत्तिलाकर्ता के परिसाक्ष्य से यह प्रकट हुआ है कि इत्तिलाकर्ता मृतक द्वारा दुकान बंद किए जाने के पूर्व अपने व्यापार प्रतिष्ठान से चला गया था और उसे नई बस्ती पर वेधित घाव पहुंचाने की घटना के बारे में पता चला जबकि वह अपने स्कूटर से अस्पताल से वापस आ रहा था तब उसने अपने भाई विरेन्द्र कुमार को देखा जो नई बस्ती की ओर से आ रहा था । वह तत्काल घटनास्थल की ओर गया और वहां पर कुछ लोग इकट्ठा हो गए थे । बंशी लाल दुकानदार ने उसे यह बताया कि आहत को अस्पताल ले गए थे । उसने उस स्थान का भी उल्लेख किया है जहां आहत को वेधित घाव पहुंचाए गए थे । उसके भाई विरेन्द्र कुमार ने उसे यह भी बताया था कि आहत को उस स्थान से 50/60 गज की दूरी पर वेधित घाव पहुंचाए गए थे जहां पर वह खड़ा था । बंशी लाल दुकानदार को छोड़कर किसी भी व्यक्ति ने भी घटनास्थल पर घटना के बारे में उसे नहीं बताया था । वह तत्काल अस्पताल गया और उसे नरेन्द्र कुमार, विरेन्द्र और बंशी लाल से घटना के बारे में पता चला । तत्पश्चात् वह पुलिस थाना, गांधी नगर गया । उसके साथ पुलिस थाने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं चला था । उसने यह दावा किया है कि उसने पुलिस के समक्ष साक्षियों के रूप में नरेन्द्र कुमार और राजेन्द्र सिंह का नामनिर्दिष्ट किया है । इत्तिलाकर्ता ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में कथन का समर्थन किया है जो इस प्रभाव का है कि कुछ और व्यक्तियों ने घटना को देखी थी जिसमें कुछ महिलाएं भी सम्मिलित थीं । राजन सिंह उसका पड़ोसी था और तब वह नई बस्ती में रहता था । वह मृतक का मित्र था जिससे व्यापार चलाने के बारे में संबंध थे । इत्तिलाकर्ता ने यह स्पष्टीकरण दिया है कि उसे कैसे

मृतक के शास्त्री नगर जाने के तथ्य के बारे में पता चला और इस बारे में उसे विरेन्द्र कुमार से पता चला था जब वे अस्पताल में थे । उसे नरेन्द्र कुमार से यह पता चला था कि अभियुक्त ने मृतक पर किर्च से वेधित घाव पहुंचाए थे । तथापि, आयुध का वर्णन का प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किया गया है । यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि अभियुक्त को मिथ्या फंसाए जाने के लिए कोई दुश्मनी या हेतु नहीं था जिस बात को इत्तिलाकर्ता द्वारा माना गया है, इत्तिलाकर्ता से यह आशा नहीं की जाती है कि वह वास्तविक अपराधी को छोड़कर किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाता । इत्तिलाकर्ता मृतक का पिता है और नातेदार होते हुए वह हितबद्ध भी है कि वास्तविक अपराधी को सामने लाए और अपने पुत्र के हत्यारे को स्वतंत्र रूप से नहीं छोड़ेगा । इस कारण से उसके परिसाक्ष्य को दूषित होना नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त के अभियोजन चलाने में वह हितबद्ध रहा है । मृतक से उसकी नातेदारी की स्वाभाविक प्रकृति को देखते हुए उसके वृत्तांत को मृतक का नातेदार और हितबद्ध साक्षी होने के आधार पर त्यक्त नहीं किया जा सकता ।

18. अभि. सा. नरेन्द्र कुमार के विचारण पर परीक्षा की गई और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से ऐसे व्यक्ति के रूप में अभि. सा. नरेन्द्र कुमार का उल्लेख है जिसने आहत को घायल अवस्था में उठाया था और यान में अस्पताल ले गया था । विद्वान् प्रतिरक्षा काउंसेल ने उसके परिसाक्ष्य को पुरजोर आक्षेपित किया है क्योंकि वह इस आधार पर दूषित है कि वह इत्तिलाकर्ता और मृतक का निकटतम नातेदार होने के कारण हितबद्ध साक्षी है । यह सही है कि अभि. सा. नरेन्द्र कुमार इत्तिलाकर्ता का सगा भाई है । वह शास्त्री नगर में रहता है । अभि. सा. नरेन्द्र कुमार के अभिसाक्ष्य से यह प्रकट हुआ है कि वह दवाइयों की दुकान में उपचार के लिए अपनी बीमार बच्ची को ले जा रहा था और जैसे ही वह बलजीत सिंह की दुकान के नजदीक पहुंचा तब उसकी जानकारी में यह आया कि अभियुक्त ने किर्च से मृतक पर हमला किया है । उसके अनुसार मृतक के उदर में वेधित घाव पहुंचाया गया और उसके घुटने के बल झुकने पर अभियुक्त ने उसकी पीठ में वेधित घाव पहुंचाया क्योंकि इस साक्षी ने यह देखा कि अभियुक्त भागने में सफल रहा, उसने अभियुक्त का तेजी से पीछा भी किया । तथापि, उसका प्रयास व्यर्थ रहा क्योंकि उसने बीमार बच्ची को पकड़ रखा था । उसने बच्ची को अभि. सा. राजन सिंह को सौंप दिया जो घटनास्थल पर मौजूद था और उससे उसे घर छोड़ने के लिए कहा । अभि. सा. बलजीत ने यान की व्यवस्था की और यह साक्षी बलजीत

सिंह के साथ आहत को अस्पताल पर ले गया जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया । इस साक्षी ने पहले अभियुक्त आहत को लड़ते-झगड़ते हुए देखा था । उसने देखा कि अभियुक्त ने आहत के चेहरे पर थप्पड़ मारा और उसने उसका प्रतिकार नहीं किया । यद्यपि, इस साक्षी ने यह सोचा कि चूंकि वे दोनों दोस्त हैं, इसलिए, वे मजाक कर रहे होंगे । दो दोस्त होने के इस तथ्य को कि इस साक्षी को प्रतिपरीक्षा में आक्षेपित नहीं किया गया है जो घटना के स्थान से लगभग 30 फीट की दूरी पर खड़ा था जहां मृतक पर हमला किया गया । इस साक्षी ने राजन सिंह, बलजीत और बंशी लाल को नामनिर्दिष्ट किया है जो अन्य लोगों के अतिरिक्त घटनास्थल पर पहुंचे थे । इस साक्षी ने स्पष्ट शब्दों में यह कथन किया है कि अभियुक्त ने मृतक के घुटने के बल झुकने के पूर्व उसके उदर में दो-तीन बार हमला किया था और तब उसने पुनः उसकी पीठ में भी वेधित घाव किया । यह साक्षी इस बात पर कायम है कि इत्तिलाकर्ता उस समय अस्पताल पर पहुंचा था जब डाक्टरों द्वारा मृतक को मृत घोषित कर दिया गया । यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि इस साक्षी का नाम प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अंकित है यद्यपि उसकी भूमिका अस्पताल में आहत को ले जाने तक ही सीमित है । इत्तिलाकर्ता के परिसाक्ष्य का मूल्यांकन करने पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि इत्तिलाकर्ता को अभियुक्त के हाथों मृतक को वेधित घाव पहुंचाने की घटना के बारे में वैयक्तिक रूप से कोई जानकारी नहीं थी और इसे इस बात का नई बस्ती पर पता चला जब वह अस्पताल से वापस लौट रहा था जब अभि. सा. नरेन्द्र कुमार उससे आकर मिला । विरेन्द्र कुमार के बारे में यह माना गया है कि उसने इत्तिलाकर्ता को यह सूचना दी कि अभि. सा. नरेन्द्र कुमार द्वारा आहत को क्षतिग्रस्त हालत में अस्पताल ले जाया गया था । घटनास्थल पर उसकी मौजूदगी के संबंध में उसने यह स्पष्टीकरण दिया है कि वह अपनी बच्ची के इलाज के लिए दवाइयों की दुकान की ओर जा रहा था जिसे उसने उस वक्त अपनी गोद में पकड़ रखा था । इस साक्षी की विस्तृत रूप से प्रतिपरीक्षा की गई परंतु घटना के स्थान के नजदीक साक्षी की मौजूदगी के बारे में स्पष्टीकरण अविश्वसनीय नहीं है । संभवतः उसके वृत्तांत में जो कुछ है यह है कि बलजीत की दुकान घटनास्थल पर दुकान सं. 8 के रूप में दिखाई गई है जिसे प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 14 से चिह्नित किया गया है और यह दुकान घटनास्थल के नजदीक अवस्थित है । उसकी उपस्थिति के तथ्य के बारे में राजन सिंह अभि. सा. के परिसाक्ष्य से भी पुष्टि हुई है । यह तथ्य कि यह साक्षी मृतक का चाचा है और वह शास्त्री नगर में रहता है जो स्थान घटना के स्थान के

नजदीक है और उसकी जानकारी में यह आया कि अभियुक्त और मृतक बलजीत सिंह की दुकान के नजदीक लड़ाई-झगड़ा कर रहे थे और जो वर्मा मेडिकल दुकान से दूर नहीं है जहां वह अपनी बच्ची के उपचार के लिए जा रहा था और यह तथ्य कि उसने अभियुक्त को पकड़ने की कोशिश की परंतु उसका ऐसा करना व्यर्थ रहा क्योंकि उसने नवजात बच्ची को पकड़ रखा था ये ऐसे कारक हैं जो संभवतः घटनास्थल पर उसकी मौजूदगी को प्रकट करते हैं । इस साक्षी ने बच्ची को राजन सिंह को सौंप दिया जो वहां पर मौजूद पाया गया था क्योंकि अभियुक्त का पीछा करके वहां पर लौटा था । वह बलजीत सिंह की सहायता से आहत को अस्पताल ले गया था और अस्पताल पहुंचने पर डाक्टरों ने आहत को मृत घोषित कर दिया । ये तथ्य उसके परिसाक्ष्य से प्रकट होते हैं और इत्तिलाकर्ता, राजन सिंह के तात्विक विशिष्टियों तथा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सहित अभिलेख पर अन्य साक्ष्य से सम्पुष्टि हुई है । इन परिस्थितियों में जैसाकि इसमें ऊपर प्रकट है कि इस साक्षी के लिए यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह उस सुसंगत समय पर घटना के स्थान पर पहुंचता । यह साक्षी प्रतिपरीक्षा की कसौटी में खरा उतरा है और उसकी विश्वसनीयता पर कम से कम विचलन नहीं हुआ है और इस साक्षी की घटनास्थल पर मौजूदगी के बारे में असंभाव्यता को पूर्णतः बाहर किया जाता है और इस बारे में दी गई दलील को अस्वीकार किया जाता है ।

19. अभि. सा. राजन सिंह का विचारण पर एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में परीक्षा की गई है । उसने घटना के स्थान और समय के बारे में अभि. सा. नरेन्द्र कुमार के परिसाक्ष्य की सम्पुष्टि की है तथा हमलावर और आहत की पहचान की है । उसने अभि. सा. नरेन्द्र कुमार से प्रकट वृत्तांत की इस बारे में सम्पुष्टि की है जो हमले की रीति, अभियुक्त का पीछा किए जाने और नरेन्द्र कुमार द्वारा बच्ची को उसे सौंपे जाने के बारे में है जिसने बच्ची को उसके घर पर छोड़ दिया था । उसने बलजीत सिंह की सहायता से अस्पताल पर आहत को ले जाने के बारे में नरेन्द्र कुमार के परिसाक्ष्य की भी पुष्टि की है । वह साक्षी 8.30 बजे अपराह्न अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान को बंद करने के पश्चात् मंदिर के रास्ते पर था । वह शाम को मंदिर जाया करता था क्योंकि वह मंदिर के प्रबंध समिति का सदस्य था । उसने अभियुक्त को मृतक पर हमला करते हुए देखा था और उस समय वह लगभग 50 फीट की दूरी पर था । उसने उस रीति का भी वर्णन किया है जिसमें मृतक पर हमला किया गया था, उसने यह दावा किया है कि हमलावर ने मृतक के घुटने के बल झुकने से पूर्व उसके उदर

में दो बार वेधित घाव पहुंचाए थे और इसके पश्चात् अवसर पाकर अभियुक्त ने उसकी पीठ पर वेधित घाव पहुंचाए । इस साक्षी ने यह देखा कि अभि. सा. नरेन्द्र कुमार ने थोड़ी दूरी तक अभियुक्त का पीछा किया क्योंकि उसने बच्ची को गोद में ले रखा था जिसे उसने उसे घर छोड़ने के लिए इस साक्षी को सौंप दिया था । यह साक्षी "पक्षपाती साक्षी" है और उसके परिसाक्ष्य को अभियुक्त द्वारा प्रारंभिक रूप में इस आधार पर चुनौती दी गई कि उसके राजनैतिक दल से संबंध हैं जिसका इत्तिलाकर्ता सक्रिय सदस्य था । उसके परिसाक्ष्य को इस आधार पर आक्षेपित किया गया कि घटनास्थल पर उसकी मौजूदगी अत्यधिक असंभाव्य प्रतीत होती है । इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखता है जबकि इत्तिलाकर्ता उस राजनैतिक पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता था । साक्ष्य में यह प्रकट हुआ है कि मृतक और अभियुक्त आपस में दोस्त थे इस तथ्य पर अभियुक्त द्वारा विवाद नहीं किया गया है । स्वीकृततः, अभियुक्त और मृतक के कुटुंब के बीच कोई राजनैतिक प्रतिद्वंद्विता नहीं थी । इन बातों को ध्यान में रखते हुए अभि. सा. राजन सिंह और इत्तिलाकर्ता एक ही राजनैतिक दल से संबंधित थे इससे अभि. सा. राजन सिंह के परिसाक्ष्य को अस्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है । अभि. सा. राजन सिंह नई बस्ती पर रहता था जो शास्त्री नगर के समीप है । मृतक और अभियुक्त उसे जानते थे । इत्तिलाकर्ता के साथ उसके राजनैतिक संबंध को छोड़कर अभिलेख पर यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं लाया गया है कि वे अभियुक्त के विरोधी थे और उनका अभियुक्त को मामले में मिथ्या फंसाने का कोई हेतु था । इस साक्षी का निवास स्थान तथा दुकान घटनास्थल से समदूरस्थ पर थे और यह तथ्य कि यह साक्षी अपने द्वारा बताई गई सड़क पर चलकर ही मंदिर पर पहुंच सकता था, इस बात पर कोई विवाद नहीं किया गया । इस प्रकार, घटनास्थल पर उसकी मौजूदगी अप्रयायिक नहीं हो सकती । यदि इस अतात्विक माना जाए कि क्या वह अपनी दुकान से या अपने निवास स्थान मंदिर की ओर चला था यह दलील दी गई कि उसके परिसाक्ष्य में बड़े विभेद प्रकट हैं, को खारिज किया जाता है ।

20. इसमें ऊपर उल्लिखित प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के परिसाक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने पर बिना किसी विभेद के यह कहा जा सकता है कि दो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी कि उस सुसंगत समय पर घटनास्थल पर उनकी मौजूदगी के बारे में दिए गए स्पष्टीकरण स्वीकार्य योग्य है और उनके साक्ष्य, उनके द्वारा दिए गए वृत्तांत में कुछ भी अविश्वसनीय या असंभाव्य नहीं है । वे

घटना के स्थान के नजदीक रहते थे और उन पर घटना के स्थान उनकी मौजूदगी के लिए दिए गए स्पष्टीकरण पर विश्वास प्रकट होता है । तद्नुसार, उनका परिसाक्ष्य विश्वसनीय पाया गया है ।

(ख) अभियुक्त का माना गया प्रकटीकरण कथन जिसमें अभियुक्त के कहने पर अपराध के आयुध के रूप में किर्च की बरामदगी हुई थी –

21. अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त को दंड के दायित्व से फंसाने के लिए दूसरे तरीके का अवलंब लिया गया, यह अभियुक्त द्वारा दिया गया प्रकटीकरण कथन है जिसके बारे में यह कहा गया है कि उसके कहने पर समाधी मोड़, बंतालाब के नजदीक झाड़ियों से रक्त-रंजित किर्च की बरामदगी हुई थी । अभि. सा. विजय कुमार और शेष पाल प्रकटीकरण ज्ञापन के साक्षी हैं जिसे प्रदर्श पी. डब्ल्यू. वीके/1 से चिह्नित किया गया है । दोनों साक्षियों ने यह दावा किया है कि उनका उत्सुकता से यह जानकारी प्राप्त करने के लिए पुलिस थाना, गांधी नगर की ओर ध्यान गया था कि इस मामले में अपराध का कर्ता कौन था । इस विषय पर उनके समक्ष अभियुक्त से पूछताछ की गई थी । उन्होंने यह दावा किया कि अभियुक्त ने उस स्थान के बारे में सूचना दी थी जहां किर्च छुपा कर रखा गया था । ये साक्षी पुलिस दल के साथ किर्च की बरामदगी के स्थान पर गए थे । उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह साक्ष्य दिया है कि अभियुक्त उन्हें सड़क के नजदीक ढलान की ओर ले गया था और वह किर्च लाया था जिसे प्रदर्श पी-1 से चिह्नित किया गया है जिसे घटनास्थल पर अभिगृहीत किया गया और मोहरबंद किया गया और मोहर को इत्तिलाकर्ता के सुपुर्दनामे पर रखा गया जो घटनास्थल पर भी मौजूद था । इत्तिलाकर्ता और अभियुक्त के साथ पुलिस दल का यात्रा करने के बारे में विभेद प्रकट है और बरामदगी का स्थान अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल द्वारा बताया गया कि उस स्थान पर परिवहन द्वारा आ-जा सकता था । तथापि, अभिभूत साक्ष्य से इस निष्कर्ष पर पहुंच गया है कि शिकायतकर्ता उस समय पुलिस थाने पर मौजूद था जब पुलिस दल अभियुक्त और साक्षियों के साथ किर्च के बरामदगी के स्थान की ओर चले थे । यह भी सिद्ध किया गया है कि इत्तिलाकर्ता रक्त-रंजित किर्च के बरामदगी के स्थान पर मौजूद था । इसलिए, यह बात इतनी अधिक महत्वपूर्ण नहीं है कि क्या इत्तिलाकर्ता ने पुलिस दल के साथ पुलिस जीप में सफर किया था या उसने अपने यान का प्रयोग करके घटनास्थल पर गया था । इन साक्षियों ने किर्च की बरामदगी के पश्चात् किर्च पर रक्त-रंजित किर्च की मोहर जिसे प्रदर्श पी-1

से चिह्नित किया गया है, को सिद्ध किया है और किर्च पर मोहर लगाने के लिए प्रयुक्त की गई मोहर इत्तिलाकर्ता के सुपुर्दनामे में रखी गई थी जिसे घटनास्थल पर संदेह के परे इत्तिलाकर्ता की मौजूदगी में सिद्ध किया गया है । अभियुक्त के न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के बारे में अन्वेषक अधिकारी का परिसाक्ष्य जो अभियुक्त के कहने पर उसका रक्त-रंजित किर्च की बरामदगी से संबंधित है, उसका इत्तिलाकर्ता के परिसाक्ष्य के अतिरिक्त विजय कुमार और शेष पाल के साक्ष्य द्वारा भी व्यापक रूप से संपुष्टि हुई है ।

39. साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 इस नियम के अपवाद की प्रकृति में है कि पुलिस के समक्ष की गई संस्वीकृति की ग्राह्यता को प्रतिषेध करती है । इस उपबंध में इस धारा को लिया गया है जो पश्चात्वर्ती घटना द्वारा पुष्टिकरण के सिद्धांत पर आधारित है । यह सुस्थिर है कि अपराध कारित किए जाने का किसी अभियुक्त व्यक्ति से प्रकट सूचना जब वह अभिरक्षा में है तो क्या ऐसा साक्ष्य ग्राह्य है यदि इस तथ्य को ध्यान में लाए बिना कि अभियुक्त द्वारा दी गई सूचना के परिणामस्वरूप किसी तथ्य से बरामदगी का पता चलता है क्या ऐसी सूचना संस्वीकृति की कोटि में आती है या नहीं ।

40. वर्तमान मामले में संदेह के परे यह सिद्ध किया गया है कि रक्त-रंजित किर्च समाधी मोड़, बंतालाब पर सड़क के नजदीक झाड़ियों में छुपाकर रखा गया है यह एक अज्ञात तथ्य था जिसे अभियुक्त द्वारा जब वह पुलिस अभिरक्षा में था द्वारा दी गई सूचना के आधार पर अनन्य रूप से बरामद किया गया था और उक्त किर्च अभियुक्त के कहने पर बरामदगी स्थान से बरामद किया गया था, इस प्रकार प्रदर्श पी-1 की बरामदगी युक्तियुक्त संदेह के परे साबित की गई ।

चिकित्सा और न्यायालयिक साक्ष्य –

22. डा. एस. डी. ठाकुर का परिसाक्ष्य जिन्होंने शवपरीक्षण रिपोर्ट जिसे प्रदर्श पी. डब्ल्यू.- एस. डी. से चिह्नित किया गया है, से यह प्रकट है कि मृतक को निम्नलिखित क्षतियां कारित हुई थीं :–

1. कंधे के शीर्ष से 5" पीछे ऊपर तथा पार्श्व किनारों के अंडाकार भाग पर 3" वक्ष तक घुसा 1/2" x 1/2" वेधित घाव ।

2. कंधे के शीर्ष से 9" पीछे और तथा मध्य रेखा से 1-1/2" पर 1/2" x 1-1/2" x 1" का वेधित घाव जो वक्ष में प्रविष्ट नहीं है । मृत्यु-

पूर्व ।

3. चूचुक से 4" तथा मध्य रेखा से 3" नीचे बाएं पार्शुकी क्षेत्र के ऊपर वेधित घाव जो 1" x 1/2" x 1/4" छिन्न है । मृत्यु-पूर्व ।

4. घाव सं. 3 के 2" मध्य पर लेनियर 3" x 1/4" x 1/4" का छिन्न घाव ।

5. बाएं कान के पीछे खुरची हुई खरोंच, मृत्यु-पूर्व ।

6. घाव सं. 3 के पार्श्व भाग पर 1/2" x 1/3" x 1-1/2" का वेधित घाव जो वक्ष पर घुसा हुआ नहीं है । मृत्यु-पूर्व ।

23. डाक्टर ने अपनी राय में यह व्यक्त किया है कि मृतक की मृत्यु बाएं फेफड़े में क्षति के कारण रक्त-स्राव और आघात से हुई थी जो मृत्यु कारित करने के लिए प्रकृति के साधारण अनुक्रम में पर्याप्त थीं । इस साक्षी ने मृतक की पीठ पर दो क्षतियों का उल्लेख किया है जबकि यह सही है कि अभि. सा. नरेन्द्र कुमार और राजन सिंह ने मृतक की पीठ पर एक ही क्षति कारित होने की बात कही है, शवपरीक्षण परीक्षा से यह प्रकट होता है कि दो वेधित घाव हुए थे, एक पीठ के बाईं ओर और दूसरा पीठ के दाहिने ओर । उन दोनों का एक ही आकार था । मौखिक परिसाक्ष्य और शवपरीक्षण के बीच विभेद और दूरी जहां से वे घटना को देख रहे थे से साक्षियों की स्थिति का निष्कर्ष निकाला जा सकता है । डाक्टर का अभिसाक्ष्य इस प्रभाव का है कि मृतक और हमलावर मृतक की पीठ पर कारित की गई क्षतियों के समय आमने-सामने हो सकते हैं और मृतक वेधित घाव पहुंचने के पश्चात् घुटने के बल झुका था । इस प्रकार, प्रत्यक्षदर्शी साक्षी इस बात के लिए समर्थ नहीं हो सकते कि कारित किए गए वेधित घाव की वास्तविक संख्या को देख सकते । जहां तक हमलावरों की संख्या के संबंध में अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल की दलील का संबंध है 'व्यक्ति शब्द' जो 'अभिकथित मामले के इतिवृत्त' में प्रयुक्त किया गया है जिसे शवपरीक्षण रिपोर्ट में अभिलिखित किया गया है, का अत्यधिक महत्व नहीं है । इसे असावधानी या मानव गलती माना जा सकता है । यह तथ्य कि एकमात्र हमलावर की पहचान का प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से निगमित किया गया है जिससे ऐसे निष्कर्ष को समर्थन मिलता है । एकमात्र कारण से डाक्टर ने 'व्यक्ति शब्द' को अनेक रूप में प्रयुक्त किया है इसका चाहे कोई भी कारण रहा हो इससे अभियोजन पक्षकथन को दूर करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है जब घटना के एक घंटे के अंतर्गत

केवल हमलावर का नाम अभियुक्त के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया हो ।

24. उप-निरीक्षक मोहम्मद मुंशी भट जो गांधी नगर में तैनात था, उसे एसडीपीओ द्वारा भारसाधक अधिकारी की अनुपस्थिति में अन्वेषण की देख-रेख के लिए तैनात किया गया था, जो अभियुक्त को तलाश करने के लिए बाहर गया था । उप-निरीक्षक मुंशी भट ने साक्षी कठघरे में हाजिर होकर यह साक्ष्य दिया है कि उसने मृतक के शव का शवपरीक्षण करवाया था । उसने मृतक के रक्त के नमूनों से संबंधित अभिग्रहण ज्ञापन को साबित किया है, मृतक द्वारा पहने गए कपड़े और उन पर लगाई गई मोहर रमन गुप्ता के सुपुर्दनामे में रखी गई थीं । उसने फर्द सुर्थल (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट) को तैयार करने को भी साबित किया है जिस बात को 'अभिकथित मामले का इतिवृत्त' में निगमित नहीं किया गया । चूंकि उप-निरीक्षक मुंशी भट को बहुत ही सीमित अवधि के लिए अन्वेषण का जिम्मा सौंपा गया था जिसने मृतक के शव का शवपरीक्षण करवाया था इसलिए वह मामले के सभी तथ्यों से पूरी तरह परिचित नहीं हो सका था । इसके अतिरिक्त, स्रोत जिनसे हमलावरों के संबंध में सूचना डाक्टर द्वारा प्राप्त की गई थी, उसे शवपरीक्षण रिपोर्ट या डाक्टर के परिसाक्ष्य में प्रकट नहीं किया गया है । उप-निरीक्षक मोहम्मद मुंशी भट के साथ की गई प्रतिपरीक्षा में उसे यह सुझाव नहीं दिया गया कि इत्तिलाकर्ता और अभि. सा. नरेन्द्र कुमार और राजेन्द्र सिंह ने एक से अधिक हमलावर बताए थे । इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला गया कि मृतक की पीठ पर क्षतियां उस हमलावर द्वारा जो सामने खड़ा था, कारित की जा सकती हैं । ये साक्षी इस बात के लिए समर्थ नहीं होंगे कि उत्तरोतर मृतक को कारित की गई क्षतियों को देख सकें । इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि मौखिक साक्ष्य और चिकित्सा साक्ष्य के बीच कोई विभेद नहीं था । इस बारे में दी गई दलील का विचारण न्यायालय द्वारा उल्लेख किया गया है और बिना किसी विधिमान्य कारणों और सार के उसे खारिज किया गया ।

25. यह सुस्थिर है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के मौखिक साक्ष्य तथा चिकित्सा राय के बीच विरोधाभास होने की दशा में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के परिसाक्ष्य अभिभावी होंगे क्योंकि यह बात सचेत स्वतंत्र निर्धारण और उनकी विश्वसनीयता की परीक्षा के मूल्यांकन पर आधारित है । इस प्रकार, यह मत व्यक्त किया गया कि शवपरीक्षण रिपोर्ट के स्तंभ में "अभिकथित मामले के इतिवृत्त" में हमलावरों की अनेकता के बारे में अवलोकन करने पर प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के संगत वृत्तांत पर अभिभावी नहीं होगा और उनका

वृत्तांत विश्वसनीय पाया गया है ।

26. अभियुक्त के कहने पर तारीख 10 अगस्त, 1991 को बरामद किया गया किर्च जिसे प्रदर्श पी-1 से चिह्नित किया गया है, घटनास्थल पर मोहरबंद किया गया था । शेष पाल सहित साक्षियों के परिसाक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि किर्च का दोधारी ब्लेड रक्त-रंजित था । डा. एस. डी. ठाकुर की राय के अनुसार अभिगृहीत किर्च से शवपरीक्षण रिपोर्ट में वर्णित क्षतियां कारित की जा सकती हैं । इस प्रकार, साक्षी विजय कुमार और शेष पाल द्वारा दिए गए साक्ष्य से इस बात की सम्पुष्टि होती है । उप-निरीक्षक मोहम्मद मुंशी भट द्वारा मृतक के रक्त का नमूना मृतक के शव-परीक्षण के समय पर प्राप्त किया गया था । अन्वेषक अधिकारी ने रक्त-रंजित और सादी मिट्टी घटनास्थल से अभिगृहीत की थी । मृतक के रक्त-रंजित कपड़े भी अभिगृहीत किए गए थे और साक्षियों के समक्ष उन्हें मोहरबंद किया गया था । गुलाब नबी, तहसीलदार (कार्यपालक मजिस्ट्रेट) द्वारा उन्हें पुनः मोहरबंद किया गया था । डा. जे. एल. फोतेदार, सहायक निदेशक न्यायालयिक प्रयोगशाला, जम्मू को सरकार द्वारा रसायन परीक्षक के रूप में पदाभिहीत किया गया था और इसमें ऊपर उल्लिखित सामग्री की उसके द्वारा परीक्षा की गई थी । मृतक के पहने गए कपड़ों पर रक्त के धब्बों का रक्त समूह और मोहरबंद किर्च पर ए ग्रुप था । इस प्रकार, साक्ष्य में रिपोर्ट स्वीकार की गई थी जिससे यह सिद्ध हुआ है कि मृतक के पहने हुए कपड़ों पर पाया गया रक्त तथा अपराध के आयुध पर एक ही रक्त ग्रुप था । इससे युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त की सदोषिता सिद्ध होती है ।

27. घटनास्थल के बारे में और उससे संबंधित मूल स्थल के ज्ञापन की प्रतियों को तैयार करने में हुए लोप के बारे में विभेद प्रकट होते हैं और इससे यह मूल्यांकन करके निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है । प्रत्यक्ष और पारिस्थितिक साक्ष्य का भी विश्लेषण करके निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है । मामले के तह पर विचार करने पर कोई महत्वपूर्ण विभेद प्रकट नहीं होते हैं जिससे कि अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंब लिए गए साक्षियों की विश्वसनीयता प्रभावित होती हो या उनकी सत्यता पर कोई प्रभाव परिलक्षित होता हो ।

28. जहां तक अपराध के अभिकथित हेतु का संबंध है इत्तिलाकर्ता ने यह दावा किया है कि अभिकथित घटना के दो दिन पूर्व मृतक द्वारा यह बताया गया था कि अभियुक्त ने उसे मारने की धमकी दी है क्योंकि उसने अभियुक्त के क्रियाकलापों पर आक्षेप किया था जो छेड़छाड़ से संबंधित था ।

इत्तिलाकर्ता इस बात को अभियुक्त के पिता के समक्ष रखना चाहता था परंतु इससे पूर्व मृतक की हत्या हो गई । यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त का पिता पुलिस अधिकारी था और इस प्रकार इत्तिलाकर्ता के पास अभियुक्त के पिता से सम्पर्क किए बिना पुलिस को समावेदन करना व्यर्थ था क्योंकि अभियुक्त की सह-अपराधिता के बारे में साक्ष्य स्पष्ट प्रकृति का है और इस मत की उपेक्षा करके कोई विचार व्यक्त नहीं किया जा सकता कि अभियुक्त अपराध का कर्ता है । इसका अत्यधिक महत्व नहीं है कि क्या अभियुक्त मृतक को मारने के लिए उसके विरुद्ध कोई बुरा हेतु रखता था या अभियुक्त ने घटना के स्थान पर मृतक को मारने के लिए हेतु रखा था ।

29. साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने पर हमारे विवेक में ऐसा कोई संदेह नहीं है कि मृतक की हत्या अभियुक्त द्वारा की गई थी न किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा । विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए निष्कर्ष पूर्णतया न्यायसंगत हैं । हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि आक्षेपित निर्णय किसी विधिक दुर्बलता या तथ्यात्मक दुर्बलता से ग्रसित नहीं है । तद्नुसार हम रणबीर दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए अभियुक्त की दोषसिद्धि को कायम रखते हैं और अभियुक्त पर अधिरोपित दंडादेश की अभिपुष्टि करते हैं ।

30. परिणामस्वरूप, अपील खारिज की जाती है । पुष्टिकरण निर्देश को कायम रखा जाता है । इस अपील का परिणाम और पुष्टिकरण कार्यवाहियां अभिप्रमाणित करके विचारण न्यायालय को भेजी जाती हैं । जैसाकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 425 के अंतर्गत आज्ञापक है । विचारण न्यायालय दंडादेश के निष्पादन के लिए कार्यवाही करेगा ।

31. अभिलेख विचारण न्यायालय को वापस भेजे जाते हैं ।

अपील खारिज की गई ।

आर्य

फारुख अहमद दार और अन्य

बनाम

मोहम्मद अमीन गनई और एक अन्य

तारीख 1 मई, 2013

न्यायमूर्ति जनक राज कोतवाल

रणबीर दंड प्रक्रिया संहिता, 1989 संवत् (1933 ईस्वी) – धारा 100 – सदोष परिरुद्ध व्यक्ति की तलाशी – यदि अप्राप्तवय लड़की अपनी नानी और मामा की देखभाल और अभिरक्षा में है तो उसका नैसर्गिक पिता अपनी लड़की की अभिरक्षा बलपूर्वक और अशिष्ट ढंग से प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि यह विधिविरुद्ध होगा और बलात् प्राप्त की गई अभिरक्षा विधिविरुद्ध परिरोध की कोटि में आएगी ।

इस पुनरीक्षण आवेदन के निपटारे के लिए सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि याची सं. 1 मोहम्मद फारुख दार अप्राप्तवय बच्ची का पिता है । प्रत्यर्थी सं. 2 मुसम्मात जाना उसकी नानी है और प्रत्यर्थी सं. 1 मोहम्मद अमीन गनई अप्राप्तवय बच्ची का मामा है । तारीख 4 फरवरी, 2013 को प्रत्यर्थियों ने यह दलील देते हुए विद्वान् मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन पेश किया कि प्रत्यर्थी सं. 2 की पुत्री का याची सं. 1 के साथ विवाह हुआ था और उक्त अप्राप्तवय बच्ची उनके विवाह से पैदा हुई थी । अप्राप्तवय बच्ची की माता की संदेहास्पद परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी जब उक्त अप्राप्तवय बच्ची 6 माह की थी । उसकी माता की मृत्यु के पश्चात् अप्राप्तवय बच्ची उनके साथ रही और उसे प्रत्यर्थियों द्वारा लाया गया था । प्रत्यर्थियों ने यह अभिकथन किया है कि तारीख 2 फरवरी, 2013 को जब वे अप्राप्तवय बच्ची के साथ थे तब पमपोरे की ओर जाने वाले रास्ते पर याची सं. 1, 3 और 4 ने कोनिबल पर गाड़ी को रोका और प्रत्यर्थियों को पीटकर अप्राप्तवय बच्ची को बलपूर्वक उठा ले गए । उनके द्वारा संबंधित पुलिस को मामले की रिपोर्ट दी गई थी इसलिए, उन्होंने यह अभिकथन करते हुए न्यायालय के समक्ष अप्राप्तवय बच्ची को पेश करने के लिए तलाशी वारंट जारी करने की ईप्सा की कि अप्राप्तवय बच्ची की अवैध रूप से परिरोध में रखा गया है । विद्वान् मजिस्ट्रेट ने प्रत्यर्थी सं. 1 और एक साक्षी जिसे प्रत्यर्थियों द्वारा पेश किया गया, के कथन अभिलिखित करने के पश्चात् यह मत व्यक्त किया कि तलाशी वारंट जारी करने का आधार

बनता है और भारसाधक अधिकारी, पुलिस थाना, पमपोरे को निदेश देते हुए तलाशी वारंट जारी किया कि वे अप्राप्तवय बच्ची को तलाश करें और न्यायालय के समक्ष पेश करें । याचियों ने तारीख 4 फरवरी, 2013 और तारीख 7 फरवरी, 2013 के आदेशों को अभिखंडित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (जिसे इसमें इसके पश्चात् "संहिता" कहा गया है) की धारा 561-क के अधीन इस न्यायालय की अंतर्निहित अधिकारिता का अवलंब लिया जिसके द्वारा विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट (मुंशी), पमपोरे ने संहिता की धारा 100 के अधीन तलाशी वारंट जारी किया जिसमें भारसाधक अधिकारी पुलिस थाना, पमपोरे को यह निदेश दिया गया कि आफी जान (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अप्राप्तवय" कहा गया है) को तलाश करें तथा न्यायालय के समक्ष पेश करें । तारीख 22 मार्च, 2013 के आदेश को भी आक्षेपित किया गया जिसके द्वारा विद्वान् सेशन न्यायाधीश, पुलवामा के विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध याचियों की ओर से फाइल किए गए पुनरीक्षण आवेदन को खारिज कर दिया गया । याचियों ने विद्वान् मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष लंबित संहिता की धारा 100 के अधीन कार्यवाहियों को अभिखंडित किए जाने की ईप्सा की । याचियों ने विद्वान् मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष लंबित संहिता की धारा 100 के अधीन कार्यवाहियों को अभिखंडित किए जाने की याचिका इस न्यायालय के समक्ष फाइल की । उच्च न्यायालय द्वारा याचिका खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – संहिता की धारा 100 के अधीन शक्ति का प्रयोग करना अनिवार्य है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश की गई सामग्री पर उसे विश्वास करने का कारण होना चाहिए कि व्यक्ति जिसके लिए तलाशी वारंट जारी किया जाना ईप्सित है ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत परिरुद्ध है और ऐसा परिरोध अपराध की कोटि में आता है । इस प्रक्रम पर मजिस्ट्रेट से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह तलाशी वारंट जारी करने के पूर्व नियमित जांच करे । मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित कथनों के आधार पर और आवेदक द्वारा पेश की गई सामग्री पर मजिस्ट्रेट को यह युक्तियुक्त निष्कर्ष निकालना चाहिए कि किसी व्यक्ति को सदोष परिरुद्ध किया गया है । यदि सामग्री पर विचार करते हुए ऐसा निष्कर्ष निकाला जाना संभव नहीं है तो वारंट जारी नहीं किया जाना चाहिए । यहां पर यह विवाद नहीं किया जा सकता है कि विद्वान् मजिस्ट्रेट के पास यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि अप्राप्तवय बच्ची अपनी माता की मृत्यु के पश्चात् उसके मामा और नानी द्वारा उसे लाया गया था अर्थात् प्रत्यर्थी जिस बच्ची को तारीख 2 फरवरी, 2013 को याची सं. 1, 3 और 4 द्वारा उनकी अभिरक्षा

से बलपूर्वक उठा लिया गया था । प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा घटना के बारे में जो तारीख 2 फरवरी, 2013 को घटित हुई थी उस पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने के तथ्य से ऐसा स्पष्ट हुआ । जब एक बार ऐसी सामग्री दर्शित हुई है कि अप्राप्तवय बच्ची के पिता और अन्य याचियों ने अप्राप्तवय बच्ची को प्रत्यर्थियों के कब्जे से बलपूर्वक हटा दिया था तब उसका प्राकृतिक परिणाम यह है कि प्रत्यर्थियों के मकान में अप्राप्तवय बच्ची की पश्चात्वर्ती अभिरक्षा सदोष परिरोध की कोटि में आती है । चाहे बच्ची खुश है या नहीं इस बात की जरूरत नहीं है और इसकी उपधारणा भी नहीं की जा सकती । इस संदर्भ में, यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि याची सं. 1 ने तारीख 6 फरवरी, 2013 को विद्वान् मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना आवेदन पेश किया था जिसमें उसने तारीख 2 फरवरी, 2013 को घटित घटना से इनकार नहीं किया जब उसने प्रत्यर्थियों से अप्राप्तवय बच्ची को अभिकथित रूप से छीन लिया था । उसने इस न्यायालय के समक्ष याचिका में घटना होने से इनकार नहीं किया है । इस याचिका के साथ उपाबंध पीडी के रूप में पेश किए गए दस्तावेज से यह पुष्टि होती है कि प्रत्यर्थियों द्वारा पिछले 11 वर्षों से अप्राप्तवय बच्ची को लाया गया था यद्यपि तारीख 10 जनवरी, 2013 को एक समझौता हुआ था जिसके अधीन प्रत्यर्थी सं. 1 के लिए यह अपेक्षित था कि वह अप्राप्तवय बच्ची को तारीख 1 फरवरी, 2013 को अप्राप्तवय बच्ची के पिता/याची के मकान पर भेजने की व्यवस्था करेगा और यह भी उपबंध किया गया कि उसके विफल होने की दशा में अप्राप्तवय बच्ची को उसके पिता को बलकृत सौंपा जाएगा । इससे प्रत्यर्थियों की दलील को समर्थन मिलता है कि अप्राप्तवय बच्ची उनकी देख-रेख और अभिरक्षा में थी और याची (पिता) और अन्य याचियों द्वारा उसको छीने जाने का कार्य किया था । इसी संदर्भ में, यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि याची सं. 1 ने जानबूझकर विद्वान् मजिस्ट्रेट के समक्ष अप्राप्तवय बच्ची को पेश करने से बचना चाहा जिसके लिए उसके पास पर्याप्त अवसर उपलब्ध था । उसके द्वारा ऐसा करके इस मामले को सुलझाया जा सकता था, तथापि, याचियों ने इस न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का अवलंब लेना चाहा जिसके लिए कोई मामला नहीं बनता । विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट जारी करके कोई गलत किया जाना नहीं कहा जा सकता और न यह कहा जा सकता है कि न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया गया । इस मामले में बच्ची नानी और मामा की देख-रेख और अभिरक्षा में थी जो प्रत्यर्थी हैं । पिता यद्यपि बच्ची का नैसर्गिक अभिभावक है तो भी उसे अपनी बच्ची को बलपूर्वक या किसी अभद्र रीति

से अपनी अभिरक्षा में रखने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जा सकता है । यदि वह ऐसा करता है तो ऐसा कार्य विधिविरुद्ध होगा और ऐसी अभिरक्षा विधिविरुद्ध परिरोध की कोटि में आएगी । संहिता की धारा 100 वर्जित नहीं होगी । (पैरा 11, 12, 13, 14 और 16)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[1999]	1999 के. एल. जे. 316 : **विनोद गंदोत्रा** बनाम **गीता गंदोत्रा** ।	8

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2013 की दांडिक अपील सं. 35 तथा 2013 की दांडिक प्रकीर्ण आवेदन सं. 69.

रणबीर दंड प्रक्रिया संहिता, 1989 संवत् (1933 ईस्वी) की धारा 561-क के अधीन अपील तथा दांडिक प्रकीर्ण आवेदन ।

याचियों की ओर से श्री अय्यूब भट, अधिवक्ता

प्रत्यर्थियों की ओर से श्री मीर रियाज अहमद, अधिवक्ता

न्यायमूर्ति जनक राज कोतवाल – याचियों ने तारीख 4 फरवरी, 2013 और तारीख 7 फरवरी, 2013 के आदेशों को अभिखंडित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (जिसे इसमें इसके पश्चात् "संहिता" कहा गया है) की धारा 561-क के अधीन इस न्यायालय की अंतर्निहित अधिकारिता का अवलंब लिया है जिसके द्वारा विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट (मुंशी), पमपोरे ने संहिता की धारा 100 के अधीन तलाशी वारंट जारी किया जिसमें भारसाधक अधिकारी पुलिस थाना, पमपोरे को यह निदेश दिया गया कि आफी जान (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अप्राप्तवय" कहा गया है) को तलाश करें तथा न्यायालय के समक्ष उसे पेश करें । तारीख 22 मार्च, 2013 के आदेश को भी आक्षेपित किया गया जिसके द्वारा विद्वान् सेशन न्यायाधीश पुलवामा में विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किए गए आदेशों के विरुद्ध याचियों की ओर से फाइल किए गए पुनरीक्षण आवेदन को खारिज कर दिया गया । याचियों ने विद्वान् मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष लंबित संहिता की धारा 100 के अधीन कार्यवाहियों को अभिखंडित करने की ईप्सा जाहिर की ।

2. मैंने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया ।

3. इस पुनरीक्षण आवेदन के निपटारे के लिए सुसंगत तथ्य निम्न प्रकार हैं कि याची सं. 1 मोहम्मद फारुख दार अप्राप्तवय बच्ची का पिता है । प्रत्यर्थी सं. 2 मुसम्मात जाना उसकी नानी है और प्रत्यर्थी सं. 1 मोहम्मद अमीन गनई अप्राप्तवय बच्ची का मामा है । तारीख 4 फरवरी, 2013 को प्रत्यर्थियों ने यह दलील देते हुए विद्वान् मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन पेश किया कि प्रत्यर्थी सं. 2 की पुत्री का याची सं. 1 के साथ विवाह हुआ था और उक्त अप्राप्तवय बच्ची उनके विवाह से पैदा हुई थी । अप्राप्तवय बच्ची की माता की संदेहास्पद परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी जब उक्त अप्राप्तवय बच्ची 6 माह की थी । उसकी माता की मृत्यु के पश्चात् अप्राप्तवय बच्ची उनके साथ रही और उसे प्रत्यर्थियों द्वारा लाया गया था । प्रत्यर्थियों ने यह अभिकथन किया है कि तारीख 2 फरवरी, 2013 को जब वे अप्राप्तवय बच्ची के साथ थे तब पमपोरे की ओर जाने वाले रास्ते पर याची सं. 1, 3 और 4 ने कोनिबल पर गाड़ी को रोका और प्रत्यर्थियों को पीटकर अप्राप्तवय बच्ची को बलपूर्वक उठा ले गए । उनके द्वारा संबंधित पुलिस को मामले की रिपोर्ट दी गई थी इसलिए, उन्होंने यह अभिकथन करते हुए न्यायालय के समक्ष अप्राप्तवय बच्ची को पेश करने के लिए तलाशी वारंट जारी करने की ईप्सा की कि अप्राप्तवय बच्ची को अवैध रूप से परिरोध में रखा गया है । विद्वान् मजिस्ट्रेट ने प्रत्यर्थी सं. 1 और एक साक्षी जिसे प्रत्यर्थियों द्वारा पेश किया गया, के कथन अभिलिखित करने के पश्चात् यह मत अपनाया गया कि तलाशी वारंट जारी करने का आधार बनता है और भारसाधक अधिकारी, पुलिस थाना, पमपोरे को निदेश देते हुए तलाशी वारंट जारी किया कि वे अप्राप्तवय बच्ची को तलाश करें और न्यायालय के समक्ष पेश करें ।

4. याची सं. 1 तारीख 7 फरवरी, 2013 को विद्वान् मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष काउंसेल के माध्यम से हाजिर हुआ था और उसके आवेदन पर विद्वान् मजिस्ट्रेट ने तारीख 4 फरवरी, 2013 के आदेश को आस्थगित रखा और यह निदेश किया कि याची सं. 1 अपने काउंसेल के माध्यम से तारीख 11 फरवरी, 2013 को न्यायालय के समक्ष अप्राप्तवय बच्ची को उपस्थित करना सुनिश्चित करें और यह स्पष्ट किया कि उसके विफल होने की दशा में नए सिरे से तलाशी वारंट जारी किया जाएगा ।

5. तथापि, याचियों ने विद्वान् सेशन न्यायाधीश, पुलवामा के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन फाइल करके मुख्यतः इस आधार पर विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किए गए तारीख 4 फरवरी, 2013 और 7 फरवरी, 2013 के

आदेशों को चुनौती दी है कि संहिता की धारा 100 के अधीन तलाशी वारंट वास्तविकता के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है । यह भी अभिकथन किया गया कि अप्राप्तवय बच्ची अपने पिता के साथ रह रही है और पिता के बारे में यह नहीं समझा जा सकता है कि उसने अपनी पुत्री को सदोष परिरोध में रखा है ।

6. तथापि, विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने मामले पर विचार करने के पश्चात् यह मत अपनाया कि विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किए गए आदेश में कोई अवैधता या कोई दुर्बलता नहीं है । संहिता की धारा 100 के अधीन शक्ति का ठीक ही अवलंब लिया गया था । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने यह उल्लेख किया है कि अप्राप्तवय पुत्री तारीख 2 फरवरी, 2013 तक प्रत्यर्थियों की अभिरक्षा में थी और उसे याची सं. 1 द्वारा बलपूर्वक अभिकथित रूप से ले जाया गया था, यद्यपि वह पहले से ही उसके साथ नहीं रहती थी इसलिए, विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने पुनरीक्षण आवेदन को खारिज कर दिया । पुनरीक्षण आवेदन को खारिज करते हुए विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने यह मत व्यक्त किया है; "विचारण मजिस्ट्रेट से यह आशा की जाती है कि वर्तमान पुनरीक्षण आवेदन के खारिज होने पर प्रभावित नहीं होगा और अभिकथित परिरोध के तथ्य को सुनिश्चित करने के बाध्यता के अधीन है तथा तद्नुसार आदेशों को पारित करें । प्रायः अप्राप्तवय बच्चे एक व्यक्ति या अन्य पक्षकारों द्वारा प्रभावित होते हैं जिनकी अभिरक्षा में वह रहते हैं । इसलिए, उसे तत्काल तलाशी वारंट का निष्पादन करके ऐसे लोगों से हटाया जा सकता है और ऐसी स्थिति के अधीन मजिस्ट्रेट से यह आशा की जाती है कि एकांत में परिरुद्ध अप्राप्तवय बच्चों के मन की भावना को पढ़ें । तथापि, यह उल्लेख करना भी अति आवश्यक है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के अधीन विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा कोई भी आदेश तत्काल पारित किया जाना चाहिए और ऐसा आदेश सक्षम अभिभावकों के अदालतों के आदेशों के अध्यधीन होगा ।" इसलिए, विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने पक्षकारों को यह निदेश दिया कि वे तारीख 26 मार्च, 2013 को विचारण न्यायालय के समक्ष हाजिर हों ।

7. याचियों ने इस न्यायालय के समक्ष समावेदन किया ।

8. याचियों ने इस याचिका में उन्हीं आधारों पर आक्षेपित आदेशों तथा संहिता की धारा 100 के अधीन कार्यवाहियों को भी चुनौती दी है जो विद्वान् सेशन न्यायाधीश के समक्ष रखी गई थीं । याचियों के विद्वान् काउंसेल द्वारा यह बात रखनी चाही जो उसकी दलील की मुख्य बात

प्रतीत होती है कि बच्चे के संबंध में बच्चे के पिता के विरुद्ध कोई तलाशी वारंट जारी नहीं किया जा सकता है जो नैसर्गिक अभिभावक है । उसने **विनोद गंदोत्रा** बनाम **गीता गंदोत्रा**[1] वाले मामले का अपनी दलील के समर्थन में अवलंब लिया गया । यह भी दलील दी गई कि अप्राप्तवय बच्ची खुशी से निवास कर रही है और अपने पिता और दादी याची सं. 2 के हाथों में सुरक्षित है और संहिता की धारा 100 के अधीन कार्यवाहियों को प्रारंभ किया जाना और तलाशी वारंट जारी किया जाना विधि के प्रक्रिया का दुरुपयोग है । याचिका में यह भी दलील दी गई कि याची सं. 1 और प्रत्यर्थी सं. 1 के बीच समझौता हुआ था जिसकी प्रति उपाबंध-पीडी के रूप में संलग्न की गई है ।

9. इसके विपरीत प्रत्यर्थियों के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि अभिभावकता का प्रश्न विद्वान् मजिस्ट्रेट के समक्ष या इस न्यायालय के समक्ष इस याचिका में संहिता की धारा 100 के अधीन आवेदन करके नहीं उठाया जा सकता ।

10. संहिता की धारा 100 का परिशीलन करने पर इस प्रकार है :–

"100. सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी –

यदि प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में परिरुद्ध है जिनमें वह परिरोध अपराध की कोटि में आता है तो वह तलाशी वारंट जारी कर सकता है और वह व्यक्ति जिसको ऐसा वारंट निदिष्ट किया जाता है ऐसे परिरुद्ध व्यक्ति के लिए तलाशी ले सकता है और ऐसी तलाशी तद्नुसार ही ली जाएगी और यदि वह व्यक्ति मिल जाए तो उसे तुरंत मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाएगा, जो ऐसा आदेश करेगा, जैसा उस मामले की परिस्थिति में उचित प्रतीत हो ।"

11. संहिता की धारा 100 के अधीन शक्ति का प्रयोग करना अनिवार्य है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश की गई सामग्री पर उसे विश्वास करने का कारण होना चाहिए कि व्यक्ति जिसके लिए तलाशी वारंट जारी किया जाना ईप्सित है ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत परिरुद्ध है और ऐसा परिरोध अपराध की कोटि में आता है । इस प्रक्रम पर मजिस्ट्रेट से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह तलाशी वारंट जारी करने के पूर्व नियमित जांच करे । मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित कथनों के आधार पर और

---

[1] 1999 के. एल. जे. 316.

आवेदक द्वारा पेश की गई सामग्री पर मजिस्ट्रेट को यह युक्तियुक्त निष्कर्ष निकालना चाहिए कि किसी व्यक्ति को सदोष परिरुद्ध किया गया है । यदि सामग्री पर विचार करते हुए ऐसा निष्कर्ष निकाला जाना संभव नहीं है तो वारंट जारी नहीं किया जाना चाहिए ।

12. यहां पर यह विवाद नहीं किया जा सकता है कि विद्वान् मजिस्ट्रेट के पास यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि अप्राप्तवय बच्ची अपनी माता की मृत्यु के पश्चात् उसके मामा और नानी द्वारा उसे लाया गया था अर्थात् प्रत्यर्थी जिस बच्ची को तारीख 2 फरवरी, 2013 को याची सं. 1, 3 और 4 द्वारा उनकी अभिरक्षा से बलपूर्वक उठा लिया गया था । प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा घटना के बारे में जो तारीख 2 फरवरी, 2013 को घटित हुई थी उस पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने के तथ्य से ऐसा स्पष्ट हुआ । जब एक बार ऐसी सामग्री दर्शित हुई है कि अप्राप्तवय बच्ची के पिता और अन्य याचियों ने अप्राप्तवय बच्ची को प्रत्यर्थियों के कब्जे से बलपूर्वक हटा दिया था तब उसका प्राकृतिक परिणाम यह है कि प्रत्यर्थियों के मकान में अप्राप्तवय बच्ची की पश्चात्वर्ती अभिरक्षा सदोष परिरोध की कोटि में आती है । चाहे बच्ची खुश है या नहीं इस बात की जरूरत नहीं है और इसकी उपधारणा भी नहीं की जा सकती ।

13. इस संदर्भ में, यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि याची सं. 1 ने तारीख 6 फरवरी, 2013 को विद्वान् मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना आवेदन पेश किया था जिसमें उसने तारीख 2 फरवरी, 2013 को घटित घटना से इनकार नहीं किया जब उसने प्रत्यर्थियों से अप्राप्तवय बच्ची को अभिकथित रूप से छीन लिया था । उसने इस न्यायालय के समक्ष याचिका में घटना होने से इनकार नहीं किया है । इस याचिका के साथ उपाबंध पीडी के रूप में पेश किए गए दस्तावेज से यह पुष्टि होती है कि प्रत्यर्थियों द्वारा पिछले 11 वर्षों से अप्राप्तवय बच्ची को लाया गया था यद्यपि तारीख 10 जनवरी, 2013 को एक समझौता हुआ था जिसके अधीन प्रत्यर्थी सं. 1 के लिए यह अपेक्षित था कि वह अप्राप्तवय बच्ची को तारीख 1 फरवरी, 2013 को अप्राप्तवय बच्ची के पिता/याची के मकान पर भेजने की व्यवस्था करेगा और यह भी उपबंध किया गया कि उसके विफल होने की दशा में अप्राप्तवय बच्ची को उसके पिता को बलकृत सौंपा जाएगा । इससे प्रत्यर्थियों की दलील को समर्थन मिलता है कि अप्राप्तवय बच्ची उनकी देख-रेख और अभिरक्षा में थी और याची (पिता) और अन्य याचियों द्वारा उसको छीने जाने का कार्य किया था ।

14. इसी संदर्भ में, यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि याची सं. 1

ने जानबूझकर विद्वान् मजिस्ट्रेट के समक्ष अप्राप्तवय बच्ची को पेश करने से बचना चाहा जिसके लिए उसके पास पर्याप्त अवसर उपलब्ध था । उसके द्वारा ऐसा करके इस मामले को सुलझाया जा सकता था, तथापि, याचियों ने इस न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का अवलंब लेना चाहा जिसके लिए कोई मामला नहीं बनता । विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट जारी करके कोई गलत किया जाना नहीं कहा जा सकता और न यह कहा जा सकता है कि न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया गया ।

15. **विनोद गंदोत्रा** (पूर्वोक्त) वाला मामला जिसका याची द्वारा अवलंब लिया गया उनके पक्षकथन का समर्थन नहीं कर सकता । उस मामले में बच्चे के पिता की अभिरक्षा में होने से कोई अपराध किया जाना प्रकट नहीं होता है । बच्चे की माता के बारे में घर से निकाला जाना अभिकथित था और पिता द्वारा अपने मकान में बच्चे को रखा गया । इन परिस्थितियों में अभिरक्षा का प्रश्न इस विषय पर सिविल विधि से संबंधित है और संहिता की धारा 100 किसी प्रकार लागू नहीं होती थी ।

16. इस मामले में बच्ची नानी और मामा की देख-रेख और अभिरक्षा में थी जो प्रत्यर्थी हैं । पिता यद्यपि बच्ची का नैसर्गिक अभिभावक है तो भी उसे अपनी बच्ची को बलपूर्वक या किसी अभद्र रीति से अपनी अभिरक्षा में रखने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जा सकता है । यदि वह ऐसा करता है तो ऐसा कार्य विधि-विरुद्ध होगा और ऐसी अभिरक्षा विधि-विरुद्ध परिरोध की कोटि में आएगी । संहिता की धारा 100 वर्जित नहीं होगी ।

17. ऊपर जो कुछ बातें कही गई हैं और उस पर चर्चा के आधार पर इस याचिका को संबंधित आवेदनों के साथ खारिज किया जाता है और दोनों पक्षकार तारीख 6 मई, 2013 को विद्वान् मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष हाजिर होंगे, तथापि, विद्वान् मजिस्ट्रेट को यह निदेश दिया जाता है कि सर्वप्रथम वह उन्हें युक्तियुक्त समय जो 5 दिन से अधिक नहीं होगा दिया जाएगा और याची (पिता) न्यायालय में अप्राप्तवय बच्ची को पेश करेगा तथा मामले में विधि के अनुसरण में कार्यवाही की जाएगी । यदि याची अप्राप्तवय बच्ची को पेश करने में विफल होता है तो तलाशी वारंट जैसाकि पहले ही आदेश किया गया है उसका पालन किया जाएगा ।

18. इस आदेश की प्रति के साथ अभिलेख वापस भेजे जाते हैं ।

याचिका खारिज की गई ।

आर्य

राज्य

बनाम

मोहम्मद सुभान नाईकू

तारीख 15 मई, 2013

न्यायमूर्ति विरेन्दर सिंह

रणबीर दंड संहिता, 1989 संवत् (1932 ईस्वी) – धारा 420, 468 और 471 – जाली अंक-प्रमाणपत्र का प्रयोग – अभिलेख पर अभियुक्त जहीदा बानो के साथ-साथ जनीदा बानो नाम की एक अन्य लड़की का फोटोग्राफ होना – जनीदा बानो नामक लड़की द्वारा भी उसी वर्ष और उसी अनुक्रमांक द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण किया जाना – अभियुक्त द्वारा दिया गया मूल अंक-प्रमाणपत्र अभिलेख पर प्रस्तुत न किया जाना तथा दूसरी लड़की का पता लगाने का कोई प्रयास न किया जाना – अभियोजन पक्ष की खामियों के कारण युक्तियुक्त संदेह होने पर अभियुक्तों के विरुद्ध जाली अंक-प्रमाणपत्र बनाने और उसका लाभ उठाने का कोई अकाट्य और सारवान् साक्ष्य न होने के कारण उनकी दोषमुक्ति उचित है ।

मामले के तथ्यों के अनुसार अभियुक्त जनीदा ने राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अमीराकादल में तात्पर्यित रूप से नवम्बर-दिसम्बर, 1997 के वार्षिक सत्र का एक नकली अंक-प्रमाणपत्र प्रस्तुत करके पीयूसी में दाखिला लिया था और उसके पिता अभियुक्त मोहम्मद सुभान नाईकू ने उक्त अपराध का कारित करना दुष्प्रेरित किया था । उक्त प्रमाणपत्र को पीयूसी की वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने के पश्चात् माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कश्मीर के पास प्रेषित किया गया था जो नकली पाया गया । इस आधार पर पूर्वोक्त विद्यालय के प्राचार्य के आदेश द्वारा मामला दर्ज करने के लिए अपराध शाखा, कश्मीर को एक पत्र भेजा गया और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई जिसमें दोनों अभियुक्तों को आरोपित किया गया । विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर अभियोजन के पक्षकथन में पाई गई कतिपय खामियों को ध्यान में रखते हुए दोनों अभियुक्तों को आरोपों से दोषमुक्त कर दिया । राज्य ने उक्त दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील फाइल की । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभियोजन के पक्षकथन में प्रकट खामियों से निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि जहीदा बानो और जनीदा बानो अभिलेख पर के फोटोग्राफों के अनुसार स्पष्ट तौर पर दो लड़कियां थीं, फिर भी अन्वेषक अभिकरण इस पहलू के बारे में मौन रहा और अन्य लड़की को ढूंढ़ने या कम-से-कम इस बाबत अपने आधार को स्पष्ट करने का कोई प्रयास नहीं किया । इतना हीं नहीं, एक अन्य प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 33/98, जो उसी अभियुक्त के विरुद्ध दर्ज की गई थी, किंतु पूर्विक समय की थी, का अपराध शाखा द्वारा इस तथ्य के बावजूद कि दोनों प्रथम इत्तिला रिपोर्टें एक ही घटना के विषय में हैं, न तो अन्वेषण किया गया और न ही इसे बंद किया गया । अभियोजन पक्ष में पूर्वोक्त सभी खामियों का मूल्यांकन करने के पश्चात् विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि अन्वेषण अभिकरण द्वारा सच्चाई को दफन करके तथ्यों को छिपाने का प्रयत्न किया गया है और यह बात अभियुक्तों की अंतर्ग्रस्तता के बारे में युक्तियुक्त संदेह पैदा करने के लिए पर्याप्त है, इसलिए दोनों अभियुक्तों को दोषमुक्त किया जाता है । दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप करने की गुंजाइश अति सीमित होती है । यह सुस्थिर है कि दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में न्यायालय निस्संदेह संपूर्ण साक्ष्य का पुनर्विलोकन कर सकता है, किंतु केवल तभी हस्तक्षेप करेगा यदि बाध्यकारी और सारभूत कारण हैं । यह भी सुस्थिर है कि साधारणतः दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि अभियुक्त की निर्दोषिता की उपधारणा दोषमुक्ति से और अधिक प्रबल हो जाती है । न्यायालय का सर्वोपरि ध्यान न्याय की हानि को रोकना है । किसी मामले में, जहां ग्राह्य साक्ष्य की अनदेखी की गई है, और जहां अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया है वहां अपील न्यायालय का यह कर्तव्य बनता है कि यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि क्या अभियुक्त ने वस्तुतः कोई अपराध किया है या नहीं, साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करे । दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध अपील पर विचार करने के लिए अपील न्यायालय द्वारा अपनाया जाने वाला स्थिर सिद्धांत यह है कि केवल तभी हस्तक्षेप किया जाए जब ऐसा करने के लिए बाध्यकारी और सारभूत कारण हों । निस्संदेह, यदि आक्षेपित निर्णय स्पष्ट रूप से अयुक्तियुक्त है और अभियोजन के पक्षकथन का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में भरोसेमंद सामग्रियों को अन्यायपूर्ण रूप से निकाल दिया गया हो, तब हस्तक्षेप करने के लिए बाध्यकारी कारण होना कहा जा सकता है । विद्वान् अपर महाधिवक्ता श्री खान ने यह स्वीकार किया कि विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अभियोजन के पक्षकथन

का मूल्यांकन करते समय किसी भी सारभूत साक्ष्य को अछूता नहीं छोड़ा गया है, जिसे अन्यथा इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने का आधार होना कहा जा सके । विचारण न्यायालय के अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर इसमें ऊपर यथा निर्दिष्ट स्थिर मानदंडों के भीतर संपूर्ण अभियोजन पक्षकथन की पुनःविवेचना करने के पश्चात्, संपूर्ण साक्ष्य का इसके सही परिप्रेक्ष्य में किए गए मूल्यांकन पर आधारित दोषमुक्ति के सकारण आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण, वह भी बाध्यकारी और सारभूत कारण, प्रतीत नहीं होता है । (पैरा 23, 24, 25, और 26)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2012 की दोषमुक्ति के विरुद्ध दांडिक अपील सं. 08.

रणबीर दंड प्रक्रिया संहिता, 1989 संवत् (1933 ईस्वी) की धारा 410 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री आर. ए. खान, अपर महाधिवक्ता

प्रत्यर्थियों की ओर से श्री जैड. ए. कुरेशी

न्यायमूर्ति विरेन्दर सिंह – विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीनगर के तारीख 8 अप्रैल, 2011 के आक्षेपित निर्णय द्वारा दोनों प्रत्यर्थियों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''अभियुक्त'' कहा गया है) द्वारा रणबीर दंड संहिता की धारा 420/468/471/109 के अधीन दंडनीय आरोपों के लिए अर्जित की गई दोषमुक्ति से व्यथित होकर राज्य ने दोषमुक्ति के विरुद्ध यह अपील अन्य बातों के साथ-साथ अपील के ज्ञापन में दिए गए आधारों पर फाइल की है और इन आधारों को विद्वान् अपर महाधिवक्ता, श्री खान द्वारा न्यायालय के समक्ष भी दोहराया गया है ।

2. यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि अपील फाइल करने में 208 दिन का विलंब हुआ था जिसे तारीख 12 सितम्बर, 2012 के आदेश द्वारा माफ कर दिया गया है । इसलिए वर्तमान अपील ग्रहण करने के प्रक्रम पर है । विचारण न्यायालय का अभिलेख भी न्यायालय में उपलब्ध है ।

3. श्री कुरेशी केवल प्रत्यर्थी सं. 1 की ओर से उपसंजात हुए हैं । तामीली के बावजूद प्रत्यर्थी सं. 2 हाजिर नहीं हुई । वह प्रत्यर्थी सं. 1 की पुत्री है । श्री कुरेशी ने यह बताया कि उसके पास प्रत्यर्थी सं. 2 की ओर से उपसंजात होने का कोई निदेश नहीं है । इस प्रकार, तामीली पूर्ण है ।

4. विद्वान् अपर महाधिवक्ता श्री खान और प्रत्यर्थी सं. 1 की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री कुरेशी को विस्तारपूर्वक सुना और उनके द्वारा की गई सहायता से आक्षेपित निर्णय का बारीकी से परिशीलन किया । मामले के लिए सुसंगत सारवान् साक्ष्य को भी विचारण न्यायालय के अभिलेख से पढ़कर सुनाया गया ।

5. श्री खान ने यह दलील दी कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभियोजन के पक्षकथन का इसके सही परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन नहीं किया क्योंकि दोनों अभियुक्तों को कूटरचना के अति गंभीर अपराध के लिए आरोपित किया गया था, क्योंकि जहीदा बानो ने तात्पर्यित रूप से नवम्बर-दिसम्बर, 1997 के वार्षिक सत्र का एक नकली अंक-प्रमाणपत्र, संख्यांक 50599, प्रस्तुत करके उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अमीराकादल में पीयूसी में दाखिला लिया था और दूसरे अभियुक्त ने अपराध का कारित करना दुष्प्रेरित किया था । उसने इसके पश्चात् यह दलील दी कि अभियोजन पक्ष ने आरोप को साबित करने के लिए कुल पांच साक्षियों की परीक्षा कराई है जिनमें संयुक्त सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कश्मीर भी सम्मिलित है जिसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि प्राचार्य, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अमीराकादल द्वारा अभियुक्त जहीदा बानो का अंक-पत्रक सत्यापन के लिए निर्दिष्ट किया गया था और वह नकली पाया गया । पूर्वोक्त साक्षी द्वारा पूर्वोक्त विद्यालय के प्राचार्य को भेजी गई रिपोर्ट को सम्यक्तः साबित किया गया है ।

6. राज्य की ओर से विद्वान् काउंसेल ने फिर यह दलील दी कि प्राचार्य, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अमीराकादल भी जब कठघरे में आई तो उन्होंने यह अभिसाक्ष्य दिया कि अभियुक्त जहीदा बानो ने मई, 2000 के दौरान पीयूसी में दाखिला लिया था और जब उसने वार्षिक परीक्षा अर्हित की तो उसके मैट्रिक के प्रमाणपत्र के साथ-साथ उपलब्धि पत्रक को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कश्मीर को सत्यापन के लिए भेजा गया था और उसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कश्मीर से रिपोर्ट प्राप्त हुई कि अंक-प्रमाणपत्र नकली है, इसलिए उसने अपराध शाखा, कश्मीर के पास एक रिपोर्ट दर्ज कराई ।

7. श्री खान ने आगे यह दलील दी कि हो सकता है मोहम्मद अस्सादुलाह भट पुत्र अब्दुल खालिक भट नामक व्यक्ति द्वारा पुलिस थाना, लालपोरा में यह अभिकथन करते हुए, कि उसकी बहिन इशरत बानो ने नवम्बर-दिसम्बर, 1997 में प्राइवेट अभ्यर्थी के रूप में अनुक्रमांक 5504549

द्वारा मैट्रिकुलेशन की परीक्षा दी थी किंतु अन्ततोगत्वा उसी अनुक्रमांक पर जहीदा बानो को अर्हित हुआ दिखाया गया था, दर्ज कराई गई एक अन्य प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 33/1998 में किए गए अन्वेषण में कतिपय चूक रहने के कारण अभियुक्तों की शनाख्त के बारे में कतिपय कमियां उजागर हुई हों, किंतु जहां तक अभियुक्तों के विरुद्ध अभ्यारोपण का संबंध है, उक्त त्रुटि से अभियोजन का पक्षकथन कमजोर नहीं हो जाता है, जो कि अभियोजन साक्षी सलमा फिरदौस, प्राचार्य राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अमीराकादल और अभियोजन साक्षी नजीर अहमद शाह, संयुक्त सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कश्मीर के कथन से सम्यक् रूप से साबित होता है । इस प्रकार, श्री खान ने यह प्रार्थना की कि प्रस्तुत अपील में संपूर्ण साक्ष्य का एक बार पुनः पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि मामले के न्यायसंगत निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके ।

8. इसके विपरीत, श्री कुरेशी ने दोषमुक्ति के आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए यह दलील दी कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने संपूर्ण साक्ष्य का इसके सही परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन किया है और उसके पश्चात् अभियोजन पक्ष के विरुद्ध एक स्पष्ट निष्कर्ष अभिलिखित किया है । उसने फिर यह दलील दी कि धारा 468/471 के अधीन अपराध तकनीकी अपराध होने के कारण पूर्णतया साबित किया जाना चाहिए और अभियोजन पक्ष द्वारा छोड़ी गई कोई खामी दोषमुक्ति के लिए एक अच्छा आधार कही जा सकती है । श्री कुरेशी ने आगे यह दलील दी कि अन्यथा भी अभियुक्त मोहम्मद सुभान नाईकू को रणबीर दंड संहिता की धारा 109 की सहायता से अभिकथित अपराध कारित करने से दूर-दूर तक भी संसक्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि अभिलेख पर इस प्रभाव का कोई साक्ष्य होना प्रतीत नहीं होता है ।

9. श्री कुरेशी ने अपने तर्कों को मजबूती देने के लिए यह दलील दी कि आक्षेपित निर्णय में ऐसी कोई अनुचितता होना प्रतीत नहीं होता है जिससे कि इस न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़े । इसलिए उसने राज्य की अपील को खारिज करने की प्रार्थना की ।

10. अपराध जितना अधिक गंभीर हो, उतने ही अधिक बड़े सबूत की आवश्यकता होती है । निस्संदेह, इस मामले को देखने से ही अपराध गंभीर प्रकृति का प्रतीत होता है, किंतु इस मामले में, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अभियुक्तों ने पहले ही एक पूर्ण विचारण के द्वारा दोषमुक्ति अर्जित की है, जो मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित है वह यह है कि क्या

अभियोजन पक्ष वर्तमान दोनों अभियुक्तों को अभिकथित अपराध कारित करने की बात से संसक्त करने में सफल रहा है या नहीं ।

11. अभियोजन के पक्षकथन की तथ्यात्मक स्थिति यह है कि जनीदा बानो ने राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अमीराकादल में तात्पर्यित रूप से नवम्बर-दिसम्बर, 1997 के वार्षिक सत्र का एक नकली अंक-प्रमाणपत्र, संख्यांक 50599, प्रस्तुत करके पीयूसी में दाखिला लिया था और अभियुक्त मोहम्मद सुभान नाईकू ने उक्त अपराध का कारित करना दुष्प्रेरित किया था । उक्त प्रमाणपत्र को पीयूसी की वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने के पश्चात् माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कश्मीर के पास प्रेषित किया गया था जो नकली पाया गया । इसके आधार पर पूर्वोक्त विद्यालय के प्राचार्य के आदेश द्वारा मामला दर्ज करने के लिए अपराध शाखा, कश्मीर को एक पत्र भेजा गया और इसलिए प्रथम इत्तिला सं. 54/2001 दर्ज की गई जिसमें दोनों अभियुक्तों को पूर्वोक्त अपराधों के लिए आरोपित किया गया ।

12. भले ही विद्वान् अपर महाधिवक्ता, श्री खान ने अपना संपूर्ण जोर अभि. सा. सलमा फिरदौस और अभि. सा. नजीर अहमद शाह के साक्ष्य पर दिया है, किंतु मैं अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए अन्य साक्षियों के साक्ष्य को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता, जिनके प्रति निर्देश पहले ही आक्षेपित निर्णय में किया गया है ।

13. जहां तक अभि. सा. सलमा फिरदौस, प्राचार्य राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अमीराकादल का संबंध है, उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि अभियुक्त जहीदा बानो ने उसकी तैनाती से पूर्व दाखिला लिया था और उसके दस्तावेजों की संबंधित लिपिक द्वारा जांच-पड़ताल की गई थी । इस साक्षी ने आगे यह कथन किया कि उसे इस बात की व्यक्तिगत जानकारी नहीं है कि किसने नकली प्रमाणपत्र तैयार किया था और उसने अभिलेख की फोटो प्रति अनुप्रमाणित करने के पश्चात् संबंधित लिपिक को केवल अभिलेख पुलिस को सौंपने का निदेश दिया था । संक्षेप में, यह साक्षी वस्तुतः अभिलेख की साक्षी है ।

14. अभि. सा. नजीर अहमद शाह, संयुक्त सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कश्मीर ने कठघरे में आकर अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि उसने सत्यापन अनुभाग से रिपोर्ट अभिप्राप्त की थी और उसने बोर्ड से प्राप्त सत्यापन के लिए पत्र के बारे में उल्लेख नहीं किया । उसने यह भी कथन किया कि ऐसा कोई उल्लेख नहीं था कि वर्ष 1997 के दौरान 1997 का अनुक्रमांक 50599 किसे आबंटित किया गया था ।

15. अभि. सा. अब्दुल मजीद भट भी राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अमीराकादल का एक कर्मचारी है, जिसने पूर्वोक्त विद्यालय के प्राचार्य के कहने पर पुलिस को दस्तावेज सौंपे थे ।

16. अभियोजन पक्ष ने एक अभि. सा. मुजफ्फर अहमद मीर, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कुपवाड़ा में ही तैनात था, की भी परीक्षा कराई और उसने यह कथन किया कि अपराध शाखा की पुलिस अंक-पत्रक से संबंधित वर्तमान मामले के अन्वेषण के संबंध में उसके कार्यालय आई थी और उसे उनकी पहचान है । इस साक्षी ने आगे यह कथन किया कि प्रश्नगत अंक-पत्रक संबधित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं था । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि अपराध शाखा के कुछ कार्मिकों ने पत्र के माध्यम से अंक-पत्रक की असलियत के बारे में पूछा था और संबंधित अधिकारी ने उस पत्र का उत्तर दिया था, जबकि उसे ऐसे किसी अभ्यर्थी की विशिष्टियों की जानकारी नहीं थी जिसकी बाबत अन्वेषण किया जा रहा था । तथापि, इस साक्षी ने यह कथन किया कि आवेदक का नाम जहीदा बानो था जिसका फोटोग्राफ प्ररूप पर चिपका हुआ था और इसे मुख्याध्यापक द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था और मुहर लगाई गई थी ।

17. अभि. सा. गुलाम रसूल, सहायक उप निरीक्षक इस मामले का अन्वेषक अधिकारी है और उसने पूर्वोक्त पत्र और जहीदा बानो के फोटोग्राफ तथा आवेदन की बरामदगी के बारे में कतिपय अभिग्रहण ज्ञापनों को साबित किया । उसने जहीदा बानो के पीयूसी और टीडीसी के प्रवेश पत्र की बाबत अभिग्रहण ज्ञापन और अभियुक्त मोहम्मद सुभान नाईकू के शपथपत्र तथा प्रमाणपत्र संख्यांक एस-96-39197 के बारे में भी कथन किया है ।

18. विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य से की गई अवेक्षा यह है कि यद्यपि यह सिद्ध होता है कि अभियुक्त जहीदा बानो द्वारा प्रस्तुत किया गया मैट्रिकुलेशन कार्ड नकली था, तथापि, अभियुक्त की शनाख्त को किसी भी साक्षी द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है क्योंकि उनमें से किसी ने भी न्यायालय के समक्ष यह अभिसाक्ष्य नहीं दिया कि विचारण का सामना कर रही अभियुक्त वस्तुतः वही व्यक्ति है । इतना ही नहीं, अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत किया गया मूल प्रमाणपत्र भी, जो आखिरकार वर्तमान मामला दर्ज करने का आधार बना, अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

19. विचारण न्यायालय द्वारा अवेक्षा की गई एक अन्य कमी यह है कि अन्वेषक अधिकारी को सौंपा गया और उसके द्वारा अभिगृहीत किया गया आवेदन प्ररूप न केवल अहस्ताक्षरित और अननुप्रमाणित है, अपितु इसमें के तात्विक स्तंभ भी भरे नहीं गए हैं, यहां तक कि पीयूसी के प्रवेश पत्र में मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण करने का वर्ष भी भरे बिना छोड़ा गया है ।

20. मामला यहीं समाप्त नहीं होता । अभिलेख पर एक भिन्न लड़की जनीदा बानो का एक अन्य आवेदन पत्र है, जिसके पिता का नाम भी मोहम्मद सुभान नाईकू के रूप में अभिलिखित है और जो आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित है तथा मुख्याध्यापक द्वारा अनुप्रमाणित और मुद्रांकित किया गया है, जो देखने से, जैसा कि फोटोग्राफ से प्रकट होता है, एक बिल्कुल भिन्न लड़की है और उसने भी उसी अनुक्रमांक 550549, जो अभियुक्त को प्रदान किया गया है, के अधीन वर्ष 1997 के दौरान मैट्रिकुलेशन की परीक्षा अर्हित किए जाने का दावा किया है । केवल इतना ही नहीं, अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत किए गए मूल अंक-पत्रक को अभियोजन अभिकरण द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसके बजाय अभिलेख पर अनुलिपि अंक-पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसे, आवेदन पत्र के अनुसार, किसी जनीदा बानो के आवेदन पर जारी किया गया था, यद्यपि इस पर अभियुक्त का नाम अंतर्विष्ट है ।

21. विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अभियोजन के पक्षकथन का गहराई से मूल्यांकन करते समय पूर्वोक्त सभी कमजोरियां पाई गई थीं ।

22. विद्वान् विचारण न्यायालय ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 33/1998 से संबंधित इस मामले में किए गए अन्वेषण में भी अत्यधिक त्रुटि पाई है और इस तथ्य को विद्वान् अपर महाधिवक्ता श्री खान द्वारा भी अपनी दलीलों के दौरान स्वीकार किया गया । विचारण न्यायालय द्वारा इस बारे में की गई मताभिव्यक्तियों को उद्धृत करने की आवश्यकता है और ये निम्नलिखित हैं :–

> "अन्वेषक अधिकारी ने अभिलेख पर पुलिस थाना, लालपुरा में मोहम्मद अस्सदुलहा भट पुत्र अब्दुल खालिद भट, निवासी लालपोरा, कूपवाड़ा द्वारा दर्ज की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 33/1998 की फोटोस्टेट प्रतियां भी प्रस्तुत की हैं जिसमें यह अभिकथन किया गया है कि उसकी बहिन ईशरत बानो नवम्बर-दिसम्बर, 1997 में प्राइवेट अभ्यर्थी के रूप में अनुक्रमांक सं. 5504549 द्वारा मैट्रिकुलेशन की परीक्षा में उपसंजात हुई थी, तथापि, जब परिणाम घोषित किए गए

तो वे यह देखकर भौंचक्के रह गए कि किसी जनीदा बानो को अनुक्रमांक 5504549 के अधीन अर्हित दिखाया गया है । अन्वेषक अधिकारी ने अभिलेख पर इसमें की एकत्रित की गई सामग्री की फोटोस्टेट प्रतियां भी प्रस्तुत की हैं जिसमें समाचारपत्र के सुसंगत पृष्ठ जिसमें परिणाम अंतर्विष्ट है की फोटोस्टेट प्रतियां हाजिरी पत्र की फोटोस्टेट प्रतियां भी सम्मिलित हैं । तथापि, अन्वेषक अभिकरण ने इसकी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, जो समय के हिसाब से पहले दर्ज हुई थी, के बारे में आश्चर्यजनक चुप्पी बनाए रखी । यह भी पक्षकथन नहीं है कि उस मामले के अन्वेषण को भी अपराध शाखा द्वारा संभाला गया था । यदि जहीदा और जनीदा एक ही लड़की के नाम थे, तब दो अलग-अलग अन्वेषण और पारिणामिक आरोपपत्र नहीं होने चाहिएं थे क्योंकि यह दोहरे खतरे की कोटि में आएगा । अभियुक्त द्वारा विद्यालय में दाखिला लेने के लिए प्रयुक्त मूल अंक-पत्रक को अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि अभिलेख पर प्रस्तुत की गई अनुलिपि एक अन्य लड़की जनीदा बानो, जो इस मामले में अभियुक्त नहीं है, को जारी की गई थी । इन तथ्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्त को वास्तविक लड़की के स्थान पर न्यायालय के समक्ष लाया गया है जिसे जिन कारणों से बचाया गया है वे अन्वेषक अभिकरण की सर्वोत्तम जानकारी में है कि क्या अभियुक्त ही वह वास्तविक लड़की है जिसने जाली अंक-प्रमाणपत्र अभिप्राप्त और उसका प्रयोग किया था ।"

23. अभियोजन के पक्षकथन में प्रकट पूर्वोक्त खामियों से निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि जहीदा बानो और जनीदा बानो अभिलेख पर के फोटोग्राफों के अनुसार स्पष्ट तौर पर दो लड़कियां थीं, फिर भी अन्वेषक अभिकरण इस पहलू के बारे में मौन रहा और अन्य लड़की को ढूंढ़ने या कम-से-कम इस बाबत अपने आधार को स्पष्ट करने का कोई प्रयास नहीं किया । इतना हीं नहीं, एक अन्य प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 33/98, जो उसी अभियुक्त के विरुद्ध दर्ज की गई थी, किंतु पूर्विक समय की थी, का अपराध शाखा द्वारा इस तथ्य के बावजूद कि दोनों प्रथम इत्तिला रिपोर्टें एक ही घटना के विषय में हैं, न तो अन्वेषण किया गया और न ही इसे बंद किया गया ।

24. अभियोजन पक्ष में पूर्वोक्त सभी खामियों का मूल्यांकन करने के पश्चात् विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि अन्वेषण अभिकरण द्वारा सच्चाई को दफन करके तथ्यों को छिपाने का प्रयत्न किया

गया है और यह बात अभियुक्तों की अंतर्ग्रस्तता के बारे में युक्तियुक्त संदेह पैदा करने के लिए पर्याप्त है, इसलिए दोनों अभियुक्तों को दोषमुक्त किया जाता है ।

25. दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप करने की गुंजाइश अति सीमित होती है । यह सुस्थिर है कि दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में न्यायालय निस्संदेह संपूर्ण साक्ष्य का पुनर्विलोकन कर सकता है, किंतु केवल तभी हस्तक्षेप करेगा यदि बाध्यकारी और सारभूत कारण हैं । यह भी सुस्थिर है कि साधारणतः दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि अभियुक्त की निर्दोषिता की उपधारणा दोषमुक्ति से और अधिक प्रबल हो जाती है । न्यायालय का सर्वोपरि ध्यान न्याय की हानि को रोकना है । किसी मामले में, जहां ग्राह्य साक्ष्य की अनदेखी की गई है, और जहां अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया है वहां अपील न्यायालय का यह कर्तव्य बनता है कि यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि क्या अभियुक्त ने वस्तुतः कोई अपराध किया है या नहीं, साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करे । दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध अपील पर विचार करने के लिए अपील न्यायालय द्वारा अपनाया जाने वाला स्थिर सिद्धांत यह है कि केवल तभी हस्तक्षेप किया जाए जब ऐसा करने के लिए बाध्यकारी और सारभूत कारण हों । निस्संदेह, यदि आक्षेपित निर्णय स्पष्ट रूप से अयुक्तियुक्त है और अभियोजन के पक्षकथन का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में भरोसेमंद सामग्रियों को अन्यायपूर्ण रूप से निकाल दिया गया हो, तब हस्तक्षेप करने के लिए बाध्यकारी कारण होना कहा जा सकता है ।

26. विद्वान् अपर महाधिवक्ता श्री खान ने यह स्वीकार किया कि विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अभियोजन के पक्षकथन का मूल्यांकन करते समय किसी भी सारभूत साक्ष्य को अछूता नहीं छोड़ा गया है, जिसे अन्यथा इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने का आधार होना कहा जा सके ।

27. विचारण न्यायालय के अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर इसमें ऊपर यथा निर्दिष्ट स्थिर मानदंडों के भीतर संपूर्ण अभियोजन पक्षकथन की पुनःविवेचना करने के पश्चात्, संपूर्ण साक्ष्य का इसके सही परिप्रेक्ष्य में किए गए मूल्यांकन पर आधारित दोषमुक्ति के सकारण आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण, वह भी बाध्यकारी और सारभूत कारण, प्रतीत नहीं होता है ।

28. ऐसी वास्तविक स्थिति में मैं विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पहले ही अपनाए गए दृष्टिकोण से भिन्न दृष्टिकोण अपनाने के लिए तैयार नहीं हूं ।

29. परिणामतः, प्रस्तुत अपील स्वतः ग्रहण करने के प्रक्रम पर ही खारिज की जाती है ।

अपील खारिज की गई ।

जस.

(2013) 2 दा. नि. प. 317 मुम्बई

चंपक बालू पटेल

बनाम

राज्य द्वारा लोक अभियोजक, दमन पुलिस थाना

तारीख 1 फरवरी, 2013

न्यायमूर्ति (श्रीमती) वी. के. ताहिलरमानी और न्यायमूर्ति (श्रीमती) साधना एस. जाधव

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 300 [सपठित साक्ष्य अधिनियम 1872 – धारा 3] – हत्या – धारदार आयुध (कुल्हाड़ी) की बरामदगी – आयुध पर मृतक के रक्त समूह वाले रक्त का लगा होना पाया जाना – अभियुक्त का कथन अभिलिखित किए जाते समय उसका ध्यान फंसाने वाली सामग्री की ओर आकर्षित न किया जाना – मात्र फंसाने वाली सामग्री की बरामदगी के आधार पर ही अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता, अतः अभियुक्त संदेह का लाभ पाने का हकदार है ।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि किसी व्यक्ति ने घटना के एक माह पूर्व अभियुक्त की मोटरसाइकिल की पेट्रोल टंकी में चीनी डाल दी थी जिसके कारणवश उसको मोटरसाइकिल की मरम्मत करानी पड़ी थी और मरम्मत कराने में उसको अत्यधिक रकम खर्च करनी पड़ी थी । उसे इस बात पर शक था कि यह रिष्टि महेश द्वारा कारित की गई हो और इसलिए उसके द्वारा उपगत खर्चों की प्रतिपूर्ति किए जाने के प्रयोजनार्थ उस रकम की मांग करता रहता था । अभियुक्त द्वारा यह भी अभिकथित किया गया कि अभियुक्त द्वारा महेश को यह कहते हुए धमकी दी गई कि यदि वह उक्त रकम की प्रतिपूर्ति नहीं करता है तो वह उसको भी उसके

भाई की भांति जान से मार देगा । अभियोजन द्वारा यह अभिकथित भी किया गया कि तारीख 15 मई, 2005 को गणपत अपने घर के भीतर सो रहा था जबकि राजेश, महेश, डबालू, मनु और अन्य गणपत के घर के सामने खुले स्थान में सो रहे थे । रात्रि लगभग 2.00 बजे गणपत प्राकृतिक क्रिया के प्रयोजनार्थ उठा तो उसने अचानक देखा कि महेश के गले पर काटे जाने का निशान था और उक्त क्षति से रक्त बह रहा था । गणपत ने राजेश, डबालू और अन्य लोगों को जगाया । महेश की मृत्यु हो चुकी थी । गणपत तुरंत मोती दमन चौकी की तरफ भागा और पुलिस थाना भारसाधक चव्हाण को घटना की जानकारी दी । गणपत के कथन के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के बाबत 2005 का अपराध सं. 19 रजिस्ट्रीकृत किया गया और अभियुक्त को तारीख 18 मई, 2005 को गिरफ्तार कर लिया गया । अभियुक्त ने तारीख 19 मई, 2005 को स्वेच्छापूर्वक कथन किया जिसके आधार पर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद की गई जिसको वाड़ीग्राम के निकट झाड़ियों में छिपाया गया था । बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया । तारीख 30 मई, 2005 को कुल्हाड़ी को अपराध विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था । अपराध विज्ञान प्रयोगशाला से रासायनिक विश्लेषक की रिपोर्ट प्राप्त हुई और उस रिपोर्ट से यह प्रकट हुआ कि कुल्हाड़ी पर "ए" रक्त समूह के रक्त के निशान हैं । मृतक का रक्त समूह भी "ए" था । अन्वेषण की समाप्ति के पश्चात् तारीख 1 अगस्त, 2005 को आरोप पत्र फाइल किया गया । मामला दमन के विद्वान् सेशन न्यायाधीश के सुपुर्द कर दिया गया । सेशन न्यायाधीश ने तारीख 28 नवंबर, 2006 के निर्णय और आदेश द्वारा दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के बाबत अभियुक्त को दोषसिद्ध किया और आजीवन कठोर कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया । व्यथित होकर अभियुक्त ने वर्तमान अपील फाइल की । अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – न्यायालय की मताभिव्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए इस तथ्य को प्रति विस्मरणशील नहीं हो सकता कि अभियुक्त का ध्यान अभिकथित रूप से फंसाने वाली सामग्री की ओर आकर्षित नहीं किया गया था कि कुल्हाड़ी पर लगे हुए रक्त का रक्त समूह मृतक के रक्त समूह से मिल गया था और इसलिए उस पर विचार किए जाने की आवश्यकता नहीं थी । वास्तव में वर्तमान मामले में अभियुक्त के विरुद्ध एकमात्र फंसाने वाली सामग्री रक्त-रंजित कुल्हाड़ी की बरामदगी है । मात्र बरामदगी ही किसी गंभीर अपराध जैसे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन

अपराध के अभियुक्त को दोषसिद्ध किए जाने के लिए पर्याप्त नहीं होती । यह अभिकथन कि मृतक और अभियुक्त के मध्य झगड़े की प्रकृति में वैमनस्य था, एक तात्विक चूक है और इन परिस्थितियों में अभियुक्त संदेह का लाभ प्राप्त करने का दायी होगा । विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष और अभियुक्त को प्रदान किया गया दंडादेश अभिखंडित और अपास्त किए जाने योग्य है । (पैरा 14)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2011]	ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 2296 = ए. आई. आर. 2009 एस. सी. (सप्ली.) 1060 : **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **मोहम्मद इकराम और एक अन्य** ;	13
[2009]	(2009) 3 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 82 = ए. आई. आर. 2009 एस. सी. (सप्ली.) 1060 : **शेख मकसूद** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ।	13

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2007 की दांडिक अपील सं. 235.

2005 के सेशन मामला सं. 9 में दमन के विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा तारीख 28 नवंबर, 2006 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से	श्री ए. के. मोले
राज्य की ओर से	सहायक लोक अभियोजक
संघ राज्यक्षेत्र की ओर से	श्री डी. एल. नलवड़े

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति (श्रीमती) साधना एस. जाधव ने दिया ।

न्या. जाधव – मामले के अपीलार्थी को दमन के विद्वान सेशन न्यायाधीश द्वारा 2005 के सेशन मामला सं. 9 में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के बाबत दोषसिद्ध किया गया है और तारीख 28 नवंबर, 2006 के निर्णय और आदेश द्वारा आजीवन कठोर कारावास भोगने और 1,000.00 रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय में विफल रहने पर एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया गया है ।

2. संक्षेप में अभियोजन का पक्षकथन इस प्रकार है :–

(i) गणपत हलपती अपने दो पुत्रों राजेश और महेश और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मोती दमन के अंबावाड़ी, भंडारवाड़ में निवास करता था । वर्तमान अपीलार्थी भी अंबावाड़ी में वर्ष 2001 से निवास कर रहा था । पहले वह रावतलेव का निवासी था किंतु उसका अपने भाई के साथ झगड़ा हो गया था और उसने उक्त मकान को छोड़ दिया था । अभियुक्त/अपीलार्थी एक मोटरसाइकिल का स्वामी था जिसको वह गणपत के घर के सामने पार्क (खड़ा) किया करता था । महेश ने उक्त पार्किंग का विरोध किया और इसलिए अभियुक्त और महेश के मध्य निरंतर झगड़ा रहता था ।

(ii) यह अभिकथित किया गया है कि किसी व्यक्ति ने घटना के एक माह पूर्व अभियुक्त की मोटरसाइकिल के पेट्रोल टैंक में चीनी डाल दी थी जिसके कारणवश उसको मोटरसाइकिल की मरम्मत कराने में अत्यधिक रकम खर्च करनी पड़ी थी । यह अभिकथित किया गया है कि उसे इस बात का शक था कि यह रिष्टि महेश द्वारा कारित की गई है और इसलिए वह उसके द्वारा उपगत खर्चों की प्रतिपूर्ति किए जाने के प्रयोजनार्थ उस रकम की मांग करता रहता था । अभियोजन द्वारा यह भी अभिकथित किया गया है कि अभियुक्त द्वारा महेश को यह कहते हुए धमकी दी गई थी कि यदि वह उक्त रकम की प्रतिपूर्ति नहीं करता है, तो वह (अभियुक्त) उसको भी उसके भाई की भांति जान से मार देगा ।

(iii) अभियोजन द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि तारीख 15 मई, 2005 को गणपत अपने घर के भीतर सो रहा था जबकि राजेश और महेश, डबालू, मनु और अन्य गणपत के घर के सामने खुले स्थान में सो रहे थे । रात्रि में लगभग 2.00 बजे गणपत प्राकृतिक क्रिया के प्रयोजनार्थ उठा और उसने अचानक देखा कि महेश के गले पर काटे जाने का निशान था और उक्त क्षति से रक्त बह रहा था । गणपत ने राजेश, डबालू और अन्य लोगों को जगाया । महेश की मृत्यु हो चुकी थी । गणपत तुरंत मोती दमन चौकी की तरफ भागा और पुलिस थाना भारसाधक चव्हाण को घटना की जानकारी दी । गणपत के कथन के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के बाबत 2005 का अपराध सं. 19 रजिस्ट्रीकृत किया गया, अभियुक्त

को तारीख 18 मई, 2005 को गिरफ्तार कर लिया गया था । उसने तारीख 19 मई, 2005 को स्वेच्छापूर्वक एक कथन किया था जिसके आधार पर एक ज्ञापन (कथन) अभिलिखित किया गया था जो प्रदर्श 20 है । अभियुक्त के ज्ञापन (कथन) के आधार पर कुल्हाड़ी (वस्तु सं. 8) बरामद की गई थी जिसको वाड़ीग्राम के निकट झाड़ियों में छिपाया गया था । बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया था जो प्रदर्श 21 है । तारीख 30 मई, 2005 को वस्तु (कुल्हाड़ी) को अपराध विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था । अपराध विज्ञान प्रयोगशाला से रासायनिक विश्लेषक की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी और उस रिपोर्ट से यह प्रकट हुआ था कि मृतक का रक्त ग्रुप "ए" था । रक्तरंजित कुल्हाड़ी जिसको रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजा गया था पर भी रक्त ग्रुप "ए" के रक्त के निशान थे ।

(iv) अन्वेषण की समाप्ति के पश्चात् तारीख 1 अगस्त, 2005 को आरोप पत्र फाइल कर दिया गया था । मामले को सेशन न्यायालय के सुपुर्द कर दिया गया था और 2005 के सेशन मामला सं. 9 के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया था । अभियोजन ने अभियुक्त की दोषिता को साबित करने के प्रयोजनार्थ 8 साक्षियों का परीक्षण कराया ।

3. अभि. सा. 1 गणेश मृतक महेश का पिता है । उसने न्यायालय के समक्ष शपथपूर्वक कथन किया है कि तारीख 15 मई, 2005 को अपराह्न लगभग 5.00 बजे तीर्थयात्रा से घर वापस आया था । उस समय महेश घर पर था । वह सायंकाल में पंसारी का सामान खरीदने के लिए गया था और जब वापस लौटा तो देखा कि चंपक महेश से झगड़ रहा था । उसने झगड़े को शांत कराया । तत्पश्चात्, अभियुक्त घर चला गया । रात्रि लगभग 9.00 बजे अभियुक्त अभि. सा. 1 के घर ताड़ी की बोतल साथ लेकर आया । अभि. सा. 1 ने ताड़ी का सेवन किया । अभियुक्त और अभि. सा. 1 ने कुछ देर तक आपस में बातचीत की । तत्पश्चात्, अभियुक्त घर चला गया । उसने आगे अभिकथित किया है कि वह घर के भीतर सो गया था जबकि महेश घर के सामने सो गया था । भोर से पहले अभि. सा. 1 प्राकृतिक क्रिया से निवृत्त होने के लिए जागा और उसने देखा कि महेश के गले पर कटे की क्षति थी जिससे रक्त बह रहा था और इसलिए उसने राजेश, डबालू और अन्य को जगाया जो महेश के निकट सो रहे थे । तत्पश्चात् वह पड़ोसियों के साथ पुलिस थाना गया और अपने पुत्र महेश की मृत्यु के बारे में पुलिस को सूचित किया । उसने अपने द्वारा दर्ज कराई

गई रिपोर्ट की अंतर्वस्तुओं को साबित भी किया है जो प्रदर्श 11 है । मामले में अन्वेषण हुआ । उसने आगे अभिकथित किया है कि उसको संदेह था कि चंपक ही अपराध का कर्ता था क्योंकि महेश और चंपक के मध्य गणपत के घर के सामने मोटरसाइकिल खड़ी किए जाने के कारण झगड़ा था ।

4. अभि. सा. 1 की प्रतिपरीक्षा में जिसने अभियुक्त और मृतक को उसके घर के सामने जब वह घर वापस लौटा था, झगड़ते हुए देखा था, के संबंध में एक त्रुटि का पता चला है । प्रतिपरीक्षा में अभियुक्त के विरुद्ध इस संदेह को दृढ़ किया गया है ।

5. अभि. सा. 2 बबली हलपती अभि. सा. 1 की ननद है । वह अभि. सा. 1 के घर के निकट रहती है । उसने न्यायालय के समक्ष शपथपूर्वक यह कथन किया है कि वह अभियुक्त को जानती है जो अंबावाड़ी में 4-5 वर्षों से रहता है । वह कलन भाई के खेत में रहता था जो गणपत के घर से लगभग 500 फुट दूर था । उसके अनुसार लोगों ने चंपक से पूछा था कि उसने त्रवतिला में अपने माता-पिता को क्यों छोड़ दिया था । अभियुक्त ने उत्तर दिया कि उसकी अपने भाई से लड़ाई हो गई थी और उसने अपने एक भाई की हत्या कर दी थी और दूसरे को घायल कर दिया था । उसके अनुसार अभियुक्त अपनी मोटरसाइकिल गणपत के घर के सामने खड़ी करता था और इसलिए महेश उसके साथ झगड़ा करता रहता था । उसने शपथपूर्वक आगे कथन किया है कि वह तारीख 15 मई, 2005 को लगभग 6.30 बजे घर पर थी । उसी समय महेश और अभियुक्त के मध्य झगड़ा हुआ था । अभियुक्त मृतक से अपनी मोटरसाइकिल को कारित नुकसान के बाबत प्रतिकर की मांग कर रहा था । अभियुक्त ने धमकी दी थी कि यदि महेश ने नुकसान के बाबत रकम का संदाय नहीं किया तो वह उसको बिल्कुल वैसे ही जान से मार देगा जैसेकि उसके भाई को मारा था । उसके अनुसार गणपत और अन्य पड़ोसियों ने झगड़े का निपटारा किया था । तारीख 15 मई, 2005 की मध्यवर्ती रात्रि लगभग 2.30 बजे रमेश ने सूचना दी थी कि किसी ने महेश का गला काट दिया है । प्रतिपरीक्षा में इस सीमा तक खुलासा हुआ है कि उसने पुलिस को दिए गए अपने पूर्ववर्ती कथन में अभिकथित नहीं किया है कि उस दिन अभियुक्त महेश से उसकी मोटरसाइकिल को कारित नुकसान के बाबत रकम की मांग कर रहा था और इसी कारणवश अभियुक्त ने महेश को धमकी दी थी कि यदि उसने रकम का संदाय नहीं किया तो वह उसको जान से मार देगा जैसाकि उसने पहले भी किया है । यह त्रुटि महेश की मृत्यु को पृथक्

किए जाने के प्रयोजनार्थ किया गया प्रतीत होता है और जो साबित नहीं हो सका है ।

6. अभि. सा. 3, भाग पटेल भी अंबावाड़ी का निवासी है । उसने भी शपथपूर्वक ऐसे ही कथन किए हैं जैसेकि अभि. सा. 2 ने किए हैं ।

7. अभि सा. 4 हरीशभाई कामली एक गैराज का मालिक है और वह मिस्त्री है । उसने अभियुक्त की मोटरसाइकिल की मरम्मत की थी ।

8. अभि. सा. 5 रोहिदास मंगेला घटनास्थल पर उपस्थित पंचों, जिन्होंने पंचनामे पर हस्ताक्षर किए थे, में से एक पंच था और उसने घटनास्थल से बरामद वस्तुओं को साबित किया जो प्रदर्श 18 है ।

9. अभि. सा. 6 प्रवीणभाई हलपती अभियुक्त के ज्ञापन जिसके आधार पर कुल्हाड़ी (वस्तु सं. 8) की बरामदगी की गई, का पंच है । इस कुल्हाड़ी का बरामदगी पंचनामा प्रदर्श 20 है । इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा के दौरान गंभीरतापूर्वक जिरह नहीं की गई है ।

10. अभि. सा. 7 डा. शाइस्ता मुल्तानी चिकित्साधिकारी है जो दमन अस्पताल से संबद्ध है । उसने महेश के शव की शवपरीक्षा की थी । उसने महेश के गले पर क्षति अवेक्षित की थी । क्षति 4-1/2 इंच चौड़ी पीछे तक और 1/2 इंच चौड़ी आगे तक थी । यह क्षति प्राणांतक थी ।

11. अभि. सा. 8 हीरालाल चौहान अन्वेषण अधिकारी है जिसने अन्वेषण किया था और आरोप पत्र फाइल किया था । उसने न्यायालय के समक्ष शपथपूर्वक कथन किया है कि उसने तारीख 16 और 17 मई, 2005 को अभियुक्त को खोजा था और उसको तारीख 18 मई, 2005 को गिरफ्तार कर लिया था । अभिलेख पर कोई गिरफ्तारी पंचनामा नहीं है । अभिलेख पर यह दर्शित करने के प्रयोजनार्थ कुछ भी उपलब्ध नहीं है कि अभि. सा. 8 ने अभियुक्त को खोजा था । इसलिए, न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि अभियुक्त फरार था । अभि. सा. 8 ने न्यायालय के समक्ष शपथपूर्वक कथन किया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन कुल्हाड़ी की बरामदगी अभियुक्त के ज्ञापन के आधार पर की गई थी । अभि. सा. 8 ने प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि उसने अभियुक्त को मात्र शक के आधार पर गिरफ्तार किया था । कुल्हाड़ी (वस्तु सं. 8) अभियुक्त द्वारा बताए जाने के आधार पर कपड़ों के साथ अपराध विज्ञान प्रयोगशाला भेज दिया गया था । रिपोर्ट से प्रकट होता है कि मृतक का रक्त समूह "ए" था और कुल्हाड़ी पर रक्त के निशान भी "ए" समूह के

ही थे ।

12. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल ने निवेदन किया कि अभियोजन ने युक्तियुक्त संदेह के परे साबित कर दिया है कि अभियुक्त ही उस क्षति का कर्ता है जिसको मृतक द्वारा बरदाश्त किया गया था और वह क्षति प्राणांतक थी और इसलिए सेशन न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषसिद्धि में किसी मध्यक्षेप की आवश्यकता नहीं है । उन्होंने आगे निवेदन किया कि अभियुक्त महेश से ईष्या करता था और इसलिए उसने महेश पर कुल्हाड़ी से हमला करने के द्वारा अपनी ईष्या को शांत किया था । यह उल्लेख किया जाना महत्वपूर्ण है कि घटना वाली रात्रि को महेश के निकट चार अन्य व्यक्ति सो रहे थे और इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि अभियुक्त के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति भी चुपचाप जा सकता था और इस प्रकार की घोर क्षति कारित कर सकता था जिसके बारे में लोग जान न पाते । अभियोजन ने ऐसे किसी व्यक्ति का परीक्षण नहीं किया है जो महेश के निकट सो रहा था । मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है और अभियोजन के लिए यह आवश्यक है कि वह अभियुक्त की दोषिता युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करे ।

13. साक्ष्य का परिशीलन किए जाने पर यह उल्लेख किया जाना महत्वपूर्ण हो जाता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभियुक्त का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित नहीं किया गया था कि कुल्हाड़ी पर रक्त के निशान समूह "ए" के रक्त के थे जो कि मृतक का रक्त समूह था । सर्वोच्च न्यायालय ने **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **मोहम्मद इकराम और एक अन्य**[1] वाले मामले में अभिकथित किया वह इस प्रकार है :–

> "दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 निष्पक्षता के मूल सिद्धांत पर आधारित है । अभियुक्त का ध्यान साक्ष्य के अभियोग लगाने वाले भागों की ओर विनिर्दिष्ट रूप से आकर्षित किया जाना चाहिए जिससे कि उसको स्पष्टीकरण देने का अवसर मिल सके, यदि वह ऐसा करने का निर्णय करता है । इसलिए, न्यायालय अभियुक्त के समक्ष अभियोग लगाने वाली परिस्थितियां रखने और उसके उत्तर की मांग किए जाने की विधिक बाध्यता के अधीन है । यह उपबंध आज्ञात्मक प्रकृति का है और न्यायालय पर अत्यावश्यक कर्तव्य अधिरोपित करता

---

[1] ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 2296 = ए. आई. आर. 2009 एस. सी. (सप्ली.) 1060.

है और अभियुक्त को उसके विरुद्ध अभिलेख पर उपस्थित ऐसी अभियोग लगाने वाली सामग्री के लिए स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए जाने के लिए अवसर प्रदान किए जाने हेतु सदृश्य अधिकार प्रदत्त करता है कि परिस्थितियों, जिनको अभियुक्त के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन उसके परीक्षण के दौरान नहीं रखा गया था, को उपयोग उसके विरुद्ध नहीं किया जा सकता और उनको विचारण से अपर्जित किया जाना चाहिए ।"

शेख मकसूद बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है :–

"8. '12. संहिता की धारा 313 का प्रयोजन उसके आरंभिक शब्दों में ही उपवर्णित होता है – इस प्रयोजन से कि अभियुक्त अपने विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली किन्हीं परिस्थितियों का स्वयं स्पष्टीकरण कर सके; हेत सिंह भगत सिंह **बनाम** मध्य भारत राज्य (ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 468) वाले मामले में न्यायमूर्ति बोस द्वारा यह अधिकथित किया गया है (पृष्ठ 469 पैरा 8 पर) कि संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित अभियुक्त व्यक्तियों के कथन अत्यधिक महत्वपूर्ण कथनों में से होते हैं जिन पर विचारण के समय विचार किया जाता है । उक्त मामले (पृष्ठ 470 पैरा 8) में यह बताया गया :–

8. ..... भारत में सुपुर्द करने वाले मजिस्ट्रेट और सेशन न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित अभियुक्त के कथन उसी प्रकार के कथन हैं जैसे कि इंग्लैंड और अमेरिका के न्यायालयों में अभिलिखित किए जाते हैं और यहां वह (अभियुक्त) साक्षी कठघरे में अपने शब्दों में वह सभी कुछ कहने के लिए स्वतंत्र होता है और उसके कथनों को साक्ष्य के रूप में माना जाता है और विचारण के समय उन पर सम्यक् रूप से विचार किया जाता है ....."

यह स्थिति संहिता में धारा 315 के सम्मिलित किए जाने के पश्चात् भी अपरिवर्तित बनी रहती है और धारा 313 के अधीन किसी भी कथन पर उसी प्रकार से विचार किया जाता है जैसे कि धारा 315 अस्तित्व में ही न हो ।

---

[1] (2009) 3 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 82 = ए. आई. आर. 2009 एस. सी. (सप्ली.) 1060.

13. इस धारा के अधीन परीक्षण किए जाने के विरुद्ध आक्षेप का प्रयोजन अभियुक्त को उसके विरुद्ध बनने वाले मामले का स्पष्टीकरण देने का अवसर प्रदान करता है । इस कथन पर उसकी निर्दोषिता या दोषिता का निर्णय किए जाने के प्रयोजनार्थ विचार किया जा सकता है जहां उन्मोचित किए जाने के प्रयोजनार्थ भार अभियुक्त पर होता है, यह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि क्या इस प्रकार के कथन में भार का उन्मोचन होता है ।

14. उपधारा (1)(ख) में शब्द "सामान्यतया" मामले से संबंधित सामान्य प्रकृति के एक या अधिक प्रश्न किए जाने की प्रकृति को सीमित नहीं करता, किंतु इसका आशय यह है कि प्रश्न सम्पूर्ण मामले से संबंधित होना चाहिए और उसके किसी विशिष्ट भाग या भागों तक भी सीमित होना चाहिए । प्रश्न इस प्रकार से विरचित किया जाना चाहिए जिससे कि अभियुक्त को यह जानने के समर्थ बनाया जा सके कि उसको क्या स्पष्ट करना है, क्या परिस्थितियां हैं जो उसके विरुद्ध हैं और जिसके लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता है । इस धारा का सम्पूर्ण उद्देश्य अभियुक्त को उन परिस्थितियों का स्पष्टीकरण देने के लिए एक उचित और निष्पक्ष अवसर प्रदान करना है जो उसके विरुद्ध उत्पन्न हो गई हैं और किए जाने वाले प्रश्न उचित होने चाहिए और ऐसे स्वरूप में त्यक्त किए जाने चाहिए जिनका मूल्यांकन कोई अनभिज्ञ या अशिक्षित व्यक्ति भी कर सके और उनको समझ सके । अभियुक्त द्वारा स्पष्टीकरण जो देने के लिए उसको कभी नहीं कहा गया, दे पाने में विफल रहने पर आधारित दोषसिद्धि विधि की दृष्टि में दूषित होती है । संहिता की धारा 313 अधिनियमित किए जाने का सम्पूर्ण उद्देश्य यह था कि अभियुक्त का ध्यान आरोप पत्र और साक्ष्य जिसके आधार पर अभियोजन दावा करता है कि अभियुक्त के विरुद्ध मामला बनता है, में उठाए गए विनिर्दिष्ट बिंदुओं की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए जिससे कि वह ऐसा स्पष्टीकरण देने के समर्थ हो सके जो वह देना चाहता है ।

15. संहिता की धारा 313 के उपबंधों का ईमानदारी और निष्पक्षतापूर्वक पालन किए जाने के महत्व पर अत्यधिक दृढ़तापूर्वक जोर नहीं दिया जा सकता :–

30. .....तथ्यों की लंबी शृंखला को एक साथ पंक्तिबद्ध

> किया जाना और अभियुक्त से वह बात पूछा जाना जो वह उनके बारे में अवश्य कह देता, पर्याप्त अनुपालन नहीं है । उससे प्रत्येक तात्विक परिस्थिति जिसको उसके विरुद्ध प्रयोग किया जाना आशयित है, के बारे में पृथक् रूप से प्रश्न पूछे जाने चाहिए । .....इसलिए, प्रश्न उचित होने चाहिए और ऐसे स्वरूप में पंक्तिबद्ध की जानी चाहिए जिसका मूल्यांकन कोई अनभिज्ञ और अशिक्षित व्यक्ति भी कर सके और उसको समझ सके । यहां तक कि यद्यपि कोई अभियुक्त अशिक्षित हो तो भी उसका मस्तिष्क विचलित किया जा सकता है जब वह हत्या के आरोप का सामना कर रहा होता है । ..... इसलिए, निष्पक्षता की उपेक्षा है कि प्रत्येक तात्विक परिस्थिति को साक्षी के समक्ष और पृथक् रूप से इस प्रकार प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि कोई अशिक्षित मस्तिष्क या कोई ऐसा मस्तिष्क जो विचलित या उलझा हुआ हो, तो भी उस परिस्थिति का तत्परतापूर्वक मूल्यांकन कर सके और उसको समझ सके ।"

14. यह न्यायालय की उपरोक्त मताभिव्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए इस तथ्य को प्रति विस्मरणशील नहीं हो सकता कि अभियुक्त का ध्यान अभिकथित रूप से फंसाने वाली सामग्री की ओर आकर्षित नहीं किया गया था कि कुल्हाड़ी पर लगे हुए रक्त का रक्त समूह मृतक के रक्त समूह से मिल गया था और इसलिए उस पर विचार किए जाने की आवश्यकता नहीं थी । वास्तव में वर्तमान मामले में अभियुक्त के विरुद्ध एकमात्र फंसाने वाली सामग्री रक्तरंजित कुल्हाड़ी की बरामदगी है । मात्र बरामदगी ही किसी गंभीर अपराध जैसे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के अभियुक्त को दोषसिद्ध किए जाने के लिए पर्याप्त नहीं होती । यह अभिकथन कि मृतक और अभियुक्त के मध्य झगड़े की प्रकृति में वैमनस्य था, एक तात्विक चूक है और इन परिस्थितियों में अभियुक्त संदेह का लाभ प्राप्त करने का दायी होगा । विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष और अभियुक्त को प्रदान किया गया दंडादेश अभिखंडित और अपास्त किए जाने योग्य है ।

15. निर्णय पारित करने के पूर्व, हम अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व करने के लिए उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, मुंबई द्वारा नियुक्त अधिवक्ता श्री ए. के. मोली के लिए अपनी प्रशंसा अभिलिखित करना चाहेंगे । हमने पाया कि उन्होंने मामले को सतर्कतापूर्वक तैयार किया और अत्यधिक कौशलपूर्वक बहस की । हम उनको उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति

द्वारा संदत्त किए जाने वाले शुल्क को 2,500.00 रुपए निर्धारित करते हैं । उक्त शुल्क का संदाय अधिवक्ता श्री मोली को आज से तीन सप्ताह के भीतर कर दिया जाए ।

16. अतः हम निम्नलिखित आदेश पारित करते हैं :–

आदेश

(i) अपील स्वीकार की जाती है ।

(ii) तारीख 28 नवंबर, 2006 के निर्णय और आदेश द्वारा दमन के विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित दोषसिद्धि और दंडादेश को अभिखंडित और अपास्त किया जाता है ।

(iii) अभियुक्त को तुरंत निर्मुक्त किया जाए, यदि वह किसी अन्य मामले में अपेक्षित न हो ।

(iv) इस आदेश की संसूचना उस कारागार जहां अपीलार्थी को रखा गया है, के कारागार अधीक्षक और अपीलार्थी मूल अभियुक्त को दी जाए ।

(v) आदेश शीघ्र पालन किया जाए ।

अपील मंजूर की गई ।

शु.

(2013) 2 दा. नि. प. 328 **सिक्किम**

चम्पा देवी शर्मा और एक अन्य

बनाम

सिक्किम राज्य

तारीख 30 अगस्त, 2012

मुख्य न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 482 और 320 [सपठित दंड संहिता, 1860 की धारा 354] – उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां – आपराधिक कार्यवाहियां – अशमनीय अपराध – यदि मामले के दोनों पक्षकारों द्वारा आपसी मतभेद को भुलाकर शांतिपूर्वक जीवन बिताने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष संयुक्त आवेदन पेश

किया है तो उच्च न्यायालय पक्षकारों के हित को देखते हुए अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायहित में दांडिक कार्यवाहियां अभिखंडित कर सकता है ।

आवेदक सं. 2, आवेदक सं. 1 के पति के कार्यालय में काम करती थी जिसने आवेदक सं. 1 के विरुद्ध पूर्वउल्लिखित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की थी । पुलिस द्वारा अन्वेषण करने के पश्चात् ऊपर उल्लिखित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र फाइल किया गया था । तथापि, आरोप को विरचित करते समय विचारण न्यायालय ने तारीख 19 जून, 2012 को आदेश पारित करके दंड संहिता की धारा 354 के अधीन आरोप विरचित किया और मामले को विचारण के लिए रखा गया । यह प्रतीत होता है कि दांडिक कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान पक्षकारों द्वारा शांतिपूर्वक जीवन बिताने के लिए अपनी नासमझी दूर करके तथा अपने विवादों को निपटाकर पारस्परिक समझौता कर लिया । समझौते का औपचारिक विलेख तारीख 23 जून, 2012 को पक्षकारों के बीच तैयार किया गया, जिसकी प्रति इस आवेदन के साथ अभिलेख पर रखी गई है । समझौता दस्तावेज का परिशीलन करने से यह प्रकट होता है कि सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के विचार से शांति से जीवन बिताने के लिए पक्षकारों ने समझौता किया है । स्वीकृततः, अपराध जिसके लिए आवेदक सं. 1 को आरोपित किया गया है, अशमनीय अपराध है । तथापि, पक्षकार एक-दूसरे को माफ करने के लिए सहमत हुए हैं और दांडिक कार्यवाहियों को अभिखंडित करने के लिए संयुक्त आवेदन फाइल किया गया है । उच्च न्यायालय द्वारा आवेदन मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – यह प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या अशमनीय अपराध के बारे में दांडिक कार्यवाहियां पक्षकारों के बीच पारस्परिक सहमति के आधार पर अभिखंडित की जा सकती हैं जिस बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई मामलों में विचार किया है खासतौर पर बी. एस. जोशी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और एक अन्य वाले मामले का निर्देश दिया जा सकता है । शिजी **उर्फ** पालप्पु और अन्य बनाम राधिका और एक अन्य वाले नवीनतम निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने इस विषय पर सम्पूर्ण विधि की परीक्षा की है और यह दोहराया है कि उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग करते हुए पक्षकारों के बीच पारस्परिक समझौते के आधार पर दांडिक कार्यवाहियों को अभिखंडित करने के लिए सक्षम है, विशिष्टतया जहां उच्च न्यायालय

की यह राय है कि मामले को अभिखंडित किए जाने से पक्षकारों का बड़ा हित होगा और शांति बनी रहेगी । परिस्थितियों को देखते हुए आवेदन मंजूर किया जाता है । (पैरा 7 और 8)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2003]	(2003) 4 एस. सी. सी. 675 = ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 1386 = 2003 क्रिमिनल ला जर्नल 2028 : **बी. एस. जोशी और अन्य** बनाम **हरियाणा राज्य और एक अन्य** ;	7
[2002]	ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 499 = 2002 क्रिमिनल ला जर्नल 840 : **शिजी** उर्फ **पालप्पु और अन्य** बनाम **राधिका और एक अन्य** ।	7

प्रकीर्ण (दांडिक) अधिकारिता : 2012 का दांडिक प्रकीर्ण मामला सं. 5.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अधीन आवेदन ।

अपीलार्थी/आवेदक की ओर से सर्वश्री एस. एस. हमाल, लेयदा तसेरिंग भूटिया और (सुश्री) सबीना श्रेत्री

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री जे. बी. प्रधान, लोक अभियोजक, कर्मा थिनले, अपर लोक अभियोजक और एस. के. चित्रा, सहायक लोक अभियोजक

मुख्य न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली – श्री कर्मा थिनले विद्वान् अपर लोक अभियोजक द्वारा राज्य प्रत्यर्थी की ओर से जारी किए गए नोटिस स्वीकार किए गए हैं ।

2. पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को सुना ।

3. यह आवेदन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 के अधीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पूर्वी सिक्किम, गंगटोक के न्यायालय में दांडिक

कार्यवाहियों को अभिखंडित करने के लिए फाइल की गई है । ये कार्यवाहियां प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 69/2011 से उद्भूत कार्यवाहियां हैं जो दंड संहिता की धारा 447/354/323 के अधीन सदर पुलिस थाना, गंगटोक के समक्ष तारीख 13 जून, 2011 को रजिस्ट्रीकृत की गई थीं ।

4. आवेदक सं. 2, आवेदक सं. 1 के पति के कार्यालय में काम करती थी जिसने आवेदक सं. 1 के विरुद्ध पूर्वउल्लिखित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की थी । पुलिस ने अन्वेषण करने के पश्चात् ऊपर उल्लिखित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र फाइल किया गया था । तथापि, आरोप को विरचित करते समय विचारण न्यायालय ने तारीख 19 जून, 2012 को आदेश पारित करके दंड संहिता की धारा 354 के अधीन ही आरोप विरचित किया और मामले को विचारण के लिए रखा गया था ।

5. यह प्रतीत होता है कि दांडिक कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान पक्षकारों द्वारा शांतिपूर्वक जीवन बिताने के लिए अपनी नासमझी दूर करके तथा अपने विवादों को निपटाकर पारस्परिक समझौता किया । समझौते का औपचारिक विलेख तारीख 23 जून, 2012 को पक्षकारों के बीच तैयार किया गया, जिसकी प्रति इस आवेदन के साथ अभिलेख पर रखी गई है ।

6. समझौता दस्तावेज का परिशीलन करने से यह प्रकट हुआ है कि सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के विचार से शांति से जीवन बिताने के लिए पक्षकारों ने समझौता किया । स्वीकृततः, अपराध जिसके लिए आवेदक सं. 1 को आरोपित किया गया है, अशमनीय अपराध है । तथापि, पक्षकार एक-दूसरे को माफ करने के लिए सहमत हुए हैं और दांडिक कार्यवाहियों को अभिखंडित करने के लिए संयुक्त आवेदन फाइल किया गया है ।

7. यह प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या अशमनीय अपराध के बारे में दांडिक कार्यवाहियां पक्षकारों के बीच पारस्परिक सहमति के आधार पर अभिखंडित की जा सकती हैं जिस बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई मामलों में विचार किया है खासतौर पर **बी. एस. जोशी और अन्य** बनाम **हरियाणा राज्य और एक अन्य**[1] वाले मामले का निर्देश दिया जा सकता है । **शिजी** उर्फ **पालप्पु और अन्य** बनाम **राधिका और एक अन्य**[2]

---

[1] (2003) 4 एस. सी. सी. 675 = ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 1386 = 2003 क्रिमिनल ला जर्नल 2028.

[2] ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 499 = 2002 क्रिमिनल ला जर्नल 840.

वाले नवीनतम निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने इस विषय पर सम्पूर्ण विधि की परीक्षा की है और यह दोहराया है कि उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग करते हुए पक्षकारों के बीच पारस्परिक समझौते के आधार पर दांडिक कार्यवाहियों को अभिखंडित करने के लिए सक्षम है, विशिष्टतया जहां उच्च न्यायालय की यह राय है कि मामले को अभिखंडित किए जाने से पक्षकारों का बड़ा हित होगा और शांति बनी रहेगी ।

8. उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए आवेदन मंजूर किया जाता है ।

9. न्यायालय, प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पूर्वी सिक्किम, गंगटोक में जी. आर. मामला सं. 54/2011 (सिक्किम राज्य बनाम चम्पा देवी शर्मा) जो दंड संहिता की धारा 354 के अधीन है, की लंबित दांडिक कार्यवाहियों को एतद्द्वारा अभिखंडित किया जाता है ।

आवेदन मंजूर किया गया ।

आर्य

(2013) 2 दा. नि. प. 332 **हिमाचल प्रदेश**

पवन कुमार

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

तारीख 8 अप्रैल, 2013

न्यायमूर्ति सुरिन्दर सिंह और न्यायमूर्ति धर्म चन्द चौधरी

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) – धारा 15 – विनिषिद्ध माल की बरामदगी – बरामदगी नमूने की पहचान विवादास्पद और रहस्यपूर्ण होने तथा अभियोजन द्वारा बरामद वस्तु का अभियुक्त के वास्तविक और सबोध कब्जे से साबित करने में असफल रहने की स्थिति में अभियुक्त दोषमुक्त होने का हकदार है ।

संक्षेप में, अभियोजन पक्षकथन जैसाकि अभिलेख के साक्ष्य से प्रकट है, इस पर यह कहा जा सकता है कि (i) वर्ष 2006 में उप-निरीक्षक रमेश कुमार राना को अपर भारसाधक अधिकारी के पद पर पुलिस थाना, इंदौर में तैनात किया गया था । (ii) तारीख 7 अक्तूबर, 2006 को वह पुलिस

गश्ती दल का मुखिया था और जो "दमतल" "छन्नी" क्षेत्र में मौजूद था । (iii) लगभग 1.30 बजे अपराह्न पुलिस कुछ पुलिस कार्मिकों से मिले जो सहायक उप-निरीक्षक अर्जुन दास के साथ थे और उन्हें भी गश्ती दल में सम्मिलित किया गया । (iv) उसी बीच में पूर्वोक्त उप-निरीक्षक रमेश कुमार ने एक गुप्त सूचना प्राप्त की कि अभियुक्त के पास उसके मकान में चरस या पोस्ते की भूसी रखी हुई है और इस सूचना को प्राप्त करने के पश्चात् उसने निश्चित तौर पर कांस्टेबल शिव देव सिंह को दो स्वतंत्र साक्षियों के साथ उस स्थान पर देखिए प्रदर्श पी. डब्ल्यू.1/क के लिए तैनात किया । (v) उक्त पुलिस अधिकारी द्वारा गुप्त सूचना प्राप्त करने के पश्चात् उसके द्वारा अधिनियम की धारा 42 की उपधारा 2 के उपबंधों का अनुपालन करते हुए उसे एक कागज के टुकड़े पर प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/क पर लिखा गया था तथा उसे उपखंड पुलिस अधिकारी, नुरपूर कांस्टेबल प्रमोद सिंह के माध्यम से भेजा गया था । (vi) कांस्टेबल शिव देव सिंह जो स्थानीय साक्षी को लाया अर्थात् वेद प्रकाश और पप्पी धारीवाल को छापामार दल में सम्मिलित किया गया । रामस्वरूप से मापने के यंत्र तथा स्केल लाए गए थे । शिव देव सिंह के माध्यम से प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की रजिस्ट्रेशन के लिए पुलिस थाने पर रुक्का प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/क भेजा गया था । इसके पश्चात् छापामार दल घटनास्थल की ओर अग्रसर हुआ । (vii) पूर्वोक्त पुलिस दल स्वतंत्र साक्षियों के साथ अभियुक्त के मकान पर पहुंचे जहां उन्होंने यह पाया कि अभियुक्त वहां पर मौजूद थे और उसे लिखित प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ख के माध्यम से अपने आने के प्रयोजन के बारे में बताया । अभियुक्त ने इस पर आक्षेप नहीं किया । (viii) तलाशी लेने से पूर्व छापामार दल ने श्रीमती लीलो देवी पंच और तिलकराज (जिसकी परीक्षा नहीं की गई) जो उसी गांव के निवासी हैं की मौजूदगी में अभियुक्त से अपनी तलाशी कराई गई । परंतु उनके कब्जे से अपराध में फंसाने वाली कोई वस्तु नहीं पाई गई । इस पर ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ग भी तैयार किया गया । (ix) इसके पश्चात् अभियुक्त के मकान की तलाशी ली गई परंतु कोई अपराध में फंसाने वाली वस्तु नहीं पाई गई । तब वे गौशाला की ओर अग्रसर हुए और उक्त गौशाला में गाय को बांधने का खूंटा नजर आया और जिसको वहां पर से हटाया गया और उसके पश्चात् उन्होंने गौशाला की तलाशी ली । तलाशी के दौरान उन्होंने गौशाला के फर्श के नीचे दो ड्रम जो जमीन के नीचे दबाए हुए थे उनका पता चला और प्रत्येक ड्रम की जांच करने पर उन्होंने 64 पोलीथीन पैकेट जिनका भार 60 किलोग्राम था बरामद किए और पुलिस ने इनके फोटो भी लिए थे । (x) सभी 64 पैकेटों को एकसाथ मिलाया गया था; इसके पश्चात् अन्वेषक

अधिकारी ने बरामद किए गए ढ़ेर से अलग-अलग 100 ग्राम के दो नमूने पृथक् रूप से तैयार किए । नमूने पार्सल अग्रेजी शब्द "के" की छाप लगाकर अलग-अलग मोहरबंद किए गए थे और नमूने पार्सल "ख" और "ख1" से चिह्नित किए गए थे और बाकी ढ़ेर को अभियुक्त के मकान से प्राप्त किए गए जूट के थैले में वहीं मोहर लगा कर मोहरबंद किया गया । मोहर का इस्तेमाल करने के पश्चात् वेद प्रकाश को सौंप दिया गया था और वाद सम्पत्ति को साक्षियों के समक्ष ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ङ के माध्यम से कब्जे में लिया गया था । मोहर का नमूना एक कपड़े के टुकड़े प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/घ पर लिया गया था और एनसीबी प्ररूप तीन प्रतियों में भरे गए थे । मोहर का प्रतिकृति पूर्वोक्त प्ररूपों पर अलग-अलग भी लगाए गए थे । एनसीबी प्ररूप में से एक प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 13/क है । (xi) पुलिस ने अभिकथित बरामदगी के स्थान का कच्चा नक्शा प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 13/ख भी तैयार किया । (xii) अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के आधार उसे लिखित प्रदर्श पी. डब्ल्यू 1/च में बताया गया था । विचारण न्यायालय ने अभियोजन साक्षियों के कथनों का अवलंब लेकर प्रतिरक्षा को अस्वीकार कर दिया तथा अभियुक्त को पूर्वोक्त रूप में दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया, इसलिए, वर्तमान अपील फाइल की गई । उच्च न्यायालय द्वारा मामले का निपटारा करते हुए,

अभिनिर्धारित – इस मामले में न्यायालय गौशाला से अभिकथित निषिद्ध माल की बरामदगी को महत्व देता है और क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त के वास्तविक और सचेत कब्जे को साबित करने में समर्थ हुआ है या नहीं । गौशाला के कब्जे को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने अन्वेषण के दौरान तरवीज सिंह, पटवारी की परीक्षा की । उसने राजस्व कागजात खसरा सं. 28 अन्वेषण अधिकारी को सौंपा था परंतु उसने महत्वपूर्ण रूप से यह कथन किया है कि वह अभिकथित बरामदगी के स्थान पर नहीं गया था । इसलिए वह इस बारे में यह नहीं समझ पाया है कि कैसे अभियुक्त को इस मामले में सम्मिलित किया गया और पुलिस की जानकारी में यह बात आई कि प्रश्नगत गौशाला खसरा सं. 28 है । किसी भी स्वतंत्र साक्षियों ने इस बारे में एक भी शब्द नहीं बोला कि प्रश्नगत गौशाला अभियुक्त के कब्जे में था । अभियोजन पक्ष स्थानीय किसी व्यक्ति की परीक्षा करने में विफल हुआ है यद्यपि वे यह बात साबित करने के लिए उपलब्ध थे कि प्रश्नगत गौशाला अभियुक्त से संबंधित था । इसके अतिरिक्त दस्तावेज प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ग जिसे मकान की तलाशी लिए जाने के पूर्व तैयार किया गया था उससे यह दर्शित होता है कि श्रीमती

लीलो देवी नामक महिला और तिलक राज घटनास्थल पर मौजूद थे । इन साक्षियों के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलेख पर कोई भी कथन नहीं है और इस बारे में यह नहीं पता चला कि क्यों उनके कथन इस तथ्य के बारे में अन्वेषक अधिकारी द्वारा अभिलिखित किए गए थे । वे गौशाला के कब्जे के बारे में बताने के लिए उत्तम साक्षी हो सकते थे । अतः न्यायालय की विचारित राय यह है कि ऊपर चर्चित साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त का अभिकथित बरामदगी के स्थान के बारे में वास्तविक और सचेत कब्जे को साबित करने में विफल हुआ है । न्यायालय वर्तमान मामले में बड़े विभेद पाता है क्योंकि विश्लेषण की रिपोर्ट इस कारण से विश्लेषण के लिए भेजे गए अभिकथित नमूनों से भी संबंधित नहीं हो सकती है कि तारीख 19 अक्तूबर, 2006 को दो नमूने पार्सलों में से एक सीएफएसएल, चंडीगढ़ पर जमा करने के लिए रंजीत सिंह को सौंपा गया था परंतु मौखिक आक्षेप होने पर यह अभिकथित किया गया कि उसे वापस कर दिया गया और इसे एनसीबी प्ररूप की तीन प्रतियों के साथ नहीं भेजा गया था, इसलिए, मोहर्रिर हेड कांस्टेबल तथा कांस्टेबल की ओर से यह लाजिमी था कि नमूने को वापस होने पर मालखाने में जमा करें । इसके पश्चात् इसे विश्लेषण के लिए सड़क प्रमाणपत्र के माध्यम से आक्षेप को दूर करने के पश्चात् पुनः भेजा जाना चाहिए था परंतु मालखाने के सार का परिशीलन करने पर तारीख 19 अक्तूबर, 2006 को प्रयोगशाला में विश्लेषण किए जाने के लिए नमूने पार्सल को वापस लेना भी दर्शित नहीं है । इसके पुनः जमा करने के बारे में क्या बातचीत हुई क्योंकि नमूना पार्सल को सीएफएसएल, चंडीगढ़ विश्लेषण के लिए पुनः लिया जाना आवश्यक रूप से अपेक्षित था । यह ज्ञात नहीं है या इस बारे में प्रकट हुआ है कि यह नमूना 10 दिन तक रहा । इसके अतिरिक्त, राजेन्द्र सिंह के कथन का उल्लेख किया जा सकता है । उसने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि उसने एनसीबी प्ररूप को भरा था और तब एनसीबी प्ररूपों पर मोहर लगाने के लिए उक्त प्ररूप को उप-निरीक्षक रमेश कुमार और भारसाधक अधिकारी अंबिया राम को सौंप दिया था । यदि ऐसा कथन सही है तब सुरक्षित रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मोहर "के" जिसे अभिकथित बरामदगी की तारीख को अन्वेषक अधिकारी द्वारा प्रयुक्त किया गया था को स्वतंत्र साक्षी श्री वेद प्रकाश को कभी भी सौंपी नहीं गई थी, यह बात अभियोजन पक्ष के प्रतिकूल जाती है । यदि ऐसा हुआ तब उक्त मोहर पर हेरफेर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता । एक अन्य मोहर जिसके द्वारा भारसाधक अधिकारी अंबिया राम द्वारा वाद

संपत्ति पर पुनः मोहर लगाई थी वह उसके पास रखी हुई थी । न्यायालय प्रारंभ में अभियोजन पक्षकथन पर यह निष्कर्ष निकालता है कि नमूना पार्सल जिन पर "ख" और "ख1" चिह्नित किए गए थे उन्हें अभी तक मालखाने में जमा किया गया है और उन्हें विश्लेषण के लिए भेजा गया था देखिए आरसी प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/ख और वैसी ही रही है परंतु जब तारीख 1 नवंबर, 2006 को प्रयोगशाला में उन्हें प्राप्त किया गया तब ऐसा कोई चिह्न नमूने पार्सल पर नहीं थे । इस प्रकार, नमूने की शिनाख्त को प्रश्नगत किया गया है और यह बात रहस्यमय रही है । (पैरा 15, 16, 17, 18 और 19)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2009 की दांडिक अपील सं. 78.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री अनूप चितकारा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की और से मैसर्स डी. सी. पथिक, अपर महाधिवक्ता, एम. ए. खान, अपर महाधिवक्ता और श्री रमेश ठाकुर, सहायक महाधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति सुरिन्दर सिंह ने दिया ।

न्या. सिंह – अपीलार्थी विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (जिसे संक्षेप में "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 18 के अधीन (इसका गलत रूप से उल्लेख किया गया है जबकि इसे धारा 15 होना चाहिए) के अधीन पारित किए गए दोषसिद्धि के निर्णय से व्यथित हुआ है जिस मामले में अपीलार्थी के कब्जे में अनन्य और सचेत रूप से 7 किलोग्राम पोस्ता भूसी/पुआल कब्जे में होना अभिकथित है जिसके द्वारा उसे 10 वर्ष की अवधि का कठोर कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया और 10,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने तथा जुर्माने की रकम का संदाय करने में व्यतिक्रम करने पर उसे 1 वर्ष की अवधि का साधारण कारावास भोगने का भी दंडादेश दिया गया । तथापि, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के अधीन फायदा देने के लिए दंडादेश को कम करने हेतु सहमति भी व्यक्त की गई थी ।

2. संक्षेप में, अभियोजन पक्षकथन जैसाकि अभिलेख के साक्ष्य से प्रकट है, इस पर यह कहा जा सकता है कि वर्ष 2006 में उप-निरीक्षक रमेश कुमार राना (अभि. सा. 13) को अपर भारसाधक अधिकारी के पद पर

पुलिस थाना, इंदौर में तैनात किया गया था ।

(ii) तारीख 7 अक्तूबर, 2006 को वह पुलिस गश्ती दल का मुखिया था और जो " दमतल" "छन्नी" क्षेत्र में मौजूद था ।

(iii) लगभग 1.30 बजे अपराह्न पुलिस कुछ पुलिस कार्मिकों से मिले जो सहायक उप-निरीक्षक अर्जुन दास के साथ थे और उन्हें भी गश्ती दल में सम्मिलित किया गया ।

(iv) उसी बीच में पूर्वोक्त उप-निरीक्षक रमेश कुमार ने एक गुप्त सूचना प्राप्त की कि अभियुक्त के पास उसके मकान में चरस या पोस्ते की भूसी रखी हुई है और इस सूचना को प्राप्त करने के पश्चात् उसने निश्चित तौर पर कांस्टेबल शिव देव सिंह (अभि. सा. 2) को दो स्वतंत्र साक्षियों के साथ उस स्थान पर देखिए प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क के लिए तैनात किया ।

(v) उक्त पुलिस अधिकारी द्वारा गुप्त सूचना प्राप्त करने के पश्चात् उसके द्वारा अधिनियम की धारा 42 की उपधारा 2 के उपबंधों का अनुपालन करते हुए उसे एक कागज के टुकड़े पर प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/क पर लिखा गया था तथा उसे उपखंड पुलिस अधिकारी, नुरपूर कांस्टेबल प्रमोद सिंह (अभि. सा. 5) के माध्यम से भेजा गया था ।

(vi) कांस्टेबल शिव देव सिंह जो स्थानीय साक्षी को लाया अर्थात् वेद प्रकाश (अभि. सा. 1) और पप्पी धारीवाल (अभि. सा. 3) को छापामार दल में सम्मिलित किया गया । रामस्वरूप (अभि. सा. 7) से मापने के यंत्र तथा स्केल लाए गए थे । शिव देव सिंह (अभि. सा. 4) के माध्यम से प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की रजिस्ट्रेशन के लिए पुलिस थाने पर रुक्का प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/क भेजा गया था । इसके पश्चात् छापामार दल घटनास्थल की ओर अग्रसर हुआ ।

(vii) पूर्वोक्त पुलिस दल स्वतंत्र साक्षियों के साथ अभियुक्त के मकान पर पहुंचे जहां उन्होंने यह पाया कि अभियुक्त वहां पर मौजूद थे और उसे लिखित प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ख के माध्यम से अपने आने के प्रयोजन के बारे में बताया । अभियुक्त ने इस पर आक्षेप नहीं किया ।

(viii) तलाशी लेने से पूर्व छापामार दल ने श्रीमती लीलो देवी पंच और तिलकराज (जिसकी परीक्षा नहीं की गई) जो उसी गांव के निवासी हैं की मौजूदगी में अभियुक्त से अपनी तलाशी कराई गई । परंतु उनके कब्जे से अपराध में फंसाने वाली कोई वस्तु नहीं पाई गई । इस पर ज्ञापन प्रदर्श

पी. डब्ल्यू. 1/ग भी तैयार किया गया ।

(ix) इसके पश्चात् अभियुक्त के मकान की तलाशी ली गई परंतु कोई अपराध में फंसाने वाली वस्तु नहीं पाई गई । तब वे गौशाला की ओर अग्रसर हुए और उक्त गौशाला में गाय को बांधने का खूंटा नजर आया और जिसको वहां पर से हटाया गया और उसके पश्चात् उन्होंने गौशाला की तलाशी ली । तलाशी के दौरान उन्होंने गौशाला के फर्श के नीचे दो ड्रम जो जमीन के नीचे दबाए हुए थे उनका पता चला और प्रत्येक ड्रम की जांच करने पर उन्होंने 64 पोलीथीन पैकेट जिनका भार 60 किलोग्राम था बरामद किए और पुलिस ने इनके फोटो भी लिए थे ।

(x) सभी 64 पैकेटों को एकसाथ मिलाया गया था; इसके पश्चात् अन्वेषक अधिकारी ने बरामद किए गए ढ़ेर से अलग-अलग 100 ग्राम के दो नमूने पृथक् रूप से तैयार किए । नमूने पार्सल अंग्रेजी शब्द "के" की छाप लगाकर अलग-अलग मोहरबंद किए गए थे और नमूने पार्सल "ख" और "ख1" से चिह्नित किए गए थे और बाकी ढ़ेर को अभियुक्त के मकान से प्राप्त किए गए जूट के थैले में वहीं मोहर लगा कर मोहरबंद किया गया । मोहर का इस्तेमाल करने के पश्चात् अभि. सा. 1 वेद प्रकाश को सौंप दिया गया था और वाद सम्पत्ति को साक्षियों के समक्ष ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ङ के माध्यम से कब्जे में लिया गया था । मोहर का नमूना एक कपड़े के टुकड़े प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/घ पर लिया गया था और एनसीबी प्ररूप तीन प्रतियों में भरे गए थे । मोहर का प्रतिकृति पूर्वोक्त प्ररूपों पर अलग-अलग भी लगाए गए थे । एनसीबी प्ररूप में से एक प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 13/क है ।

(xi) पुलिस ने अभिकथित बरामदगी के स्थान का कच्चा नक्शा प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 13/ख भी तैयार किया ।

(xii) अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी का आधार उसे लिखित प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/च में बताया गया था ।

3. पुलिस थाने पहुंचने पर उप-निरीक्षक रमेश कुमार (अभि. सा. 13) ने एनसीबी प्ररूपों के साथ वाद संपत्ति और मोहर के नमूने पुनः मोहर लगाने के लिए निरीक्षक/भारसाधक अधिकारी अंबिया राम (अभि. सा. 14) को सौंप दिए थे । मोहरों की जांच करने के पश्चात् उन्हें यथावत पाया गया था । उसने मोहर की छाप "ए" से प्रत्येक पार्सल पर पुनः मोहर लगाई थी और एनसीबी प्ररूपों के सुसंगत स्तम्भ भी भरे थे और ऐसे मोहर की

छाप एनसीबी प्ररूपों पर तथा कपड़े के एक टुकड़े पर प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/घ पर भी लगाई गई थी ।

4. इसके पश्चात् वाद संपत्ति को मालखाने की अभिरक्षा में सुरक्षित रूप से रखने के लिए मोहर्रिर हेड कांस्टेबल, राजेन्द्र सिंह (अभि. सा. 11) के सुपुर्द कर दी गई थी जिस संबंध में उसने सुसंगत रजिस्टर में प्रविष्टि की थी जिसका साक्ष्य प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/क है ।

5. तारीख 19 अक्तूबर, 2006 को पूर्वोक्त मोहर्रिर हेड कांस्टेबल ने रंजीत सिंह (अभि. सा. 12) को सीएफएसएल, चंडीगढ़ में पार्सल का नमूना ले जाने के लिए तैनात किया था । देखिए आरसी 113/21 (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/ख)

6. तारीख 21 अक्तूबर, 2006 को कांस्टेबल रंजीत सिंह ने पूर्वोक्त मोहर्रिर हेड कांस्टेबल को यह सूचना दी कि वाद संपत्ति मौखिक निदेशों पर वापस की गई थी और इसे एनसीबी प्ररूपों में तीन प्रतियों के साथ नहीं भेजा गया था । इसके पश्चात् तारीख 31 अक्तूबर, 2006 को आवश्यक अनुपालन किया गया था उसने पुनः हेड कांस्टेबल को वैसा ही सड़क प्रमाण पत्र लेने के संबंध में चंडीगढ़ पर तैनात किया था । पुलिस डाकेट के साथ नमूने पार्सल को जमा करे और इसका विश्लेषण करवाया जाए ।

7. तारीख 1 नवंबर, 2006 को नमूना पार्सल प्रयोगशाला में प्राप्त किया गया । उसने आरसी की रसीद प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/ग प्राप्त की और उसके वापस करने पर पुलिस थाने में पूर्वोक्त मोहर्रिर कांस्टेबल के सुपुर्द कर दिया गया ।

8. परीक्षा के परिणाम की प्राप्ति (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 14/ख) करने पर तथा अन्वेषण पूरा करने पर मामले को अभियुक्त के विचारण किए जाने के लिए न्यायालय के समक्ष फाइल किया गया था ।

9. यह उल्लेख करना सुसंगत है कि वर्तमान मामले में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप अधिनियम की धारा 15 के अधीन लगाया जाना चाहिए था न कि अधिनियम की धारा 18 के अधीन क्योंकि धारा 18 अफीम पोस्ता और अफीम को कब्जे में रखने के बारे में है न कि पोस्ता भूसी के बारे में । तथापि, इस तरह विरचित किए गए आरोप में अभिकथनों का सार यह है जिसके द्वारा अभियुक्त के प्रतिकूल कोई मामला नहीं बनता तथापि, उसने ऐसे अभिकथनों से इनकार किया था ।

10. अभियोजन पक्ष ने अपनी साक्षियों की परीक्षा की और अभियुक्त की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन भी परीक्षा की गई थी । उसने विनिर्दिष्ट रूप से गौशाला पर पोस्ता भूसी को रखे जाने और उसकी बरामदगी होने को इनकार किया । उसने प्रतिरक्षा साक्षी कुलदीप कुमार की प्रश्नगत मकान के स्वामित्व को साबित करने के लिए परीक्षा करवाई तथा कई अन्य कुटुंब के सदस्य पर उस पर काबिज थे । उसे साबित करने के लिए उसने परिवार रजिस्टर प्रदर्श डी. डब्ल्यू.1/क की प्रविष्टि साबित की ।

11. विचारण न्यायालय ने अभियोजन साक्षियों के कथनों का अवलंब लेकर प्रतिरक्षा को अस्वीकार कर दिया तथा अभियुक्त को पूर्वोक्त रूप में दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया, इसलिए, वर्तमान अपील फाइल की गई ।

12. अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल श्री अनूप चितकारा ने दृढ़तापूर्वक यह दलील दी की अभियोजन पक्ष अकाट्य और विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर गौशाला में अभियुक्त के कब्जे को साबित करने में विफल हुआ है और इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका है कि इस तरह भेजे गए नमूने में बरामद की गई अभिकथित मात्रा के नमूने को प्रदर्शित किया गया था । यह भी स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान मामले में साक्ष्य की कड़ी पूरी नहीं है और अभियोजन साक्ष्य से स्वतंत्र साक्षी को मोहर सौंपने के बारे में भी विश्वास प्रेरित नहीं होता बल्कि अभिलेख के साक्ष्य से यह दर्शित हुआ है कि यह पुलिस के पास रही थी ।

13. दूसरी ओर विद्वान् अपर महाधिवक्ता श्री डी. सी. पथिक ने दोषसिद्धि और दंडादेश के आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया है और अर्जुन दास (अभि. सा. 15) की प्रतिपरीक्षा के माध्यम से हमारा ध्यान इस ओर खिंचा है जिसमें अभियुक्त की ओर से ऐसा सुझाव दिया गया था कि अभियुक्त के गौशाला से अभिकथित बरामदगी के समय पर लगभग 150 व्यक्ति एकत्र हुए थे । इसके अतिरिक्त उन्होंने परिवार रजिस्टर प्रदर्श डी. डब्ल्यू. 1/क की प्रति का उल्लेख किया है जिससे यह दर्शित हुआ है कि प्रश्नगत मकान अभियुक्त से संबंधित था ।

14. प्रारंभ में, हम यह कहना चाहेंगे कि अभियोजन पक्षकथन के अनुसार कि बरामदगी गौशाला से हुई थी न कि मकान से और इस बारे में कोई विवाद नहीं है कि प्रश्नगत मकान जहां से कोई बरामदगी नहीं हुई थी यह अन्य वयस्क कुटुंब के अन्य सदस्यों के संयुक्त कब्जे में था ।

15. इस मामले में हम गौशाला से अभिकथित निषिद्ध माल की बरामदगी को महत्व देते हैं और क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त के वास्तविक और सचेत कब्जे को साबित करने में समर्थ हुआ है या नहीं ?

16. गौशाला के कब्जे को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने अन्वेषण के दौरान तरवीज सिंह, पटवारी (अभि. सा. 8) की परीक्षा की । उसने राजस्व कागजात खसरा सं. 28 अन्वेषण अधिकारी को सौंपा था परंतु उसने महत्वपूर्ण रूप से यह कथन किया है कि वह अभिकथित बरामदगी के स्थान पर नहीं गया था । इसलिए वह इस बारे में यह नहीं समझ पाया है कि कैसे अभियुक्त को इस मामले में सम्मिलित किया गया और पुलिस की जानकारी में यह बात आई कि प्रश्नगत गौशाला खसरा सं. 28 है । किसी भी स्वतंत्र साक्षियों ने इस बारे में एक भी शब्द नहीं बोला कि प्रश्नगत गौशाला अभियुक्त के कब्जे में था । अभियोजन पक्ष स्थानीय किसी व्यक्ति की परीक्षा करने में विफल हुआ है यद्यपि वे यह बात साबित करने के लिए उपलब्ध थे कि प्रश्नगत गौशाला अभियुक्त से संबंधित था । इसके अतिरिक्त दस्तावेज प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ग जिसे मकान की तलाशी लिए जाने के पूर्व तैयार किया गया था उससे यह दर्शित होता है कि श्रीमती लीलो देवी नामक महिला और तिलक राज घटनास्थल पर मौजूद थे । इन साक्षियों के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलेख पर कोई भी कथन नहीं है और इस बारे में यह नहीं पता चला कि क्यों उनके कथन इस तथ्य के बारे में अन्वेषक अधिकारी द्वारा अभिलिखित किए गए थे । वे गौशाला के कब्जे के बारे में बताने के लिए उत्तम साक्षी हो सकते थे । अतः हमारी विचारित राय यह है कि ऊपर चर्चित साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त का अभिकथित बरामदगी के स्थान के बारे में वास्तविक और सचेत कब्जे को साबित करने में विफल हुआ है ।

17. हम वर्तमान मामले में बड़े विभेद पाते हैं क्योंकि विश्लेषण की रिपोर्ट इस कारण से विश्लेषण के लिए भेजे गए अभिकथित नमूनों से भी संबंधित नहीं हो सकती है कि तारीख 19 अक्तूबर, 2006 को दो नमूने पार्सलों में से एक सीएफएसएल, चंडीगढ़ पर जमा करने के लिए रंजीत सिंह को सौंपा गया था परंतु मौखिक आक्षेप होने पर यह अभिकथित किया गया कि उसे वापस कर दिया गया और इसे एनसीबी प्ररूप की तीन प्रतियों के साथ नहीं भेजा गया था, इसलिए, मोहर्रिर हेड कांस्टेबल तथा कांस्टेबल की ओर से यह लाजिमी था कि नमूने को वापस होने पर मालखाने में जमा करें । इसके पश्चात् इसे विश्लेषण के लिए सड़क

प्रमाणपत्र के माध्यम से आक्षेप को दूर करने के पश्चात् पुनः भेजा जाना चाहिए था परंतु मालखाने के सार का परिशीलन करने पर तारीख 19 अक्तूबर, 2006 को प्रयोगशाला में विश्लेषण किए जाने के लिए नमूने पार्सल को वापस लेना भी दर्शित नहीं है । इसके पुनः जमा करने के बारे में क्या बातचीत हुई क्योंकि नमूना पार्सल को सीएफएसएल, चंडीगढ़ विश्लेषण के लिए पुनः लिया जाना आवश्यक रूप से अपेक्षित था । यह ज्ञात नहीं है या इस बारे में प्रकट हुआ है कि यह नमूना 10 दिन तक रहा ।

18. इसके अतिरिक्त, राजेन्द्र सिंह (अभि. सा. 11) के कथन का उल्लेख किया जा सकता है । उसने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि उसने एनसीबी प्ररूप को भरा था और तब एनसीबी प्ररूपों पर मोहर लगाने के लिए उक्त प्ररूप को उप-निरीक्षक रमेश कुमार और भारसाधक अधिकारी अंबिया राम को सौंप दिया था । यदि ऐसा कथन सही है तब सुरक्षित रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मोहर "के" जिसे अभिकथित बरामदगी की तारीख को अन्वेषक अधिकारी द्वारा प्रयुक्त किया गया था को स्वतंत्र साक्षी (अभि. सा. 1) श्री वेद प्रकाश को कभी भी सौंपी नहीं गई थी, यह बात अभियोजन पक्ष के प्रतिकूल जाती है । यदि ऐसा हुआ तब उक्त मोहर पर हेरफेर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता । एक अन्य मोहर जिसके द्वारा भारसाधक अधिकारी अंबिया राम द्वारा वाद संपत्ति पर पुनः मोहर लगाई थी वह उसके पास रखी हुई थी ।

19. हम प्रारंभ में अभियोजन पक्षकथन पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि नमूना पार्सल जिन पर "ख" और "ख1" चिह्नित किए गए थे उन्हें अभी तक मालखाने में जमा किया गया है और उन्हें विश्लेषण के लिए भेजा गया था देखिए आरसी प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/ख और वैसी ही रही है परंतु जब तारीख 1 नवंबर, 2006 को प्रयोगशाला में उन्हें प्राप्त किया गया तब ऐसा कोई चिह्न नमूने पार्सल पर नहीं थे । इस प्रकार, नमूने की शिनाख्त को प्रश्नगत किया गया है और यह बात रहस्यमय रही है ।

20. पूर्वागामी कारणों पर हमारी विचारित राय यह है कि अभियोजन पक्ष विधि के अनुसरण में अभियुक्त के विरुद्ध मामले को साबित करने में समर्थ नहीं हुआ है । इसलिए, दोषसिद्धि और दंडादेश का निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है तथा तद्नुसार, इसे अपास्त किया जाता है । अभियुक्त को संदेह का फायदा देकर दोषमुक्त किया जाता है । जुर्माने की रकम यदि कोई जमा की गई है तो उसे अभियुक्त को वापस किया जाता है ।

21. चूंकि अभियुक्त कारागार में है यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उसे तत्काल निर्मुक्त किया जाएगा ।

22. कार्यालय को यह निदेश दिया जाता है कि वह अभियुक्त का निर्मुक्ति वारंट तैयार करें और इस निर्णय पर तत्काल जरूरी कार्यवाही करके संबंधित कारागार के अधीक्षक को उसे भेजा जाए ।

23. मामले का निपटारा किया गया और अभिलेख वापस भेजे गए ।

मामले का निपटारा किया गया ।

आर्य

किशन लाल

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

तारीख 9 अप्रैल, 2013

न्यायमूर्ति सुरिन्दर सिंह और न्यायमूर्ति धर्म चन्द चौधरी

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 – हत्या – जहां अभियोजन अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत, पारिस्थितिक साक्ष्य और प्रकटन कथन के आधार पर युक्तियुक्त संदेह से परे और उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध अपराध साबित करने में असफल रहा वहां अभियुक्त संदेह का फायदा पाकर दोषमुक्त होने का हकदार है ।

संक्षेप में, अभियोजन पक्षकथन जैसाकि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रकट है, के बारे में यह कहा जा सकता है कि तारीख 14 अगस्त, 2004 को लगभग 10.30 बजे अपराह्न बाबू राम जो एक किसान है अपने मकई की फसल की रखवाली के लिए अपने रास्ते पर फाड बांध रहा था । उसने एक महिला की सिसकियों की आवाज सुनी जो धर्मशाला के नाम से ज्ञात स्थान से आ रही थीं जिसकी दूरी उसके मकान से लगभग 10-12 मीटर थी । उसने अपने पुत्र श्याम लाल को बुलाया और वे दोनों अश्वनी कुमार प्रधान के पास पंचायत के लिए गए और उसको इस बारे में बताया ।

वे सभी घटना के स्थान पर गए और झुग्गी (अस्थायी शेड) के अंदर एक अज्ञात महिला का शव पड़ा पाया और उसका थैला, कपड़े और दूध की बोतल उसके नजदीक पड़ी हुई थी । अश्वनी कुमार ने दूरभाष से पुलिस को सूचित किया । पुलिस 12.00 बजे रात्रि के आस-पास घटनास्थल पर पहुंची । बाबू राम का कथन प्रदर्श पीए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन अभिलिखित किया गया जिसके आधार पर एक औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई । अगले दिन प्रातः बच्चे (नर) (2-1/2 वर्ष) का शव नजदीक के नाले से बरामद किया गया था जो महिला के शव से 60 फीट की दूरी पर था । उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर पूर्वोक्त अपराधों के लिए अभियुक्त के विरुद्ध चालान तैयार किया गया और विचारण किए जाने के लिए उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया । तद्नुसार, दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अभियुक्त को आरोपपत्रित किया गया जिस पर उसने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए अपने साक्षियों की परीक्षा कराई और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त की परीक्षा की गई । उसने मामला होने से पूर्णतया इनकार किया । परंतु यह कथन किया कि वह मृतक व्यक्तियों के साथ खाना खाने के लिए बरकेती राम (अभि. सा. 6) के ढाबे पर कभी भी नहीं गया जैसाकि अभिकथन किया गया है और उसके अतिरिक्त पुलिस ने उसे इस मामले में गिरफ्तार करके गलत कार्य किया है । उससे अपराध की संस्वीकृति करने के लिए कहा गया परंतु उसने ऐसा नहीं किया । इस पर उसे गोली मारने की धमकी दी गई थी । तब वह बेहोश हो गया था । उसके अंगूठे के निशान पुलिस थाने में भिन्न-भिन्न कागजातों पर कराए गए थे । उसने निर्दोष होने का अभिवाक् किया और मिथ्या फंसाने का अभिकथन किया । प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया । अभियुक्त की प्रतिरक्षा पर अविश्वास करते हुए उसे पूर्वोक्त पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया । इसलिए, वर्तमान अपील फाइल की गई । उच्च न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – बरकेती राम जो ब्राह्मणघाट पर चाय की दुकान चलाता है, उसने यह कथन किया है कि तारीख 14 अगस्त, 2004 को अभियुक्त उसके ढाबे में मौजूद था और उसने मृतक महिला और बच्चे के साथ खाना खाया था तथा उसे पैसे दिए थे । इसके पश्चात् उसने उसे लगभग 8 माह पश्चात् अर्थात् 14 अप्रैल, 2005 को ब्राह्मणघाट पर साधू की वेश-भूषा में

देखा था और उसे उसी रीति में पकड़ा गया था जैसाकि ऊपर पहले ही कहा गया है । उसने अपने द्वारा बताए गए चेहरे के अनुसार पुलिस की ओर से कम्प्यूटर पर बताए गए चेहरे पीएम तैयार किए जाने का कथन किया गया है । उसने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि अधेड़ आयु होने के कारण उसको सुनने में परेशानी होती है तथा उसकी आंखें मामूली रूप से कमजोर हैं तथा उसने यह स्वीकार किया है कि हजारों लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए ब्राह्मणघाट पर आते-जाते हैं । उसके द्वारा पुलिस की मौजूदगी में यह भी स्वीकार किया गया कि उक्त स्थान पर चहल-पहल हर मौसम में रहती है । उसने यह भी कथन किया है कि उसे उक्त घटना के बारे में तारीख 15 अगस्त, 2004 को प्रातः 8.00 बजे पूर्वाह्न पता चला था जब वह घटनास्थल पर गया तब वहां पर लगभग 40 व्यक्ति मौजूद थे और कुछ दूरी पर बच्चे के शव का लगभग 9.15 बजे अपराह्न पता चला था । उसने यह भी कथन किया है कि 8/10 व्यक्ति उसकी चाय की दुकान पर रोजाना खाना खाया करते थे । परंतु वह न तो अन्य व्यक्तियों की पहचान बता पाया और न नाम जिन्होंने तारीख 14 अगस्त, 2004 को उसकी चाय की दुकान पर खाना खाया था । उसने यह भी कथन किया है कि जब अभियुक्त पकड़ा गया था, उसे पुलिस थाना ले जाया गया था परंतु अभियुक्त का चेहरा कपड़े से ढका हुआ नहीं था । वह अश्वनी कुमार के साथ पुलिस थाना भी गया था । उसने पुलिस द्वारा अपने हस्ताक्षर लिए जाने के बारे में कथन किया है परंतु उसने यह कथन किया कि कोई दस्तावेज तैयार नहीं किया गया था । उसने चेहरे के बताए गए नक्शे के वर्णन से विभेद प्रकट किया है जो वर्णन उसके द्वारा किया गया था । उसने यह भी कथन किया है कि उसे इस बारे में याद नहीं है कि वह समय कौन सा था जब अभियुक्त उसके ढाबा/दुकान पर आया था परंतु इस बारे में 5/6 बजे अपराह्न का समय बताया गया था । (पैरा 21)

खेम चंद, मछुआरा है । उसने यह कथन किया है कि वह अभि. सा. 6 के ढाबे में मौजूद था जब अभियुक्त मृतक व्यक्तियों के साथ आया था और उन्होंने खाना खाया था परंतु यह सुसंगत है कि बरकेती राम ने उस समय अपने ढाबा में अपने उपस्थित होने के बारे में कथन नहीं किया था । उसने प्रतिरक्षा में यह स्वीकार किया है कि हजारों भक्तगण शाह-तलाई मंदिर ब्राह्मणघाट पर आया करते थे । उसे महिला द्वारा पहने गए कपड़ों का रंग याद नहीं है जिसके बारे में अभियुक्त के साथ खाना खाया जाना अभिकथित है परंतु उसके अनुसार उसने सलवार और कुर्ता पहना हुआ था । उसने यह कथन किया है कि अभियुक्त ने पायजामा और कुर्ता पहना हुआ

था जबकि बरकेती राम ने यह कथन किया है कि उसने पैंट और कमीज पहन रखी थी । इसके अतिरिक्त उसे इस बारे में जानकारी नहीं है कि किसने अभियुक्त की पहचान की और तारीख 14 अप्रैल, 2005 को अभियुक्त को पकड़ा था परंतु उसके अनुसार उसे पुलिस द्वारा लाया गया था और उसे यह बताया गया कि उसने हत्या की है । उसने यह भी कथन किया है कि उसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ नहीं था और बिलासपुर कारागार में उसकी टीआईपी किए जाने से पूर्व उसे दिखाया भी गया था । रंजीत सिंह के बारे में तारीख 14 अगस्त, 2004 को अभियुक्त के ढाबे में मौजूद होना कहा गया है जब अभियुक्त मृतक व्यक्तियों के साथ लगभग 4/4.30 बजे अपराह्न भोजन ग्रहण कर रहा था । यह सुसंगत है कि बरकेती राम द्वारा उसकी मौजूदगी के बारे में कथन नहीं किया गया था । उसने यह कथन किया है कि उसे ढाबा में लगभग 25 मिनट इन व्यक्तियों को देखने का मौका मिला । इसके पश्चात् वह अपने नातेदारों के मकान की ओर चला गया परंतु बाद में तारीख 15 अगस्त, 2004 को कुट भांगर जहां अभियुक्त को घूमते हुए पाया गया था परंतु उसने यह नहीं बताया कि वह ब्राह्मणघाट पर था जैसाकि अन्य साक्षियों द्वारा कथन किया गया है । उसने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि कई भक्तगण ब्राह्मणघाट पर आया-जाया करते थे । यह बात महत्वपूर्ण है जिस पर उसने यह कथन किया है कि वह व्यक्ति जो मृतक के साथ भोजन ग्रहण कर रहा था, सफेद कपड़े पहने हुआ था और एक पुरुष व्यक्ति जो उसके साथ था उसने काली पैंट और स्वेटर पहनी हुई थी न कि पायजामा और कमीज उसके पास एक शाल भी जैसाकि अन्य साक्षियों द्वारा कथन किया गया है । उसने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि उसने उस समय अभियुक्त को पैंट पहने हुए नहीं देखा था । उसके अनुसार वह अगले दिन अभियुक्त से मिला उस समय उसने काली पैंट और सफेद कमीज पहन रखी थी । यह बात आश्चर्यचकित करने वाली है कि जब तारीख 14 अगस्त, 2004 को यह पाया गया कि एक महिला और उसके पुत्र की मानववध मृत्यु हुई है और वह इस बात से आश्वस्त है कि वह अभियुक्त था जिसने ब्राह्मणघाट पर अभि. सा. 6 के ढाबे में एक दिन पूर्व शाम को खाना खाया था । ऐसी दशा में उसने पुलिस या घटनास्थल पर मौजूद अन्य व्यक्तियों को सूचना क्यों नहीं दी या उसको गिरफ्तार करते समय इस बारे में स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया गया कि अभियुक्त के साथ महिला और बच्चे जो अभियुक्त के साथ थे उनका क्या हुआ जिससे निश्चित तौर पर उसके बयान की सत्यता पर संदेह उत्पन्न होता है । इस प्रकार पूर्वोक्त साक्ष्य की आलोचनात्मक रूप से परीक्षा करने पर हमने महत्वपूर्ण पहलुओं पर उपरोक्त साक्षियों के कथनों में असंगतता और तात्विक विभेद और

बढ़ा-चढ़ाकर कही गई बातों का निष्कर्ष निकाला है इसलिए, उनका परिसाक्ष्य सम्पूर्ण रूप से त्यक्त किए जाने योग्य है और यह भी कारण है कि बरकेती राम अभि. सा. 6 के ढाबे में कई लोग आया-जाया करते थे और वह किसी भी व्यक्ति की पहचान नहीं कर सका और न किसी अन्य व्यक्तियों के ब्यौरों को बता पाया जिसने उसके ढाबे में तारीख 14 अगस्त, 2004 को खाना खाया था । इसके अतिरिक्त सभी तीनों साक्षी जैसाकि ऊपर चर्चा की गई ने उस व्यक्ति द्वारा पहने गए भिन्न-भिन्न कपड़ों का वर्णन किया है जिसने मृतक और बच्चे के साथ खाना खाया था । यद्यपि अभि. सा. 6 ने उस समय पर अभि. सा. 10 और अभि. सा. 11 के मौजूद होने के बारे में कथन किया है जब उसने ब्राह्मणघाट पर उसकी अभिकथित रूप से पहचान की थी परंतु अन्य साक्षियों ने इस तथ्य से इनकार किया है लेकिन उन्होंने यह कथन किया है कि उन्हें पुलिस द्वारा बुलाया गया था और अभियुक्त को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाना प्रतीत होता है । विधिक रूप से संदेह चाहे कितना ही प्रबल हो सच्चाई का स्थान नहीं ले सकता । मामले को इस दृष्टि से देखते हुए अंतिम बार देखे जाने की कहानी प्रकट होती है जहां समय के बीच अंतर है जब मृतका मृत पाई गई थी और अभियुक्त व्यक्ति की अपेक्षा किसी अन्य व्यक्ति की मौजूद होने की संभावना जो अपराध का कर्ता रहा है असंभव हो गई है जैसाकि एस. के. युसूफ बनाम पश्चिमी बंगाल राज्य वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यह आवश्यक होगा कि इस बात को सिद्ध किया जाए कि अभियुक्त और मृतक अंतिम बार एक साथ देखे गए थे और मृतक की मृत्यु के समय के बारे में अति निकटता का संबंध होना चाहिए । यदि किसी विशिष्ट मामले में इन दो पहलुओं को साबित नहीं किया जाता तब अंतिम बार देखे जाने की कहानी को लागू करना असंभव होगा और इससे अभियोजन पक्षकथन में गंभीर कमी होगी । वर्तमान मामले में, सबसे पहले अभियुक्त के बारे में मृतका के साथ अंतिम बार देखे जाने को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं किया गया है परंतु किसी मामले में यह दलील कि उसे लगभग 4.30 बजे अपराह्न अंतिम बार देखा गया था तब मृत्यु का समय लगभग 10.30 बजे अपराह्न है जिसमें लगभग 6 घंटे बाद मृत्यु कारित हुई जैसाकि बाबू राम द्वारा कथन किया गया है कि उसने लगभग 10.30 बजे अपराह्न अपने मकान के नजदीक झोपड़ी से जो धर्मशाला के रूप में ज्ञात स्थान है से सिसकियों की आवाज सुनी थी । उसके पश्चात् उसने अपने पुत्र को बुलाया और प्रधान को इस बाबत सूचित किया और घटनास्थल पर गया जहां उसने महिला को मृत पाया था । यह बात भी महत्वपूर्ण है कि किसी भी व्यक्ति ने मृतका के साथ समय की अत्यधिक निकटता के बारे में

अभियुक्त की मौजूदगी के बारे में कोई कथन नहीं किया है और न कोई साक्ष्य की ऐसी कड़ी है जिससे कि घटना के स्थान पर उसकी मौजूदगी को सिद्ध करे । अंतिम बार देखे जाने के बारे में मृत्यु और अभियुक्त के बीच समय का अंतराल है और वह लघु रूप में नहीं है कि अभियुक्त व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की संभावना अपराध के कर्ता के रूप में संभव है इसलिए, समय अंतराल की युक्तियुक्तता महत्वपूर्ण है । इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष ने अभिकथित अपराध के किसी हेतु के बारे में लांछन नहीं लगाया है । यद्यपि यह आज्ञापक नहीं है परंतु इससे इस बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए कड़ी को साबित नहीं किया जा सकता है कि इस घटना की कौन सी बात अस्पष्टीकृत रह जाती है । अपराध के साथ अभियुक्त को संबंधित करने का कोई अन्य साक्ष्य भी नहीं है इसलिए, वर्तमान मामले में अंतिम बार देखे जाने की कहानी प्रकृति में निश्चायक नहीं है । अभियुक्त को तारीख 14 अप्रैल, 2005 को गिरफ्तार किया गया था, इसके पश्चात् उसकी शिनाख्त परेड कराई गई थी । साक्षियों के कथनों से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि उसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ नहीं था और वह व्यक्ति जिसने मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे लाए जाने के पूर्व कारागार में उसकी शिनाख्त की थी वह पहले से ही पुलिस के साथ था जब अभियुक्त को ब्राह्मणघाट पर गिरफ्तार किया गया था । इसलिए, मजिस्ट्रेट के समक्ष उसकी शिनाख्त परेड का कोई परिणाम नहीं है । अभियोजन पक्ष ने उस साक्ष्य का अवलंब लिया है जो लगभग 8 माह पश्चात् किया गया प्रकटीकरण कथन के अनुसरण में है । तारीख 24 अप्रैल, 2005 को अभियुक्त के बारे में यह अभिकथन किया गया है कि उसने पुलिस को अर्थात् अपनी गिरफ्तारी के लगभग 10 दिन पश्चात् साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन प्रकटीकरण कथन किया है जो दो पुलिस पदधारियों के समक्ष किया गया था जबकि तारीख 24 अप्रैल, 2005 को अन्य स्वतंत्र साक्षी उपलब्ध थे । यह बात समझ में नहीं आती है कि उन्होंने इस कथन को साक्षियों के समक्ष क्यों नहीं करवाया । जहां तक स्थान को बताने का संबंध है बाबू राम और भजन लाल (जिसकी परीक्षा नहीं की गई) दोनों ज्ञापन प्रदर्श पीबी के साक्षी हैं । यह सुसंगत है कि अभि. सा. 1 ने अपनी पूर्वोक्त मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि अभियुक्त ने उसके समक्ष कोई कथन नहीं किया था । इसके पश्चात् उसकी विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा प्रतिपरीक्षा की गई थी । तब उसने पूर्वोक्त ज्ञापन के निष्पादन को स्वीकार किया है जो इस प्रभाव का है कि जहां पर अन्य साक्षियों ने किसी ऐसे कथन को करने के बारे में कुछ भी नहीं कहा है । इस रीति में साक्ष्य से यह इंगित होता है तथा पूर्वोक्त तथ्य से यह प्रकट होता है कि उस स्थान के बारे में पहले ही पुलिस को ज्ञात

था, निश्चित रूप से साक्ष्य का यह टुकड़ा स्वीकार्य योग्य नहीं है । साक्ष्य का यह टुकड़ा जब पुलिस को घटनास्थल के बारे में पहले ही पता था और इस बात के अलावा कुछ भी नहीं है कि केवल अपने पक्षकथन को बल देने के लिए उसे पुरःस्थापित किया गया था जिसमें वे विफल हुए हैं । इसके अतिरिक्त अभिलेख से यह प्रकट हुआ है कि अश्वनी कुमार ने पुलिस को दूरभाष से सूचना दी थी कि ब्राह्मणघाट रास्ते पर किसी महिला का अज्ञात शव पड़ा हुआ था और यह रिपोर्ट पुलिस द्वारा तारीख 14 अगस्त, 2004 को 11.45 बजे दैनिक डायरी में लिखी गई थी और इसकी प्रविष्टि प्रदर्श पीएक्स है । झुग्गी में पड़े हुए शव के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है जैसाकि साक्षियों द्वारा कथन किया गया है जिससे अभियोजन पक्षकथन सभी प्रकार अत्यधिक संदेहपूर्ण हो जाता है । (पैरा 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 और 30)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2011]	(2011) 11 एस. सी. सी. 754 : **एस. के. युसूफ** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य** ;	26
[2010]	(2010) 9 एस. सी. सी. 189 : **बाबू राम** बनाम **केरल राज्य** ;	19
[2010]	(2010) 10 एस. सी. सी. 439 : **परमजीत सिंह** उर्फ **पम्मा** बनाम **उत्तराखंड राज्य** ;	17
[2009]	(2009) 12 एस. सी. सी. 603 : **रमेश भाई और एक अन्य** बनाम **राजस्थान राज्य** ;	19
[2009]	(2009) 14 एस. सी. सी. 415 : **सुब्रामनियम** बनाम **तमिलनाडु राज्य और एक अन्य** ;	19
[2005]	(2005) 3 एस. सी. सी. 114 : **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **सतीश** ;	19
[1985]	[1985] 1 उम. नि. प. 995 = (1984) 4 एस. सी. सी. 116 ; **शरद विरधी चंद शारदा** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ।	18

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2007-ख की दांडिक अपील सं. 336.

अपीलार्थी द्वारा अपनी दोषसिद्धि और दंडादेश के विरुद्ध कारागार अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री एम. एस. गुलेरिया, अधिवक्ता

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री डी. सी. पथिक, अपर महाधिवक्ता और रमेश ठाकुर, सहायक महाधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति सुरिन्दर सिंह ने दिया ।

न्या. सिंह – अपीलार्थी द्वारा दंड संहिता की धारा 302 के अधीन हत्या के दंडनीय अपराध के लिए अपनी दोषसिद्धि और दंडादेश जिसके द्वारा उसे आजीवन कारावास भोगने और व्यतिक्रम खंड के साथ 10,000.00 रुपए के जुर्माने का संदाय करने का दंडादेश दिया गया के विरुद्ध कारागार अपील फाइल की गई है ।

2. संक्षेप में, अभियोजन पक्षकथन जैसाकि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रकट है उसके बारे में यह कहा जा सकता है कि तारीख 14 अगस्त, 2004 को लगभग 10.30 बजे अपराह्न बाबू राम (अभि. सा. 1) जो एक किसान है अपने मकई की फसल की रखवाली के लिए अपने रास्ते पर फाड बांध रहा था । रास्ते पर उसने एक महिला की सिसकियों की आवाज सुनी जो धर्मशाला के नाम से ज्ञात स्थान से आ रही थीं जिसकी दूरी उसके मकान से लगभग 10-12 मीटर थी । उसने अपने पुत्र श्याम लाल को बुलाया और वे दोनों अश्वनी कुमार (अभि. सा. 2) प्रधान के पास पंचायत के लिए गए और उसको इस बारे में बतलाया । वे सभी घटना के स्थान पर गए और झुग्गी (अस्थायी शेड) के अंदर एक अज्ञात महिला का शव पड़ा हुआ था और उसका थैला, कपड़े और दूध की बोतल उसके नजदीक पड़ी हुई थी । अश्वनी कुमार (अभि. सा. 2) ने दूरभाष से पुलिस को सूचित किया । पुलिस 12.00 बजे रात्रि के आस-पास घटनास्थल पर पहुंची । बाबू राम का कथन प्रदर्श पीए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन अभिलिखित किया गया था जिसके आधार पर एक औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई थी ।

(ii) अगले दिन प्रातः बच्चा (नर) (2-1/2 वर्ष) का शव नजदीक के नाले से बरामद किया गया था जो महिला के शव से 60 फीट की दूर पर था ।

(iii) पुलिस ने उस स्थान का घटनास्थल नक्शा प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 16/ क तैयार किया जहां पर शव पाए गए थे । फोटोग्राफ प्रदर्श पीएफ से प्रदर्श पीजे खींचे गए थे । कपड़े, वस्तुएं प्रदर्श पी-1 से प्रदर्श पी-20 आदि जो घटनास्थल पर पाए गए थे, उन्हें एक बैग में रखा गया और मोहरबंद किया गया था, इसके पश्चात् ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ग के माध्यम से उन्हें कब्जे में लिया गया था । पुलिस ने अपने कब्जे में टूटी हुई चूड़ियां भी लीं तथा घटनास्थल से रक्त-रंजित मिट्टी, बालों का पिन तथा अंगूठी भी कब्जे में ली थीं जिन्हें अलग-अलग पार्सल में रखा गया था और उन पर मोहर की छाप "ए" से मोहरबंद किया गया था देखिए ज्ञापन प्रदर्श पीडी ।

(iv) पुलिस ने मृत्यु समीक्षा कागजात भी तैयार किए तथा तारीख 15 अगस्त, 2004 को 5.00 बजे अपराह्न शवपरीक्षा के लिए शवों को भेजा गया था । डा. एस. के. पटियाल (अभि. सा. 7) ने मृत बच्चा और महिला जिसकी पहचान नहीं हो पाई, का शवपरीक्षण किया । महिला की उम्र लगभग 35 वर्ष थी । डाक्टर ने यह उल्लेख किया है कि दाहिने गंडास्थि उत्कर्ष में सूजन थी और ललाट के दाहिने ओर सूजन थी और आंखें संकुचित थीं । मृत महिला की दाहिने निचली आंख की पलक और ऊपरी होंठ भी संकुचित थे । इसके अतिरिक्त नासाछिद्रों से भोजन सामग्री बाहर आ रही थी और ऊपरी होंठ के अंदर की ओर विदीर्ण होने का भी उल्लेख किया गया है । मुंह गुहिका में रक्त पाया गया था और ललाट के ऊपर बाएं गाल के ऊपर रक्त छितरा हुआ था । गर्दन में पवित्र माला ढीले रूप से बंधी हुई थी । शव पर गला घोंटने के बंद चिह्न नहीं पाया गया था । शव काठिन्य मौजूद था तथापि, ललाट के दाहिनी ओर 10 से. मी. x 10 से. मी. की सूजन थी ग्लावे तक विस्तारित दाहिने ओर अग्रास्थि का फटाव अस्थिभंग नहीं हुआ था जो खोपड़ी के आधार पर (पूर्ववर्ती कार्नियल फोसा) और नाक की जड़ पर अस्थिभंग हुआ था । नासाछिद्र और मुंह से रक्त बाहर आने का साक्ष्य था । अग्रवर्ती क्षेत्र में सबडूरल ह्यूमाटोमा का पता चला था और डूरामीटर के अंतर्गत लगभग 100 एमएल रक्त एकत्रित किया गया था । डाक्टर की राय में महिला मृतक की मृत्यु संभवतः सिर की क्षति के कारण हुई थी । विसरा को सुरक्षित रखा गया था और रसायन परीक्षक के पास भेजा गया था । उसने शवपरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पीएन जारी किया । मृत्यु और क्षति के बीच की अवधि कुछ मिनटों की या क्षणिक थी और मृत्यु और शवपरीक्षण के बीच की अवधि तीन दिन से अधिक परंतु 48 घंटे से कम थी । इसके साथ ही साथ उसने पुरुष बच्चे का भी शव-

परीक्षण किया था । उसने केसरिया रंग की आधी बाजू की कमीज तथा नीले रंग की नेकर पहनी हुई थी । शव पर शिथिल काठिन्य पाया गया था । चेहरा नासाछिद्रों और मुंह से निकले रक्त से काला पड़ गया था । जीभ दांतों के बीच कटी हुई पाई गई थी । चेहरे पर कई मृत्युपूर्व नील मौजूद थी । ठोडी में शवपरीक्षण खरोंचें थीं । मुंह और होंठों के चारों ओर मृत्युपूर्व नील थी । चेहरा पेटीचे (पईटीआईसीएचएई) के साथ चेहरा संकुचित था । गर्दन के बाईं ओर नवचन्द्रीय खरोंचें थीं जो संख्या में 4 थीं । गर्दन के दाहिने ओर ऊपरी भाग पर नील की छाप थी और गर्दन के बाईं ओर नवचन्द्रीय खरोंच के साथ और भी खरोंचें थीं यह जानकारी में आई । आंखें संकुचित थीं । कंठिकास्थि का भंग देखा गया । दोनों फेफड़े संकुचित थे और कटी हुई सतह से गाढ़ा रक्त निकल रहा था । डाक्टर की राय में पुरुष बच्चे की मृत्यु संभवतः श्वासावरोध के कारण हुई थी जो गला घोंटकर मानववध का परिणाम है । क्षति और मृत्यु के बीच का समय 4-5 मिनट या क्षणिक था । मृत्यु और शवपरीक्षण के बीच का समय तीन घंटे से अधिक था और 48 घंटे से कम था । डाक्टर ने इस आशय का शव-परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पीपी जारी किया । रसायन परीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् अंतिम राय भेजी गई परंतु डाक्टर की राय में महिला की मृत्यु जमीन पर उसके सिर को पटकने के कारण हुई और पुरुष बच्चे की मृत्यु के बारे में उसकी राय बदली गई है ।

3. अन्वेषण के दौरान उप-निरीक्षक, पुरषोत्तम चंद (अभि. सा. 16) ने छह साक्षियों के कथन अभिलिखित किए और अभियुक्तों का पता लगाने की कोशिश की परंतु यह प्रयास व्यर्थ रहा । महिला मृतक के कपड़ों पर लुधियाना की चिट लगी हुई थी, इसलिए, तारीख 17/18 अप्रैल, 2005 को वह लुधियाना की ओर अग्रसर हुआ और महिला के पिता अर्थात् करतार सिंह **उर्फ** करताना (जिसकी परीक्षा नहीं की गई) का पता चला था, जिन्होंने फोटो देखकर मृतक महिला की पहचान की जो उसकी पुत्री थी, बच्चा उसका पोता था ।

4. अभि. सा. 6 गोविन्द सागर झील के किनारे में ब्राह्मणघाट पर स्थित चाय की दुकान की ओर गया था जहां से लोग नावों पर नांगल तथा झील को पार करके अन्य स्थानों पर जाया करते थे । उसके अनुसार अभियुक्त एक महिला और बच्चे के साथ तारीख 14 अगस्त, 2004 को लगभग 3.30 बजे अपराह्न उसकी चाय की दुकान पर आया था । उस दिन अत्यधिक बारिस हो रही थी । अभियुक्त सहित तीनों ने एक थाली में

उसकी दुकान/चाय की दुकान में खाना खाया था और दो कप चाय पी थी । अभियुक्त ने उसे 20 रुपए का नोट दिया था जिसमें से उसने उसे 5 रुपए वापस किए थे । वे उसकी चाय की दुकान पर लगभग 1-1/2 घंटा रुके और वारिस के रुक जाने के पश्चात् चले गए । उसके अनुसार उन्होंने अपने थैले में अपनी वस्तुओं को रखा भी था । अगले दिन तारीख 15 अगस्त, 2004 को उसने 8.00 बजे पूर्वाह्न चाय की दुकान खोली थी । उसे महिला और बच्चे की हत्या के बारे में दो कांस्टेबलों द्वारा बताया गया था तब वह घटनास्थल पर गया और उसने झोपड़ी में महिला का शव तथा कुछ दूरी पर झाड़ियों में बच्चे का शव देखा था । उसने उनकी वही व्यक्तियों के रूप में पहचान की जो एक दिन पूर्व उसकी चाय की दुकान पर आए थे । उनके फोटोग्राफ लिए गए थे और इसके पश्चात् वह अपनी दुकान पर वापस लौट आया । पुलिस उसे पुलिस थाने पर ले गई और मृत बच्चे के कपड़े और वस्तुएं उसे दिखाई गईं । कुछ दिनों के पश्चात् उसे पुलिस द्वारा शिमला पर बुलाया गया था और उसकी सूचना के आधार पर मृतकों के साथ उस व्यक्ति की शक्ल कम्प्यूटर पर पुलिस द्वारा प्रदर्श पीएम तैयार की गई । जैसाकि उसके द्वारा वर्णित किया गया ।

5. लगभग 8 माह पश्चात् अर्थात् तारीख 14 अप्रैल, 2005 को एक व्यक्ति जो साधू के कपड़े पहने हुए था उसको ब्राह्मणघाट पर ढूंढा गया था जो नाव पर जाने की तैयारी कर रहा था, संदेह के आधार पर नाविक ने अभि. सा. 6 बरकेती राम को बुलाया और उससे पूछा कि यह व्यक्ति जो साधू हो गया है और उससे महिला और बच्चे के बारे में पूछताछ की परंतु उसने इनकार कर दिया कि कोई महिला और बच्चा उसके साथ कभी भी नहीं था । तथापि, अभि. सा. 6 ने उसकी उसी व्यक्ति के रूप में पहचान की जिसने मृतक और अपने बच्चे के साथ खाना खाया था और उसके बोलचाल के तरीके की पहचान की । उस समय धर्मसिंह, खेमचंद (अभि. सा. 10) और बलजीत सिंह (अभि. सा. 11) के बारे में मौजूद होना कहा गया था । उन्होंने यह बताया था कि उस पर नजर रखें । इसके पश्चात् वह अश्वनी कुमार (अभि. सा. 2) प्रधान के पास गया और अभियुक्त के बारे में उसे बताया तथा ब्राह्मणघाट पर उसकी मौजूदगी के बारे में पुलिस को सूचना दी । पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और उसी दिन अर्थात् 14 अप्रैल, 2005 को अभियुक्त को अभिरक्षा में ले लिया गया ।

6. इसके पश्चात्, तारीख 23 अप्रैल, 2005 को अभियुक्त की शिनाख्त परेड अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जे. के. शर्मा के समक्ष की गई

थी जिसकी विस्तृत रिपोर्ट पी. डब्ल्यू. 12/ग है ।

7. तारीख 24 अप्रैल, 2005 को पूछताछ करने पर अभियुक्त के बारे में स्थान के संबंध में कांस्टेबल शशिकांत और एच. एस. सी. कश्मीर सिंह के समक्ष भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन प्रकटीकरण कथन प्रदर्श पीई किया जाना कहा गया है जहां अभियुक्त द्वारा अभिकथित अपराध किया गया था जिस स्थान को उसके द्वारा इंगित किया गया उस घटनास्थल पर पुलिस को ले गया । इस संबंध में ज्ञापन प्रदर्श पीबी बाबू राम (अभि. सा. 1) और भजन लाल (जिसकी परीक्षा नहीं की गई) की मौजूदगी में तैयार किया गया । जगर नाथ, पटवारी (अभि. सा. 3) ने घटनास्थल को चिह्नांकित किया था और पुलिस के कहने पर उसने ततीमा प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 3/क तैयार किया था और जमाबंदियों की प्रतियों के साथ इसे उनके सुपुर्द कर दिया गया था ।

8. उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर पूर्वोक्त अपराधों के लिए अभियुक्त के विरुद्ध चालान तैयार किया गया था और उसके विचारण किए जाने के लिए उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

9. तदनुसार, दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अभियुक्त को आरोपपत्रित किया गया जिस पर उसने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया ।

10. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए अपने साक्षियों की परीक्षा की और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त की परीक्षा की गई । उसने मामला होने से पूर्णतया इनकार किया । परंतु यह कथन किया है कि वह मृतक व्यक्तियों के साथ खाना खाने के लिए बरकेती राम (अभि. सा. 6) के ढाबे पर कभी भी नहीं गया था जैसाकि अभिकथन किया गया है और उसके अतिरिक्त, पुलिस ने उसे इस मामले में गिरफ्तार करके गलत कार्य किया है । उससे अपराध की संस्वीकृति करने के लिए कहा गया है परंतु उसने ऐसा नहीं किया । इस पर उसे गोली मारने की धमकी दी गई थी । तब वह बेहोश हो गया था । उसके अंगूठे के निशान पुलिस थाने में भिन्न-भिन्न कागजातों पर कराए गए थे । उसने निर्दोष होने का अभिवाक् किया और मिथ्या फंसाने का अभिकथन किया । प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है ।

11. अभियुक्त की प्रतिरक्षा पर अविश्वास करते हुए उसे पूर्वोक्त पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया था ।

इसलिए, वर्तमान अपील फाइल की गई ।

12. अभिकथित घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है । अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित दो परिस्थितियों का अत्यधिक अवलंब लिया है :–

> "(i) अंतिम बार देखा ।
>
> (ii) प्रकटीकरण कथन जिसके अनुसरण में अभिकथित घटना के स्थान का पता चला ।"

13. अपीलार्थी का मामले में प्रतिनिधित्व नहीं किया गया और तारीख 7 जनवरी, 2008 के आदेश द्वारा श्री एम. एस. गुलेरिया, अधिवक्ता को राज्य के खर्चे पर अपीलार्थी के काउंसेल के रूप में नियुक्त किया गया था । उसे कागजात भी दिए गए थे । दलीलें सुनी गई थीं ।

14. श्री गुलेरिया ने दृढ़तापूर्वक यह दलील दी कि अंतिम बार देखा की कहानी के बारे में साक्ष्य जैसाकि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रतिपादित किया गया है, विभेदकारी है और विचलित करने वाला तथा सम्पूर्ण रूप से अविश्वसनीय है । इसके अतिरिक्त, प्रकटीकरण कथन और दर्शाया गया साक्ष्य से केवल एक कहानी बनती है जिससे अभिकथित अपराध के साथ बिना किसी सार के अभियुक्त को संबद्ध किया गया है । यह भी दलील दी गई कि शिनाख्त किए जाने का साक्ष्य और टीआईपी दोनों विचलित करने वाले हैं तथा त्यक्त किए जाने योग्य हैं ।

15. दूसरी ओर, श्री डी. सी. पथिक, विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने दोषसिद्धि और दंडादेश के आक्षेपित निर्णय की पुष्टि करने वाले पूर्वोक्त परिस्थितियों के बारे में साक्ष्य का अवलंब लिया ।

16. हमने पक्षकारों की परस्पर दलीलों पर सोच-समझकर विचार किया है और साक्ष्य का विधिक रूप से पुनःमूल्यांकन बारीकी से किया है जिससे कि सच्चाई का पता लग सके ।

17. **परमजीत सिंह** उर्फ **पम्मा** बनाम **उत्तराखंड राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने सबूत के मानक के संबंध में विधिक विवाद्यकों पर विचार करते हुए निम्नलिखित मत व्यक्त किया :–

> "10. दांडिक विचारण परी की कहानी नहीं है जिसमें कोई

---

[1] (2010) 10 एस. सी. सी. 439.

व्यक्ति कल्पना पर उड़ने के लिए स्वतंत्र हो । अपराध वास्तविक जीवन की एक घटना है और यह भिन्न-भिन्न मानव भावनाओं के बीच परस्पर क्रिया है । अपराध कारित किए जाने पर आरोपित अभियुक्त की दोषिता के बारे में निष्कर्ष निकाले जाने के लिए न्यायालय को अधिसंभाव्यताओं के मापदंड तथा साक्षियों के आंतरिक मूल्यों तथा विरोधों पर साक्ष्य का न्यायनिर्णय किया जाना चाहिए । प्रत्येक मामले का अंतिम विश्लेषण करने पर मामले के स्वयं के तथ्यों पर निर्भर होना चाहिए । न्यायालय को अपने विवेक में इस बात को रखना चाहिए कि मानों प्रकृति भी प्रभावित होती है जब विभत्स अपराध का सामना होता प्रबल संदेहों के बाहर कहानियां घूमती हैं । यद्यपि कोई अपराध विभत्स हो सकता है और मानव संवेदनाओं को उत्तेजित कर सकता है । कोई अभियुक्त केवल विधिक साक्ष्य पर दोषसिद्ध किया जा सकता है न कि अटकलबाजियों पर । विधि न्यायालय को इस बात के लिए अनुज्ञात नहीं करती है कि केवल संदेह पर दोषसिद्ध का आधार लेकर अभियुक्त को दंडित करें । आपराधिक विचारण में सबूत का भार कभी भी अंतरित नहीं किया जाता है यह हमेशा अभियोजन पर भार है कि वह स्वीकार योग्य साक्ष्य के आधार पर अपने पक्षकथन को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करे । वास्तव में, आपराधिक विधि शास्त्र का सुस्थापित सिद्धांत यह है कि अपराध के अत्यधिक गंभीर मामले में सबूत की डिग्री अपेक्षित होती है चूंकि आश्वासन की उच्चतर डिग्री पर अभियुक्त को दोषसिद्ध करना अपेक्षित है । यह तथ्य कि अपराध बड़े क्रूर और विभत्स ढंग से किया गया है । इस पर साक्ष्य का अत्यधिक बारीकी से संवीक्षा किए जाने का कारण प्रकट हो सकता है । कम से कम अपराध की घृणित प्रकृति से तथ्यों और विधि के निष्पक्ष न्यायिक संवीक्षा के विरुद्ध सहज प्रतिक्रिया प्रेरित होती है (देखिए कश्मीरा सिंह **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य (ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 159) ; पंजाब राज्य **बनाम** जागीर सिंह बलजीत सिंह और एक अन्य (ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 2407) ; शंकर लाल ग्यारशी लाल दीक्षित **बनाम** महाराष्ट्र राज्य (ए. आई. आर. 1981 एस. सी. 765) ; मौसम सिंघा राय और अन्य **बनाम** पश्चिमी बंगाल राज्य [(2003) 12 एस. सी. सी. 377] ; और आलोक नाथ दत्ता और अन्य **बनाम** पश्चिमी बंगाल राज्य [(2007) 12 एस. सी. सी. 230] ।

11. सवर्ण सिंह रतन सिंह **बनाम** पंजाब राज्य (ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 637) वाले मामले में इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है –

सम्पूर्ण अभियोजन पक्षकथन पर विचार किया गया, यह बात सही हो सकती है परंतु यह बात 'सही हो सकती है' 'सही होनी चाहिए' के बीच विचार करने के लिए अपरिहार्य रूप से अत्यधिक दूरी है और सम्पूर्ण रूप से यह दूरी विधिक, विश्वसनीय और स्पष्ट साक्ष्य के अंतर्गत आना चाहिए । [अभियुक्त को दोषसिद्धि किए जा सकने के पूर्व]

12. इस प्रकार, इस प्रश्न पर विधि का सार यह हो सकता है जिसका प्रभाव यह है कि विभत्स प्रकृति का गंभीर अपराध का दांडिक विचारण करने में न्यायालय को इस तथ्य के प्रति सतर्क होना चाहिए कि अपराध किए जाने के प्रतिकूल प्रतिक्रिया मानव स्वभाव में है और यह विचार करने का प्रयास किया जाना चाहिए । सहज प्रतिक्रिया किसी प्रकार से भी अभियुक्त के प्रतिकूल न हो । ऐसे किसी मामले में जहां अभिकथित अपराध जो किया गया है पूर्ण रूप से गंभीर है । अभियोजन पक्ष को न्यायालय के समक्ष एक पूर्ण आश्वासन देना चाहिए कि उसने अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया है ।"

(हमारे द्वारा अधोरेखांकित पर बल दिया गया है)

18. यद्यपि वर्तमान मामले में महिला और बच्चे की मृत्यु मानववध है और यह विभत्स अविवेचित हत्या है तथा घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है । यह मामला ऊपर उल्लिखित परिस्थितियों की ओर इंगित करता है । **परमजीत सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले में **शरद विरधी चंद शारदा** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में अधिकथित विधि के सिद्धांतों को दोहराया गया है तथा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यह सुस्थापित है कि अभियोजन पक्षकथन को अपने स्वयं के पैरों पर खड़ा होना चाहिए और प्रतिरक्षा जिसे अभियुक्त द्वारा पेश किया गया है की कमजोरी से किसी बल का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है । तथापि, मिथ्या प्रतिरक्षा न्यायालय को केवल आश्वासन देने के लिए सामने नहीं लाया जा सकता जहां

[1] [1985] 1 उम. नि. प. 995 = (1984) 4 एस. सी. सी. 116.

पारिस्थितिक साक्ष्य की शृंखला की भिन्न-भिन्न कड़ियां अपने आप में पूरी हैं । उच्चतम न्यायालय ने आपराधिक मामले में अपेक्षित अपराध की प्रकृति, लक्षण और आवश्यक सबूत पर भी चर्चा की जो पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित हैं जो इस प्रकार हैं :–

> "(1) वे परिस्थितियां जिनसे दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाना है वे पूर्ण रूप से सिद्ध की जानी चाहिए ;
>
> (2) इस तरह साबित किए गए तथ्य केवल अभियुक्त की दोषिता की परिकल्पना के संगत होनी चाहिए अर्थात् इस बात के सिवाय कि अभियुक्त दोषी है, किसी अन्य कल्पना के पोषक नहीं होने चाहिएं ;
>
> (3) परिस्थितियां निश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिएं ;
>
> (4) उन्हें साबित की जाने वाली हर परिकल्पना के सिवाय हर संभावित परिकल्पना अपवर्जित करना चाहिए ; और
>
> (5) साक्ष्य की शृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए जिससे कि अभियुक्त की निर्दोषिता के अनुरूप निष्कर्ष निकालने के लिए कोई युक्तियुक्त आधार न बचे और उससे यह दर्शित हो कि सम्पूर्ण मानवीय संभाव्यताओं पर कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा ।"

19. **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **सतीश**[1], **रमेश भाई और एक अन्य** बनाम **राजस्थान राज्य**[2] ; **सुब्रामनियम** बनाम **तमिलनाडु राज्य और एक अन्य**[3] तथा **बाबू राम** बनाम **केरल राज्य**[4] वाले मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा वैसा ही मत दोहराया गया है और यह मत व्यक्त किया गया कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किया गया साक्ष्य ऐसी प्रकृति का होना चाहिए कि जिससे अभियुक्त की दोषिता को कायम रखा जाए ।

20. इस प्रकार उपरोक्त साबित सिद्धांतों के प्रकाश में वर्तमान मामले की परीक्षा करते हुए हम उपरोक्त दो परिस्थितियों पर सुसंगत साक्ष्य को महत्व देते हैं ।

---

[1] (2005) 3 एस. सी. सी. 114.
[2] (2009) 12 एस. सी. सी. 603.
[3] (2009) 14 एस. सी. सी. 415.
[4] (2010) 9 एस. सी. सी. 189.

(I) अंतिम बार देखा

21. बरकेती राम (अभि. सा. 6) जो ब्राह्मणघाट पर चाय की दुकान चलाता है, उसने यह कथन किया है कि तारीख 14 अगस्त, 2004 को अभियुक्त उसके ढाबे में मौजूद था और उसने मृतक महिला और बच्चे के साथ खाना खाया था तथा उसे पैसे दिए थे । इसके पश्चात् उसने उसे लगभग 8 माह पश्चात् अर्थात् 14 अप्रैल, 2005 को ब्राह्मणघाट पर साधू की वेश-भूषा में देखा था और उसे उसी रीति में पकड़ा गया था जैसाकि ऊपर पहले ही कहा गया है । उसने अपने द्वारा बताए गए चेहरे के अनुसार पुलिस की ओर से कम्प्यूटर पर बताए गए चेहरे पीएम तैयार किए जाने का कथन किया गया है । उसने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि अधेड़ आयु होने के कारण उसको सुनने में परेशानी होती है तथा उसकी आंखें मामूली रूप से कमजोर हैं तथा उसने यह स्वीकार किया है कि हजारों लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए ब्राह्मणघाट पर आते-जाते हैं । उसके द्वारा पुलिस की मौजूदगी में यह भी स्वीकार किया गया कि उक्त स्थान पर चहल-पहल हर मौसम में रहती है । उसने यह भी कथन किया है कि उसे उक्त घटना के बारे में तारीख 15 अगस्त, 2004 को प्रातः 8.00 बजे पूर्वाह्न पता चला था जब वह घटनास्थल पर गया तब वहां पर लगभग 40 व्यक्ति मौजूद थे और कुछ दूरी पर बच्चे के शव का लगभग 9.15 बजे अपराह्न पता चला था । उसने यह भी कथन किया है कि 8/10 व्यक्ति उसकी चाय की दुकान पर रोजाना खाना खाया करते थे । परंतु वह न तो अन्य व्यक्तियों की पहचान बता पाया और न नाम जिन्होंने तारीख 14 अगस्त, 2004 को उसकी चाय की दुकान पर खाना खाया था । उसने यह भी कथन किया है कि जब अभियुक्त पकड़ा गया था, उसे पुलिस थाना ले जाया गया था परंतु अभियुक्त का चेहरा कपड़े से ढका हुआ नहीं था । वह अश्वनी कुमार के साथ पुलिस थाना भी गया था । उसने पुलिस द्वारा अपने हस्ताक्षर लिए जाने के बारे में कथन किया है परंतु उसने यह कथन किया कि कोई दस्तावेज तैयार नहीं किया गया था । उसने चेहरे के बताए गए नक्शे के वर्णन से विभेद प्रकट किया है जो वर्णन उसके द्वारा किया गया था । उसने यह भी कथन किया है कि उसे इस बारे में याद नहीं है कि वह समय कौन सा था जब अभियुक्त उसके ढाबा/दुकान पर आया था परंतु इस बारे में 5/6 बजे अपराह्न का समय बताया गया था ।

22. खेम चंद, मछुआरा (अभि. सा. 10) है । उसने यह कथन किया है कि वह अभि. सा. 6 के ढाबे में मौजूद था जब अभियुक्त मृतक

व्यक्तियों के साथ आया था और उन्होंने खाना खाया था परंतु यह सुसंगत है कि बरकेती राम (अभि. सा. 6) ने उस समय अपने ढाबा में अपने उपस्थित होने के बारे में कथन नहीं किया था । उसने प्रतिरक्षा में यह स्वीकार किया है कि हजारों भक्तगण शाह-तलाई मंदिर ब्राह्मणघाट पर आया करते थे । उसे महिला द्वारा पहने गए कपड़ों का रंग याद नहीं है जिसके बारे में अभियुक्त के साथ खाना खाया जाना अभिकथित है परंतु उसके अनुसार उसने सलवार और कुर्ता पहना हुआ था । उसने यह कथन किया है कि अभियुक्त ने पायजामा और कुर्ता पहना हुआ था जबकि बरकेती राम (अभि. सा. 6) ने यह कथन किया है कि उसने पैंट और कमीज पहन रखी थी । इसके अतिरिक्त उसे इस बारे में जानकारी नहीं है कि किसने अभियुक्त की पहचान की और तारीख 14 अप्रैल, 2005 को अभियुक्त को पकड़ा था परंतु उसके अनुसार उसे पुलिस द्वारा लाया गया था और उसे यह बताया गया कि उसने हत्या की है । उसने यह भी कथन किया है कि उसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ नहीं था और बिलासपुर कारागार में उसकी टीआईपी किए जाने से पूर्व उसे दिखाया भी गया था ।

23. रंजीत सिंह (अभि. सा. 11) के बारे में तारीख 14 अगस्त, 2004 को अभियुक्त के ढाबे में मौजूद होना कहा गया है जब अभियुक्त मृतक व्यक्तियों के साथ लगभग 4/4.30 बजे अपराह्न भोजन ग्रहण कर रहा था । यह सुसंगत है कि बरकेती राम (अभि. सा. 6) द्वारा उसकी मौजूदगी के बारे कथन नहीं किया गया था । उसने यह कथन किया है कि उसे ढाबा में लगभग 25 मिनट इन व्यक्तियों को देखने का मौका मिला । इसके पश्चात् वह अपने नातेदारों के मकान की ओर चला गया परंतु बाद में तारीख 15 अगस्त, 2004 को कुट भांगर जहां अभियुक्त को घूमते हुए पाया गया था परंतु उसने यह नहीं बताया कि वह ब्राह्मणघाट पर था जैसाकि अन्य साक्षियों द्वारा कथन किया गया है । उसने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि कई भक्तगण ब्राह्मणघाट पर आया-जाया करते थे । यह बात महत्वपूर्ण है जिस पर उसने यह कथन किया है कि वह व्यक्ति जो मृतक के साथ भोजन ग्रहण कर रहा था, सफेद कपड़े पहने हुए था और एक पुरुष व्यक्ति जो उसके साथ था उसने काली पैंट और स्वेटर पहनी हुई थी न कि पायजामा और कमीज उसके पास एक शाल भी जैसाकि अन्य साक्षियों द्वारा कथन किया गया है । उसने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि उसने उस समय अभियुक्त को पैंट पहने हुए नहीं देखा था । उसके अनुसार वह अगले दिन अभियुक्त से मिला उस समय उसने

काली पैंट और सफेद कमीज पहन रखी थी । यह बात आश्चर्यचकित करने वाली है कि जब तारीख 14 अगस्त, 2004 को यह पाया गया कि एक महिला और उसके पुत्र की मानववध मृत्यु हुई है और वह इस बात से आश्वस्त है कि वह अभियुक्त था जिसने ब्राह्मणघाट पर अभि. सा. 6 के ढाबे में एक दिन पूर्व शाम को खाना खाया था । ऐसी दशा में उसने पुलिस या घटनास्थल पर मौजूद अन्य व्यक्तियों को सूचना क्यों नहीं दी या उसको गिरफ्तार करते समय इस बारे में स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया गया कि अभियुक्त के साथ महिला और बच्चे जो अभियुक्त के साथ थे उनका क्या हुआ जिससे निश्चित तौर पर उसके बयान की सत्यता पर संदेह उत्पन्न होता है ।

24. इस प्रकार पूर्वोक्त साक्ष्य की आलोचनात्मक रूप से परीक्षा करने पर हमने महत्वपूर्ण पहलुओं पर उपरोक्त साक्षियों के कथनों में असंगतता और तात्विक विभेद और बढ़ा-चढ़ाकर कही गई बातों का निष्कर्ष निकाला है इसलिए, उनका परिसाक्ष्य सम्पूर्ण रूप से त्यक्त किए जाने योग्य है और यह भी कारण है कि बरकेती राम अभि. सा. 6 के ढाबे में कई लोग आया-जाया करते थे और वह किसी भी व्यक्ति की पहचान नहीं कर सका और न किसी अन्य व्यक्तियों के ब्यौरों को बता पाया जिसने उसके ढाबे में तारीख 14 अगस्त, 2004 को खाना खाया था । इसके अतिरिक्त सभी तीनों साक्षी जैसाकि ऊपर चर्चा की गई ने उस व्यक्ति द्वारा पहने गए भिन्न-भिन्न कपड़ों का वर्णन किया है जिसने मृतक और बच्चे के साथ खाना खाया था । यद्यपि अभि. सा. 6 ने उस समय पर अभि. सा. 10 और अभि. सा. 11 के मौजूद होने के बारे में कथन किया है जब उसने ब्राह्मणघाट पर उसकी अभिकथित रूप से पहचान की थी परंतु अन्य साक्षियों ने इस तथ्य से इनकार किया है लेकिन उन्होंने यह कथन किया है कि उन्हें पुलिस द्वारा बुलाया गया था और अभियुक्त को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाना प्रतीत होता है । विधिक रूप से संदेह चाहे कितना ही प्रबल हो सच्चाई का स्थान नहीं ले सकता ।

25. इस मामले में पारिस्थितिक साक्ष्य बहुत कमजोर और विभेदों से युक्त है । परिस्थितियों की सम्पूर्ण शृंखला को साबित नहीं किया गया है ।

26. मामले को इस दृष्टि से देखते हुए अंतिम बार देखे जाने की कहानी प्रकट होती है जहां समय के बीच अंतर है जब मृतका मृत पाई गई थी और अभियुक्त व्यक्ति की अपेक्षा किसी अन्य व्यक्ति की मौजूद होने

की संभावना जो अपराध का कर्ता रहा है असंभव हो गई है जैसाकि **एस. के. युसूफ** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यह आवश्यक होगा कि इस बात को सिद्ध किया जाए कि अभियुक्त और मृतक अंतिम बार एक साथ देखे गए थे और मृतक की मृत्यु के समय के बारे में अति निकटता का संबंध होना चाहिए । यदि किसी विशिष्ट मामले में इन दो पहलुओं को साबित नहीं किया जाता तब अंतिम बार देखे जाने की कहानी को लागू करना असंभव होगा और इससे अभियोजन पक्षकथन में गंभीर कमी होगी ।

27. वर्तमान मामले में, सबसे पहले अभियुक्त के बारे में मृतका के साथ अंतिम बार देखे जाने को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं किया गया है परंतु किसी मामले में यह दलील कि उसे लगभग 4.30 बजे अपराह्न अंतिम बार देखा गया था तब मृत्यु का समय लगभग 10.30 बजे अपराह्न है जिसमें लगभग 6 घंटे बाद मृत्यु कारित हुई जैसाकि बाबू राम (अभि. सा. 1) द्वारा कथन किया गया है कि उसने लगभग 10.30 बजे अपराह्न अपने मकान के नजदीक झोपड़ी से जो धर्मशाला के रूप में ज्ञात स्थान है से सिसकियों की आवाज सुनी थी । उसके पश्चात् उसने अपने पुत्र को बुलाया और प्रधान को इस बाबत सूचित किया और घटनास्थल पर गया जहां उसने महिला को मृत पाया था । यह बात भी महत्वपूर्ण है कि किसी भी व्यक्ति ने मृतका के साथ समय की अत्यधिक निकटता के बारे में अभियुक्त की मौजूदगी के बारे में कोई कथन नहीं किया है और न कोई साक्ष्य की ऐसी कड़ी है जिससे कि घटना के स्थान पर उसकी मौजूदगी को सिद्ध करे । अंतिम बार देखे जाने के बारे में मृत्यु और अभियुक्त के बीच समय का अंतराल है और वह लघु रूप में नहीं है कि अभियुक्त व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की संभावना अपराध के कर्ता के रूप में संभव है इसलिए, समय अंतराल की युक्तियुक्तता महत्वपूर्ण है । इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष ने अभिकथित अपराध के किसी हेतु के बारे में लांछन नहीं लगाया है । यद्यपि यह आज्ञापक नहीं है परंतु इससे इस बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए कड़ी को साबित नहीं किया जा सकता है कि इस घटना की कौन सी बात अस्पष्टीकृत रह जाती है । अपराध के साथ अभियुक्त को संबंधित करने का कोई अन्य साक्ष्य भी नहीं है इसलिए, वर्तमान मामले में अंतिम बार देखे जाने की कहानी प्रकृति में निश्चायक

---

[1] (2011) 11 एस. सी. सी. 754.

नहीं है ।

(II) प्रकटीकरण कथन

28. अभियुक्त को तारीख 14 अप्रैल, 2005 को गिरफ्तार किया गया था, इसके पश्चात् उसकी शिनाख्त परेड कराई गई थी । साक्षियों के कथनों से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि उसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ नहीं था और वह व्यक्ति जिसने मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे लाए जाने के पूर्व कारागार में उसकी शिनाख्त की थी वह पहले से ही पुलिस के साथ था जब अभियुक्त को ब्राह्मणघाट पर गिरफ्तार किया गया था । इसलिए, मजिस्ट्रेट के समक्ष उसकी शिनाख्त परेड का कोई परिणाम नहीं है ।

29. अभियोजन पक्ष ने उस साक्ष्य का अवलंब लिया है जो लगभग 8 माह पश्चात् किया गया प्रकटीकरण कथन के अनुसरण में है । तारीख 24 अप्रैल, 2005 को अभियुक्त के बारे में यह अभिकथन किया गया है कि उसने पुलिस को अर्थात् अपनी गिरफ्तारी के लगभग 10 दिन पश्चात् साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन प्रकटीकरण कथन किया है जो दो पुलिस पदधारियों के समक्ष किया गया था जबकि तारीख 24 अप्रैल, 2005 को अन्य स्वतंत्र साक्षी उपलब्ध थे । यह बात समझ में नहीं आती है कि उन्होंने इस कथन को साक्षियों के समक्ष क्यों नहीं करवाया । जहां तक स्थान को बताने का संबंध है बाबू राम (अभि. सा. 1) और भजन लाल (जिसकी परीक्षा नहीं की गई) दोनों ज्ञापन प्रदर्श पीबी के साक्षी हैं । यह सुसंगत है कि अभि. सा. 1 ने अपनी पूर्वोक्त मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि अभियुक्त ने उसके समक्ष कोई कथन नहीं किया था । इसके पश्चात् उसकी विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा प्रतिपरीक्षा की गई थी । तब उसने पूर्वोक्त ज्ञापन के निष्पादन को स्वीकार किया है जो इस प्रभाव का है कि जहां पर अन्य साक्षियों ने किसी ऐसे कथन को करने के बारे में कुछ भी नहीं कहा है । इस रीति में साक्ष्य से यह इंगित होता है तथा पूर्वोक्त तथ्य से यह प्रकट होता है कि उस स्थान के बारे में पहले ही पुलिस को ज्ञात था, निश्चित रूप से साक्ष्य का यह टुकड़ा स्वीकार्य योग्य नहीं है । साक्ष्य का यह टुकड़ा जब पुलिस को घटनास्थल के बारे में पहले ही पता था और इस बात के अलावा कुछ भी नहीं है कि केवल अपने पक्षकथन को बल देने के लिए उसे पुरःस्थापित किया गया था जिसमें वे विफल हुए हैं ।

30. इसके अतिरिक्त अभिलेख से यह प्रकट हुआ है कि अश्वनी कुमार (अभि. सा. 2) ने पुलिस को दूरभाष से सूचना दी थी कि

ब्राह्मणघाट रास्ते पर किसी महिला का अज्ञात शव पड़ा हुआ था और यह रिपोर्ट पुलिस द्वारा तारीख 14 अगस्त, 2004 को रात 11.45 बजे दैनिक डायरी में लिखी गई थी और इसकी प्रविष्टि प्रदर्श पीएक्स है । झुग्गी में पड़े हुए शव के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है जैसाकि साक्षियों द्वारा कथन किया गया है जिससे अभियोजन पक्षकथन सभी प्रकार अत्यधिक संदेहपूर्ण हो जाता है ।

31. उपरोक्त चर्चा के सार पर विचार करते हुए हमारी विचारित राय यह है कि अभियोजन पक्ष विधि के सुस्थापित सिद्धातों के अनुसरण में जैसाकि उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित किया गया है अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेहों के परे दोनों परिस्थितियों को साबित करने में विफल हुआ है । इस प्रकार, अपील मंजूर की जाती है और दोषसिद्धि और दंडादेश का निर्णय को कायम योग्य नहीं रखा जाता । अतः, पूर्वोक्त कारणों को अपास्त किया जाता है । परिणामस्वरूप अभियुक्त को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है ।

32. चूंकि अभियुक्त कारागार में है उसे यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो तत्काल उसको निर्मुक्त किया जाता है ।

33. कार्यालय को यह निदेश दिया जाता है कि इस निर्णय के समरूप जो आवश्यक हो वह अभियुक्त का उन्मुक्ति वारंट तैयार करे और उसे संबंधित कारागार के अधीक्षक के पास भेजे ।

34. मामले का निपटारा किया जाता है । अभिलेख वापस भेजे जाते हैं ।

अपील मंजूर की गई ।

आर्य

हिमाचल प्रदेश राज्य

बनाम

हेमंत महेश्वरी और अन्य

तारीख 1 मई, 2013

न्यायमूर्ति सुरिन्दर सिंह और न्यायमूर्ति राजीव शर्मा

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 420 और 468 – छल के प्रयोजन से कूटरचना – अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा की गई कूटरचना, उनके बेईमानीपूर्ण आशय तथा उनके द्वारा किए गए संदायों की प्राप्ति को अभियोजन पक्ष द्वारा साबित करने में असफल रहने पर अभियुक्त व्यक्तियों की दोषमुक्ति उचित है ।

मामले के तथ्यों के अनुसार विद्युत बोर्ड के मुख्य क्रय अधिकारी ने तारीख 22 मई, 1982 को 25 के. वी. ए. के 40 और 63 के. वी. ए. के 28 ट्रांसफारमरों का एक प्रदाय आदेश "मैसर्स जेनिथ इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड", साहिबाबाद को प्रस्तुत किया । वे 28 ट्रांसफारमरों का प्रदाय करने में असफल रहे, हालांकि उन्हें अभिकथित रूप से कूटरचित किए गए वाउचरों के आधार पर संदाय कर दिया गया । इस प्रकार, उन्होंने राज्य के साथ 3,60,688.32 रुपए का छल किया । पुलिस ने मामले का अन्वेषण किया । उन्होंने संबंधित विभाग से सुसंगत दस्तावेज एकत्रित किए और अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् अभियुक्त व्यक्तियों के विचारण के लिए न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया । तद्नुसार उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467 और 468 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए आरोप पत्रित किया गया, जिनके लिए उन्होंने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए कुल सोलह साक्षियों की परीक्षा कराई और अभियुक्त व्यक्तियों की भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन परीक्षा की । उन्होंने प्रस्तुत मामले में मिथ्या फंसाए जाने का अभिवाक् किया, तथापि, उन्होंने प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया । विचारण की समाप्ति पर अभियोजन पक्ष मूल प्रदाय आदेश और अभिकथित कूटरचित वाउचरों को साबित करने में असफल रहा । विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों को उक्त अपराधों से दोषमुक्त कर दिया । राज्य ने विचारण न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्च न्यायालय में अपील फाइल

की । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभियोजन पक्ष द्वारा विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए समस्त साक्ष्य में पूर्वोक्त समुत्थान को दिए गए प्रदाय आदेश को प्रस्तुत और साबित नहीं किया गया था । जब विधि के अनुसार यह साबित नहीं किया गया है कि अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा कोई कूटरचना और संदाय की प्राप्ति की गई है, केवल मात्र यह कह देने से कि वाउचरों पर हस्ताक्षर कूटरचित थे, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन का पक्षकथन साबित हो गया है । चूंकि अभियोजन पक्ष अभियुक्त व्यक्तियों के बेईमानीपूर्ण आशय के साथ-साथ उनके द्वारा संदायों की प्राप्ति को भी साबित करने में असफल रहा है और साथ ही इस सबूत के अभाव में कि वाउचर किसने कूटरचित किए थे, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्षकथन साबित किया गया है । साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने पर यह न्यायालय भी प्रत्यर्थियों की दोषमुक्ति को युक्तियुक्त पाता है क्योंकि अभियोजन पक्ष राज्य द्वारा "मैसर्स जेनिथ इलैक्ट्रिकल्स कंपनी लिमिटेड" को जारी किए गए आरंभिक प्रदाय आदेश को साबित करने में असफल रहा है । साक्ष्य में यह दर्शित करने के लिए कतई कुछ नहीं है कि प्रत्यर्थियों का उक्त समुत्थान के साथ क्या संबंध है और न ही उनमें से किसी को अभिकथित कूटरचना से संसक्त किया गया है । (पैरा 11 और 7)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2003 की दांडिक अपील सं. 616.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री जे. एस. राणा, सहायक महाधिवक्ता और रमेश ठाकुर, सहायक महाधिवक्ता

प्रत्यर्थियों की ओर से कोई नहीं

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति सुरिन्दर सिंह ने दिया ।

न्या. सिंह – प्रस्तुत अपील में राज्य द्वारा तारीख 13 मई, 2002 को विनिश्चित 2000/89 के मामला सं. 105/2 में पारित की गई प्रत्यर्थियों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "अभियुक्त व्यक्ति" कहा गया है) की भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467 और 468 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषमुक्ति को चुनौती दी गई है ।

2. यद्यपि अभियुक्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व किया गया था, किंतु

बार-बार अवसर देने के बावजूद उनकी ओर से कोई उपसंजात नहीं हुआ । तथापि, हमने अभिलेख के साक्ष्य के संबंध में सहायक महाधिवक्ता श्री जे. एस. राणा को सुना । हमने विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का भी पुनर्निर्धारण किया ।

3. संक्षेप में, अभियोजन के पक्षकथन का सारांश इस प्रकार है । विद्युत बोर्ड के मुख्य क्रय अधिकारी ने तारीख 22 मई, 1982 को 25 के. वी. ए. के 40 और 63 के. वी. ए. के 28 ट्रांसफारमरों का एक प्रदाय आदेश "मैसर्स जेनिथ इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड", साहिबाबाद को प्रस्तुत किया । वे 28 ट्रांसफारमरों का प्रदाय करने में असफल रहे, हालांकि उन्हें अभिकथित रूप से कूटरचित किए गए वाउचरों के आधार पर संदाय कर दिया गया । इस प्रकार, उन्होंने राज्य के साथ 3,60,688.32 रुपए का छल किया ।

4. पुलिस ने मामले का अन्वेषण किया । उन्होंने संबंधित विभाग से सुसंगत दस्तावेज एकत्रित किए और अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् अभियुक्त व्यक्तियों के विचारण के लिए न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया । तद्नुसार उन्हें पूर्वोक्त अपराधों के लिए आरोप पत्रित किया गया, जिनके लिए उन्होंने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण का दावा किया ।

5. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए कुल सोलह साक्षियों की परीक्षा कराई और अभियुक्त व्यक्तियों की भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन परीक्षा की । उन्होंने प्रस्तुत मामले में मिथ्या फंसाए जाने का अभिवाक् किया, तथापि, उन्होंने प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया ।

6. विचारण की समाप्ति पर अभियोजन पक्ष मूल प्रदाय आदेश और अभिकथित कूटरचित वाउचरों को साबित करने में असफल रहा ।

7. पुनर्मूल्यांकन करने पर हम भी प्रत्यर्थियों की दोषमुक्ति को युक्तियुक्त पाते हैं क्योंकि अभियोजन पक्ष राज्य द्वारा "मैसर्स जेनिथ इलैक्ट्रिकल्स कंपनी लिमिटेड" को जारी किए गए आरंभिक प्रदाय आदेश को साबित करने में असफल रहा है । साक्ष्य में यह दर्शित करने के लिए कतई कुछ नहीं है कि प्रत्यर्थियों का उक्त समुत्थान के साथ क्या संबंध है और न ही उनमें से किसी को अभिकथित कूटरचना से संसक्त किया गया है ।

8. अभियोजन पक्ष द्वारा अभि. सा. 1 मदन लाल की परीक्षा पुलिस

को अन्वेषण के दौरान सौंपे गए बैंक ड्राफ्ट तथा सम्प्रेषण रसीदें सौंपे जाने के तथ्य के लिए कराई गई, जिन्हें अभिग्रहण ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्लयू. 1/ए द्वारा कब्जे में लिया गया था ।

9. अभि. सा. 2 मुख्य क्रय अधिकारी है और उसने पूर्वोक्त मैसर्स जेनिथ इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड को ट्रांसफारमरों के प्रदाय संबंध में प्रदाय आदेश प्रस्तुत किया था । उसके अनुसार, पारेषितियों में से एक पारेषिती द्वारा यह सूचित किया गया कि ट्रांसफारमरों की अपेक्षित संख्या का प्रदाय किए बिना ही पूर्वोक्त समुत्थान को संदाय किया गया है । किंतु इस अभिसाक्ष्य का मूल अभिलेख के अभाव में, जो कि उसने मामले के विचारण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया, महत्व नहीं रह जाता है ।

10. इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 3 विजय कुमार ने यह कथन किया है कि हालांकि प्रत्यर्थियों ने बोर्ड को ट्रांसफारमरों का प्रदाय किया था किंतु उनमें से कुछ खराब थे । जबकि अभि. सा. 4 राकेश जैन और अभि. सा. 10 रमन खन्ना ने अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया क्योंकि वे पक्षद्रोही हो गए । अभि. सा. 5 आर. के. कपूर बोर्ड के मुख्य इंजीनियर के कार्यालय में तैनात था और उसे केवल फाइल से ही ज्ञात हुआ था कि उक्त समुत्थान को ऐसे ट्रांसफारमरों की बाबत संदाय किया गया है जिनका बोर्ड को प्रदाय नहीं हुआ है । किंतु उसे इस प्रकार किए गए संदाय की जानकारी नहीं थी । अभि. सा. 7 अशोक कुमार, कनिष्ठ इंजीनियर ने यह कथन किया कि उसने भंडारी (स्टोर-कीपर) को परिदत्त की गई मदें सुसंगत रजिस्टर में प्रविष्टियां करने के पश्चात् सौंपी थीं । इसके अतिरिक्त, कंपनी ने भी कोई चालान नहीं भेजा और न ही उनको किए गए संदायों की बाबत कोई चालान प्राप्त हुआ । उसने यह भी कथन किया कि रसीद की वास्तविकता का सत्यापन करने के लिए जब लेखा अधिकारी से पत्र प्राप्त हुआ, तो उन्होंने संबंधित उप मंडल अधिकारी को संसूचना भेजी और यह पाया गया कि उस पर कूटरचित हस्ताक्षर थे । इसलिए, ज्येष्ठ लेखा अधिकारी को प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 7/ए द्वारा विभिन्न चालानों के साथ-साथ अन्य संबंधित दस्तावेज भेजे गए, किंतु महत्वपूर्ण यह है कि इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि उसे प्रदाय आदेश की जानकारी नहीं थी ।

11. अभियोजन पक्ष द्वारा विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए समस्त साक्ष्य में पूर्वोक्त समुत्थान को दिए गए प्रदाय आदेश को

प्रस्तुत और साबित नहीं किया गया था । जब विधि के अनुसार यह साबित नहीं किया गया है कि अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा कोई कूटरचना और संदाय की प्राप्ति की गई है, केवल मात्र यह कह देने से कि वाउचरों पर हस्ताक्षर कूटरचित थे, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन का पक्षकथन साबित हो गया है । चूंकि अभियोजन पक्ष अभियुक्त व्यक्तियों के बेईमानीपूर्ण आशय के साथ-साथ उनके द्वारा संदायों की प्राप्ति को भी साबित करने में असफल रहा है और साथ ही इस सबूत के अभाव में कि वाउचर किसने कूटरचित किए थे, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्षकथन साबित किया गया है ।

12. पूर्वोक्त कारणों से, हम उक्त अपील में बल नहीं पाते हैं । इसलिए यह अपील खारिज की जाती है ।

13. अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा मामले की कार्यवाहियों के दौरान प्रस्तुत किए गए जमानत बंधपत्रों को तद्द्वारा उन्मोचित किया जाता है ।

14. निचले न्यायालय को अभिलेख भेजा जाए ।

अपील खारिज की गई ।

जस.

(2013) 2 दा. नि. प. 369 **हिमाचल प्रदेश**

हिमाचल प्रदेश राज्य

बनाम

पप्पू कुमार

तारीख 6 मई, 2013

न्यायमूर्ति सुरिन्दर सिंह और न्यायमूर्ति वी. के. शर्मा

साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) – धारा 3 और 27 [सपठित दंड संहिता, 1860] – हत्या – पारिस्थितिक साक्ष्य – यदि अभियोजन पक्षकथन संपूर्ण रूप से पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित हो तथा परिस्थितियों की शृंखला पूरी न हुई हो तथा अभियुक्त द्वारा किए गए प्रकटीकरण कथन के आधार पर अपराध में प्रयुक्त आयुधों की बरामदगी होने पर उनमें मृतक का रक्त ग्रुप नहीं पाया जाता है तो अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना उचित है ।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि अभियुक्त मृतक हंसराज का सौतेला भाई है जबकि मुल्कराज और मृतक सगे भाई हैं । मृतक की माता ने सम्पूर्ण जमीन अभियुक्त को दी थी और वह अपनी सौतेली माता ईश्वरी देवी के साथ रहता था । अभियुक्त ने संयुक्त भूमि के ऊपर नया मकान का निर्माण करना प्रारंभ किया । उसने मकान की नींव भी डाल दी थी जिस पर मृतक और मुल्कराज द्वारा आक्षेप किया गया । इस प्रकार, मामले की रिपोर्ट पुलिस को दी गई थी और तब तक काम रुकवाने के लिए अनुरोध किया गया जब तक कि सभी तीनों भाइयों के बीच भूमि का बटवारा न हो जाए । यह अभिकथन किया गया कि अभियुक्त ने भयानक परिणाम भुगतने के बारे में मुल्कराज तथा उसके मृतक भाई को धमकाया भी था । तारीख 6 नवंबर, 2003 को जब वे रात्रि में सोने के लिए चले गए थे तब अभियुक्त टैंट के नजदीक पड़ा हुआ निर्माण कार्यों की पहरेदारी कर रहा था । दूसरे दिन प्रातः अर्थात् 7 नवंबर, 2003 को प्रवीन कुमार ने दूरभाष से पुलिस को यह सूचना दी कि हंसराज नहर (कुल्ह) में मृत पड़ा हुआ है । सहायक उप-निरीक्षक तरसेम लाल द्वारा दैनिक डायरी प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/क द्वारा इस सूचना को लिखा गया और घटनास्थल की ओर अग्रसर हुआ जहां उसकी मुलाकात उप-प्रधान मस्तराम से हुई जिसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन इस आशय का कथन किया कि उसे प्रातः लगभग 7.30 बजे पूर्वाह्न मृतक के भाई मुल्कराज द्वारा सूचना दी गई थी कि उसके भाई का शव नहर में पाया गया है और उसकी क्षतियों से रक्त बह रहा है । इसके पश्चात् उसने उसकी पत्नी पिंकी देवी से पूछताछ की जिसने यह बताया कि जब उसका पति शौच के लिए गया था तब उसके पश्चात् उसने खेतों की ओर से कुछ शोरगुल की आवाज सुनी थी परंतु वह बाहर नहीं निकली । पुलिस को दिए गए अपने कथन में उसने किसी व्यक्ति पर संदेह नहीं किया । इसके पश्चात् पुलिस ने मृत्यु समीक्षा कागजात और घटनास्थल का नक्शा भी तैयार किया जहां शव पाया गया और शव को शव-परीक्षा के लिए भेजा गया । मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं था और सम्पूर्ण पक्षकथन पारिस्थितिक साक्ष्य की ओर इंगित करता है और खासतौर पर बरामदगियां और अभिकथित न्यायिकेतर संस्वीकृति की ओर, जो अभियुक्त द्वारा मस्तराम के समक्ष की गई थीं । विचारण न्यायालय ने अभियोजन साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया । इस प्रकार अभियुक्त को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया गया । प्रत्यर्थी जिसे इसमें इसके पश्चात् "अभियुक्त" कहा गया है, को श्री हंसराज की अभिकथित मृत्यु कारित किए जाने के लिए विद्वान् विचारण

न्यायालय द्वारा दंड संहिता की धारा 302 और 301 के अधीन दंडनीय अपराधों से आरोपित कर विचारण किया गया और दोषमुक्त कर दिया गया । राज्य द्वारा विचारण न्यायालय के विरुद्ध अपील की गई । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभियुक्त का संस्वीकृति कथन अधिनियम की धारा 27 के उपबंधों के विरुद्ध है और बरामदगी के अनुपालनीय प्रक्रिया के बिना यह ग्राह्य नहीं है जब तक कि अभियुक्त का प्रकटीकरण कथन साबित नहीं हो जाता और उसके कहने पर पारिणामिक बरामदगी न्यायिकेतर संस्वीकृति भी नहीं है । प्रकटीकरण के आधार पर ली गई सूचना का केवल परिस्थितियों की शृंखला से संबंध है । यह अपने आप में दोषसिद्धि को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है जबकि अन्य कड़ियां विलुप्त हैं और शृंखला पूरी नहीं है । भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 अभियुक्त के कथन को ग्राह्य योग्य बनाती हैं जो उसके द्वारा दिए गए अभिसाक्ष्य के प्रकटीकरण तथ्य से हैं और इस प्रश्न को ध्यान में लाए बिना अपराध से संबंधित किया गया है कि क्या यह संस्वीकृति है या नहीं । आवश्यक संघटक यह है कि अभियुक्त द्वारा दी गई सूचना तथ्य के प्रकटीकरण के बारे में होगी जो ऐसी सूचना से प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होती हो और दूसरा केवल वर्णित सूचना का ऐसा भाग जैसाकि उक्त प्रकटीकरण से सुभिन्न रूप से संबंधित है, अभियुक्त के विरुद्ध ग्राह्य है । तीसरा तथ्य का प्रकटीकरण किसी अपराध के कारित किए जाने से संबंधित होना चाहिए । जब ये संघटक साबित किए जाते हैं और अभिरक्षा में रहते हुए अभियुक्त द्वारा पुलिस के समक्ष किया गया कथन लागू नहीं होगा । इस प्रकार, अभियोजन पक्ष को यह साबित करने के लिए उत्तम साक्ष्य देना चाहिए कि अभियुक्त के प्रकटीकरण कथन से अपराध की वस्तु बरामदगी हुई है । वर्तमान मामले में, मस्तराम ने यह कथन किया है कि तारीख 7 नवंबर, 2003 को लगभग 7.00 बजे पूर्वाह्न मुल्कराज ने उसे यह बताया कि उसके मृतक भाई पर किसी धारदार आयुध से हमला किया गया है और उसे "कुल्ह" में फेंका गया है । उसने अभियुक्त के नाम का उल्लेख नहीं किया है । वह कुछ अन्य व्यक्तियों और पुष्पा देवी (जिसकी परीक्षा नहीं की गई है) जो ईची पंचायत की प्रधान है, के साथ घटनास्थल पर गया, तत्पश्चात् उसने उसका कथन अभिलिखित किया । तारीख 8 नवंबर, 2003 को पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने "डंडा" और "दरांत" के बारे में प्रकटीकरण कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/ख किया है, जिनकी बरामदगी की गई । "दरांत" को चारपाई पर रजाई के नीचे रखा गया था जो चारपाई टैंट

के नीचे थी और "डंडा" खेतों से लिया गया तथा उसके रक्त-रंजित कपड़े भी सौंपे गए थे । बरामदगी ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/ग भी तैयार किया गया था । इसके पश्चात् वे अभिकथित घटनास्थल पर गए और बांस की रक्त-रंजित पत्तियां एकत्रित की गईं और उन्हें ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/घ के माध्यम से कब्जे में लिया गया । इसके अतिरिक्त, उसने यह कथन किया है कि "दरांत" का नक्शा तैयार किया गया था और उसे मोहरबंद भी किया गया । कश्मीर सिंह राना एक अन्य साक्षी है जिसने उक्त कथन पर हस्ताक्षर किया था । "दरांत" और रक्त-रंजित पत्तियों की जांच करके उसने अगले दिन अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 8/क दी । पत्तियों पर रक्त ग्रुप "ओ+" का पाया गया था परंतु न तो डंडा और अभियुक्त के कपड़ों पर ऐसा रक्त धब्बा पाया गया था और न "दरांत" पर पाया गया था ।"दरांत" का बरामदगी ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/ग है जिसे इसका नक्शा तैयार करने और उसे कब्जे में लेने के पश्चात् घटनास्थल पर मोहरबंद किया गया । कश्मीर सिंह राना द्वारा रक्त समूह पाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है जैसाकि उसके द्वारा कथन किया गया है । इसके पश्चात् "डंडा" तथा बांस की रक्त-रंजित पत्तियों को ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/घ के माध्यम से बरामद किया गया था और "दरांत" पर लगी हुई मोहर से मोहरबंद किया गया था । कश्मीर सिंह राना द्वारा पूर्वोक्त इन वस्तुओं से रक्त के नमूने लेने के बारे में स्पष्ट रूप से कोई उल्लेख नहीं किया गया है । जब इन्हें घटनास्थल पर मोहरबंद कर दिया गया तब ब्लड ग्रुप का प्रश्न किसी प्रकार प्रकट नहीं होता है । इसके अतिरिक्त मृतक का ब्लड ग्रुप "दरांत" पर लगा होना प्रकट नहीं हुआ है, इसलिए, बरामदगी के अपराध से अभियुक्त को संबंधित किया जाना प्रकट नहीं हुआ है । यद्यपि, दूसरी परिस्थितियों से उपधारणा की कहानी प्रकट होती है परंतु विधिक उपधारणा के आधार पर अभियुक्त पर लगाए गए अपराध के आरोपों से उसे संबंधित करना काल्पनिक है । इस प्रकार, विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्त करके ठीक ही किया गया था । अपील में कोई गुणागुण नहीं है इसलिए खारिज की जाती है । (पैरा 19, 20, 21 और 22)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2005 की दांडिक अपील सं. 494.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री पी. एम. नेगी, उप- महाधिवक्ता साथ में मैसर्स रमेश ठाकुर और जे. एस. राना, सहायक महाधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से सुश्री कांता ठाकुर, अधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति सुरिन्दर सिंह ने दिया ।

न्या. सिंह – प्रत्यर्थी जिसे इसमें इसके पश्चात् "अभियुक्त" कहा गया है, को श्री हंसराज की अभिकथित मृत्यु कारित किए जाने के लिए विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा दंड संहिता की धारा 302 और 301 के अधीन दंडनीय अपराधों से आरोपित कर विचारण किया गया और दोषमुक्त कर दिया गया ।

2. पक्षकारों को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया ।

3. अभियुक्त मृतक हंसराज का सौतेला भाई है जबकि मुल्कराज (अभि. सा. 6) और मृतक सगे भाई हैं । मृतक की माता ने सम्पूर्ण जमीन अभियुक्त को दी थी और वह अपनी सौतेली माता ईश्वरी देवी के साथ रहता था । अभियुक्त ने संयुक्त भूमि के ऊपर नया मकान का निर्माण करना प्रारंभ किया । उसने अपने मकान की नींव भी डाल दी थी जिस पर मृतक और मुल्कराज पूर्वोक्त व्यक्तियों द्वारा आक्षेप किया गया । इस प्रकार, मामले की रिपोर्ट पुलिस को दी गई थी और तब तक काम रुकवाने के लिए अनुरोध किया गया जब तक कि सभी तीनों भाइयों के बीच भूमि का बंटवारा न हो जाए ।

4. यह अभिकथन किया गया है कि अभियुक्त ने भयानक परिणाम भुगतने के बारे में मुल्कराज (अभि. सा. 6) तथा उसके मृतक भाई को धमकाया भी था । तारीख 6 नवंबर, 2003 को जब वे रात्रि में सोने के लिए चले गए थे तब अभियुक्त टैंट के नजदीक पड़ा हुआ निर्माण कार्यों की पहरेदारी कर रहा था ।

5. दूसरे दिन प्रातः अर्थात् 7 नवंबर, 2003 को प्रवीन कुमार (अभि. सा. 4) ने दूरभाष से पुलिस को यह सूचना दी कि हंसराज नहर (कुल्ह) में मृत पड़ा हुआ है । सहायक उप-निरीक्षक तरसेम लाल (अभि. सा. 17) द्वारा दैनिक डायरी प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/क द्वारा इस सूचना को लिखा गया था और घटनास्थल की ओर अग्रसर हुआ जहां उसकी मस्तराम, उप-प्रधान से मुलाकात हुई जिसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन इस आशय का अपना कथन किया कि उसे प्रातः लगभग 7.30 बजे पूर्वाह्न मृतक के भाई मुल्कराज (अभि. सा. 6) द्वारा सूचना दी गई थी कि उसके भाई का शव नहर में पाया गया है और उसकी क्षतियों से रक्त बह रहा है । इसके पश्चात् उसने उसकी पत्नी पिंकी देवी (अभि. सा. 3) से पूछताछ की जिसने उसे यह बताया था कि जब उसका पति शौच करने के लिए

गया तब उसके पश्चात् उसने खेतों की ओर से कुछ शोरगुल की आवाज सुनी थी परंतु वह बाहर नहीं निकली । पुलिस को दिए गए अपने कथन में उसने किसी व्यक्ति पर संदेह नहीं किया । इसके पश्चात् पुलिस ने मृत्यु समीक्षा कागजात और घटनास्थल का नक्शा भी तैयार किया जहां शव पाया गया था और शव को शव-परीक्षा के लिए भेजा गया ।

6. डा. डी. पी. स्वामी (अभि. सा. 2) ने उसी दिन 11.00 बजे पूर्वाह्न शवपरीक्षण किया । उसने शव पर निम्नलिखित क्षतियां पाईं :–

"(i) गर्दन के बाईं ओर 4 गुमटे (दबाने के चिह्न) प्रत्येक 7 इंच लम्बा और दाहिनी ओर तक विस्तारित चौड़ाई लगभग 1/4 इंच ललछोहां/ रक्तिम ।

(ii) संख्या में दो छिन्न घाव और पहले ही विद्यमान क्षति सं. 1 और 2 (गुमटे) प्रत्येक 2 इंच x 1/4 इंच तर्कु के आकार में प्रत्येक गुमटे अर्थात् नुकीले उपांत के मध्य में ललछोहां ।

(iii) गाल के निचले भाग के बाईं ओर छिन्न विदीर्ण घाव, त्रियक नुकीले उपांत के साथ तर्कु आकार में ।

(iv) बाईं ऊपरी भुजा के मध्य में अलग-अलग और ऊपरी आयूगेर में खुरची हुई खंरोच सं. 2 भुजा के अलग-अलग पहलू पर 3 इंच x 4 इंच का ललछोहां ।

(v) कंधे के फलक की बाईं ओर खुरची हुई खंरोच जिसका क्षेत्र 1 इंच x 1 इंच ललछोहां ।

(vi) ऊपरी भुजा के दाईं ओर खुरची हुई खंरोच मध्य भाग में 2-1/2 इंच लंबा ललछोहां ।

गर्दन पर प्रत्येक क्षति के बीच दूरी अनुमानतः 1 इंच थी जो गर्दन के सामने की ओर अनुप्रस्थ रूप में थी । उदर में अर्धपचित भोजन पाया गया था । डाक्टर की यह राय कि क्षतियों और मृत्यु के बीच 1 से 8 मिनट का अंतर था और मृत्यु और शवपरीक्षण के बीच 12 से 24 घंटे का अंतर था । इस मृत व्यक्ति के बारे में यह राय दी गई कि उसकी मृत्यु गर्दन दबाकर क्षतियां कारित करके या गला घोंट करके की गई थी जिसके परिणामस्वरूप स्वासावरोध और आघात हुआ था । कोई शवपरीक्षण क्षति नहीं थी और मृतक की भोजन लेने के 1/2 घंटे के अंदर मृत्यु हुई थी । इसके अतिरिक्त

डाक्टर को रोग विज्ञान या डूबाकर मारने का साक्ष्य नहीं दिखाई दिया । शवपरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 2/ग है और नुकीली क्षतियों के बारे में 'दरांत' प्रदर्श पी-1 द्वारा कारित किया जाना अभिकथित है ।"

7. तारीख 8 नवंबर, 2003 को पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और उसकी चिकित्सा परीक्षा भी की गई थी । उसका चिकित्सा विधिक प्रमाणपत्र प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ख है । तारीख 8 नवंबर, 2003 को उसने मस्तराम (अभि. सा. 5) और चंचला देवी (जिसकी परीक्षा नहीं की गई) के समक्ष प्रकटीकरण कथन किया था जिसके अनुसरण में "दरांत" प्रदर्श पी-1 और उसके कपड़े तथा डंडा भी टैंट के नीचे चारपाई के निचले भाग पर पाया गया था ।

8. अभियुक्त के बारे में घटना के स्थान को बताए जाने का भी अभिकथन किया गया है । पुलिस ने कश्मीर सिंह राना (अभि. सा. 8), टेक्नीशियन जो रेड क्रास सोसायटी, धर्मशाला में कार्य करता था, को भी घटनास्थल से साथ लिया गया था और बांस के पत्तियों पर तथा हरी घास के समूह जिस पर रक्त पड़ा हुआ था, को भी एकत्रित किया गया । उसने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 8/क जारी की । रक्त ग्रुप "ओ+" था । घटनास्थल के फोटो भी लिए गए थे ।

9. अभियुक्त के कपड़े कब्जे में लिए गए थे और बांस के पत्ते और "दरांत" फारेंसिक परीक्षा के लिए भेजे गए थे । यद्यपि इसमें मानव रक्त था परंतु उसके ग्रुप का पता करने के लिए अपर्याप्त था ।

10. अन्वेषण के दौरान अन्य साक्षियों के कथन भी अभिलिखित किए गए थे और अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् अभियुक्त के विचारण के लिए न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया था । तद्नुसार पूर्वोक्त अपराधों के लिए उसे आरोप पत्रित किया गया जिस पर उसने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का अभिवाक् किया ।

11. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए अपने साक्षियों की परीक्षा कराई । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त की भी परीक्षा की गई । उसने परिस्थितियों से इनकार किया और जो उस पर प्रकट हुई थी तथा मामले में मिथ्या रूप से आलिप्त किए जाने का अभिकथन किया । जब उसे अपनी प्रतिरक्षा देने के लिए बुलाया गया उसने अपनी प्रतिपरीक्षा मे कोई साक्ष्य नहीं दिया ।

12. मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं था और सम्पूर्ण पक्षकथन पारिस्थितिक साक्ष्य की ओर इंगित करता है और खासतौर पर बरामदगियां और अभिकथित न्यायिकेतर संस्वीकृति जो अभियुक्त द्वारा मस्तराम (अभि. सा. 5) के समक्ष की गई थीं । विचारण न्यायालय ने अभियोजन साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया । इस प्रकार, अभियुक्त को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया ।

13. मामले के पुनर्मूल्यांकन तथा उस पर पुनः विचार करने पर हम दोषमुक्ति के आक्षेपित निर्णय में कोई दोष नहीं पाते हैं । परिस्थितियां जो अभियुक्त के विरुद्ध साबित की गई हैं, ये हैं कि सम्पूर्ण कृषि योग्य भूमि जो कुटुंब से स्वामित्व में थी उसकी माता ने अभियुक्त के कब्जे में दे दी थी और ऐसी कृषि योग्य भूमि में किसी दूसरे हिस्सेदारों को नहीं दी गई और इस प्रकार, बिना किसी बटवारे के संयुक्त जमीन के ऊपर नींव डालने को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था । मृतक तथा उसका भाई मुल्कराज (अभि. सा. 6) ने इस बात का विरोध किया और मामले की रिपोर्ट पुलिस को दी और अभियुक्त पर यह संदेह हुआ कि उसने दिन के समय मुल्कराज और मृतक को धमकियां दी थीं जिसके आधार पर अभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और अभिकथित बरामदगियों का प्रभाव में आने का कथन किया गया है ।

14. अब यह प्रश्न प्रकट है कि क्या उपरोक्त साक्ष्य से अपराध के अभियुक्त को संबंधित करना पर्याप्त है ? इसका उत्तर "नहीं" है ।

15. विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जब कभी प्रबल संदेह हो तो उसे सबूत के स्थान पर नहीं लिया जा सकता । अभियोजन पक्ष को स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और अपराध से अभियुक्त को संबंधित करने का प्रेरित साक्ष्य देना चाहिए ।

16. सम्पूर्ण मामला पारिस्थितिक साक्ष्य की ओर इंगित करता है जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है और यह भी तथ्य प्रकट हुआ है कि यह मानववध मृत्यु है ।

17. वास्तव में, अभियोजन साक्षियों ने अभियोजन पक्षकथन को पहले ही संदेहपूर्ण बनाया है । जब मृतक वापस नहीं लौटा तब उसकी पत्नी पिंकी देवी (अभि. सा. 3) ने खेतों से कुछ शोरगुल की आवाज सुने जाने का कथन किया है और उसने कोई चीख-पुकार नहीं की और न उसने तब तक अपने देवर मुल्कराज (अभि. सा. 6) को भी नहीं बताया जब उसने

उसके पति के बारे में अगली सुबह उससे पूछा था । दूसरा उसी दिन मुल्कराज (अभि. सा. 6) ने यह कथन किया है कि तारीख 6 नवंबर, 2003 को वह अपने मकान में सोया था, अगले दिन प्रातः प्रवीन कुमार (अभि. सा. 4) उसके मकान पर पहुंचा और मृतक की पत्नी से उसके बारे में पूछताछ की । उसने यह भी बताया कि मृतक का शव नहर के किनारे पड़ा हुआ था । वह अपनी साली पिंकी देवी के साथ घटनास्थल पर गया और यह देखा कि मृतक मृत पड़ा हुआ है तथा प्रधान पुष्पा देवी जिसकी परीक्षा नहीं की गई, को सूचना दी । यह बात आश्चर्यचकित करने वाली है जब रेणु कुमार (अभि. सा. 7) को रात्रि के दौरान शव के बारे में पहले ही पता था उसने किसी को कोई सूचना नहीं दी । जब उसकी न्यायालय में परीक्षा की गई तो उसने यह कथन किया कि वह अपने चाचा रविदत्त के साथ तारीख 6 नवंबर, 2003 की शाम खेतों में सिंचाई करने के लिए गया था और उन्होंने वहां पर 7.00 बजे अपराह्न तक कार्य किया । इसके पश्चात् उन्होंने अपने मकान में भोजन ग्रहण किया और कुछ समय आराम करने के पश्चात् दोनों अपने खेतों की ओर गए । उन्होंने देखा कि पानी का बहाव रुका हुआ था और पानी मोड़ के ऊपर से बह रहा था । जब उसने "कुल्ह" में अपना हाथ डाला तो तब उसने मोड़ से कीचड़ बाहर निकाला तब मृतक का हाथ उसके सम्पर्क में आया । तत्पश्चात् उन दोनों ने पानी से शव को बाहर निकाला और टार्च की सहायता से मृतक की पहचान की । इसके पश्चात् उन्होंने प्रधान पुष्पा देवी को सूचना दी । स्वीकृततः, उसने सुबह तक पुलिस को सूचना नहीं दी परंतु जब पुलिस गांव पर पहुंची तब उसने उसके साथ उसके चाचा रविदत्त से पूछताछ की थी और उसने उस तथ्य के बारे में मृतक की पत्नी तथा उसके भाई मुल्कराज को यह नहीं बताया कि उन्हें कैसे शव का पता चला था । पुलिस ने उन दोनों को दो दिन तक पूछताछ के लिए रोके रखा था । रेणु कुमार (अभि. सा. 7) का कथन तारीख 7 नवंबर, 2003 तक अभिलखित नहीं किया गया था जैसाकि उसके द्वारा प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है । स्वीकृततः, तारीख 7 नवंबर, 2003 को उसने इस तथ्य के बारे में पुलिस को नहीं बताया परंतु उसके अनुसार उसका कथन उक्त घटना के घटने के पांच दिन पश्चात् अभिलिखित किया गया था और उपरोक्त तथ्यों को उसके द्वारा बताया गया था ।

18. इसके अतिरिक्त, अभियुक्त से तारीख 7 नवंबर, 2003 को पूछताछ की गई थी और 8 नवंबर, 2003 को गिरफ्तार किया गया था ।

उसके बारे में मस्तराम (अभि. सा. 5) न्यायिकेतर संस्वीकृति किए जाने का कथन किया गया है जिसमें उसने मृतक की कैसे हत्या की थी, बताया था और अपराध कारित करने के लिए प्रयुक्त किया गया आयुध "दरांत" बरामद किया जा सका । परंतु अपने पूर्ववर्ती कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/ क में इस बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है और प्रकटीकरण कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/ख भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन अभिलिखित किया गया था जो संस्वीकृति के प्ररूप में है जिसका संस्वीकृति के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है ।

19. अभियुक्त का संस्वीकृति कथन अधिनियम की धारा 27 के उपबंधों के विरुद्ध है और बरामदगी के अनुपालनीय प्रक्रिया के बिना यह ग्राह्य नहीं है जब तक कि अभियुक्त का प्रकटीकरण कथन साबित नहीं हो जाता और उसके कहने पर पारिणामिक बरामदगी न्यायिकेतर संस्वीकृति भी नहीं है ।

20. प्रकटीकरण के आधार पर ली गई सूचना का केवल परिस्थितियों की शृंखला से संबंध है । यह अपने आप में दोषसिद्धि को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है जबकि अन्य कड़ियां विलुप्त हैं और शृंखला पूरी नहीं है । भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 अभियुक्त के कथन को ग्राह्य योग्य बनाती हैं जो उसके द्वारा दिए गए अभिसाक्ष्य के प्रकटीकरण तथ्य से हैं और इस प्रश्न को ध्यान में लाए बिना अपराध से संबंधित किया गया है कि क्या यह संस्वीकृति है या नहीं । आवश्यक संघटक यह है कि अभियुक्त द्वारा दी गई सूचना तथ्य के प्रकटीकरण के बारे में होगी जो ऐसी सूचना से प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होती हो और दूसरा केवल वर्णित सूचना का ऐसा भाग जैसाकि उक्त प्रकटीकरण से सुभिन्न रूप से संबंधित है, अभियुक्त के विरुद्ध ग्राह्य है । तीसरा तथ्य का प्रकटीकरण किसी अपराध के कारित किए जाने से संबंधित होना चाहिए । जब ये संघटक साबित किए जाते हैं और अभिरक्षा में रहते हुए अभियुक्त द्वारा पुलिस के समक्ष किया गया कथन लागू नहीं होगा । इस प्रकार, अभियोजन पक्ष को यह साबित करने के लिए उत्तम साक्ष्य देना चाहिए कि अभियुक्त के प्रकटीकरण कथन से अपराध की वस्तु बरामदगी हुई है ।

21. वर्तमान मामले में, मस्तराम (अभि. सा. 5) ने यह कथन किया है कि तारीख 7 नवंबर, 2003 को लगभग 7.00 बजे पूर्वाह्न मुल्कराज (अभि. सा. 6) ने उसे यह बताया कि उसके मृतक भाई पर किसी धारदार

आयुध से हमला किया गया है और उसे "कुल्ह" में फेंका गया है । उसने अभियुक्त के नाम का उल्लेख नहीं किया है । वह कुछ अन्य व्यक्तियों और पुष्पा देवी (जिसकी परीक्षा नहीं की गई है) जो ईची पंचायत की प्रधान है, के साथ घटनास्थल पर गया, तत्पश्चात् उसने उसका कथन अभिलिखित किया । तारीख 8 नवंबर, 2003 को पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने "डंडा" और "दरांत" के बारे में प्रकटीकरण कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/ख किया है, जिनकी बरामदगी की गई । "दरांत" को चारपाई पर रजाई के नीचे रखा गया था जो चारपाई टैंट के नीचे थी और "डंडा" खेतों से लिया गया तथा उसके रक्त-रंजित कपड़े भी सौंपे गए थे । बरामदगी ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/ग भी तैयार किया गया था । इसके पश्चात् वे अभिकथित घटनास्थल पर गए और बांस की रक्त-रंजित पत्तियां एकत्रित की गईं और उन्हें ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/घ के माध्यम से कब्जे में लिया गया । इसके अतिरक्त, उसने यह कथन किया है कि "दरांत" का नक्शा तैयार किया गया था और उसे मोहरबंद भी किया गया । कश्मीर सिंह राना (अभि. सा. 8) एक अन्य साक्षी है जिसने उक्त कथन पर हस्ताक्षर किया था । "दरांत" और रक्त-रंजित पत्तियों की जांच करके उसने अगले दिन अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 8/क दी । पत्तियों पर रक्त ग्रुप "ओ+" का पाया गया था परंतु न तो "डंडा" और अभियुक्त के कपड़ों पर ऐसा रक्त धब्बा पाया गया था और न "दरांत" पर पाया गया था ।

22. "दरांत" का बरामदगी ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/ग है जिसे इसका नक्शा तैयार करने और उसे कब्जे में लेने के पश्चात् घटनास्थल पर मोहरबंद किया गया । कश्मीर सिंह राना (अभि. सा. 8) द्वारा रक्त समूह पाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है जैसाकि उसके द्वारा कथन किया गया है । इसके पश्चात् "डंडा" तथा बांस की रक्त-रंजित पत्तियों को ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/घ के माध्यम से बरामद किया गया था और "दरांत" पर लगी हुई मोहर से मोहरबंद किया गया था । कश्मीर सिंह राना द्वारा पूर्वोक्त इन वस्तुओं से रक्त के नमूने लेने के बारे में स्पष्ट रूप से कोई उल्लेख नहीं किया गया है । जब इन्हें घटनास्थल पर मोहरबंद कर दिया गया तब ब्लड ग्रुपिंग का प्रश्न किसी प्रकार प्रकट नहीं होता है । इसके अतिरिक्त मृतक का ब्लड ग्रुप "दरांत" पर लगा होना प्रकट नहीं हुआ है, इसलिए, बरामदगी से अपराध से अभियुक्त को संबंधित किया जाना प्रकट नहीं आई है । यद्यपि, दूसरी परिस्थितियों से उपधारणा की कहानी प्रकट होती हैं परंतु विधिक उपधारणा के आधार पर अभियुक्त पर

लगाए गए अपराध के आरोपों से उसे संबंधित करना काल्पनिक है । इस प्रकार, विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्त करके ठीक ही किया गया था । अपील में कोई गुणागुण नहीं है इसलिए खारिज की जाती है ।

23. अभियुक्त द्वारा इस मामले की कार्यवाहियों के दौरान पेश किए गए जमानत बंधपत्र उन्मोचित किए जाते हैं । अभिलेख वापस भेजे जाते हैं ।

अपील खारिज की गई ।

आर्य

(2013) 2 दा. नि. प. 380 **हिमाचल प्रदेश**

एडवर्ड सेम्यूल चेरीशन हायेश

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

तारीख 8 मई, 2013

न्यायमूर्ति सुरिन्दर सिंह और न्यायमूर्ति धर्म चन्द चौधरी

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) – धारा 20 – विनिषिद्ध पदार्थ चरस की बरामदगी – बरामदगी के दौरान स्वतंत्र साक्षियों को सम्मिलित न किया जाना – जहां विनिषिद्ध पदार्थ चरस की बरामदगी व्यक्ति की शारीरिक तलाशी के परिणामस्वरूप न होकर खुले स्थान से हुई हो, वहां तलाशी को साबित करने के लिए दो स्वतंत्र साक्षियों को सम्मिलित करने की कोई विधिक अपेक्षा न होने और चरस की बरामदगी से लेकर उसके नमूने लेने और इसे मालखाने में जमा करने तक साक्ष्य की कड़ी पूरी तरह से जुड़ी होने पर अभियुक्त को दोषसिद्ध ठहराया जाना न्यायसंगत और उचित है ।

मामले के तथ्यों के अनुसार पुलिस थाना, मनाली का एक पुलिस गश्ती दल अपराह्न में जब समाहन रोड, जो वशिष्ट चौक से लगा हुआ है, के निकट पहुंचा तो उन्होंने अभियुक्त-अपीलार्थी, जो यूनाइटेड किंगडम का रहने वाला है, को विपरीत दिशा से आते हुए देखा । पुलिस दल को देखकर यद्यपि उसने बचने की कोशिश की, किंतु लगभग 20 मीटर की

दूरी पर पुलिस द्वारा उसे दबोच लिया गया । घटनास्थल निर्जन और एकांत में था, इसलिए कोई स्वतंत्र साक्षी उपलब्ध नहीं था । पुलिस ने उसके थैले में रखी वस्तुओं के बारे में पूछताछ की, जिस पर उसका चेहरा लाल-गुलाबी हो गया और कोई समाधानप्रद उत्तर नहीं दे सका । उसके पश्चात् गश्ती दल की एक महिला कांस्टेबल को आस-पास से स्वतंत्र साक्षी का प्रबंध करने के लिए भेजा गया, किंतु वह असफल रही और लगभग 20 मिनट पश्चात् वापस आ गई । इस प्रकार, उक्त महिला कांस्टेबल और एक सहायक उप-निरीक्षक को साक्षी के रूप में सम्मिलित किया गया । अभियुक्त के पार-पत्र और वीजा की जांच-पड़ताल की गई और वैध पाया गया । उसके पश्चात् थैले की जांच-पड़ताल की गई जो अभियुक्त के दाएं कंधे पर टंगा हुआ था । इसमें बत्तियों के आकार में और चपाती की तरह गोल आकार में भूरे रंग का पदार्थ पाया गया, जो तोलने पर 4.500 किलो ग्राम उतरा । बरामद की गई संपूर्ण सामग्री को उसी थैले में रखा गया और मुहरबंद करके एक कपड़े का पार्सल बनाया गया और अन्य औपचारिकताएं पूर्ण की गईं । मामला-सम्पत्ति और अभियुक्त को निरीक्षक/थाना अधिकारी के समक्ष पेश किया गया । अभियुक्त को न्यायिक हवालात में रखा गया, और बरामदगी के मुहरबंद पार्सल को उपर्युक्त थाना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया । उसके द्वारा पार्सल को पुनः मुहरबंद किया गया । तलाशी और अभिग्रहण संबंधी रिपोर्ट कानूनी अवधि के भीतर उच्च अधिकारियों को भेजी गई । तारीख 13 मार्च, 2011 को इस मामले के मुहरबंद पार्सल सहित मुद्राओं के नमूने आदि अभिकथित विनिषिद्ध पदार्थ के विश्लेषण के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजे गए । प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार परीक्षण किए गए पदार्थ के वजन में इसमें वर्णित अन्य गुण-धर्म के साथ-साथ 39.69 प्रतिशत कैनेबिस पौधे का रेजिन अंतर्विष्ट था और रसायन विश्लेषक की राय में इसे कैनेबिस से निकाला गया था और यह चरस का नमूना है । साक्षियों के कथन अभिलिखित करने और चालान पूर्ण करने के पश्चात् इसे अभियुक्त के विचारण के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए अपने साक्षियों की परीक्षा कराई । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त की भी परीक्षा की गई । उसने अभियोजन के पक्षकथन का पूर्ण रूप से खंडन किया । उसके अनुसार, पुलिस पदधारियों ने उसके विरुद्ध मिथ्या कथन किए हैं । उसे 'येती गेस्ट हाउस', जहां वह ठहरा हुआ था, से बुलाया गया और मामला गढ़ा गया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभियुक्त द्वारा ली गई प्रतिरक्षा पर विश्वास नहीं किया, तथापि, अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए अभियुक्त को

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के अधीन दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया । अभियुक्त ने दंडादेश के आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित होकर उच्च न्यायालय में अपील फाइल की । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – वस्तुतः, जब किसी व्यक्ति से विनिषिद्ध पदार्थ की बरामदगी किसी खुले स्थान से होती है, तब दो स्वतंत्र साक्षियों को तलाशी के साक्ष्य के लिए सम्मिलित करने की अनिवार्य या विधिक अपेक्षा नहीं है और विशिष्ट रूप से प्रस्तुत मामले में अन्वेषक अधिकारी, अभि. सा. 6 सहायक उप-निरीक्षक दया राम ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि यह एक निर्जन और एकांत स्थान था और महिला कांस्टेबल मीना कुमारी को स्वतंत्र साक्षियों का प्रबंध करने के लिए भेजा गया था किंतु उसने वापस आकर बताया कि उसने हालांकि 2-3 दुकानदारों से संपर्क किया था, किंतु वे साक्षी बनने के लिए तैयार नहीं हुए । अब प्रश्न यह है कि क्या न्यायालय में परीक्षा कराए गए शासकीय साक्षी विश्वासप्रद हैं । न्यायालय ने संवीक्षा करने पर यह पाया है कि अभि. सा. 6, सहायक उप-निरीक्षक दया राम ने अभियोजन के पक्षकथन का शब्दशः समर्थन किया है । उसने यह कथन किया है कि जब अभियुक्त वापस मुड़ा और बचने की कोशिश की तब उसे एक थैला दिखाई दिया, यह तथ्य अभिग्रहण ज्ञापन और मामला दर्ज करने के लिए भेजे गए रुक्का, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 2/ए, में भी स्पष्ट रूप से उल्लिखित है । इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा में अभियुक्त ने रुक्का की प्रारंभिक पंक्तियों में थैले का जिक्र नहीं होने के कारण उग्रतापूर्वक यह सिद्ध करने की कोशिश की कि उसके पास थैला नहीं था, किंतु उक्त दस्तावेज का समग्रता से परिशीलन करने पर इससे यह दर्शित होता है कि जब अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था, उसके पास उसके दाएं कंधे पर टंगा हुआ प्रदर्श पी-2, थैला था । इस तथ्य की संपुष्टि अभि. सा. 5 सहायक उप-निरीक्षक राम स्वरूप द्वारा की गई है । इस दस्तावेज के मध्य में 'डी' के रूप में चिन्हित भाग में भी अभियुक्त द्वारा लिए हुए थैले के बारे में निर्देश है । उपरोक्त दोनों साक्षियों ने अभियुक्त के इस पक्षकथन से इनकार किया है कि उसे 'येती गेस्ट हाउस' वशिष्ट चौक से पकड़ा गया था, किंतु प्रतिपरीक्षा में साक्षियों में से किसी से भी पुलिस पदधारियों का अभियुक्त के प्रति वह क्या विद्वेष था, जिससे उसके विरुद्ध एक मिथ्या मामला और वह भी 4.500 किलो ग्राम चरस की इतनी बड़ी बरामदगी का गढ़ा गया, की बात नहीं कही गई है । यहां तक कि अभियुक्त उस समय भी यह बात स्पष्ट नहीं कर सका, जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313

के अधीन कथन अभिलिखित करते समय न्यायालय के साथ सीधी बातचीत हुई थी । इसलिए, न्यायालय के सुविचारित मत में, न्यायालय द्वारा संवीक्षा किए गए समग्र साक्ष्य के आधार पर न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने के लिए मजबूर है कि विद्वान् विचारण न्यायालय ठीक ही इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि बरामद पदार्थ नीले रंग के थैले, प्रदर्श पी-2, में था जिसे अभियुक्त सुसंगत तारीख और समय पर अपने दाएं कंधे पर लिए हुए था और जिसकी साक्षियों ने विचारण के दौरान न्यायालय में भी शनाख्त की । इसके अतिरिक्त, मामला सम्पत्ति की पुनः मुहरबंदी उसी दिन अभि. सा. 2 उप-निरीक्षक/थाना अधिकारी शिव सिंह द्वारा की गई थी और अभियुक्त को भी पुलिस थाने में उनके समक्ष पेश किया गया था । अभियुक्त ने उससे भी उसे मिथ्या फंसाए जाने की कोई शिकायत नहीं की और यहां तक कि जब उसे पुलिस द्वारा 'येती गेस्ट हाउस' से 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, तब भी उसने अपने मिथ्या फंसाए जाने के बारे में अपनी आवाज नहीं उठाई । प्रस्तुत मामले में कड़ी साक्ष्य भी विनिषिद्ध पदार्थ की बरामदगी के समय से लेकर उसे मुद्राओं के नमूने और एन. सी. बी. प्ररूपों सहित मालखाने में जमा करने तक पूर्ण है, जिसमें बरामद पदार्थ पर लगाई गई मुद्रा की प्रतिकृति भी अंतर्विष्ट है, जिसे पहले ही उसी थैले में रखा गया था और फिर उसका एक पार्सल बनाया गया था, जिसे बाद में अभि. सा. 3 एच. एच. सी. चंदा राम द्वारा सड़क-प्रमाणपत्र, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/एफ, के द्वारा विश्लेषण के लिए सुसंगत कागजातों सहित लिया गया था और उसी दशा में प्रयोगशाला में जमा किया गया था । पार्सल और मुहरों का वर्णन रिपोर्ट, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 2/ई के स्तंभ सं. 7 के सामने उल्लिखित है । पार्सल और मुहरें अविकल पाई गई थीं और लगाई गई मुहरों के नमूनों से मिलान किया गया था । यह भी प्रमाणित है कि पार्सल को इसकी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर होने और प्रेषित करने तक सहायक रसायन विश्लेषक की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया था । स्तंभ सं. 10 के सामने उल्लिखित अनुसार पार्सल का वजन 4.946 किलो ग्राम और पार्सल के कपड़े तथा कपड़े के थैले का वजन 0.474 किलो ग्राम पाया गया था और इस प्रकार विनिषिद्ध पदार्थ का सकल वजन 4.472 किलो ग्राम था अर्थात् पुलिस निरीक्षक द्वारा घटनास्थल पर किए गए वजन से 28 ग्राम अधिक था और यह वजन केवल इस कारण अधिक हो सकता है कि प्रयोगशाला द्वारा प्रयुक्त की गई मुहरें घटनास्थल पर प्रयुक्त की गई मुहरों से अधिक संवेदनशील और परिष्कृत थीं, किंतु वास्तविकता यह है कि बरामदगी के पार्सल पर की मुहरें वैसी ही थीं जैसा कि इसे घटनास्थल पर मुहरबंद और उसके पश्चात् पुनः मुहरबंद किया गया था तथा प्रयोगशाला में

उसी दशा में प्राप्त हुआ था और परीक्षण करने पर चरस पाई गई थी । इसके अतिरिक्त, विनिषिद्ध पदार्थ इसके परीक्षण के पश्चात् थैले और कपड़े के पार्सल सहित प्रयोगशाला की मुहर के साथ पुलिस थाने को वापस किया गया था और विचारण के दौरान पूर्वोक्त साक्षियों ने इसे वही होना प्रमाणित किया जो अभियुक्त के कब्जे से बरामद किया गया था और विद्वान् विचारण न्यायालय ने भी पार्सल, प्रदर्श पी-1 को, जब इसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, मुहरबंद पाया था । इसे खोलने पर इसमें बत्तियों और चपातियों के आकार में चरस, प्रदर्श पी-3 थी जैसा कि अभि. सा. 5 सहायक उप-निरीक्षक राम स्वरूप द्वारा कथन किया गया है, किंतु न्यायालय द्वारा किया गया यह प्रश्न, कि चरस नीले रंग के थैले में बत्तियों के आकार में थी न कि पतली चपातियों के गोल आकार में, घातक नहीं हैं क्योंकि अलग-अलग व्यक्ति की अलग-अलग धारणा होती है, जैसे कि गोल आकार में टूटे हुए छोटे टुकड़ों को गोल आकार की चपातियों के रूप में कहा जा सकता है । चूंकि अभियुक्त से यथा अभिकथित विनिषिद्ध पदार्थ की बरामदगी की बात विधि के अनुसार साबित होती है, इसलिए अधिनियम की धारा 54 के अधीन अवैध वस्तु के कब्जे से उपधारणा की जानी चाहिए क्योंकि अभियुक्त इसका समाधानप्रद उत्तर देने में असफल रहा है । जो प्रतिरक्षा ली गई है, अधिसंभाव्य नहीं मानी जा सकती है । (पैरा 10, 11, 12 और 13)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2011]	(2011) 1 एस. सी. सी. 609 : **विजयसिंह चंदूभाई जडेजा** बनाम **गुजरात राज्य** ;	14
[2010]	(2010) सप्ली. सी. यू. ला जर्नल (हि. प्र.) 275 : **अमर चंद** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** ;	14
[2007]	(2007) 1 एस. सी. सी. 450 : **दिलीप और एक अन्य** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ।	14

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2012 की दांडिक अपील सं. 146.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री बी. आर. शर्मा

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री डी. सी. पथिक, एम. ए.

खान, अपर महाधिवक्ता और पुष्पेन्द्र जसवाल, उप महाधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति सुरिन्दर सिंह ने दिया ।

न्या. सिंह – अपीलार्थी, जो यूनाइटेड किंगडम का रहने वाला है, को अपने कब्जे में 4.500 किलो ग्राम चरस रखने के लिए स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, जिसे आगे संक्षेप में "अधिनिमय" कहा गया है, की धारा 20 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोप-पत्रित, विचारित और दोषसिद्ध किया गया और दस वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास भोगने और 1,00,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर एक वर्ष का और कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया ।

2. अभिलेख के साक्ष्य से यथा प्रकट अभियोजन का पक्षकथन, अनावश्यक ब्यौरों को निकालकर, इस प्रकार है :–

(i) पुलिस थाना, मनाली के सहायक उप-निरीक्षक, दया राम (अभि. सा. 6) मनाली के वशिष्ट क्षेत्र में एक पुलिस गश्ती दल का नेतृत्व कर रहे थे । उनके प्रस्थान को पुलिस थाने में बनाए रखे गए रोजनामचे, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/ए, में अभिलिखित किया गया था । अपराह्न में 4.00 बजे जब वे समाहन रोड, जो वशिष्ट चौक से लगा हुआ है, के निकट पहुंचे तो उन्होंने अभियुक्त को ऊनी कोट और टोपी पहने हुए विपरीत दिशा से आते हुए देखा । पुलिस दल को देखकर यद्यपि उसने बचने की कोशिश की, किंतु लगभग 20 मीटर की दूरी पर पुलिस द्वारा उसे दबोच लिया गया । घटनास्थल निर्जन और एकांत में था, इसलिए कोई स्वतंत्र साक्षी उपलब्ध नहीं था । पुलिस ने उसके थैले में रखी वस्तुओं के बारे में पूछताछ की, जिस पर उसका चेहरा लाल-गुलाबी हो गया और कोई समाधानप्रद उत्तर नहीं दे सका । उसके पश्चात् महिला कांस्टेबल मीना कुमारी को आस-पास से स्वतंत्र साक्षी का प्रबंध करने के लिए भेजा गया, किंतु वह असफल रही और लगभग 20 मिनट पश्चात् वापस आ गई । इस प्रकार, उक्त महिला कांस्टेबल मीना कुमारी और सहायक उप-निरीक्षक राम स्वरूप को साक्षी के रूप में सम्मिलित किया गया । अभियुक्त के पास-पत्र और वीजा की जांच-पड़ताल की गई और वैध पाया गया । उसके पश्चात् थैले की जांच-पड़ताल की गई जो अभियुक्त के दाएं कंधे पर टंगा हुआ था । इसमें बत्तियों के आकार में और चपाती की तरह गोल आकार में भूरे रंग का पदार्थ पाया गया, जो तोलने पर 4.500 किलो ग्राम उतरा ।

(ii) बरामद की गई संपूर्ण सामग्री को उसी थैले में रखा गया और 'एच' मुद्रा की छाप से पांच स्थानों पर मुहरबंद करके एक कपड़े का पार्सल, प्रदर्श पी-1, बनाया गया । उक्त पुलिस अधिकारी द्वारा घटनास्थल पर ही तीन प्रतियों में एन. सी. बी. प्ररूप के स्तंभ सं. 1 से 7 भरे गए, जिनमें से एक प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 2/डी है । 'एच' मुद्रा की छाप अलग से एक कपड़े के टुकड़े, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/ग, पर ली गई ।

(iii) मामला-सम्पत्ति को अभिग्रहण ज्ञापन, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/ए, द्वारा कब्जे में लिया गया । अभिग्रहण ज्ञापन की प्रति निःशुल्क अभियुक्त को दी गई ।

(iv) घटनास्थल पर एक रुक्का, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 2/ए, तैयार किया गया और अभि. सा. 5 सहायक उप-निरीक्षक राम स्वरूप के माध्यम से प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने के लिए भेजा गया । उसके पश्चात् अभिकथित बरामदगी स्थल का स्थल नक्शा, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/ए, तैयार किया गया । अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और उसे गिरफ्तारी के आधारों को लिखित में, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/ई, सूचित किया गया ।

(v) मामला-सम्पत्ति और अभियुक्त को अभि. सा. 2, उप-निरीक्षक/थाना अधिकारी शिव सिंह के समक्ष पेश किया गया । अभियुक्त को न्यायिक हवालात में रखा गया, जबकि मुहरबंद बरामदगी के पार्सल को एन. सी. बी. प्ररूप की तीन प्रतियों सहित उपर्युक्त थाना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया । उसके द्वारा पार्सल को अपनी 'ए' छाप की मुद्रा से पुनः मुहरबंद किया गया । इस मुद्रा का भी नमूना कपड़े के एक टुकड़े, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 2/सी, पर लिया गया । उसने एन. सी. बी. प्ररूप, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 2/डी, के आवश्यक स्तंभों को भरा । उसके पश्चात् उसने पूर्वाह्न में 10.00 बजे मामला-सम्पत्ति को सुसंगत दस्तावेजों सहित अभि. सा. 4 मुहर्रिर हैड कांस्टेबल शेर सिंह को इसको सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के लिए सौंपा । उसने सुसंगत रजिस्टर में प्रविष्टि की, जिसका उद्धरण प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/सी है । इसकी रपट को शासकीय कम्प्यूटर में भरा गया, जिसका प्रिंट-आउट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/ए है ।

(vi) तलाशी और अभिग्रहण संबंधी रिपोर्ट कानूनी अवधि के भीतर उच्च अधिकारियों को भेजी गई ।

(vii) तारीख 13 मार्च, 2011 को इस मामले के मुहरबंद पार्सल सहित मुद्राओं के नमूने, एन. सी. बी. प्ररूपों और अन्य दस्तावेजों के साथ-साथ पुलिस डॉकेट, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/ई, सड़क प्रमाणपत्र, प्रदर्श पी.

डब्ल्यू. 4/एफ द्वारा अभि. सा. 3 एच. एच. सी. चंदे राम को इस निदेश के साथ सौंपे गए कि इन सभी वस्तुओं को अभिकथित विनिषिद्ध पदार्थ के विश्लेषण के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला, जुंगा ले जाए । उसने इन वस्तुओं को तारीख 14 मार्च, 2011 को प्रयोगशाला में जमा किया और सड़क प्रमाणपत्र पर रसीद अभिप्राप्त की और वापसी पर पूर्वोक्त मुहर्रिर हैड कांस्टेबल को सौंपी । मामला-सम्पत्ति को संभालने वाले साक्षियों के अनुसार, जब तक यह सम्पति उनकी अपनी-अपनी अभिरक्षा में रही, कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी । रिपोर्ट, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 2/ई, के अनुसार परीक्षण किए गए पदार्थ के वजन में इसमें वर्णित अन्य गुण-धर्म के साथ-साथ 39.69 प्रतिशत कैनेबिस पौधे का रेजिन अंतर्विष्ट था और रसायन विश्लेषक की राय में प्रदर्श कैनेबिस से निकाला गया था और यह चरस का नमूना है ।

3. साक्षियों के कथन अभिलिखित करने और चालान पूर्ण करने के पश्चात् इसे अभियुक्त के विचारण के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । उसे तद्नुसार आरोप-पत्रित किया गया, जिसके लिए उसने दोषी न होने का अभिवाक् और विचारण किए जाने का दावा किया ।

4. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए अपने साक्षियों की परीक्षा कराई । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त की भी परीक्षा की गई । उसने अभियोजन के पक्षकथन का पूर्ण रूप से खंडन किया । उसके अनुसार, पुलिस पदधारियों ने उसके विरुद्ध मिथ्या कथन किए हैं । उसे 'येती गेस्ट हाउस', जहां वह ठहरा हुआ था, से बुलाया गया और मामला गढ़ा गया । उसने अपनी प्रतिरक्षा को सिद्ध करने के लिए प्रति. सा. 1 हुकम चंद की परीक्षा कराई, जिसने स्वयं को येती गेस्ट हाउस का प्रबंधक होने का दावा किया । उसने यह कथन किया कि पुलिस पूर्वोक्त तारीख को अपराह्न में लगभग 2.00 बजे अभियुक्त को उसके गेस्ट हाउस से ले गई थी और उसने उस समय अभियुक्त के कब्जे में कोई चीज नहीं देखी थी और यह भी कथन किया कि वह रसोई में काम कर रहा था और बाद में उसे पता चला कि अभियुक्त चरस के मामले में अन्तर्ग्रस्त है । इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि एक विदेशी, प्रति. सा. 2 कु. किम थेलांडर भी येती गेस्ट हाउस के निकट 'किरन काटेज' में रह रही थी । वह उसके रेस्तरां में दोपहर का भोजन कर रही थी । प्रति. सा. 1 अपनी प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका कि वह उक्त गेस्ट हाउस में प्रबंधक के रूप में कार्यरत था । उसने इस बात

से इनकार किया कि उसे अभियुक्त द्वारा उसके पक्ष में अभिसाक्ष्य देने के लिए रिश्वत दी गई है । उसके द्वारा प्रति. सा. 2 किम थेलांडर के संबंध में इस बात से भी इनकार किया गया कि वह उसके रेस्तरां में दोपहर का भोजन नहीं कर रही थी ।

5. प्रति. सा. 2 किम थेलांडर ने यह कथन किया कि पूर्वोक्त तारीख को जब जापान में सुनामी आई थी, वह अपराह्न में लगभग 2.00 बजे 'येती गेस्ट हाउस' में दोपहर का भोजन कर रही थी । वहां से पुलिस एक व्यक्ति को एक थैले सहित ले गई थी । उसने प्रबन्धक से जांच-पड़ताल की किंतु वह इसके बारे में कुछ नहीं जानता था । वह प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकी जिससे यह साबित हो सके कि वह किरन काटेज में ठहरी हुई थी । वह इस बारे में भी निश्चित नहीं थी कि उसके द्वारा उन पुलिस पदधारियों में से किसी की शनाख्त की जा सकती है या नहीं, जो अभियुक्त को उक्त गेस्ट हाउस से ले गए थे । उसने इस बात से भी इनकार किया कि उसकी अभियुक्त से मित्रता है और इसीलिए उसे बचाने के लिए अनुकूल कथन कर रही है ।

6. विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभियुक्त द्वारा ली गई प्रतिरक्षा पर विश्वास नहीं किया, तथापि, अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए अभियुक्त को पूर्वोक्त अनुसार दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया । इस प्रकार, दंडादेश के आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित होकर यह अपील फाइल की गई है ।

7. अभियुक्त की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री बी. आर. शर्मा ने जोरदार रूप से यह दलील दी कि पुलिस अभिकथित बरामदगी के समय स्वतंत्र साक्षियों को सहयुक्त करने में असफल रही और शासकीय साक्षियों के कथन विरोधाभासों से भरे पड़े हैं । आगे यह दलील दी है कि प्रतिरक्षा वृत्तांत अधिसंभाव्य है जिससे अभियोजन के पक्षकथन में संदेह पैदा होता है । यह भी दलील दी गई कि बरामद वस्तु जब प्रयोगशाला में प्राप्त की गई थी तब उसके वजन में फर्क था और 28 ग्राम अधिक था, जो इसकी पहचान के संबंध में संदेह पैदा करती है । इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष के आरंभिक वृत्तांत में ऐसा कोई संदर्भ नहीं है कि अभियुक्त अपने कब्जे में कोई थैला लिए हुए था और यह बात अभियोजन के वृत्तांत को संदेहास्पद बनाती है ।

8. दूसरी ओर, विद्वान् महाधिवक्ता, श्री डी. सी. पथिक ने पूर्वोक्त

दलीलों का विरोध करते हुए जोरदार रूप से यह दलील दी कि हालांकि यह आज्ञापक नहीं है कि किसी खुले स्थान में अभियुक्त की तलाशी लेने के समय स्वतंत्र साक्षियों को सम्मिलित किया जाए, फिर भी स्वतंत्र साक्षियों को सम्मिलित करने के लिए गंभीर प्रयास किया गया था, किंतु प्रबंध नहीं हो सका । आगे यह दलील दी है कि शासकीय साक्षियों के कथनों को केवल इस आधार पर त्यक्त नहीं किया जा सकता कि वे पुलिस पदधारी हैं । उन्हें भी वैसा ही महत्व दिया जाना आवश्यक है जैसा कि अन्य साक्षियों को दिया जाता है, विशिष्ट रूप से जब उन पर कोई विद्वेष बरतने का आरोप नहीं है । उसने अभिलेख पर के सुसंगत कागजातों का भी यह दर्शित करने के लिए निर्देश दिया कि अभियुक्त अपने साथ एक नीले रंग का थैला लिए हुए था, जिसमें विनिषिद्ध पदार्थ था । इसके अतिरिक्त वजन में फर्क इतना अधिक नहीं है जिससे कि अभियोजन पक्ष के वृत्तांत पर कोई संदेह किया जा सके, विनिर्दिष्ट रूप से जब यह साबित किया गया है कि प्रयोगशाला में पार्सल उसी आकार में प्राप्त हुआ था जिसमें अभियुक्त से बरामदगी के स्थान पर सम्यक् रूप से मुहरबंद किया गया था । इसलिए आक्षेपित निर्णय में कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है ।

9. हमने पक्षकारों की विरोधी दलीलों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया और विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अभिलेख के साक्ष्य की सावधानीपूर्वक और समालोचनात्मक परीक्षा की ।

10. वस्तुतः, जब किसी व्यक्ति से विनिषिद्ध पदार्थ की बरामदगी किसी खुले स्थान से होती है, तब दो स्वतंत्र साक्षियों को तलाशी के साक्ष्य के लिए सम्मिलित करने की अनिवार्य या विधिक अपेक्षा नहीं है और विशिष्ट रूप से प्रस्तुत मामले में अन्वेषक अधिकारी, अभि. सा. 6 सहायक उप-निरीक्षक दया राम ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि यह एक निर्जन और एकांत स्थान था और महिला कांस्टेबल मीना कुमारी को स्वतंत्र साक्षियों का प्रबंध करने के लिए भेजा गया था किंतु उसने वापस आकर बताया कि उसने हालांकि 2-3 दुकानदारों से संपर्क किया था, किंतु वे साक्षी बनने के लिए तैयार नहीं हुए । अब प्रश्न यह है कि क्या न्यायालय में परीक्षा कराए गए शासकीय साक्षी विश्वासप्रद हैं । हमने संवीक्षा करने पर यह पाया है कि अभि. सा. 6, सहायक उप-निरीक्षक दया राम ने अभियोजन के पक्षकथन का शब्दशः समर्थन किया है । उसने यह कथन किया है कि जब अभियुक्त वापस मुड़ा और बचने की कोशिश की तब उसे

एक थैला दिखाई दिया, यह तथ्य अभिग्रहण ज्ञापन और मामला दर्ज करने के लिए भेजे गए रुक्का प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 2/ए, में भी स्पष्ट रूप से उल्लिखित है । इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा में अभियुक्त ने रुक्का की प्रारंभिक पंक्तियों में थैले का जिक्र नहीं होने के कारण उग्रतापूर्वक यह सिद्ध करने की कोशिश की कि उसके पास थैला नहीं था, किंतु उक्त दस्तावेज का समग्रता से परिशीलन करने पर इससे यह दर्शित होता है कि जब अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था, उसके पास उसके दाएं कंधे पर टंगा हुआ प्रदर्श पी-2, थैला था । इस तथ्य की संपुष्टि अभि. सा. 5 सहायक उप-निरीक्षक राम स्वरूप द्वारा की गई है । इस दस्तावेज के मध्य में 'डी' के रूप में चिन्हित भाग में भी अभियुक्त द्वारा लिए हुए थैले के बारे में निर्देश है । उपरोक्त दोनों साक्षियों ने अभियुक्त के इस पक्षकथन से इनकार किया है कि उसे 'येती गेस्ट हाउस' वशिष्ट चौक से पकड़ा गया था, किंतु प्रतिपरीक्षा में साक्षियों में से किसी से भी पुलिस पदधारियों का अभियुक्त के प्रति वह क्या विद्वेष था, जिससे उसके विरुद्ध एक मिथ्या मामला और वह भी 4.500 किलो ग्राम चरस की इतनी बड़ी बरामदगी का गढ़ा गया, की बात नहीं कही गई है । यहां तक कि अभियुक्त उस समय भी यह बात स्पष्ट नहीं कर सका, जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन कथन अभिलिखित करते समय न्यायालय के साथ सीधी बातचीत हुई थी । इसलिए, हमारे सुविचारित मत में, हमारे द्वारा संवीक्षा किए गए समग्र साक्ष्य के आधार पर हम यह अभिनिर्धारित करने के लिए मजबूर हैं कि विद्वान् विचारण न्यायालय ठीक ही इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि बरामद पदार्थ नीले रंग के थैले, प्रदर्श पी-2, में था जिसे अभियुक्त सुसंगत तारीख और समय पर अपने दाएं कंधे पर लिए हुए था और जिसकी साक्षियों ने विचारण के दौरान न्यायालय में भी शनाख्त की ।

11. इसके अतिरिक्त, मामला सम्पत्ति की पुनः मुहरबंदी उसी दिन अभि. सा. 2 उप-निरीक्षक/थाना अधिकारी शिव सिंह द्वारा की गई थी और अभियुक्त को भी पुलिस थाने में उनके समक्ष पेश किया गया था । अभियुक्त ने उससे भी उसे मिथ्या फंसाए जाने की कोई शिकायत नहीं की और यहां तक कि जब उसे पुलिस द्वारा 'येती गेस्ट हाउस' से 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, तब भी उसने अपने मिथ्या फंसाए जाने के बारे में अपनी आवाज नहीं उठाई ।

12. प्रस्तुत मामले में कड़ी साक्ष्य भी विनिषिद्ध पदार्थ की बरामदगी के समय से लेकर उसे मुद्राओं के नमूने और एन. सी. बी. प्ररूपों सहित

मालखाने में जमा करने तक पूर्ण है, जिसमें बरामद पदार्थ पर लगाई गई मुद्रा की प्रतिकृति भी अंतर्विष्ट है, जिसे पहले ही उसी थैले में रखा गया था और फिर उसका एक पार्सल बनाया गया था, जिसे बाद में अभि. सा. 3 एच. एच. सी. चंदा राम द्वारा सड़क-प्रमाणपत्र, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/एफ, के द्वारा विश्लेषण के लिए सुसंगत कागजातों सहित लिया गया था और उसी दशा में प्रयोगशाला में जमा किया गया था । पार्सल और मुहरों का वर्णन रिपोर्ट, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 2/ई के स्तंभ सं. 7 के सामने उल्लिखित है । पार्सल और मुहरें अविकल पाई गई थीं और लगाई गई मुहरों के नमूनों से मिलान किया गया था । यह भी प्रमाणित है कि पार्सल को इसकी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर होने और प्रेषित करने तक सहायक रसायन विश्लेषक की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया था । स्तंभ सं. 10 के सामने उल्लिखित अनुसार पार्सल का वजन 4.946 किलो ग्राम और पार्सल के कपड़े तथा कपड़े के थैले का वजन 0.474 किलो ग्राम पाया गया था और इस प्रकार विनिषिद्ध पदार्थ का सकल वजन 4.472 किलो ग्राम था अर्थात् पुलिस निरीक्षक द्वारा घटनास्थल पर किए गए वजन से 28 ग्राम अधिक था और यह वजन केवल इस कारण अधिक हो सकता है कि प्रयोगशाला द्वारा प्रयुक्त की गई मुहरें घटनास्थल पर प्रयुक्त की गई मुहरों से अधिक संवेदनशील और परिष्कृत थीं, किंतु वास्तविकता यह है कि बरामदगी के पार्सल पर की मुहरें वैसी ही थीं जैसा कि इसे घटनास्थल पर मुहरबंद और उसके पश्चात् पुनः मुहरबंद किया गया था तथा प्रयोगशाला में उसी दशा में प्राप्त हुआ था और परीक्षण करने पर चरस पाई गई थी । इसके अतिरिक्त, विनिषिद्ध पदार्थ इसके परीक्षण के पश्चात् थैले और कपड़े के पार्सल सहित प्रयोगशाला की मुहर के साथ पुलिस थाने को वापस किया गया था और विचारण के दौरान पूर्वोक्त साक्षियों ने इसे वही होना प्रमाणित किया जो अभियुक्त के कब्जे से बरामद किया गया था और विद्वान् विचारण न्यायालय ने भी पार्सल, प्रदर्श पी-1 को, जब इसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, मुहरबंद पाया था । इसे खोलने पर इसमें बत्तियों और चपातियों के आकार में चरस, प्रदर्श पी-3 थी जैसा कि अभि. सा. 5 सहायक उप-निरीक्षक राम स्वरूप द्वारा कथन किया गया है, किंतु न्यायालय द्वारा किया गया यह प्रश्न, कि चरस नीले रंग के थैले में बत्तियों के आकार में थी न कि पतली चपातियों के गोल आकार में, घातक नहीं है क्योंकि अलग-अलग व्यक्ति की अलग-अलग धारणा होती है, जैसे कि गोल आकार में टूटे हुए छोटे टुकड़ों को गोल आकार की चपातियों के रूप में कहा जा सकता है ।

13. चूंकि अभियुक्त से यथा अभिकथित विनिषिद्ध पदार्थ की बरामदगी की बात विधि के अनुसार साबित होती है, इसलिए अधिनियम की धारा 54 के अधीन अवैध वस्तु के कब्जे से उपधारणा की जानी चाहिए क्योंकि अभियुक्त इसका समाधानप्रद उत्तर देने में असफल रहा है । जो प्रतिरक्षा ली गई है, अधिसंभाव्य नहीं मानी जा सकती है ।

14. उपरोक्त स्थिति से सामना होने पर अभियुक्त की ओर से विद्वान् काउंसेल ने फिर यह अवलंब लिया कि यह व्यक्तिगत तलाशी का मामला था क्योंकि प्रथम बार में थैला दिखाई नहीं पड़ा था, इसलिए उपधारणा यह है कि थैला उसके पहने हुए कपड़ों के अंदर शरीर से लगा हुआ था, अतः अधिनियम की धारा 50 के आज्ञापक उपबंधों के अननुपालन के कारण विचारण दूषित हो जाता है । हमारी राय में यह तर्क केवल इसे सिरे से खारिज करने के लिए ही दिया गया है क्योंकि, जैसा कि ऊपर चर्चा किए गए तथ्यों से प्रकट होता है, अभियुक्त का विचारण किसी व्यक्तिगत तलाशी के आधार पर विनिषिद्ध पदार्थ की बरामदगी पर आधारित नहीं है जिससे कि अधिनियम की धारा 50 लागू होती हो । इसलिए **दिलीप और एक अन्य** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1], **विजयसिंह चंदूभाई जडेजा** बनाम **गुजरात राज्य**[2] और **अमर चंद** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य**[3] वाले मामलों में के निर्णयों का विनिश्चयाधार इस मामले में लागू नहीं होता है ।

15. पूर्वोक्त कारणों के लिए, लिए गए बिन्दुओं पर पूर्णतया विचार करने के पश्चात् हमारा यह निष्कर्ष है कि इस अपील में कोई बल नहीं है क्योंकि यह गुणागुण रहित है और तद्नुसार इसे खारिज किया जाता है ।

16. अभिलेख निचले न्यायालय को भेजा जाए ।

अपील खारिज की गई ।

जस.

---

[1] (2007) 1 एस. सी. सी. 450.

[2] (2011) 1 एस. सी. सी. 609.

[3] [2010] सप्ली. सी. यू. ला जर्नल (हि. प्र.) 275.

राकेश कुमार

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

तारीख 27 मई, 2013

न्यायमूर्ति संजय करोल

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 279 और 304-क [सपठित मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 184] – उतावलेपन से या उपेक्षापूर्वक यान चलाने से मृत्यु – जहां अभियोजन घटना होने के सुसंगत समय पर अभियुक्त द्वारा प्रश्नगत यान उतावलेपन से या उपेक्षापूर्वक रीति से चलाने और घटना की अन्य कड़ियों को जोड़ने में सफल नहीं रहता है वहां अभियुक्त को उक्त अपराधों के लिए दोषसिद्ध करना न्यायसंगत और न्यायोचित नहीं है ।

अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 23 दिसंबर, 2002 को लगभग 2.40 बजे अपराह्न अभियुक्त उतावलेपन से या उपेक्षापूर्वक गाड़ी सं. एचपी-09-ए0197 चला रहा था । जब वह होटल एशिया दि डाउन, शिमला के नजदीक पहुंचा तो उसने डिंगु राम को चोट पहुंचाई जो गाड़ी से सड़क पर चल रहा था । डिंगु राम को क्षतियां पहुंचीं । अभियुक्त उसे अस्पताल में ले जाने के बजाए घटनास्थल से अपनी गाड़ी से भाग गया । घटना की इत्तिला पुलिस थाना पश्चिमी, बाउलेगंज को दी गई । सोघी पर स्थित पुलिस घेरे द्वारा यह सूचना दी गई कि अभियुक्त यान को लेकर भाग गया है । एच. सी. राजेन्द्र कुमार और कांस्टेबल गोविन्द सिंह द्वारा पुलिस घेरा, सोघी पर गाड़ी को रोका गया । उसी बीच में हेड कांस्टेबल रवीन्द्र कुमार घटना घटने के स्थल पर पहुंचा । वहां पर उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के उपबंधों के अधीन प्रत्यक्षदर्शी साक्षी श्री जगदीश के कथन को अभिलिखित किया जिसे कांस्टेबल अशोक कुमार (जिसकी परीक्षा नहीं की गई) के मार्फत पुलिस थाना पश्चिमी, शिमला भेजा गया था । तारीख 23 दिसंबर, 2002 को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई थी । घटना के तत्काल पश्चात् स्थानीय निवासी आहत को अस्पताल ले गए थे । हेड कांस्टेबल रवीन्द्र कुमार भी गया । डा. रवीन्द्र मोक्ता ने परीक्षा की और यह राय व्यक्त की कि रोगी की मृत्यु हो गई है । पुलिस

द्वारा चिकित्सा रिपोर्ट अभिलेख पर लिया गया । शव का शवपरीक्षण डा. पीयूष कपिला द्वारा किया गया था और पुलिस द्वारा शवपरीक्षण रिपोर्ट अभिलेख पर लिया गया । मृतक की मृत्यु-पूर्व सिर की क्षति के परिणामस्वरूप हुई थी । गाड़ी को सोघी पुलिस घेरे पर रोका गया था जिसे ज्ञापन के माध्यम से अभिगृहीत किया गया था । अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् विचारण किए जाने के लिए न्यायालय के समक्ष चालान फाइल किया गया । निचले अपील न्यायालय ने दोषसिद्धि तथा दंडादेश के निष्कर्षों की अभिपुष्टि की, इसलिए, वर्तमान आवेदन फाइल किया गया । आवेदक द्वारा 2004/2003 का दांडिक मामला सं. 56/2, हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम राकेश कुमार वाले मामले में विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा तारीख 28 अप्रैल, 2005 को पारित किए गए निर्णय को आक्षेपित किया गया, जिस निर्णय की 2005 की दांडिक अपील सं. 14 एस. एस./10, राकेश कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य वाले मामले में तारीख 18 जुलाई, 2007 को पारित किए गए निर्णय द्वारा अभिपुष्टि की गई और आवेदक ने निर्णय को आक्षेपित करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 397/401 के उपबंधों के अधीन वर्तमान पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया है । अभियुक्त ने विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया । उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण आवेदन मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – मामले में यह बात महत्वपूर्ण है कि एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी जगदीश चन्द्र ने किसी प्रकार भी अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है । उसकी लोक अभियोजक द्वारा प्रतिपरीक्षा की गई और प्रतिपरीक्षा के बावजूद उसके परिसाक्ष्य से कोई भी लाभदायक बात प्रकट नहीं हो सकी । उसने अपने अखंडनीय परिसाक्ष्य में निश्चित तौर पर यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने दुर्घटना के स्थान पर उस समय गाड़ी चलाते हुए अभियुक्त को नहीं देखा । अंततः उसने यह कहा कि गाड़ी सं. "0197" ने मृतक को चोट पहुंचाई थी । यद्यपि कथन वेदवाक्य के रूप में स्वीकार किया गया तब भी उसने यह कथन किया है कि उसे यह पता चला कि राकेश कुमार उस सुसंगत समय पर गाड़ी चला रहा था । उसने राकेश कुमार की विशिष्टियों के बारे में नहीं बताया । यह बात महत्वपूर्ण है कि इस साक्षी को अभियुक्त की शिनाख्त किए जाने के लिए सोघी पुलिस बैरियर पर नहीं ले जाया गया था । न्यायालय में उसकी परीक्षा किए जाने से पूर्व अभियुक्त की पुलिस द्वारा पहचान नहीं की गई । क्या उसकी

जानकारी में अभियुक्त का नाम आया था, यह बात अभिलेख पर नहीं है । अभि. सा. 8 के परिसाक्ष्य में अभिलेख पर यह प्रकट हुआ है कि उसे दूरभाष से दुर्घटना के बारे में सूचना मिली थी । यह बात महत्वपूर्ण है कि उसने उस व्यक्ति का नाम प्रकट नहीं किया है जिसने उसे ऐसी सूचना दी थी । उसने अभियुक्त की पहचान को भी प्रकट नहीं किया है । उसके द्वारा गाड़ी की संख्या और उसके किस्म के बारे में प्रकट नहीं किया गया है जो दुर्घटना में शामिल थी । उसने यह भी कथन नहीं किया है कि वह मृतक था जिसे दुर्घटना में क्षतियां पहुंची थीं या अभियुक्त गाड़ी चला रहा था । उसने साधारण तौर पर यह कथन किया है कि दुर्घटना के बारे में सूचना प्राप्त करने पर उसने सोघी पुलिस बैरियर पर सूचना दी थी । पुलिस ने दुर्घटना के बारे में सूचना प्राप्त करने की दैनिक डायरी या अभिलेख ज्ञापन पर कोई प्रविष्टि अभिलिखित करके नहीं रखी थी । पुलिस बैरियर, सोघी पर इत्तिला भेजने के बारे में अभिलेख पर कोई दस्तावेज नहीं रखा गया था । निःसंदेह गाड़ी एचपी-09-ए0197 पुलिस बैरियर सोघी पर रोकी गई थी । अभिलेख पर यह प्रकट हुआ है कि सोघी पुलिस बैरियर राष्ट्रीय राजमार्ग पर है जो सड़क हमेशा व्यस्त रहती है और वहां पर प्रश्नगत कई किस्मों की गाड़ियां आती-जाती रहती हैं । यह मामला गलत पहचान का हो सकता है । अभि. सा. 2 ने अपने अखंडनीय परिसाक्ष्य में गाड़ी की संख्या की पूरी विशिष्टियों को प्रकट नहीं किया है । उसने केवल यह कथन किया है कि उसने गाड़ी सं. "0197" को देखा था जिसने मृतक को चोट पहुंचाई थी परंतु यह संख्या किसी भी क्रमांक की हो सकती है, यद्यपि गाड़ी की किस्म एक ही हो । अभियोजन पक्ष घटना के घटने के समय तथा अभि. सा. 2 के कथन को अभिलिखित करने के बीच में गायब हुई श्रृंखला को सिद्ध करने में समर्थ नहीं हुआ है जिससे कि अभियुक्त की दोषिता साबित हो और उस सुसंगत समय पर उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक प्रश्नगत यान को चलाए जाने के तथ्य को साबित किया जाए । (पैरा 15, 19, 23, 24 और 25)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[1997]	(1997) 4 एस. सी. सी. 241 : **कृष्णा और एक अन्य** बनाम **कृष्णावेनी और एक अन्य** ।	9

पुनरीक्षण (दांडिक) अधिकारिता : 2007 का दांडिक पुनरीक्षण आवेदन सं. 108.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 397/401 के अधीन पुनरीक्षण आवेदन ।

आवेदक की ओर से सर्वश्री आई. एस. चंदेल और नीरज शर्मा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से श्री आर. एस. वर्मा, अपर महाधिवक्ता

न्यायमूर्ति संजय करोल – आवेदक द्वारा 2004/2003 का दांडिक मामला सं. 56/2, हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम राकेश कुमार वाले मामले में विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा तारीख 28 अप्रैल, 2005 को पारित किए गए निर्णय को आक्षेपित किया गया, जिस निर्णय की 2005 की दांडिक अपील सं. 14 एस. एस./10, राकेश कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य वाले मामले में तारीख 18 जुलाई, 2007 को पारित किए गए निर्णय द्वारा अभिपुष्टि की गई और आवेदक ने निर्णय को आक्षेपित करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 397/401 के उपबंधों के अधीन वर्तमान पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया है ।

2. अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 23 दिसंबर, 2002 को लगभग 2.40 बजे अपराह्न अभियुक्त उतावलेपन से या उपेक्षापूर्वक गाड़ी सं. एचपी-09-ए0197 चला रहा था । जब वह होटल एशिया दि डाउन, शिमला के नजदीक पहुंचा तो उसने डिंगु राम को चोट पहुंचाई जो गाड़ी से सड़क पर चल रहा था । डिंगु राम को क्षतियां पहुंचीं । अभियुक्त उसे अस्पताल में ले जाने के बजाए घटनास्थल से अपनी गाड़ी से भाग गया । घटना की इत्तिला पुलिस थाना पश्चिमी, बाउलेगंज को दी गई । सोघी पर स्थित पुलिस घेरे द्वारा यह सूचना दी गई कि अभियुक्त यान को लेकर भाग गया है । एच. सी. राजेन्द्र कुमार (अभि. सा. 1) और कांस्टेबल गोविन्द सिंह (अभि. सा. 9) द्वारा पुलिस घेरा, सोघी पर गाड़ी को रोका गया ।

3. उसी बीच में हेड कांस्टेबल रवीन्द्र कुमार (अभि. सा. 6) घटना घटने के स्थल पर पहुंचा । वहां पर उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के उपबंधों के अधीन प्रत्यक्षदर्शी साक्षी श्री जगदीश (अभि. सा. 2) के

कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/क को अभिलिखित किया जिसे कांस्टेबल अशोक कुमार (जिसकी परीक्षा नहीं की गई) के मार्फत पुलिस थाना पश्चिमी, शिमला भेजा गया था । तारीख 23 दिसंबर, 2002 को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 33/2002 प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/ख रजिस्ट्रीकृत की गई थी । घटना के तत्काल पश्चात् स्थानीय निवासी आहत को अस्पताल ले गए थे । हेड कांस्टेबल रवीन्द्र कुमार (अभि. सा. 6) भी गया । डा. रवीन्द्र मोक्ता (अभि. सा. 7) ने परीक्षा की और यह राय व्यक्त की कि रोगी की मृत्यु हो गई है । पुलिस द्वारा चिकित्सा रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 7/क अभिलेख पर लिया गया । शव का शवपरीक्षण डा. पीयूष कपिला (अभि. सा. 5) द्वारा किया गया था और पुलिस द्वारा शवपरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/क अभिलेख पर लिया गया । मृतक की मृत्यु-पूर्व सिर की क्षति के परिणामस्वरूप हुई थी । गाड़ी को सोघी पुलिस घेरे पर रोका गया था जिसे ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क के माध्यम से अभिगृहीत किया गया था । अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् विचारण किए जाने के लिए न्यायालय के समक्ष चालान फाइल किया गया ।

4. अभियुक्त को दंड संहिता, 1860 की धारा 279 और 304-क के उपबंधों के अधीन तथा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 184 के उपबंधों के अधीन दंडनीय अपराध किए जाने के लिए अभियोग चलाने हेतु नोटिस दिया गया था जिस पर उसने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया ।

5. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध करने के लिए कुल मिलाकर 9 साक्षियों की परीक्षा की । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का कथन भी अभिलिखित किया गया था जिसमें उसने अपनी प्रतिरक्षा में मामला होने से पूर्णतया इनकार किया तथा विनिर्दिष्ट रूप से यह बताया कि वह प्रश्नगत गाड़ी में ड्राइवर के रूप में नियोजित नहीं था ।

6. विचारण न्यायालय ने अभियोजन साक्षियों के परिसाक्ष्यों के आधार पर आरोपित अपराधों से अभियुक्त को दोषसिद्ध कर दिया । अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 297 के अधीन दंडनीय अपराध के संबंध में एक मास अवधि का कठोर कारावास भोगने तथा 500/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने का दंडादेश दिया; दंड संहिता की धारा 304-क के अधीन दंडनीय अपराध के संबंध में छह मास का कठोर कारावास भोगने तथा 4,000/-

रुपए के जुर्माने के संदाय करने का दंडादेश दिया गया और मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 187 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए 500/- रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया । जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर उसे 7 दिन, 30 दिन और 7 दिनों का साधारण कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया । दंडादेश साथ-साथ चलने का आदेश दिया गया । मृतक डिंगु राम के विधिक वारिस को विधिक वारिस प्रमाण पत्र पेश करने पर प्रतिकर के रूप में 5,000/- रुपए देने का निदेश दिया गया ।

7. निचले अपील न्यायालय ने दोषसिद्धि तथा दंडादेश के निष्कर्षों की अभिपुष्टि की, इसलिए, वर्तमान आवेदन फाइल किया गया ।

8. पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया, मेरा विचारित मत यह है कि निचले न्यायालयों द्वारा अभियोजन साक्षियों के परिसाक्ष्यों का मूल्यांकन करने में तथा अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर रखी गई सामग्री का मूल्यांकन करने में गंभीर अवैधता और अनियमितता बरती गई है । अभियोजन साक्षियों के परिसाक्ष्य को मात्र पेश करने के सिवाय निचले अपील न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में न तो कोई चर्चा की गई है और न कोई तर्कयुक्त कारण दिए गए हैं । मेरा विचारित मत यह है कि विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर गहराई से विचार नहीं किया कि मामले में मृत्यु हुई थी और इस प्रकार यह उपधारणा की गई थी कि वास्तव में वह अभियुक्त था जो उस सुसंगत समय पर प्रश्नगत गाड़ी को चला रहा था जिससे दुर्घटना घटी थी । निर्णय में इन तथ्यों का उचित रूप से मूल्यांकन करना नहीं कहा जा सकता जिसके परिणामस्वरूप प्रतिकूल न्याय हुआ है ।

9. **कृष्णा और एक अन्य** बनाम **कृष्णावेनी और एक अन्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जब उच्च न्यायालय के ध्यान में यह बात थी कि न्याय का अतिक्रमण हुआ है या न्यायिक तंत्र या प्रक्रिया का दुरुपयोग हुआ है, दंडादेश या आदेश सही नहीं है तब उच्च न्यायालय का यह हितकर कर्तव्य यह है कि वह प्रक्रिया के दुरुपयोग या न्याय हानि या अवर दांडिक न्यायालयों द्वारा न्यायिक प्रक्रिया या दंड या आदेश की अवैधता द्वारा बरती गई अनियमिताओं को सही करें ।

---

[1] (1997) 4 एस. सी. सी. 241.

10. निःसंदेह सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी परंतु अभियोजन पक्ष को युक्तियुक्त संदेह के परे इस तथ्य को साबित करना चाहिए था कि ऐसी दुर्घटना केवल उतावलेपन से या उपेक्षापूर्वक गाड़ी चलाने के कारण हुई थी जो अभियुक्त का आचरण था ।

11. यह तथ्य कि श्री डिंगु राम की मृत्यु हुई थी जिस बात को अभि. सा. 7 और अभि. सा. 5 के परिसाक्ष्य के माध्यम से सिद्ध किया गया था ।

12. यह तथ्य कि डिंगु राम की दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृत्यु हुई जो दुर्घटना एशिया दि डाउन होटल के नजदीक घटी, इस संबंध में कोई विवाद नहीं किया गया है । हेड कांस्टेबल रवीन्द्र कुमार (अभि. सा. 6) भारसाधक अधिकारी ने निश्चित तौर पर यह अभिसाक्ष्य दिया है कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तब उसे पता चला कि डिंगु राम को यान से चोट पहुंची है । यह तथ्य कि अभियुक्त की दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृत्यु हुई । इस बारे में आवेदक द्वारा कोई विवाद नहीं किया जा सकता है । इस संबंध में अभिलेख पर कोई साक्ष्य है कि स्थानीय निवासियों द्वारा आहत व्यक्ति को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया था ।

13. प्रश्न जिस पर विचार किया जाना जरूरी है यह है कि वह अभियुक्त ही था जो सार्वजनिक राजमार्ग पर गाड़ी चला रहा था और उस समय वह उतावलेपन तथा उपेक्षापूर्वक गाड़ी चला रहा था जो मानव जीवन और लोक सुरक्षा के लिए खतरा है और ऐसे प्रत्यक्ष कार्यों के अनाचरण किए जाने से अभियुक्त ने मृतक को चोट पहुंचाई और जिससे उसे क्षतियां कायम हुईं और इसके पश्चात् वह घटनास्थल से गाड़ी लेकर भाग गया ।

14. इस संबंध में श्री आर. एस. वर्मा विद्वान् अपर महाधिवक्ता द्वारा साक्षी हेड कांस्टेबल राजेन्द्र सिंह (अभि. सा. 1), श्री जगदीश (अभि. सा. 2), कांस्टेबल, गोविन्द सिंह (अभि. सा. 9) और हेड कांस्टेबल, रवीन्द्र कुमार (अभि. सा. 6) के परिसाक्ष्यों की ओर मेरा विशेष ध्यान दिलाया ।

15. वर्तमान मामले में यह बात महत्वपूर्ण है कि एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी जगदीश (अभि. सा. 2) ने किसी प्रकार भी अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है । उसकी लोक अभियोजक द्वारा प्रतिपरीक्षा की गई और प्रतिपरीक्षा के बावजूद उसके परिसाक्ष्य से कोई भी लाभदायक बात प्रकट नहीं हो सकी । उसने अपने अखंडनीय परिसाक्ष्य में निश्चित तौर पर यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने दुर्घटना के स्थान पर उस समय गाड़ी चलाते हुए अभियुक्त को नहीं देखा । अंततः उसने यह कहा कि गाड़ी

सं. "0197" ने मृतक को चोट पहुंचाई थी । यद्यपि कथन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/क) वेदवाक्य के रूप में स्वीकार किया गया तब भी उसने यह कथन किया है कि उसे यह पता चला कि राकेश कुमार उस सुसंगत समय पर गाड़ी चला रहा था । उसने राकेश कुमार की विशिष्टियों के बारे में नहीं बताया । यह बात महत्वपूर्ण है कि इस साक्षी को अभियुक्त की शिनाख्त किए जाने के लिए सोघी पुलिस बैरियर पर नहीं ले जाया गया था । न्यायालय में उसकी परीक्षा किए जाने से पूर्व अभियुक्त की पुलिस द्वारा पहचान नहीं की गई । क्या उसकी जानकारी में अभियुक्त का नाम आया था, यह बात अभिलेख पर नहीं है ।

16. अभियोजन पक्ष ने किसी स्थानीय निवासी को सहबद्ध नहीं किया जो दुर्घटना घटने के पश्चात् मृतक को अस्पताल ले गया था । इस बात का क्यों स्पष्टीकरण नहीं दिया गया । अभियोजन का पक्षकथन यह नहीं है कि अभि. सा. 2 स्थानीय निवासी है या उसके घटनास्थल पर मौजूद होने का कारण था । पुलिस द्वारा इस बारे में भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि क्यों अभि. सा. 2 उस समय तक घटनास्थल पर रहा जब वे वहां पहुंचे । उसे अस्पताल जाना चाहिए था या उसने यदि घटना देखी थी तो उसके द्वारा दूरभाष से पुलिस को सूचना दी जानी चाहिए थी या कम से कम किसी अन्य व्यक्ति को बताया जाना चाहिए था । घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/ग से यह दर्शित हुआ है कि दुर्घटना के स्थान के नजदीक वाणिज्यिक प्रतिष्ठान है ।

17. इसके अतिरिक्त मामले में अभियोजन पक्षकथन में प्रकट विभेदों से अलग एक प्रमुख दोष के रूप में मामले की शृंखला टूटी हुई प्रतीत होती है ।

18. अभि. सा. 1 और अभि. सा. 9 के अनुसार उन्होंने 2.30 बजे अपराह्न सोघी पुलिस बैरियर पर अभियुक्त द्वारा चलाई जा रही गाड़ी को रोका था । ऐसा उन्होंने दुर्घटना के तत्काल पश्चात् किया था । अभिलेख से यह प्रकट हुआ है कि अभि. सा. 2 का कथन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/क) केवल 3.10 बजे अपराह्न अभिलिखित किया गया था यदि अभि. सा. 2 का कथन 3.10 बजे अपराह्न अभिलिखित किया गया था, तब ऐसा कैसे हुआ कि गाड़ी को 2.30 बजे अपराह्न पुलिस बैरियर सोघी पर कैसे रोका गया था ।

19. अभि. सा. 8 के परिसाक्ष्य में अभिलेख पर यह प्रकट हुआ है कि

उसे दूरभाष से दुर्घटना के बारे में सूचना मिली थी । यह बात महत्वपूर्ण है कि उसने उस व्यक्ति का नाम प्रकट नहीं किया है जिसने उसे ऐसी सूचना दी थी । उसने अभियुक्त की पहचान को भी प्रकट नहीं किया है । उसके द्वारा गाड़ी की संख्या और उसके किस्म के बारे में प्रकट नहीं किया गया है जो दुर्घटना में शामिल थी । उसने यह भी कथन नहीं किया है कि वह मृतक था जिसे दुर्घटना में क्षतियां पहुंची थीं या अभियुक्त गाड़ी चला रहा था । उसने साधारण तौर पर यह कथन किया है कि दुर्घटना के बारे में सूचना प्राप्त करने पर उसने सोघी पुलिस बैरियर पर सूचना दी थी । पुलिस ने दुर्घटना के बारे में सूचना प्राप्त करने की दैनिक डायरी या अभिलेख ज्ञापन पर कोई प्रविष्टि अभिलिखित करके नहीं रखी थी । पुलिस बैरियर, सोघी पर इत्तिला भेजने के बारे में अभिलेख पर कोई दस्तावेज नहीं रखा गया था ।

20. इस साक्षी ने केवल यह कथन किया है कि वह घटनास्थल पर पहुंचा जहां उसने अभि. सा. 2 का कथन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/क) अभिलिखित किया । उसने यह कथन किया है कि उसके द्वारा कांस्टेबल अशोक कुमार (जिसकी परीक्षा नहीं की गई) के माध्यम से अभिलिखित कथन को पुलिस थाने भेजा गया था जहां प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/ख) अभिलिखित की गई थी । यदि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट 3.30 बजे अपराह्न अभिलिखित की गई थी तब यान जिसे अभि. सा. 1 और अभि. सा. 9 द्वारा 2.30 बजे रोका गया था, के अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क) पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट संख्या के बारे में स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया गया । इसमें एक ही पैन के हस्तलिखित को प्रकट किया गया था और एक ही हस्तलिखित में लिखा गया था । अभि. सा. 8 ने यह कथन किया है कि वह सोघी पर गया था और गाड़ी का अभिग्रहण किया परंतु तब उसने यह नहीं बताया कि रजिस्ट्रेशन के पश्चात् प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की प्रति उसको भेजी थी ।

21. वर्तमान मामले में पुलिस द्वारा कोई शिनाख्त परेड परीक्षा नहीं की गई थी ऐसा क्यों किया गया इस बारे में भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया । वर्णित तथ्यों में यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष इस तथ्य को साबित करने में समर्थ हुआ है कि वह अभियुक्त ही था जो वर्णित समय पर गाड़ी चला रहा था और यह दुर्घटना उसकी उपेक्षा के कारण हुई थी ।

22. यह बात महत्वपूर्ण है कि यान के स्वामी की यह सिद्ध करने के

लिए न्यायालय में परीक्षा नहीं की गई कि क्या गाड़ी उस सुसंगत समय पर अभियुक्त के कब्जे में थी ।

23. निःसंदेह गाड़ी एचपी-09-ए0197 पुलिस बैरियर सोघी पर रोकी गई थी । अभिलेख पर यह प्रकट हुआ है कि सोघी पुलिस बैरियर राष्ट्रीय राजमार्ग पर है जो सड़क हमेशा व्यस्त रहती है और वहां पर प्रश्नगत कई किस्मों की गाड़ियां आती-जाती रहती हैं । यह मामला गलत पहचान का हो सकता है ।

24. अभि. सा. 2 ने अपने अखंडनीय परिसाक्ष्य में गाड़ी की संख्या की पूरी विशिष्टियों को प्रकट नहीं किया है । उसने केवल यह कथन किया है कि उसने गाड़ी सं. "0197" को देखा था जिसने मृतक को चोट पहुंचाई थी परंतु यह संख्या किसी भी क्रमांक की हो सकती है, यद्यपि गाड़ी की किस्म एक ही हो ।

25. अभियोजन पक्ष घटना के घटने के समय तथा अभि. सा. 2 के कथन को अभिलिखित करने के बीच में गायब हुई शृंखला को सिद्ध करने में समर्थ नहीं हुआ है जिससे कि अभियुक्त की दोषिता साबित हो और उस सुसंगत समय पर उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक प्रश्नगत यान को चलाए जाने के तथ्य को साबित किया जाए ।

26. इस प्रकार वर्तमान पुनरीक्षण आवेदन मंजूर किया जाता है और निचले न्यायालयों द्वारा पारित किए गए दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय अपास्त किए जाते हैं । अभियुक्त द्वारा पेश किए गए जमानत बंधपत्र उन्मोचित किए जाते हैं । यदि कोई जुर्माना जमा किया गया है तो उसे पुनः वापस करने का आदेश दिया जाता है ।

निचले न्यायालयों के अभिलेख तुरंत वापस भेजे जाते हैं ।

पुनरीक्षण आवेदन मंजूर किया गया ।

आर्य